

८२५

हिन्दी-गौरव-ग्रंथमाला—८६ वाँ ग्रंथ

विचार धारा

१९१७
साहित्य

धीरेन्द्र वर्मा

वक्तव्य

धारा' गत बीस वर्षों में भिन्न भिन्न विषयों पर लिखे गए मेरे काश्चित् लेखों का संग्रह मात्र है। लेखों को विषय के अनुसार पाँच भागों में बाँट कर दिया गया है। १९२१ से १९४१ तक की रचनाएँ होने के कारण शैली आदि में पर्याप्त भेद मिलेगा। एकरूपता उपस्थित नहीं जान बूझ कर नहीं किया गया। लेख रचना-क्रम के अनुसार हैं यद्यपि संयोगवश प्रथम लेख मेरी प्रारम्भिक कृति है।

संग्रह का प्रकाशन हिंदी की एक मान्य सार्वजनिक संस्था ने इस प्रकार कर दिया कि इसके "हिंदी प्रचार" शीर्षक भाग में कुछ ऐसे लेखों को इस संस्था के 'कार्य-धार' की दृष्टि में संस्था की नीति के अनु-सृत किया गया। साहित्य भवन के सौजन्य से इस आपत्ति-जनक अंश सहित यह संग्रह काठकोट के सन्मुख उपस्थित है।

यदि विद्यार्थी भी उमाशंकर शुक्ल ने पुस्तक के मूक देखने का कष्ट करने के लिए मैं उनका आभारी हूँ।

विभाग
अध्यक्ष, प्रयाग

धीरेन्द्र वर्मा

विषय सूची

क—खोज

—मध्यदेश का विकास	...	१
—हिंदी की बोलियाँ तथा प्राचीन जनपद	...	११
—संयुक्तप्रान्त में हिंदू पुरुषों के नाम	...	२२
—अहल्या उद्धार की कथा का विकास	...	२६
—हिंदी भाषा संबंधी अशुद्धियाँ	...	३५
—हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके लिये नये चिह्न	...	३६
—हिंदी वर्णों का प्रयोग	...	४७
—अवध के जिलों के नाम	...	५२

ख—हिंदी-प्रचार

—हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी	...	५७
—हिंदी की भौगोलिक सीमाएँ	...	६२
—साहित्यिक हिंदी को नष्ट करने के उद्योग	...	६६
—पंजाब की साहित्यिक भाषा कौन होनी चाहिए— हिंदी, उर्दू या पंजाबी ?	...	७०
—क्या प्रस्तावों के द्वारा हिंदी का कायाकल्प हो सकता है ?	...	७३
—भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों में हिंदी प्रचार का रूप तथा उसके उपाय	...	७६
—हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मोह	..	८३
—राष्ट्रभाषा बनने का मूल्य	...	८७

ग—हिंदी साहित्य

—सूरसागर और भागवत	...	९५
—हिंदी साहित्य में वीररस	...	१००
—हिंदी साहित्य का कार्यक्षेत्र	...	१०३
—सूरदासजी के इष्टदेव भीमापजी का इतिहास	...	१०६
—क्या दो सौ श्रावण वार्ता गोकुलनाथ कृत है ?	...	११२
—मध्यदेशीय संस्कृति और हिंदी साहित्य	...	११८

घ—समाज तथा राजनीति

१—अध्यापिका वर्ग	...	१२
२—स्वदेशी साम्यवाद	...	१३
३—क्या असहयोग उठा लेने का समय आ गया है ?	...	१३
४—हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ	...	१४
५—सिध अथ हिंद कय ?	...	१४
६—संस्कृति से इतनी चिढ़ क्यों ?	...	१४

ङ—आलोचना तथा मिश्रित

१—हिंदी साहित्य के इतिहास	...	१५
२—श्रीमैथिलीशरण गुप्त का नया महाकाव्य	...	१६
३—तीन वर्ष	...	१६
४—हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण	...	१७
५—उर्दू से संबंधित तीन हिंदी पुस्तकें	...	१७
६—भाषा		

क-खोज

विचार धारा

१-मध्यदेश का विकास

मध्यदेश शब्द वेद की संहिताओं में नहीं आया। ऋग्वेद संहिता में मध्यदेश नाम का न आना कर्दं आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि बाद में जो भूमिभाग मध्यदेश कहलाया, कुछ विद्वानों के मत में, वहाँ पर ऋग्वेद काल में समुद्र बह रहा था^१। ऐतिहासिक मत के अनुसार ऋग्वेद काल में आर्यों का कर्मक्षेत्र पंजाब था^२। वे सरस्वती नदी से पूर्व में अधिक नहीं बढ़े थे। ऋग्वेद में गंगा^३ का नाम केवल एक स्थान पर आता है। यजुर्वेद संहिता में 'काशील-वासिनी' अर्थात् कापिल की रहने वाली, यह शब्द एक मात्र में सुभद्रा नामक किमी स्त्री के लिये विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है^४। कुछ यूरोपियन विद्वान् समझते हैं कि यहाँ कापिल्य नगर से अभिप्राय है जो बाद की दक्षिण पंचालों की राजधानी हुआ^५। काशील नगर प्रवृत्ताबाद के निकट गंगा के किनारे बना था। इसका तात्पर्य यह है कि यजुर्वेद-काल में आर्य लोग कुछ और आगे बढ़ आये थे। अथर्ववेद संहिता में अंग और मगध के लोगों का नाम आया है^६ अर्थात् आर्य लोग उस समय तक प्रायः समस्त उत्तर भारत में फैल चुके थे। आश्चर्य है कि मध्यदेश शब्द अथर्ववेद संहिता में भी नहीं आता। ऐतिहासिक दृष्टि से सामवेद संहिता कुछ मूल्य नहीं रखती। इसका अधिकांश सोमयाग में गाने के लिये ऋग्वेद का संग्रह मात्र है।

(१) आमेरिक इण्डिया, भाग १, अध्याय १-४—कविनाटपंडर द्वारा।

(२) हिन्दू काव्य संग्रह विशेष, पृष्ठ १०२—१०२० देवदत्त।

(३) आमेरिक इण्डिया, भाग १, पृष्ठ १०२।

(४) सुकन यजुर्वेद संहिता, पृष्ठ १०२।

(५) हिन्दू इण्डिया, भाग १, पृष्ठ १०२—देवदत्त और केशव।

(६) अथर्ववेद संहिता, पृष्ठ १०२, १०३।

मध्यदेश का शक्ति सबसे प्रथम वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है^१। इस वर्णन से यह तों स्पष्ट ज्ञात होना है कि तापर्य मध्यदेश से ही है यद्यपि 'मध्यदेश' इन शब्दों का प्रयोग वहाँ भी नहीं हुआ है। यह वर्णन मध्यदेश नाम के शब्दार्थ को और देश विशेष के लिये प्रयोग करने के कारण को भी स्पष्ट करता है।

ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम भाग में कई प्रकार के राजाओं की अभिषेक-विधि दी है। इसी संबंध में ऐंद्र महाभिषेक का महत्त्व बताते हुए एक कथा दी गई है कि एक बार प्रजापति ने इन्द्र का अभिषेक किया और उसके बाद प्रत्येक दिशा के स्वामी ने भी अपनी अपनी ओर से पृथक् पृथक् अभिषेक किया। लिखा है कि अब भी इन दिशाओं के राजाओं के अभिषेक इस पूर्व पद्धति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। पूर्व दिशा में प्राच्य लोगों के राजा अभिषिक्त होने पर अब भी सम्राट् कहलाते हैं। दक्षिण दिशा के सन्वत् लोगों के राजा भोज कहलाते हैं। पश्चिम दिशा के नीच्य व अणच्य लोगों के राजा स्वराट् कहलाते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय के परे उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र के जनरद विराट् कहलाते हैं। और "इस ध्रुव और प्रतिष्ठित मध्यम दिशा में जो ये कुरु-पंचालों और वरा उशीरों के राजा हैं इनका अभिषेक राज्य के लिये होता है और अभिषिक्त होने पर ये राजा कहलाते हैं।"

इस वर्णन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम मध्यदेश नाम अपने शब्दार्थ 'बीच का देश' में सबसे पहले प्रयुक्त हुआ होगा। बीच से तात्पर्य आर्यों से बसे भूमिभाग अर्थात् आर्यावर्त के बीच के देश से है। यह आर्यावर्त मनुस्मृति के आर्यावर्त से छोटा रहा होगा। इसका प्रमाण भी सूत्र ग्रंथों में मिलता है। दूसरे, मध्यदेश संबंधवाची शब्द है, अतः ज्यों ज्यों आर्यों के वासस्थान का विकास हुआ होगा त्यों त्यों ही मध्यदेश से शक्ति भूमिभाग की सीमाएँ भी बढ़ती गई होंगी। यह बात भी आगे के प्रमाणों से प्रमाणित होनी है^२। तीसरे, उस समय मध्यदेश में निम्नलिखित लोग गिने

(१) ऐतरेय ब्राह्मण १८, १। मैत्रहायेन के मतानुसार ब्राह्मण ग्रंथों का संपन्न समय वि० १०००० से वि० १००५०० तक माना जा सकता है।

(२) मनुस्मृति, १, १२ "पूर्व सन्द्र में लेकर परिषद समुद्र तक और उन्हीं (वर्षान्) दिग्गण की"

जाने थे—कुरु-पंचाल, वरा और उशीनर। कुरु-पंचाल तो प्रसिद्ध ही हैं। वरा और उशीनर मैकडानेल के मतानुसार कुरु लोगों से उत्तर की ओर हिमालय की तराई में बसते थे^१। अतः ऐतरेय ब्राह्मण के समय में पश्चिम में प्रायः कुरुक्षेत्र से लेकर पूर्व में परदंश्यामद के निकट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायः चंबल नदी तक वा^२ आर्यावर्त मध्य में गिना जाता या अर्यान् मध्य देश कहलाता था।

मध्यदेश के चारों ओर के शेष आर्यावर्त का भी स्पष्ट बर्णन ऐतरेय ब्राह्मण के इस उद्धृत अंश में दिया ही है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा

विष्य) पर्वतों के बीच के देश को विद्वान् लोग आर्यावर्त कहते हैं।' तथा बीभाषन धर्मसूत्र, १, १, २, ६ बसित धर्मसूत्र १, ८—'आदर्शन से पूर्व में, कालक वन में परिषद में, हिमालय से दक्षिण में और पारिषात से उत्तर में आर्यावर्त है।'

इन्हीं सूत्रस्थों में कुछ और भी मन दिखे हैं जिनसे मान्य होता है कि मध्यदेश के समान आर्यावर्त का भी विकास हुआ। ऊपर दो हुई सीमारें ही मनुस्मृति के मध्यदेश से मिलती हैं। आगे कहा है कि कुछ के मत में यथा और वनरा के बीच का देश आर्यावर्त है, कुछ के मत में विष्य के उत्तर का पारा देश—यह मनुस्मृति के आर्यावर्त से मिलता है। कुछ लोगों का मत है कि वहाँ कृष्ण गुग घुलता है वह भूमिभाग आर्यावर्त है। जो ही आर्यावर्त के तीन रूप तो स्पष्ट ही हैं।

बसित धर्मसूत्र में 'आदर्शन के स्थान पर एक दूसरा पाठ 'आदर्शन' भी मिलता है। महाभारत में (सूत्र २, ४, १० के भाग पर) आर्यावर्त की परिषदी सीमा की 'आदर्श' लिखा है। ऊपर का मत है (संस्कृत कृष्ण आर दो ईद, भाग १४, पृष्ठ २) कि आदर्श सब से पुराना और शुद्ध पाठ है। आदर्श के अशुद्ध पाठ क्रम से आदर्शन और अदर्शन हुए। आर की अदर्शन अर्थ के वाचक विनयन शब्द का प्रयोग होपया जो मध्यदेश की परिषदी सीमा मानी गई।

अदर्शन या विनयन से तात्पर्य सरस्वती नदी के रेगिस्थान में नष्ट होने के स्थान से है। यह पटियाला रिजामन के दक्षिण में पड़ता है। आदर्श के अर्थ में बर्त मान है। कुछ उसे मारवाड़ की संयमरमर की पहाड़ी बताने हैं और उसका विगड़ा हुआ रूप अरावली (आदर्शवलि) मानते हैं। कुछ पंजाब के सैंडे नमक के पर्वत को आदर्श पर्वत बताने हैं जो सिन्धु और सैरम नदियों के बीच में है। कुछ आदर्श पर्वत की बगैरे के निकट अनुमान करते हैं।

कनकवन के अर्थ में भी बर्त मान है। कुछ कनकवन के निकट काजकवन बनाते हैं (ई० प० भाग १४, पृष्ठ १०६)। कुछ पयाग के निकट के प्राचीन वन की, जिसका उल्लेख रामायण में हुआ है (ई० प० १६२१, पृष्ठ १२०, नोट १०) और कुछ राजगृह के निकट के वन की (कुते—विश्वविद्यालय बार आरिचन डिप्लोमियाट हल इंडिया, पृष्ठ १८०)।

पारिषात की भाग सब लोग विष्य पर्वत का मतवा के निकट का भाग बताने हैं वद्यपि कुछ विवादात्मक पर्वत को भी पारिषात मानते हैं।

(१) वैदिक इतिहास, भाग १ के आरम्भ में दिया मानचित्र देखिए। इंडियन ऐतिहासी १९०५, पृष्ठ १०६ में कथापरिभाषा के आधारे पर उशीरगिरि पर्वत को कनकवन के उत्तर में गंगोत्री के निकट माना है। ऐतक ने अनुमान किया है कि अन्द-सदृश्य के आधारे पर उशीर लोगों का संबंध इस भूमि भाग से ही सकता है।

(२) पंजाब की दक्षिण सीमा महाभारत में कनक नदी मानी गई है।

सकता कि पूर्व के सम्राटों से तात्पर्य श्रयोप्या और प्रतिष्ठानपुर के प्राचीन मूर्य और चंद्रवंशी महाराजाओं से है या ऐतिहासिक काल के मगध के सम्राटों से। दक्षिण दिशा में मालवा के भोज राजा तो निकट ऐतिहासिक समय में भी प्रसिद्ध रहे हैं। पश्चिम के नीच्य और अपाच्य लोगों के नाम वैदिक काल के बाद नहीं पाए जाते। हिमालय के परे उत्तर पुरु और उत्तर मद्र के जनपदों के नाम ऐतिहासिक काव्यों में केवल कथारूप में मिलते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जनपद शब्द केवल इन उत्तर के लोगों के लिये प्रयुक्त हुआ है और इनकी शासन प्रणाली को विराट् अर्थात् बिना राजा की कहा गया है। हिमालय के उत्तर के देशों से निकट संबंध कदाचित् वैदिक काल के बाद विपणुल बन्द हो गया, अतः बाद की आपांचत्त और मध्यदेश दोनों को उत्तरी सीमा हिमालय ही गई। यौगिक मध्यदेश शब्द धीरे धीरे रुड़ि शब्द हो गया। लौकिक व्यवहार में भी शब्दों के अर्थों में ऐसा हेरफेर अकसर पाया जाता है। एक बार मँभला लड़का कहलाने पर यह सदा मँभला ही कहलाना है, चाहे कुछ समय के अनंतर उसका लड़ा या बड़ा भाई न भी रहे।

मध्यदेश का प्रथम स्तर और प्रसिद्ध यज्ञन मनुस्मृति में आया है। धर्मानुष्ठान के योग्य देशों का यज्ञन करने हुए सत्र में प्रथम गगुना प्रसापन देश की की गई है। यह मरखती और लपड़ती नदी के बीच का भूमिभाग है।

(१) मनुस्मृति २, १००३ : प्रजा के मत के अनुसार मनुस्मृति का संस्करण अथवा २३३ के प्रथम सूत्र में मनुस्मृति के संस्करण के सम्बन्ध में लिखा गया है कि इसमें अर्थ है। विष्णु के उग्र के उग्र को भी अर्थ है कि यह विचार से ही निकट होता है कि इन देशों में विपणुल बंद हो गया था। कीटन में यह बात फिर विष्णु के उग्र के देशों में आना आना होने लगा था कि इन के उग्र के मनुस्मृति लिखने के।

(२) मनुस्मृति २, १००३ : प्रजा के मत के अनुसार मनुस्मृति का संस्करण अथवा २३३ के प्रथम सूत्र में मनुस्मृति के संस्करण के सम्बन्ध में लिखा गया है कि इसमें अर्थ है। विष्णु के उग्र के उग्र को भी अर्थ है कि यह विचार से ही निकट होता है कि इन देशों में विपणुल बंद हो गया था। कीटन में यह बात फिर विष्णु के उग्र के देशों में आना आना होने लगा था कि इन के उग्र के मनुस्मृति लिखने के।

दूसरे स्थान पर ब्रह्मर्षि देश बतलाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन गिनाए गए हैं। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो ब्रह्मर्षि देश में ब्रह्मावर्त्त आ जाता है अर्थात् ब्रह्मावर्त्त ब्रह्मर्षिदेश का सबसे अधिक पवित्र भाग है, अतः पश्चिम में इन दोनों की सीमा सरस्वती ही होगी बाकी तीन ओर ब्रह्मर्षिदेश अधिक फैला हुआ था। दूसरे, ऐतरेय ब्राह्मण के मध्यदेश और मनुस्मृति के ब्रह्मर्षिदेश दोनों में कुरु पंचाल गिनाए गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर के वश और उशीनर भी हैं। मनुस्मृति में उनका समावेश नहीं है किन्तु उनके स्थान पर दक्षिण के मत्स्य और शूरसेन देश हैं। ब्रह्मर्षिदेश के बाद मध्यदेश गिनाया गया है। इसकी सीमाएँ यों दी हैं—“हिमालय और विंध्य के मध्य में और विनशन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम में जाँ है वह मध्यदेश कहलाता है”।^(१)

ऐतरेय ब्राह्मण और मनुस्मृति के मध्यदेश में बहुत अंतर हो गया है। उत्तर की सीमा में अधिक अंतर नहीं हुआ है—दोनों ग्रंथों में हिमालय ही सीमा है, यद्यपि वश और उशीनर का नाम मनुस्मृति में नहीं मिलता। ऐतरेय ब्राह्मण के वर्णन में दक्षिण के भोज लोग मध्यदेश के बाहर गिने गए हैं। यदि भोज लोगों का देश अवंती अर्थात् मालवा मान लिया जाय तो यह मनुस्मृति के मध्यदेश में आ गया क्योंकि अवंति विंध्य पर्वत के उत्तर में है। पश्चिम और दक्षिण के कोने में शूरसेन और मत्स्य बंद गए। ब्रह्मर्षि देश में गिने जाने के कारण ये मध्यदेश में स्वभावतः आ ही गए। पूर्व में मध्यदेश की सीमा ऊरुत्वावाद के निकट से हटकर प्रयाग पर आ गई। यदि प्रयाग से उत्तर और दक्षिण में सीधी लकीर खींची जाय तो प्रायः संपूर्ण पंजाब और बंग व चेदि के भूमिभाग भी मध्यदेश की सीमा के अंदर आ जाते हैं। अतः मनुस्मृति के वर्णन से स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल की अपेक्षा इस समय मध्यदेश का बहुत अधिक विकास हो गया था। ब्राह्मण और सूत्रकाल में जो आर्यावर्त्त था वह अब मध्यदेश हो गया था और आर्यावर्त्त तो अब समस्त उत्तर भारत—पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्य के बीच का भूमिभाग—कहलाता था।

(१) मनुस्मृति, १, ११। संभव है कि मनु के इसी वाक्य “विदष्टन से प्रयाग तक” के आधार पर ही पश्चिम में सरस्वती के वर्णन रूप में विंध्य की बतलाया गयी हो। तीन देशों की बिना सरस्वती का वर्णन करने ही पूरी हो जाती है।

मनुस्मृति काल में आर्यावर्त्त और मध्यदेश दोनों की उत्तर और दक्षिण की सीमाएँ हिमालय और विंध्य की पर्वतश्रेणियाँ थीं। इसका तात्पर्य यह है कि मध्यदेश का शब्दार्थ भुलाया जा चुका था। हिमालय के उत्तर के देश तो बहुत दिनों से आर्यावर्त्त में नहीं गिने जाते थे। विंध्य के दक्षिण में आर्य लोग उम समय तक भली प्रकार नहीं बस पाये होंगे। पंजाब का देश आर्यावर्त्त में फिर गिना जाने लगा था। पूर्व में समुद्र तक आर्यों का पूर्ण प्रभुत्व हो गया था। भारतवर्ष का वर्णन मनुस्मृति में नहीं है। बाद की स्मृतियों तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष का स्थान प्रधान हो गया है।

मध्यदेश की तीसरी अवस्था का वर्णन विट्ठक^१ में मिलता है। मनुस्मृति के समान यहाँ भी मध्यदेश की सीमाएँ ठीक-ठीक दी गई हैं। यह प्रसंग इस प्रकार उठा है। बौद्धधर्म में दीक्षा लेने के लिये यह नियम था कि दस भिक्षु उपस्थित होने चाहिए। किन्तु दूर देशों में, जहाँ बौद्धधर्मानुयायी अधिक नहीं थे, दस भिक्षुओं का सदा मिलना मुलभ न था अतएव बौद्धधर्म के प्रचार में बाधा पड़ती थी। ऐसी ही कठिनाता प्रसिद्ध बौद्धधर्मोपदेशक महाकाश्यायन को दक्षिण अरवन्ति में पड़ी। महाकाश्यायन ने इस संबंध में बुद्ध भगवान् से कहला भिन्नवाया। तब बुद्ध भगवान् ने नियम में इतना परिवर्तन कर दिया कि दस भिक्षुओं का नियम केवल मध्यदेश के लिये ही, बाहर के देशों में केवल चार भिक्षुओं की उपस्थिति पर्याप्त समझी जाये। इसी स्थान पर बुद्ध भगवान् ने मध्यदेश की सीमाएँ भी गिनाई हैं जो विट्ठक में इस प्रकार दी हैं। पश्चिम में ब्राह्मणों का घन प्रदेश, पूर्व में कज्जगल नगर के आगे महागंगा, दक्षिणपूर्व में मल्लिकवती नदी, दक्षिण में सेतकन्निक नगर और उत्तर में उमीरध्वज पर्वत। उत्तर और दक्षिण के ये स्थान आजकल वहाँ पड़ते हैं इसका ठीक निर्णय अभी नहीं हो सका है। उत्तर में हिमालय के बाहर सीमा का ज्ञान दुस्तर है^२। दक्षिण में विंध्य ही सीमा मान्य होती है क्योंकि दक्षिण

(१) महाकाश्यायन, पृ. १२, १२३। कज्जगल के विरुद्ध विंध्य के बीच मुख्य बाधा थी (१) — बौद्ध धर्म, विट्ठक १२, पृष्ठ १००। पोट्टेकर कोशिनवरीके मनुस्मृतिकर (१०० ए० १०० ए० ११००, पृष्ठ १०३) का उचित का १० वर्षों के विद्यमान में ११० वर्ष पूर्व का है।

(२) महाकाश्यायन, पृ. १२४, में लिखा है कि विंध्य सीमा स्थानवत् के मध्यदेश में उत्तरी के देशों के उचित वर्णन के बीच बहुत विद्यमान है।

(३) पोट्टेकर कोशिनवरीके मनुस्मृतिकर (१०० ए० १०० ए० ११००, पृष्ठ १०३) में उमीरध्वज पर्वत का उल्लेख है। महाकाश्यायन के महाकाश्यायन पर महाकाश्यायन की नदी की विचार था।

अवन्ति और उड़ीसा मध्यदेश के बाहर थे^१। ब्राह्मणों का ज़िला धून आज पल का स्थानेश्वर अनुमान किया गया है^२। यह अनुमान ठीक ही मालूम होता है क्योंकि यहाँ का निकटवर्ती देश अत्यंत प्राचीनकाल से मध्यदेश की पश्चिम की सीमा रहा है। पूर्व में पजंगल^३ भागलपुर से ७० मील पूर्व में माना गया है।

इससे यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति के मध्यदेश को ध्यान में रखते हुए बौद्धकाल में मध्यदेश की पूर्वी सीमा बहुत आगे बढ़ गई थी। भारतीय सभ्यता का केंद्र उस समय विहार की भूमि थी और उसका भी मध्यदेश में गिना जाना आश्चर्यजनक नहीं है। प्राचीन आर्य सभ्यता के साथ ही आर्यावर्त शब्द का लोप हो चुका था अतः बौद्धकाल का मध्यदेश आर्यावर्त का मध्यदेश न होकर भारत का मध्यदेश रहा होगा। एक प्रकार से यह आर्यावर्त का मध्यदेश भी कहा जा सकता है क्योंकि यथार्थ में आर्य-सभ्यता सिंधु पर्वत के दक्षिण में प्रायः कृष्णा नदी तक फैल चुकी थी अतः उन भागों की आर्यावर्त में गिनती होनी चाहिए थी, यद्यपि इस प्रकार का प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता है। गुजरात और महाराष्ट्र को अथवा कृष्णा नदी के दक्षिण भाग को भी अर्थात् देश कौन कह सकता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की भी गिनती आर्यावर्त में होनी चाहिए। आंध्र और बर्नाटक तथा द्रविड़ देशों पर भी आर्य सभ्यता का गहरा रंग चढ़ा हुआ है। वैसे तो दक्षिण में रामेश्वर और लङ्का तथा भारत के बाहर^४ भी चारों ओर के देशों में भी आर्य लोग पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपनी सभ्यता की छाप लगा दी थी।

मध्ययुग में मध्यदेश के अर्थ करने में मनुस्मृति के वर्णन का स्पष्ट प्रभाव देखा पड़ता है। कुछ लेखकों ने तो मनुस्मृति के शब्द प्रायः ज्यों के त्यों

(१) भाष्य १, २० में दो मध्यदेशों का वर्तन है जो उक्त (उक्त व उक्त) में मध्यदेश (मध्यदेश) को भी साथ का रहे है।

(२) ई० सं० १८११, पृष्ठ १११, नोट ११।

(३) ई० सं० १० नोट, ११०४, पृष्ठ ५२।

(४) ई० सं० १८११, पृष्ठ ११० में भारत के बाहर के देशों में आर्य लोगों के जाने का कुछ वर्णन है।

दिए गए दो वर्णन—एक वर्णन दक्षिण भारत में एक वर्णन में भारत के बाहर के देशों में आर्य लोगों के जाने का वर्णन है। निम्नलिखित दो दो वर्णन में एक वर्णन में कहा गया है—

उद्धृत कर दिये हैं^१। कुछ ने उनका सारांश दे दिया है। एक प्रकार से मध्यदेश के विकास की अंतिम अवस्था बौद्ध काल में थीत चुकी थी और अब उसके संकुचित होने के दिन आ रहे थे। देशों के पुराने नाम अब भुलाए जा रहे थे और उनका स्थान धीरे-धीरे नये नाम ले रहे थे। पूर्व से हट कर अब राजनीतिक शक्ति का केंद्र पश्चिम की ओर आ रहा था। पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था^२। मध्यदेश की सीमा का पूर्व में कम हो जाने का एक यह भी कारण हो सकता है। मार्कण्डेय पुराण^३ में विदेह व मगध को मध्यदेश में नहीं गिना है। इसके अनुसार कोशल और काशी के लोगों तक ही मध्यदेश माना गया है। यह घटने की पहली सीढ़ी है। बृहत्संहिता में काशी और कोशल को भी मध्यदेश के बाहर कर दिया है।

बराहमिहिर की बृहत्संहिता^४ (संवत् ६४४) का वर्णन अधिक प्रसिद्ध और पूर्ण है। ज्योतिष के संबंध में देशों पर ग्रहों के प्रभाव का वर्णन करने के लिये भारत के देशों का विस्तृत वृत्तांत बृहत्संहिता के चौदहवें अध्याय में दिया है। इसके अनुसार भारतवर्ष के देश (आर्यावर्त में नहीं) मध्य, प्राक् इत्यादि भागों में विभक्त हैं। मध्यदेश की सूची में ये नाम प्रसिद्ध हैं—कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन और वत्स। कुछ और नाम भी दिए हैं किंतु वे स्पष्ट नहीं हैं। वत्स देश की राजधानी प्रसिद्ध नगरी कौशाम्बी थी जो प्रयाग से ३० मील पश्चिम में बसी थी। अतः बृहत्संहिता के मध्यदेश की सीमा पूर्व में मनुस्मृति के समान लगभग प्रयाग तक ही पहुँचती है। यद्यपि बृहत्संहिता में साकेत नगरी को मध्यदेश में गिना है किंतु काशी और कोशल के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से पूर्व के लोगों में की है। संस्कृत के

लंका, बर्मा, स्वाम, कन्नौज, चंडा, लावा व अन्य टापू, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जपान, तिब्बत और जापान।

(१) विचार रोष, २, १०६।

अभिधान चिन्तामणि, ८४१ बौद्धिक।

अमरकोश, १, १, ७।

(२) राजरोडर का वर्णन, देशों पत्रिका भाग २ पृ० १०-११।

(३) मार्कण्डेय पुराण, ४०, ११।

(४) बृहत्संहिता में आठ मूलवर्षर्षी राज्यों की सूची के विषे देखाए, ६० पं०, १०६१, १

ग्रन्थ ग्रंथों^१ में भी मध्यदेश का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है किंतु विशेष विस्तार न होने के कारण उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।

कुछ विदेशियों ने भी मध्यदेश की चर्चा अपने ग्रंथों में की है। इस संबंध में प्राहियान (संवत् ४५७) का वर्णन^२ उल्लेखनीय है। “यहाँ से (अर्थात् मत्ताऊल या मपुरा से) दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण सम है। प्रजा प्रभूत और सुगी है। व्यवहार की लिखापट्टी और पंच पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जातते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायें, जहाँ चाहे रहें। राजा न प्राणदंड देता है न शारीरिक दंड देता है। अन्धराधी की अवस्थानुसार उत्तम-साहस व मध्यम-साहस का अर्थ-दंड दिया जाता है। धार धार दस्युकर्म करने पर दक्षिण परच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार और सहचर चेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई अधिवासी न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीता है, और न लहसुन प्याह खाता है, मिवाय चांडाल के। दस्यु को चांडाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जर बैठते हैं, तब सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जायें और बचा कर चलें, कहीं उनसे छु न जायें। जनपद में सूअर और मुर्गा नहीं पालने, न जीविन पशु बेचते हैं, न कहीं गुनागार और मद्य की दुकानें हैं, कन विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। फेवल चांडाल महुली मारते, मृगया करते और माम बेचते हैं।” इसके आगे मध्यदेश में बौद्धधर्म की अवस्था का वर्णन है। प्राहियान ने यह नहीं दिया है कि उस समय पूर्व में कहीं तक मध्यदेश माना जाता था।

मध्यदेश का अंतिम उल्लेख अलबेकनी^३ (संवत् १०८७) के भारत वर्णन में मिलता है। इसका भी यहाँ दे देना अनुचित न होगा। “भारत का मध्य कर्षीत्र के चारों ओर वा देश है जो मध्यदेश कहलाता है। मुगोल के विचार में यह मध्य या बीच है क्योंकि यह ममुद्र और पर्वतों से बराबर दूरी पर है। गर्म और शीत प्रधान प्रांतों के भी यह मध्य में है और भारत की

(१) महाभारत में कौटिल्यो पर मध्यदेश का नाम आता है। महाभारत युद्ध में कर्पूरपुर काशीय के राजाओं के मध्य में दक्षिण ७० ए० ए० की० १६०५, पृष्ठ ३३६।

कचनकीभाष्य, ३९, १०६ में मध्यदेश के एक राजा का वर्णन आता है। राजतरंगिणी, ६, १०० में मध्य देश के लोगों के विवेचन के लिये मध्य शब्द का प्रयोग है।

(२) इतिहास (इलाहाबाद) ईशान्विज प्रकाशन, कांबहाई पर्व, पृष्ठ ३५।

(३) अलबेकनी का भारत, पृष्ठ १०६ (राजी का अनुवाद, भाग १, पृष्ठ १०६)।

पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के भी बीच में पड़ता है। इसके सिवाय यह देश राजनीतिक दृष्टि से भी केंद्र है क्योंकि प्राचीन काल में यह देश भारत के सब से प्रतिद्वंद्वी वीर पुरुषों और राजाओं की वास भूमि थी।" मध्यदेश की सीमाओं के सम्बन्ध में इस वर्णन से विशेष सहायता नहीं मिलती।

इसके बाद प्रायः एक महसुसधर्प से आर्थावर्त्तन या भारत के हृदय मध्यदेश पर विदेशियों का आधिपत्य रहा है। मुसलमान काल में मध्यदेश हिन्दुस्तान कहलाने लगा। मध्यदेश का यह नया अवतार भी अपने पुराने क्लेवर के समान ही विकास को प्राप्त हुआ। दिल्ली के चारों ओर के देश से आरम्भ करके हिन्दुस्तान नाम का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता गया। मुसलमान काल के अंतिम दिनों में समस्त उत्तर भारत अर्थात् प्राचीन काल का आर्थावर्त्तन हिन्दुस्तान हो गया। अब तो हिन्दुस्तान के अर्थ भारतवर्ष हो गए हैं। ब्रिटिश शासन में मध्यदेश ने तीसरी बार मध्यप्रांत के रूप में जन्म ग्रहण किया है। नयी स्थिति के अनुसार यह ठीक ही है।

विदेशियों के आधिपत्य के कारण मध्यदेश शब्द को यद्यपि मध्यदेश वालों ने बिलकुल भुला दिया किन्तु उसका पुराना रूप पूर्णतया लुप्त नहीं हो गया है। हिमालय ने उसको भी शरण दी है। काठमांडू के यात्रार में यदि कोई हिन्दुस्तानी निकलता हो तो नेपाली लोग अब भी कहते हैं कि 'मदेशिया' जा रहा है अर्थात् मध्यदेशीय या मध्यदेश का रहने वाला जा रहा है।

संस्कृत
 १५५

२-हिन्दी की बोलियाँ तथा प्राचीन जनपद

हिन्दी प्रदेश में निम्नलिखित मुख्य बोलियाँ^१ बोली जाती हैं—राड़ी बोली, बाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली; अथवा, बघेली, छत्तीसगढ़ी; भोजपुरी, मैथिली, मगही; मालवी, जयपुरी मारवाड़ी और मेवाती। ध्यान देने से एक अत्यन्त आश्चर्यजनक बात दिखलाई पड़ती है। इन बोलियों के ये वर्तमान विभाग यहाँ के प्राचीन जनपदों^२ के विभागों से बहुत मिलते हैं। प्रत्येक बोली एक प्राचीन जनपद की प्रतिनिधि मालूम पड़ती है। प्रत्येक बोली

(१) हिन्दी प्रदेश से गारपूर्व वहाँ मध्यदेश अथवा भागलपुर तक जो गया की घाटी से है। इन इनर भारत के निम्नलिखित भाग हिन्दी प्रदेश में सम्मिलित हैं—दिल्ली, पूर्वी पंजाब, मद्रास प्रान्त, बिहार हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त अथवा महात्माजीवन, मध्य भारत और राजस्थान। पश्चिम तथा पूर्वी हिन्दी के बनिचित, राजस्थानी, बिहारी तथा मध्य पहाड़ी हिन्दी की प्रधान उपभाषाएँ मानी जा सकती हैं।

(२) हिन्दी की बोलियों तथा उपभाषाओं के पूर्व विवेचन के लिये देखिये —
 विभिन्निक सर्वे भाषा दृष्टिमा, संस्कृत सर जो० ए० विद्यमनः।

- पुस्तक ५, भाग २, बिहारी, उड़ीसा।
- “ १, पूर्वी हिन्दी।
- “ ६, भाग १, पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी।
- “ ६, भाग २, राजस्थानी, गुजराती।

विद्यमन साहब ने हिन्दी की दो मूल भाषाओं में विभक्त किया है। एक को पश्चिमी हिन्दी और दूसरी को पूर्वी हिन्दी नाम दिया है। पश्चिमी हिन्दी में बाँघ बोलियाँ मानी हैं—हिन्दुस्तानी या लखौ बोली, बाँगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुन्देली। पूर्वी हिन्दी में अथवा, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन बोलियाँ मानी हैं। बिहारी भाषा हिन्दी से भिन्न मानी है और उसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही को सम्मिलित किया है। राजस्थानी भी एक भिन्न भाषा बगनाई है और उसमें मालवी, जयपुरी मारवाड़ी और मेवाती इन तीन बोलियों को मिला है।

विद्यमन साहब का कहना है कि बिहारी, पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी का जन्म क्रम से भाग में, कर्षणवर्षा और मछेनी प्राकृतों से हुआ है। अन्य विद्वान भी ऐसा ही मानते हैं। मेरी राय में इन प्राकृतों के वर्तमान रूप मगही, अथवा और ब्रज को बोलियाँ हैं कि बिहारी, पूर्वी हिन्दी तथा पश्चिमी हिन्दी भाषाएँ। इस संबंध में विस्तृत विवेचन किसी अन्य लेख में किया जायगा।

इस लेख में बोलियों की मूलभाषाएँ तथा उनसे बोले जानेवाले प्रदेशों की सीमाएँ विद्यमन साहब को इस विस्तृत सर्वे के आधार पर ही मानी गई हैं।

(३) प्राचीन जनपदों के नाम वैदिक साहित्य में बहुत स्थानों पर आए हैं। जनपदों का प्रथम पूर्ण वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार उस समय हिन्दी प्रदेश में निम्नलिखित मुख्य जनपद थे—बुरु, पंचाल, द्रामेय, मत्स्य, कोसल, काशी, विदेह, मगध, भंग, बभ्र, दक्षिण कोसल, पति

के विभाग को लेकर यह दिग्गलाने का यत्र किया जायगा कि यह किस प्राचीन जनपद से साम्य रखता है। खड़ी बोली^१ मंडूक प्रांत के मुगदासद, विजनीर, महारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ इन पाँच जिलों, रामपुर रियासत और पंजाब के अगला जिले में बोली जाती है। यह भूमिभाग प्राचीन समय में कुरु जनपद था। यह बात कुतूहलजनक है कि इस बोली का शुद्ध रूप अब भी उसी स्थान के निकट मिलता है जिस स्थान पर कुरुदेश की प्रसिद्ध राजधानी हस्तिनापुर थी। खड़ी बोली हरिद्वार में प्रायः सी माल नीचे तक गंगा के किनारे की जनता की बोली कही जा सकती है।

बांगरू बोली खड़ी बोली का कुछ विगड़ा हुआ रूप है। इसमें राजस्थानी और पंजाबी का प्रभाव अधिक दिखलाई पड़ता है। यह बोली पंजाब प्रांत के कर्नाल, रोहतक और हिसार के जिलों, भोंद रियासत और दिल्ली प्रांत में बोली जाती है। यह कुरुदेश का वह भूमिभाग है जो कौरवों ने पांडवों को दिया था। यह कुरुवन, कुरु जागल या कुरुक्षेत्र कहलाता था। मनुस्मृति का ब्रह्मवर्त्त^२ देश यहाँ ही था।

बीर अबन्नि। इन जनपदों का सामाजिक का ठीक ठीक बर्णन बहुत कम मिलता है। किन्तु इनकी राजधानियों से इनके वैभव का बहुत कुछ ठीक अनुमान किया जा सकता है। इन जनपदों के वर्णन बर्णन के लिये देखिए—

महाभारत भागीरथा (लेखक सी० बं० वैद्य) पृष्ठ १९१-१९४ तथा जर्नल बाव दि रावण परिषद-टिक सोलापट्टी, १९०५, पृष्ठ ११२। बुद्ध भगवान् के समय तक जनपदों के ये नाम भीरुर थे। परिषद १, बोधक 'ख' में ये नाम दिए गए हैं।

(१) खड़ी बोली आजकल मध्यदेश में और उसके निकटवर्ती अन्य प्रांतों में भी सुप्रसिद्ध हो चुकी जाती है। सर्व्ण उर्दू साहित्य और नवीन हिन्दी साहित्य की भाषा इसी बोली के आकार पर बनी है। इस बोली की प्रधानता का कारण इसका दिग्बो के निकट बसना जाना प्रतीत होता है। सुवर्तमान राज्यों ने दिल्ली की अपनी राजधानी बनाया था वहाँ की बोली स्वभावतः उनके राज्य की राजभाषा हो गई। साहित्य के क्षेत्र में भी इसे सुवर्तमान कवियों ने ही पहले पहल अपनाया था। उस समय हिन्दू कवि प्रायः ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। बादकाल तो मध्यदेश का बोलीबोली ही सर्वप्रधान है। हिन्दी और उर्दू खड़ी बोली के ही साहित्यिक रूप हैं। उर्दू खड़ी बोली का वह रूप है जिसका प्रयोग प्रधानतया मध्यदेश के सुवर्तमान साहित्य में करते रहे हैं। इसमें स्वभावतः फारसी तथा अरबी शब्दों का निष्पन्न अधिक हो गया है और यह अरबी लिपि में लिखी जाती है। आधुनिक हिन्दी खड़ी बोली का वह रूप है जिसका प्रयोग प्रायः मध्यदेश के हिन्दू कवियों साहित्य में करते हैं। इसमें स्वभावतः संस्कृत तथा प्राकृत शब्दों का आधिक्य रहता है और यह परंपरागत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मध्यदेश के नागरिक ब्राह्मण में प्रायः खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं चाहे उनकी निज की बोली निज ही।

(२) मनुस्मृति, १, १०। "अरवर्त्तौ और दृष्टती इत ही देवदरिषो के बी मध्य में है उव

पाटली की राजधानी इन्द्रप्रस्थ, वर्धन वंश की राजधानी स्थानेश्वर, तथा विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली इसी प्रदेश में पड़ती है। वर्तमान ब्रिटेन शासकों के भारत साम्राज्य की प्रधान नगरी नई दिल्ली भी यहाँ ही बस रही है। पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों को हिन्दी प्रदेश का प्रथम जनपद यही मिलता था, अतः मध्यदेश के भाग्य का बहुत बड़ा निर्णय करने वाला प्रसिद्ध पानीपत का युद्धक्षेत्र भी इसी प्रदेश में है।

वाँगरू सरस्वती और यमुना के बीच में बने हुए लोगों की बोली कही जा सकती है। उत्तर के कुछ भाग को छोड़कर शेष स्थानों पर वाँगरू और खड़ी बोली के प्रदेशों का यमुना की नीली धारा अलग करती है। वास्तव में वाँगरू प्रदेश कुरु-जनपद का ही अंश है और वाँगरू बोली भी खड़ी बोली का ही रूपान्तर मात्र है।

कन्नौजी बोली पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, उर्दूनाबाद, इटावा और कानपुर के जिलों में बोली जाती है। यह भूमिभाग प्राचीनकाल में पंचाल जनपदके नाम से प्रसिद्ध था। ब्रज और अवधी के बीच में पड़ जाने से कन्नौजी बोली का क्षेत्रफल कुछ सङ्कुचित हो गया है। पंचाल देश का प्राचीन रूप सम्भलने के लिये इन दोनों बोलियों से कुछ जिले लेने पड़ेंगे। इस बोली का केन्द्र कन्नौज नगरी है जिसमें इस बोली का नाम पड़ा है। पंचालों के राजा हृपद की राजधानी काशिन्य कन्नौज से कुछ ही दूर पश्चिम की ओर गंगा के दक्षिण किनारे पर बनी थी।

प्राचीन पंचाल देश की तरह अब भी गंगा इस प्रदेश का दो भागों में विभक्त करती है। प्राचीन काल में गंगा के उत्तर का भाग उत्तर पंचाल और दक्षिण का भाग दक्षिण पंचाल कहलाता था। उत्तर पंचाल के बहुत से भाग में कुछ काल से ब्रज की बोली का प्रभाव हो गया है। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र, जो बीहड़काल तक प्रसिद्ध रही थी, बोगरी जिले में पड़ती है। यहाँ आज कल ब्रज का एक रूप बोला जाता है।

गंगा के पार पूर्व में यदायँ और बरेली के जिलों में ब्रजभाषा के पुनः पड़ने के कुछ विशेष कारण हैं। अहिक्षेत्र के नष्ट हो जाने पर इस प्रदेश की कोई प्रसिद्ध राजधानी नहीं रही, जो यहाँ का केंद्र हो सकती। ऐसे

केंद्रों में बॉली तथा अन्य प्रादेशिक विशेषताओं के सुरक्षित रहने में विशेष सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त ब्रज का वैष्णव साहित्य, जो प्रायः गीतों के रूप में या धीरे धीरे इस आंच पैला और जनता भी तीर्थाटन के लिये ब्रज में बहुत आती जाती रही। इन बातों का प्रभाव भी बॉली पर बहुत पड़ा।

मध्य काल में साहित्य की उन्नति के कारण ब्रज की बॉली ब्रजभारा नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसका शुद्धरूप अलीगढ़, मथुरा और आगरे के जिलों तथा धौलपुर रियासत में मिलता है। यह भूमि भाग प्राचीन काल में शूरसेन जनपद था। ब्रज का मिश्रित रूप उत्तर में बुलंदशहर, बदायूँ और चरेली, पूर्व में पट्टा और मैनपुरी के जिलों में, और पश्चिम तथा दक्षिण में पंजाब के मुहम्मद जिले, अलवर, भरतपुर, जयपुर रियासत के पूर्व भाग, करीली, और ग्यालियर के कुछ भाग में पाया जाता है।

जैसा ऊपर मENTION किया जा चुका है ब्रज की बॉली के इस विस्तीर्ण प्रभाव के मुख्य कारण कृष्णभक्ति और वैष्णव साहित्य प्रतीत होते हैं। मैकडोनेलो ने चांगे आर के लोग कृष्णजीना की इस भूमि के दरानों को आने रहे हैं। मैकडोनेलो ने कृष्णजीना को यहाँ ही की बॉली में गाया है। अतः ब्रज की बॉली का दूर तक प्रभाव फैलना स्वाभाविक है। गड़ी बॉली के साहित्य में प्रयोग होने के पूर्व कई भी वर्ष तक साहित्य की भाषा ब्रज की ही बॉली रही है।

प्राकृत काल में भी यहाँ की बॉली 'शीरगेनी' बहुत उन्नत अवस्था में थी। प्राकृत काल में इसका विशेष प्रयोग होता था। संभव है ब्रजभाषा के विकास में इस बात का भी कुछ प्रभाव रहा हो।

मध्यकाल के समस्त प्राचीन जनपदों में कौशल अपने साहित्य को पूरक करने में सबसे अधिक सफल रहा। मुसलमानों के शासन काल में जब पुराने स्वतंत्रिक विभाग एक प्रकार से पूर्ण रूप से नष्ट हो गए तो तब भी अरब ने नगरों के शासन में अपने साहित्य को एक बार फिर प्रकट किया था। बल्लभन समय में भी अरब के जिले अलग ही से हैं। ताजुद्दीनी प्रथा के कारण अरब आगम प्रदेश के साथ मेल नहीं खाता।

अबकाल अरबों बॉली हारोई जिले को मुहम्मद जयपुर की दक्षिण की तरफ फैलाए की बहुतों दक्षिण में बॉली जाती है। प्राचीन काल में दर हारोई जनपद बरकाल था, हिन्दु आकाल का अरब प्राचीन काल में

पूर्वतया नहीं मिलता है। दोनों का क्षेत्रफल प्रायः बराबर होने हुए भी वर्तमान अवध कुछ पश्चिम और दक्षिण की ओर हट आया है और उसने प्राचीन पंचाल और वन्ध के जनपदों की कुछ भूमि पर अधिकार कर लिया है। इलाहाबाद और फतेहपुर के जिलों में जो गंगा के दक्षिण में है, आजकल अवधी का ही एक रूप माना जाता है। पूर्व की ओर से इसने अपना आधिपत्य बहुत कुछ दबा लिया है। एक समय कोसल की पूर्वी सीमा^१ विदेह जनपद से मिली हुई थी। अब तो इन दोनों के बीच में काशी की बोलियों भोजपुरी का विस्तीर्ण प्रदेश आगया है। कोसल सरयू के किनारे^२ बसा था। अवध का सीमानी के किनारे बसा कहना चाहिए। कोसल की प्राचीन राजधानी अयोध्या आजकल अवध की पूर्वी सीमा के निकट पड़ती है।

अवधी प्रदेश के पश्चिम की ओर हट आने के कई कारण थे। मुख्य कारण अयोध्या के बाद अवध की राजधानी का भावस्ती हो जाना था जो कोसल के पश्चिमोत्तरी किनारे में थी। संपूर्ण बौद्धकाल में भावस्ती कोसल की राजधानी रही अतः इस नगरी का यहाँ की जनता पर अधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मुसलमान काल में अवध की राजधानी लखनऊ रही। यह भी कोसल के पश्चिमी भाग में पड़ती है। प्राचीन काल में पंचाल और कोसल के बीच में नैमिषारण्य का विस्तृत वन था। दक्षिण में गंगा तक कोसल की सीमा थी। उसके बाद प्रयाग वन था। बाद को जब ये वन कटे तो क्रमिलवाणियों ने इन पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया होगा।

वैष्णवकाल में जिस समय ब्रज में कृष्ण-भक्ति का प्रचार हुआ उसी समय विष्णु के दूसरे मुख्य अवतार राम की भक्ति का केंद्र अवध हो गया। यही कारण है कि हिन्दी प्रदेश की मध्य कालीन बोलियों में ब्रज के बाद अवधी का स्थान है। हिन्दी की और कोई भी बोली साहित्य की दृष्टि से इन तक नहीं पहुँच सकी। प्राकृतकाल में अवधी अर्द्धमागधी के नाम से अलग रह चुकी है। शीरसेनी, मागधी तथा महाराष्ट्री के बीच में होने के कारण प्राकृत साहित्य में अर्द्धमागधी का स्थान ऊँचा नहीं हो सका।

(१) दक्षिण सत्यपत्र आद्यय, १, २, १, १०। "अथ भी वह (मरानेरा नदी) कोसल और विदेह की भर्षा है।" मरानेरा विद्वानों के मन में गणक नदी है।

(२) दक्षिण सत्यपत्र, १, ५, ५, "सरयू के तार पर कोसल नाम का जनपद था जो धनधान्य से पूर्ण, सुखी और विशाल था।

काशी अन्यन्त प्राचीन काल से हिन्दू धर्म की केंद्र रही है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि काशी प्रदेश की बोली भोजपुरी का आधिपत्य चारों ओर दूर तक हो। भोजपुरी बोली गोरखपुर और बनारस की संतुर्ण कमिन्-रियों और बिहार के चंपारन, सारन और शाहाबाद के जिलों में बोली जाती है। बिहार में छोट्टा नागपुर के पालामऊ और रांची के जिलों में भी यहाँ के लोम कुल्य काल से अधिक संख्या में पहुँच गए हैं।

भोजपुरी प्रदेश काशी जनपद से अधिक बड़ा है, विशेषतया उत्तर में जहाँ प्राचीन काल में कोसल और विदेह का आधिपत्य था। कोसल का प्रभाव धीरे धीरे पश्चिम की ओर हटता गया। विदेह ने अपनी सीमा के बाहर फैलने का कभी प्रयास नहीं किया। अतः हिन्दू धर्म के नवीन रूप के साथ साथ काशी का व्यक्तित्व चारों ओर दूर तक फैल गया। मथुरा के समान काशी की भी धर्म केंद्र होने के कारण विशेष शक्ति रही।

इस प्रदेश की एक विशेषता यह है कि इसकी राजधानी सदा काशी नगरी रही। वैदिक, बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान तथा वर्तमान काल में भी काशी अपने प्रदेश की अद्वितीय नगरी है। पूर्व में इस प्रदेश की सीमा गंडक और सोन नदियाँ हैं। दक्षिण में भी सोन सीमा है। गंगा और सरयू इस प्रदेश के बीच में होकर बहती हैं।

मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। यद्यपि काशी और नवद्वीप के बीच में रहकर विशा में यह अपने पुराने गौरव को स्थिर नहीं रख सकी किन्तु यह जीवित श्रव भी है।

मैथिली मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के जिलों में बोली जाती है। भोजपुरी के धक्के के कारण यह कुछ पूर्व की ओर हट गई है। बौद्धकाल में यहाँ स्वतंत्र पौर-राज्य थे, यह मिथिला की विशेषता थी। हिन्दू, मुसलमान तथा वर्तमान काल में मिथिला राजनीति से पृथक् रही। तपस्वी ब्राह्मण के समान मिथिला ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक अथवा सामाजिक भगदों में कभी भी विशेष भाग नहीं लिया।

मगही बोली गंगा के दक्षिण में मुंगेर, पटना, गया और हज़ारीबाग के जिलों में बोली जाती है। यह भूमिभाग प्राचीन मगध से विलकुल मिलता है। बौद्धकाल में मगध बहुत प्रसिद्ध था। मगध से ही बौद्धधर्म भारतवर्ष तथा उसके शहर वर्मा, फ़ंयोज, जावा तथा बाद को चीन, जापान, तिब्बत, मध्य

तथा श्रीर अफगानिस्तान तक फैला। कुछ विद्वानों के मत में यहाँ की बोली प्राकृत का ही संस्कृत-मिश्रित रूप पाली था जिसमें अधिकांश बौद्ध ग्रन्थ लिखा गया। बाद के प्राकृत साहित्य में भी मागधी का उँचा स्थान था। बड़े बड़े साम्राज्यों का भी मगध केंद्र रहा। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य का केंद्र मगध में ही था। महाभारत काल में जरासन्ध की इच्छा मगध में राज्य स्थापित करने की थी किन्तु पश्चिमी जनपदों की बढ़ती हुई शक्ति कारण वह उस समय पूर्ण नहीं हो सकी।

भाषा सर्वे के अनुसार प्राचीन अंग देश में बोली जानेवाली बोली पृथक् ही है। संभव है कि विशेष अध्ययन करने से यहाँ की बोली निकटवर्ती बोलियों से पृथक् हो सके। अंग देश बहुत निकट काल तक बौद्ध काल के अंग और मुसलमान काल के भागलपुर के केंद्रों में पृथक् रहा है अतः इसका व्यक्तित्व इतने शीघ्र पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता।

मध्यदेश के बिलकुल दक्षिणी भाग में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी के जिले मध्यप्रान्त में रायपुर, बिलासपुर और द्रुम हैं। मुरमुजा तथा कोरिया रियासतों की बोली भी छत्तीसगढ़ी ही है। यह प्रदेश प्राचीन दक्षिण कोसल कोसल है। हिन्दू काल में यहाँ 'हृदयवंश' की एक शाखा राज करती थी। इसी राजधानी रतनपुर थी। यहाँ के जंगल के निवासी गोंड कहलाते हैं इनके नाम से यह प्रदेश मुसलमान काल में गोंडवाना कहलाता था।

बघेली बोली यमुना के दक्षिण में इलाहाबाद और राँधा के जिलों, राँधा भारत तथा मध्यप्रान्त के दमोह, जयलपुर, मंडला और बालाघाट के जिलों में बोली जाती है। इस बोली का केंद्र बघेलखंड में बघेल राजपूतों का प्रदेश बघेलखंड नाम से इसका नाम पड़ा है। आज बल जहा बघेली और अरघी बोली है वहा प्राचीन काल में बल राज्य या जिसरी राजधानी प्रसिद्ध बौधायी गरी थी। चंद्रवंशियों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठानपुर भी वर्तमान प्रयाग के निकट गंगा के उत्तर किनारे पर बना था। मुसलमान काल में इलाहाबाद नगर की नींव पड़ी जो अत्र भी आगरा व अरघ के संयुक्त प्रान्तों की राजधानी थी। बघेली प्रदेश के मध्य में कोई भी प्रसिद्ध जनपद या राजधानी नहीं थी।

बुंदेलखंड प्राचीन चेदि जनपद है जहाँ का राजा शिशुनाग कृत्य का राज बैरी था। बुंदेली बोली हमीरपुर, भदोली और जालौन के जिलों में,

मध्यभारत के ग्वालियर, दनिया,छत्रपुर और पन्ना राज्यों में तथा मध्य प्रान्त के मागर, टोंशंगाराद, छिंदवाड़ा और मेयानी के जिलों में बोली जाती है। हिन्दू-काल में बलनूरी जाति^१ के इहय वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। इनकी राजधानी जबलपुर के निकट त्रिपुरी नगरी थी। बाद को महोबा के चंदेल राजा इस प्रदेश के शासक हुए। बुंदेलखंड के आन्हा ऊदल की कथा आज भी प्रसिद्ध है। कालिंजर का प्रसिद्ध जिला बुंदेलखंड में ही है।

मालवी संपूर्ण इन्दौर राज्य, ग्वालियर राज्य के दक्षिण भाग तथा मध्य-प्रात के नीमर और बेतुल के जिलों में बोली जाती है। यही प्रदेश अवंति कहलाता था। बाद को यह मालवा कहलाने लगा। मालवा बहुत प्राचीन प्रदेश है। मौर्यों के मालवा मूवे की राजधानी विदिशा, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन तथा राजा भोज की राजधानी धारा नगरी सब मालवा में ही थीं। मुसलमान काल में भी मालवा का सूबा बराबर अलग रहा। आज कल इस प्रदेश का मुख्य नगर इन्दौर है।

बघेली, बुंदेली और मालवी का विषय पर्वत के दक्षिण की ओर विराम कुछ ही काल पूर्व से हुआ है। यहाँ पहले अधिक घने जंगल थे किन्तु जैसे जैसे जंगल कटते गये, लोग दक्षिण की ओर फैलते गए।

जयपुरी बोली जयपुर, कोटा और बूँदी के राज्यों में बोली जाती है। यह प्राचीन काल में मत्स्य देश कहलाता था जहाँ के राजा विराट् के यहाँ पाण्डवों ने अज्ञातवास किया था। जयपुर रियासत में अब भी विराट् नगर के चिह्न विद्यमान हैं और सम्राट् अशोक के लेख भी वहाँ मिल चुके हैं। कुरु, पंचाल और शूरसेन जनपद के साथ मत्स्य की भी गिनती होती थी और ये चारों मिलकर ब्रह्मर्षि^२ देश के नाम से पुकारे जाते थे।

मेवाती बोली का प्रदेश उत्तर मत्स्य का एक अंश है।

मारवाड़ी अरावली पर्वत के पश्चिम में समस्त मारवाड़ तथा अजमेर के प्रदेश में बोली जाती है। प्राचीन काल में यह जनपद मरुदेश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रमणों के कारण जब क्षत्रिय राजाओं को गंगा के हरे-भरे मैदान छोड़ने पड़े तब इस मरुभूमि ने ही उन्हें शरण दी थी। जोधपुर का घराना बहुत काल से यहाँ राज कर रहा है। मेवाड़ में भी मारवाड़ की बोली

(१) इ० ग० आ० इ०, पुस्तक १०, पृष्ठ १२।

(२) मनुस्मृति, २, १९, 'बृहस्पेय, मन्व, पंचाल और शूरसेन मिनत्त ब्रह्मर्षि देश कहलाता था।'

का ही एक रूप बोला जाता है ।

इस लेख में यह दिखाने का यत्न किया गया है कि हिंदी की वर्तमान बोलियों के प्रदेश यहां के प्राचीन जनपदों से मिलते हैं । इस बात का भी दिग्दर्शन कराया गया है कि बौद्ध, हिंदू तथा मुसलमान काल में भी यह विभाग किसी न किसी रूप में थोड़े बहुत अलग रहे हैं । वर्तमान बोलियों के उद्देश तथा प्राचीन जनपदों के पूर्णरूप से मेल न खाने के कारणों पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला गया है ।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ये प्राचीन जनपद आज तक जीवित कैसे रह सके तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व किस प्रकार स्थिर रख सके । यदि इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर दिया जाय तो एक स्वतंत्र लेख ही हो जायगा । इस समय थोड़े से प्रमुख कारणों को गिना कर ही संतोष करना पड़ेगा ।

जैसा कि जनपद शब्द के अर्थ से विदित होता है, ये प्राचीन आर्य्य जातियों की भिन्न भिन्न बस्तियाँ थीं । बड़ी नदियों के किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर आर्य्य जन जंगलों को काटकर मुख्य नगर या पुर बसाते थे और उसके चारों ओर अपनी बस्तियाँ बनाकर बस जाते थे । प्रत्येक ऐसा समुदाय जनपद कहलाता था और उसका केंद्र उसका पुर या नगर होता था । जनपदों के दीर्घ जीवनका मुख्य कारण इनके इन स्वतंत्र तथा पृथक् पुरों का होना प्रतीत होगा है । इन विभागों के ये केंद्र आजतक बने हैं यद्यपि ये विशेष स्थान आवश्यकतानुसार कई बार बदले गए हैं । युधिष्ठिर की राजधानी द्वापरप्रस्थ का स्थान स्थानेश्वर और दिल्ली ने क्रम से लिया । यदि अहिच्छेत्र और कापिल्य नष्ट हो गए तो उनकी पूर्ति हर्षवर्धन के सम्राज्य की राजधानी कान्यकुब्ज ने की । अयोध्या और भावस्ती के समान लखनऊ अबध का आज भी अद्वितीय केंद्र है । मगध की प्राचीन राजधानी राजग्रह का स्थान पाटलिपुत्र ने लिया जो आज भी पटना के रूप में बिहार प्रांत की राजधानी है । किन्हीं विभागों में ये स्थान सदा से एक ही रहे, जैसे मथुरा और काशी ।

परिवर्तन न होने का दूसरा कारण देश के ग्रामीण जीवन का संगठन मालूम होता है । प्रत्येक गाँव अपने में पूर्ण रहता है और उसे बाहर की सहायता की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है । मुसलमान काल में जब मध्य-देश के हिन्दू नगर नष्ट हो गए थे तब ग्रामों के इस संगठन के कारण ही प्रदेशों के व्यक्तित्व की रक्षा हो सकी थी ।

तीसरे, मध्यदेश की जनता के एक ही स्थान पर रहने के स्वभाव ने भी बहुत सहायता की। देश धन धान्य से पूर्ण था। घर ही पर पर्याप्त मुक्त था, अतः लोगों को मारे मारे फिरने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसमें संदेह नहीं कि बाद की देश पर बड़े बड़े आक्रमण हुए और एक प्रबल प्रवाह की तरह बाहर से लोग आए। इस अवस्था में यहाँ के लोग अपना सिर नीचा करके अपनी जन्म-भूमि को परछ कर बैठ गए। बहुत से लोग लड़ गए, बहुतों के प्राण धुटकर निकल गए। बाहर से भी रेत, पथर और कीच कटि ऊपर जमी किन्तु बहाव निकल जाने पर लोग फिर खड़े हो गए और अपने अपने पुरों के चारों ओर—चाहे यह पुर अयोध्या हो, या भावस्ती या लखनऊ—ये लोग फिर अपने पुराने ढंग का जीवन बिताने लगे।

ये ही मुख्य कारण हैं जिनमें कि कुरु, पंचाल, शूरसेन, मत्स्य, कोसल, काशी, विदेह, मगध, वंग, दक्षिण कोसल, तथा चेदि, अश्वि आदि के प्राचीन जनपद आज कम से कम तीन सहस्र वर्ष बाद भी प्रायः ज्यों के त्यों जीवित हैं। यदि किसी को संदेह हो तो बंगालियों के वर्तमान मानचित्र को उठाकर देख ले जो इस बीसवीं शताब्दी के प्रमाणों के आधार पर बनाया गया है, किन्तु जो उस प्राचीन काल के भारत के मध्यदेश का मानचित्र मालूम होता है जो कुरुक्षेत्र पर भारत के भाग्य का निर्यात हुआ था।

भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के प्राचीन देशों और वर्तमान भागश्यों का संबंध स्पष्ट ही है। भागश्यों के आधार पर कामेग महामना भारत के इनमें संतानजनक राजनीतिक विभाग का सर्वाधिक यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्यदेश के विभाग संतानजनक नहीं हो सके हैं। इसका मुख्य कारण बंगालियों के इन उपविभागों और उनके प्राचीन रूप के सम्बन्ध को ठीक ठीक न समझना है। यहाँ के लोग भी अपने देश के प्राचीन रूपों को प्रायः भूलना गये हैं।

हिन्दी की बंगालिया का एक मानचित्र, जो प्रियर्जन लक्ष्मण की मूर्ति के आधार पर बनाया गया है, स्पष्ट में दिया जा रहा है। बंगालियों के विभागों के नीचे प्राचीन जनपदों के नाम भी लिख दिए हैं जिनमें ये लिखे हैं। इन जनपदों का संदेह, हिन्दू तथा मुसलमान कालों में क्या हुआ था वह दिखाने को एक चोटक दिया जा रहा है। आशा है पाठकों को इन दोनों में इस लेख के सम्बन्ध में बहुत सहायता मिलेगी।



मुख्य मुख्य कालों में जनपदों के रूप ।

वर्तमान बोलियों के विभाग

सुपल्लभा काल में

सुपल्लभ के पूर्व की
सुपल्लभ के बाद की

पुष्ट भाषाओं के समय में संप्रदाय के

सुपल्लभ के पूर्व की
सुपल्लभ के बाद की

प्राचीन जनपद

सुपल्लभ के पूर्व की
सुपल्लभ के बाद की

क्र. सं.	जनपद	प्राचीन जनपद	पुष्ट भाषाओं के समय में संप्रदाय के	सुपल्लभा काल में	वर्तमान बोलियों के विभाग
१	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
२	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
३	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
४	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
५	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
६	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
७	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
८	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
९	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
१०	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
११	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
१२	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
१३	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
१४	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
१५	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ
१६	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ	सुपल्लभ

३—संयुक्त प्रांत में हिन्दू पुरुषों के नाम

साहित्य, सामाजिक नियम, भाग, राजनीतिक संगठन, धार्मिक विचारगयनी आदि संस्कृति के भिन्न भिन्न श्रेणियों के समान ही स्त्री-पुरुषों के नामों पर भी देश और काल की छाप रहती है। भारतवर्ष में ही विश्वामित्र, कुमांगुम, तथा रामप्रसाद क्रम से वैदिक पौराणिक तथा आधुनिक काल का सहजा स्मरण दिला देते हैं। इसी प्रकार अनन्य श्रेणय चिन्तनरूप के साथ सुनहरी किनारेदार पगड़ी और लाल रंग का सामने मुड़ा हुआ जूत आंखों के सामने आ जाता है, गंडासिंह से मज्जेद साया, ऊँचा कूद और दाढ़ी-मूछ से भरा चेहरा अलग नहीं हों पाता, गानेदनाय बाल तेल से सँवाये हुए नंगे सिर और फुफ्फुतीदार धोती के साथ स्मरण आते हैं। अपने श्याम-विहारी या रामस्वरूप के सिर पर कम से कम टोरी ज़रूर ही रहती है। मुन् तथा व्यवहार अत्यंत शिष्ट कुछ-कुछ विगड़े हुए पुराने ज्ञानदानों लोगों का सा, नीची भुकी हुई मूछ, और किसी भी तरह के कपड़ों में आद लोग दिखलाई पड़ते हैं। इस सब से कम से कम इतना तो सिद्ध ही होता है कि नामों में देश-काल की संस्कृति का प्रतिबिम्ब रहता है, अतः इनके सूक्ष्म अध्ययन से संस्कृति के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है।

भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के, प्रत्येक कालके, समस्त धर्मानुयायों स्त्री तथा पुरुषों के नामों का संक्षिप्त अध्ययन एक निबंध में नहीं हो सकता। इसी कारण इस विषय की बानगी के स्वरूप हिन्द-प्रदेश के मध्यम श्रेणी के हिन्दू पुरुषों के आधुनिक नामों को लेकर कुछ थोड़ी सी सामग्री प्रस्तुत निबंध में संकलित करने का प्रयास किया गया है। इस सीमित विषय का भी कहीं अधिक विस्तृत तथा पूर्ण अध्ययन संभव है।

इस प्रकार के नामों का अध्ययन करने पर सबसे पहली बात जिसकी ओर ध्यान जाता है वह है अधिकांश नामों पर धार्मिकता की छाप। हिन्दू संप्रदायों में से १५ वीं और १६ वीं शताब्दी के राम अथवा कृष्ण-संबंधी संप्रदायों का प्रभाव नामों पर आज भी पर्याप्त मात्रा में चल रहा है, यद्यपि जिस तरह 'रामचरितमानस' अथवा 'सुखसागर' का पठन-पाठन मध्यम श्रेणी के हिन्दुओं के घरों में धीरे-धीरे कम हो रहा है, उसी प्रकार नामों में भी परिवर्तन प्रारम्भ

हो गया है। तो भी अब तक विशेषतया अवध आदि पूर्वी प्रदेशों में नामों के आदर किसी न किसी रूप में राम का नाम तथा ब्रज आदि पश्चिमी प्रदेशों में कृष्ण का नाम बहुत अधिक पाया जाता है। इस प्रकार के नामों के अनेक उदाहरण हमें तनिक भी स्मरण करने से मिल सकते हैं।

श्रीराम, रामकुमार, रामकिशोर, रामदुलारे, जयराम, रामनगेश, रामनारायण, रामस्वरूप, रामेश्वर तथा कौशलकिशोर, कौशलकुमार, रघुवंशनारायण, अवधेश नारायण, अवधविहारी जैसे नामों में श्रीरामचंद्रजी के स्मरण की भावना छिपित है। किन्तु रामनाथ, रामदास, रघुनाथदास, रामसरन, रामदयाल, रामकृपाल, रघुवरदयाल, रामाश्रय, जैसे नामों के साथ, रामानंदी संप्रदाय की स्वामी श्रीर दास की भक्ति-भावना के विह्वल मिलते हैं। स्वयं रामानंद नाम कदाचित् संप्रदाय प्रवर्तक के नाम का अनुकरण मात्र है। जिनमें श्रीरामचंद्र जी को रामसिंह के रूप में प्रायः देखा जाता है।

काशी तथा विहार प्रदेश की श्रीराम-संबंधी नामों के विशेष रूप प्रचलित हैं, जैसे रामराज राय, रामसनेही लाल, रामलगन, रामसुभेद, रामनिहोर, रामप्रताप, रामदयाल, रामजीवन, रामनिवास, रामअवध, रामनिधि, अवधेश प्रसाद, राघवप्रसाद इत्यादि। रामचंद्र जी के साथ-साथ अनेक नामों में रामचंद्र जी के परिवार को भी स्मरण कर लिया जाता है तथा कुछ में रामचंद्र जी के नाते केवल उनके भाइयों आदि के नामों पर ही नाम रख लिए गए हैं, जैसे सीताराम, अथवा सियाराम, रामलखन, भरतराम, अथवा लक्ष्मण प्रसाद, शत्रुसिंह। रामचंद्र जी के अनन्य सेवक को महावीरप्रसाद अथवा हनुमानप्रसाद जैसे नामों में स्मरण कर दिया गया है। राम-संबंधी नामों में वाचस्पति की छाप वाचूराम या रामवाचू में पाई जाती है। अपने देश में संप्रदायिकता के भाव के साथ ही साथ उदारता का भाव भी सदा से मौजूद रहा है—रामभक्त भी अन्य देवताओं को आदर के साथ देखने में। इस दृष्टिकोण का प्रभाव रामकिशन, कृष्णराम, तथा शिवराम जैसे नामों में स्पष्ट पाया जाता है।

धार्मिक नामों में कदाचित् राम-संबंधी नामों से अधिक श्रीकृष्णजी से संबंध रखने वाले नाम अपने प्रदेश में प्रचलित हैं। नाम वचन में रक्ते जाते हैं अतः राम की अपेक्षा बालकृष्ण का भाव माता-पिता को प्रायः अधिक आकर्षक लगता है। कृष्ण-संबंधी नामों की बहुत लम्बी सूची बनाई

जा सकती है—जैसे श्रीकृष्ण, या श्रीकृष्णलाल या किशन लाल या कन्दैया-लाल, कृष्णकुमार, कुँवरकृष्ण, कृष्णानन्द, श्यामसुन्दर, जगतकृष्ण, कृष्ण नरायण या नगयनकृष्ण, कृष्णमोहन, गिरधारीलाल, मोहनलाल, विहारीलाल, श्यामविहारी, छैलविहारी, मुकुटविहारी, कुंजविहारी, ब्रजनरायण, ब्रजधन, यदुनन्दन, यादवेन्द्र, धनश्यामदास, जनार्दनप्रसाद, मुरलीमनोहर, मुरलीधर, वंशीधर, वंशीलाल, शृंदावनलाल, गोबुलचंद्र, मथुरालाल । श्रीकृष्णजी के नाम ही गोविंदराम, बलदेवप्रसाद, बलभद्रप्रसाद, बलराम तथा अनिरुद्ध-कुमार जैसे नाम मिलते हैं । कृष्णसंप्रदायों में बाद की विकसित होने वाले राधावल्लभ आदि संप्रदायों की छाप निम्नलिखित प्रकार के नामों पर मिलती है, जैसे राधाकृष्ण, राधेश्याम, किशोरीलाल, अथवा श्यामाचरण, गोपीनाथ, गोपीचंद्र, ललिताप्रसाद । कृष्ण-संबंधी नामों में विहारी दंग के नाम ब्रजराजेश मंदनलाल, राधारमन या राधिकारमन, कंदमन के दंग के होते हैं । काशी तथा विहार की ओर कृष्ण-संबंधी नामों की अपेक्षा राम-संबंधी नामों का अधिक प्रचार है । यह स्वाभाविक ही है ।

यद्यपि नामों में राम और कृष्ण से प्रभावित नाम बहुत अधिक पाए जाते हैं किन्तु अब भी यही के मुख्य देवता भगवान् विष्णु की भक्ति का प्रभाव नामों में कम नहीं हुआ है । इसका तात्पर्य यह है कि बाद के संप्रदायों के साथ-साथ प्राचीन वैष्णव या भागवत धर्म का प्रभाव आज भी नामों में बाजी चल रहा है । इस प्रकार के नामों की बहुत लक्ष्मी सूची बन सकती है । बुद्ध में केवल भगवान् का स्मरण स्पष्ट शब्दों में किया जाता है, बुद्ध में विष्णु का रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ता है और बुद्ध में विष्णु के साथ लक्ष्मी जी को भी सम्मिलित कर लिया गया है । इस प्रकार के नामों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जैसे प्रभुदयाल, प्रभुनाथ, जगदीशप्रसाद, जगदीशनारायण, जगदीशचंद्र, जगन्नाथ, त्रिनाथी नाथ, विशंभरनाथ, ईश्वरसहाय, दीनानाथ, नारायणदत्त, नरोत्तमदत्त, नरोत्तमप्रसाद, पुरुषोत्तमदास, लीलाधर, हरिसंत, केशवप्रसाद, बालमुकुंद तथा उदयनारायण, अभयनारायण, मुकुंदलाल, भीनाथ, भीनगायन, भीनिवास, लक्ष्मीविहारी, लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीप्रसाद, कमलाप्रसाद, रमेशकुमार, रमेशचंद्र, रमाकांत, कमलावति । भगवान् के नाम ही मालिप्राम, जयनारायण, तुलसीगम, शेषनारायण, अनंतलाल, शेषनाथ, वैकुण्ठनाथ, जैसे नाम चलते हैं । काशी प्रदेश की ओर भीमतिनारायण, छविनारायण जैसे नाम, रात्रिपान की

अंतर रत्नद्वोरदास, तथा विट्ठलदास जैसे नाम तथा पहाड़ पर नरायनदत्त जैसे नाम प्रचलित हैं ।

अपने प्रांत में वैष्णवधर्म के साथ-साथ शैवधर्म भी बराबर चल रहा है, अतः बहुत से नामों पर शिवभक्ति की छाप मिलती है । इनकी लंबी सूची बनाई जा सकती है । इन नामों में से कुछ में शिव को परमेश्वर के रूप में स्मरण किया गया है, कुछ में प्रयी के शिवजी के रूप में तथा कुछ के साथ पार्वतीजी को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे, विश्वनाथ, महादेवप्रसाद, महेशप्रसाद, महेशचन्द्र, रुद्रप्रसाद, शिवदत्त, शिवचरन, शिवप्रसाद, कृपाशंकर, शिवशंकर, प्रेमशंकर, शंकरदयाल, शंभुनाथ, भोलानाथ, काशीनाथ, अमरनाथ, कैलाशचन्द्र, चंद्रभूषण, चंद्रशेखर, गौरीशंकर, उमाशंकर, देवीशंकर, रमाशंकर । शिवजी के नाते ही हरनन्दन, हरकिशोर, गणेशप्रसाद, गणपत आदि नाम चलते हैं । वैष्णव और शैवभक्ति का सामञ्जस्य हरिशंकर, हरनरायण, हरगोविंद जैसे नामों में मिलता है । काशी तथा विहार की ओर शिवप्रसन्न, शिवनरेश, शिवध्यान, पशुपतिनाथ, भुवनेश्वरप्रसाद, हरिहरप्रसाद, जैसे नाम चलते हैं । परमात्माप्रसाद, दीनदयाल, ब्रह्मानन्द, महेश्वर साधारण धार्मिक नाम हैं ।

शैव धर्मों में शक्ति की उपासना बहुत प्राचीन काल में उपस्थित मिलती है, अतः इसकी छाप भी अनेक नामों में चल रही है, जैसे माताप्रसाद, ईश्वरीप्रसाद, देवीप्रसाद, भगवतीप्रसाद, शीतलाप्रसाद, शारदाप्रसाद, दुर्गाप्रसाद, कालिकाप्रसाद, ज्वालाप्रसाद, कालीचरन, भगवतीचरन, माताचरन ।

यहाँ यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि प्रयी के तीसरे प्रमुख देवता ब्रह्मा नामों से भी प्रायः छुन हो गए हैं ।

धार्मिक तीर्थस्थानों तथा नदियों आदि से संबंध रखनेवाले नाम भी प्रायः मिलते हैं । भाद्रुक लोग तीर्थों आदि पर पुत्र-कामना प्रकट कर आते हैं और पुत्र होने पर उसी तीर्थ या नदी के नाम पर पुत्र का नाम रख लेते हैं । कभी-कभी इन स्थलों पर जन्म होने के कारण भी बच्चों के ऐसे नाम पड़े जाते हैं, जैसे काशीप्रसाद, अयोध्याप्रसाद, गोदुलप्रसाद, द्वारिकाप्रसाद, मधुगप्रसाद, रामेश्वरप्रसाद, चरप्रसाद, मधुगदत्त, प्रयागदत्त, तथा संगमनाथ, त्रिबेनीलहाय त्रिबेनीलाल, बेनीप्रसाद, गंगाप्रसाद, भागीरथीप्रसाद, सरजूप्रसाद, गोमतीप्रसाद, नरदाप्रसाद, अनुनाप्रसाद, अनुनादत्त । काशी-विहार की ओर विंज्याचलप्रसाद,

मिथिलाप्रसाद जैसे नाम भी चलते हैं यद्यपि चित्रकूटप्रसाद अभी मुझे नहीं मिले हैं। भक्ति-संप्रदायों की गुरु-भक्ति की छाप गुरुदयाल, गुरुप्रसाद, जैसे नामों में मिलती है।

पश्चिमी संयुक्तप्रात में वैश्यों के बीच जैनधर्म का प्रभाव अभी थोड़ा बहुत चला जाता है अतः उधर शृणुभद्राल, अथवा, सिद्धनाथ, जैसे नाम अक्सर मिल जाते हैं। सुखपाल तथा सूरजमल, जैसे नाम भी जैनों में ही प्रायः मिलते हैं। साधारण पौराणिक नाम रखने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है तब भी हरिश्चंद्र, अथवा मार्कण्डेयसिंह कभी-कभी मिल ही जाते हैं।

अपने प्रदेश के नामों में धार्मिक नाम ६०, ७० प्रतिशत से भी अधिक इस अधार्मिक युग में भी चल रहे हैं। किन्तु कुछ लौकिक सार्थक नामों का भी चलन है। यह प्रवृत्ति क्षत्रियों और ठाकुरों में विशेष मिलती है। प्रायः इस प्रकार के नामों के पीछे बल, तेज, आदि का भाव प्रधान रहता है, जैसे त्रिलोकसिंह, प्रतापसिंह, विक्रमाजीतसिंह, महीपालसिंह, दिग्विजयसिंह, वीरेश्वरसिंह। पूरव में सभाजीसिंह, सयंजीतसिंह, तिलकधारीसिंह, अथवा राजदेवप्रसाद, जैसे नाम अधिक चलने हैं। विजयचंद्र, राजनाथ, पृथ्वीनाथ, जयपाल, तेजप्रताप, प्रतापनारायण, बलवतप्रसाद, राजदेव, जैसे नाम क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जातियों में भी मिल जाते हैं। निम्न प्रकार के नामों में वैदिक या पौराणिक इन्द्र देवता का उतना स्मरण नहीं किया गया है जितना ऐश्वर्य की भावना को लाने का यत्न किया गया है, जैसे इन्द्रदेवनारायण, राजेन्द्रप्रताप, सुरेन्द्रप्रताप, इन्द्रपाल। गजराज अर्धने दग का निराला नाम है। ज्योतिषकाश, गुरुजननारायण, गुरुजमान, दिवाकरसिंह, आदित्यरिशोर, आदित्यप्रसाद, आदित्यप्रकाश, भानुप्रताप, चंद्रनारायण, पूनचंद्र, पूनचंद्र, शरच्चंद्र, ताराचंद्र, भीष्म, सूर्य तथा चंद्र संबंधी नामों में तेज अथवा कालि के साथ धार्मिक भावना भी रहती है। अक्सर लोग अर्धने बच्चे को कुल का प्रकाशक, पून या सौन्दर्य का अद्वार, ऐश्वर्य तथा सुख की स्वान अथवा स्नेह की मूर्ति तथा अन्तःप्रकाश आत्मा समझते हैं। इस ह्यभासिक प्रवृत्ति के कारण निम्न प्रकार के नाम सर्वसाधारण में काफी प्रचलित हैं—कुलदीननारायण, होरालाल, जगदालाल, मोतीलाल, जगतभूषण, निधिलाल, रतनलाल, मुद्रांनलाल, मुद्रालाल, गुलाबचंद, मदनमोहन, मनमोहन, सुगंदेय, देवदहन, मानस, रामानंदलाल, छोटेलाल, परमहंस, हंसचंद्र, हंसद्वी।

होंत्यादक श्रुतियों का भाव लेते हुए निम्न प्रकार के नाम रक्ते जाते हैं, जैसे वसंतलाल, होरीलाल । कभी-कभी इन अवसरों पर पैदा होने के कारण भी ऐसे नाम पड़ जाते हैं । जिनके बच्चे ज़िदा नहीं रहते हैं वे उपेक्षा दिखलाने के लिए शिशु को ज़मीन पर ज़रा घनीट देते हैं, इसी कारण कभी-कभी फेकूमल, कूहामल, घनीटेराम जैसे नाम सुनने को मिल जाते हैं । छः उंगलियों के बच्चे का नाम अक्सर छुगामल या छुगालाल रख दिया जाता है । दुप्लीलाल नाम का कारण मैं अभी तक ठीक नहीं समझ पाया हूँ ।

मुसलमान काल का प्रभाव अथवा विदेशी शब्दावली बहुत कम नामों में मिलती है, किन्तु कुछ नाम इस प्रकार के अवश्य चल रहे हैं, जैसे साहबज़ादे-सिंह, राजेन्द्रवहादुर, प्रतेह्वहादुर, जंगवहादुर, तेजवहादुर, विजयवहादुर, इक़बालनरायन, इक़बालवहादुर, प्रतेहचंद, भगवानवक्शमिह, रोशनलाल, शादीलाल इत्यादि ।

नामों के संबंध में बिहार तथा बांगी प्रदेश की विशेषता ऊपर बतलाई जा चुकी है । प्रादेशिकता की दृष्टि से अपने प्रांत के पहाड़ों पर प्रायः दत्त या आनंद अंत वाले नाम बहुत प्रचलित हैं, जैसे पद्मादत्त, रामदत्त, गोपालदत्त, विशंभरदत्त, धर्मानंद, फेदलामंद, घनानंद, सयानंद, देवानंद, सर्वानंद । छवियों में पहाड़ पर भी सिंह अंत वाले नामों का विशेष चलन है ।

इधर चौदवीं शताब्दी में नामों पर कुछ नए प्रभाव पड़ रहे हैं । आर्य-समाज के प्रभाव के कारण सार्यक तथा वैदिक धर्म के विचारों को लेते हुए नाम रखने का चलन पैजा, इसके फलस्वरूप आनंदप्रकाश, ब्रह्मेश्वर, ब्रह्मानंद, सत्यदेव, सत्यभन, धर्मप्रन, धर्मदेव, दयानंद जैसे नाम सुनाई पड़ने लगे हैं । नामों में शर्मा, वर्मा तथा गुप्त लगाने की प्रवृत्ति भी आर्यसमाज के प्रभाव के ही फलस्वरूप है । दास तो वैष्णव प्रभाव से ही बांगी सभ्यता में मिलना था ।

बंगाली नामों का प्रभाव भी इधर बांगी पड़ा है । इन्द्र अन्त वाले नाम प्रायः बंगाली नामों के अनुकरण में रक्ते गए हैं । कुछ अन्य नाम भी इस भेरी में रक्ते जा सकते हैं । ऐसे नामों की बांगी लम्बी सूची बन सकती है, जैसे भूरेद्र, शोरेद्र, नरेद्र, सुरेद्र, नगरेद्र, रवींद्र, देवेन्द्र, गजेद्र, नृपेद्र, धीरेद्र, कर्षींद्र तथा अरविंद्र, अविनेश, दिनेश, इत्यादि ।

नामों के रखने में पश्चिमी प्रभाव अभी दृष्टिगोचर नहीं होता—जात्रं जीराव नाम अरवाद स्वरूप है—किन्तु नामों के गठन पर इसका विशेष

मिथिलाप्रसाद जैसे नाम भी चलते हैं यद्यपि निम्नप्रसाद अभी मुझे न मिले हैं। भक्ति-संप्रदायों की गुरु-भक्ति की द्वाय गुरुदयाल, गुरुप्रसाद, जैसे नामों में मिलती है।

पश्चिमी संयुक्तप्रान्त में शैश्यों के बीच जैनधर्म का प्रभाव अभी बहुत बहुत चला जाता है अतः उभय श्रुतभदान, अथवा, निजनाथ, जैसे नाम अक्सर मिल जाते हैं। सुगराल तथा गुरुजमन, जैसे नाम भी जैनों में ही प्राप्त मिलते हैं। साधारण पौराणिक नाम रगने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है तब भी हरिश्चंद्र, अथवा मार्कण्डेयसिंह कभी-कभी मिल ही जाते हैं।

अपने प्रदेश के नामों में धार्मिक नाम ६०, ७० प्रतिशत से भी अधिक इस अधार्मिक युग में भी चल रहे हैं। हिन्दु कुछ लौकिक सार्थक नामों का भी चलन है। यह प्रवृत्ति क्षत्रियों और टाकुरों में विशेष मिलती है। प्रायः इस प्रकार के नामों के पीछे यत्न, तेज, आदि का भाव प्रधान रहता है, जैसे त्रिलोकसिंह, प्रतापसिंह, विक्रमार्जुनसिंह, महोपालसिंह, दिग्विजयसिंह, बोरेश्वरसिंह। पूरव में सभार्जुनसिंह, सर्वार्जुनसिंह, तिलकधारीसिंह, अथवा राजदेवप्रसाद, जैसे नाम अधिक चलते हैं। विजयचंद्र, राजनाथ, पृथ्वीनाथ, जयपाल, तेजप्रताप, प्रतापनारायण, यत्नवंतप्रसाद, राजदेव, जैसे नाम क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जातियों में भी मिल जाते हैं। निम्न प्रकार के नामों में वैदिक या पौराणिक इन्द्र देवता का उतना स्मरण नहीं किया गया है जितना ऐश्वर्य की भावना को लाने का यत्न किया गया है, जैसे इन्द्रदेवनारायण, राजेन्द्रप्रताप, सुरेंद्रप्रताप, इंद्रपाल। गजराज अपने ढंग का निराला नाम है। ज्योतिषक सूरजनारायण, सूरजभान, दिवाकरसिंह, आदित्यकिशोर, आदित्यप्रसाद, आदि प्रकाश, भानुप्रताप, चंद्रनारायण, पूरनचंद्र, फूलचंद्र, शरच्चंद्र, ताराचंद्र, भीमसूर्य तथा चंद्र संबंधी नामों में तेज अथवा क्रांति के साथ धार्मिक भावना रहती है। अक्सर लोग अपने यच्चे को कुल का प्रकाशक, धन या सौन्दर्य का अवतार, ऐश्वर्य तथा सुख की खान अथवा स्नेह की मूर्ति तथा आशाधार आत्मा समझते हैं। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण निम्न प्रकार के नाम सर्वसाधारण में काफ़ी प्रचलित हैं—कुलदीपनारायण, हीरालाल, जवाहरलाल, मोतीलाल, जगतभूषण, निधिपाल, रतनलाल, सुदर्शनलाल, सुंदरलाल, मनोहरलाल, गुलाबचंद्र, मदनमोहन, मनमोहन, सुखदेव, देवनंदन, महानंद, लालजी, परमानंदलाल, छोटेलाल, परमहंस, हंसस्वरूप, इत्यादि।

हर्षोत्पादक ऋतुओं का भाव लेते हुए निम्न प्रकार के नाम रखे जाते हैं, जैसे वसन्तलाल, होरीलाल । कभी-कभी इन अवसरों पर पैदा होने के कारण भी ऐसे नाम पड़ जाते हैं । जिनके बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं वे उपेक्षा दिखलाने के लिए शिशु को ज़मीन पर ज़रा फर्गिट देते हैं, इसी कारण कभी-कभी पेंकूमल, कूड़ामल, बलीटेराम जैसे नाम सुनने का मिल जाते हैं । छः उंगलियों के बच्चे का नाम अक्षर छ्द्रामल या छ्द्रालाल रख दिया जाता है । दुखीलाल नाम का कारण मैं अभी तक ठीक नहीं समझ पाया हूँ ।

मुसलमान काल का प्रभाव अथवा विदेशी शब्दावली बहुत कम नामों में मिलती है, किन्तु कुछ नाम इस प्रकार के अवश्य चल रहे हैं, जैसे साहबज़ादे-सिंह, राजेन्द्रवहादुर, कनेहयहादुर, जंगबहादुर, तेजबहादुर, विजयबहादुर, इकबालनरायन, इकबालबहादुर, कनेहचंद, भगवानचष्यासिंह, रोशनलाल, शादीलाल इत्यादि ।

नामों के संबंध में बिहार तथा काशी प्रदेश की विशेषता ऊपर बतलाई जा चुकी है । प्रादेशिकता की दृष्टि से अपने प्रांत के पहाड़ों पर प्रायः दत्त या आनंद अंत वाले नाम बहुत प्रचलित हैं, जैसे पद्मादत्त, रामदत्त, गोरालदत्त, विराभरदत्त, धर्मानंद, केवलानंद, घनानंद, सत्यानंद, देवानंद, सर्वानंद । लुधियों में पहाड़ पर भी सिंह अंत वाले नामों का विशेष चलन है ।

इधर बीसवीं शताब्दी में नामों पर कुछ नए प्रभाव पड़ रहे हैं । आर्य-समाज के प्रभाव के कारण सार्भक तथा वैदिक धर्म के विचारों को लेते हुए नाम रखने का चलन पैदा, इसके फलस्वरूप श्रीमन्नाराय, ब्रह्मेश्वर, ब्रह्मानंद, सत्यदेव, सत्यन्त, धर्मन्त, धर्मदेव, दयानंद जैसे नाम सुनाई पड़ने लगे हैं । नामों में शर्मा, वर्मा तथा गुप्त लगाने की प्रवृत्ति भी आर्यसमाज के प्रभाव के ही फलस्वरूप है । दास तो वैष्णव प्रभाव से ही काशी संस्था में मिलता था ।

बंगाली नामों का प्रभाव भी इधर काजी पड़ा है । इन्द्र अन्त वाले नाम प्रायः बंगाली नामों के अनुकरण में रखे गए हैं । कुछ अन्य नाम भी इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं । ऐसे नामों की काशी लम्बी सूची बन सकती है, जैसे भूर्देव, धीरेन्द्र, नरेंद्र, मुरेंद्र, नगेंद्र, रबीन्द्र, देवेन्द्र, राजेंद्र, नृपेंद्र, धीरेन्द्र, कर्वाँन्द्र तथा अरविन्द, अरविनेश, दिनेश, इत्यादि ।

नामों के रखने में पश्चिमी प्रभाव अभी दृष्टिगोचर नहीं होता—जार्ज जीराव नाम अर्चनाद स्वरूप है—किन्तु नामों के रखने पर इसका विशेष

प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी प्रभाव के बदले नाम धारः दो गणों में बँटते थे। हिन्दू यह पश्चिमी प्रभाव का ही वन है कि एक तीसरा शब्द भी नामों में जुड़ने लगा है। यह तीसरा शब्द प्रायः जर्मनानक होता है, जैसे मित्र, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, दूध, श्यामी, पत्र, मालवीय, पाठक, मुद्र, बोंडी, यात्र, पेरी, दालिज, नागर, गिनदा, गङ्गेना, माधुर, श्रीरामर, अग्रवाल, जैमवाल, गार्डररी, अंगरा, मेट, मार, नेगी, गादक, नीदान, भांगर, बालीवाल, मरी, रंडन। कभी कभी गोत्र, आम्बर या अम्बर मूलक शब्द भी लगाए जाने लगे हैं, जैसे भारद्वाज, चौधरी, जोहरी, अशरवाल, गंगे, गोइल, गोम्बामी, मरु, नेहरू, यादव इत्यादि। हिन्दू यह तो अल्पयन का एक मूलत ही विषय है। पश्चिमी प्रभाव गण में अधिक नामों के गश्चिन् रूप देने में मिलता है, जैसे रामप्रसाद त्रिपाठी श्रव पूर्णरूप में हम लोगों को बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। एम्० सी० जेम्स के वज़न पर ये श्रव प्रायः आर० पी० त्रिपाठी हो गए हैं। मेरे एक मित्र पंडित रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी अपने वं० र० प्र० त्रिवेदी लिखा करने थे। अंग्रेज़ी प्रभाव के रहते हुए भी स्वदेशीयन की इस तरह की छाप अभी अत्यंत असाधारण है।

इस छोटे से निबंध में संयुक्तप्रान्त के हिन्दू पुराणों के नामों के संबंध में कुछ मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। नामों के इस संक्षिप्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपने देश पर धार्मिकता, विशेषतया पौराणिक और भक्ति-संप्रदायों की छाप इस बीसवीं शताब्दी में भी विशेष कम नहीं हुई है। इस्लाम का प्रभाव नामों पर विशेष नहीं पड़ा। नवीनता के लक्षण जहाँ-तहाँ दिखलाई पड़ने लगे हैं, विशेषतया सार्थक नामों में। लेकिन वे अभी तो दाल में नमक के ही बराबर हैं। पश्चिमी नकल में रामप्रसाद त्रिपाठी का आर० पी० त्रिपाठी हो जाना तो केवल इतना ही जलसाता है कि त्रिपाठी जी ने धोती-चादर छोड़कर समय की आवश्यकता के अनुरूप कोट-पतलून पहिन लिया है। उनका हाड़-मांस नहीं बढ़ता है। वही पुराना बला जा रहा है।

४-अहल्या-उद्धार की कथा का विकास

पौराणिक कथाओं के विकास का इतिहास बड़ा रोचक है। उदाहरण के लिये यहाँ अहल्या उद्धार की कथा के भिन्न भिन्न रूप दिये जा रहे हैं। विश्वास है, पाठकगण विकास की दृष्टि से इन्हें अत्यंत रोचक पावेंगे।

अहल्या की कथा का सबसे प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों^१ में आता है। शतपथ-ब्राह्मण में एक स्थान पर इन्द्र को "अहल्यायै जार" (III, ३, ४, १८) कहा गया है। ऋग्विंश-ब्राह्मण (१, १) में "अहल्यायै जार" की व्याख्या करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन्द्र अहल्या-मैत्रेयी का जार था। जैमिनीय ब्राह्मण (२, ७९) में भी इसी प्रकार का एक उल्लेख मिलता है। किंतु अहल्या की कथा का विस्तार-पूर्वक वर्णन ब्राह्मण-ग्रंथों में नहीं मिलता। अहल्या-उद्धार का तो विलम्ब ही उल्लेख नहीं है।

अहल्या-उद्धार की कथा का पहला विस्तृत वर्णन^२ वाल्मीकि-रामायण (बाल-कांड, सर्ग ४८-४९) में मिलता है। वाल्मीकि की कथा का सार इस प्रकार है—

मिथिला के उपवन में एक पुराने, निर्जन किंतु रम्य आश्रम को देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा कि भगवन् ! यह किसका आश्रम था, और अब क्यों खाली पड़ा है। इस पर महामुनि विश्वामित्र ने नीचे लिखी कथा सुनाई। पूर्व-काल में यह महामा गौतम का आश्रम था, और वह अहल्या-सहित यहाँ रहा करते थे। एक बार महाराज शचीपति मुनि-वेप धारण करके आए, और श्रुतमती अहल्या से संगम की प्रार्थना की। अहल्या राज्ञी हो गई। जिस समय इन्द्र दारुण जाने लगे, तो कुटी के द्वार पर महामुनि गौतम ने, जो कुटी की ओर आ रहे थे, उन्हें देत लिया। मुनि-वेपधारी इन्द्र को देत पर मुनि को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने शत्रु रिषा कि न् नपुंसक हो जा। ऐसा ही हुआ भी। इन्द्र को शत्रु देकर उन्होंने अपनी

(१) इतिहास कोष-संस्करण के ईश्वर हरिवंश में "अहल्या-मैत्रेयी"।

(२) बाल-कांड-दशमस्कंध द्वारा विरचित वाल्मीकि-रामायण के संस्करण (१९०८-१९०९) में इस विषय का प्रथम उल्लेख किया गया है।

भार्या को भी शाप दिया कि तू निराहार, केवल वायु-भक्षण कर, भस्म-शायिनी, तप करती हुई और सब भूतों की दृष्टि से छिपी हुई हजारों वर्षों तक इस आश्रम में रहेगी। जब दशरथात्मज राम इस घोर वन में आवेंगे, तब तू पवित्र होंगी, और उनके आनिष्य द्वारा लोभ-मोह से रहित हो, शरीर धारण कर मुझसे मिल सकेगी। इस प्रकार दुराचारिणी अहल्या को शाप दे, महामुनि गौतम इस आश्रम को छोड़ तप करने के लिये हिमालय को चले गए।

इसके अनन्तर विश्वामित्र ने इन्द्र के पुरुषत्व लाभ करने की कथा राम को सुनाई, और अंत में आश्रम में प्रवेश कर महाभाग अहल्या के तारने को कहा। विश्वामित्र के वचन सुन राम-लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया, और वहाँ तप की कौति से चमकनेवाली, सुर और अमुर, दोनों के लिये दुर्निरीक्ष्य, धुएँ से ढकी हुई अग्निशिखा, तुपार से ढकी हुई पूर्ण चंद्रप्रभा अथवा वादलों में छिपी हुई सूर्य-प्रभा के समान देवी अहल्या को देखा। रामचंद्र के दर्शन से शाप का अंत हो गया, और उन लोगों को अहल्या के साक्षात् दर्शन हुए। तब राम-लक्ष्मण ने हर्षयुक्त हो, अहल्या के पैर हुए और गौतम के वचनों का स्मरण कर अहल्या ने भी उन लोगों से भेंट की तथा पाद, अर्घ्य और आतिथ्य द्वारा सत्कार किया। यह देख देवताओं ने पुण्य-वृष्टि की और दुंदुभी बजाई तथा गंधर्व और अप्सराओं ने बड़ा उत्सव मनाया। अहल्या-सहित सुखी हो महामुनि गौतम ने भी राम का अच्छी तरह सत्कार किया। तदनंतर रामचंद्र विदा हो मिथिला पहुँचे।

अहल्या-उद्धार की कथा का दूसरा विस्तृत वर्णन हमें अध्यात्म-रामायण (बाल-कांड, सर्ग ५) में मिलता है जो अध्यात्म-रामायण के वर्णन का आरंभ बाल्मीकि के सट्टा ही है। मिथिला जाते हुए मार्ग में निर्जन आश्रम का देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से इस संबंध में प्रश्न किया और विश्वामित्र ने इन्द्र के दुराचार तथा गौतम द्वारा इन्द्र के शाप की कथा सुनाई। तदनंतर दाय जोड़े हुए और काँपती हुई अहल्या को देखकर गौतम बोले कि हे दुष्टे! तू निराहार, दिन-रात तप करती हुई, धूप, वायु और वर्षा को सहन करती हुई, हृदय-स्थित परमेश्वर राम का एकाग्र मन से ध्यान करती हुई मेरे आश्रम में शिला पर रह। यह मेरा आश्रम समस्त जीवधारियों से रहित हो जावेगा। हजारों वर्ष बीतने पर दाशरथि राम छोटे भाई-सहित आवेंगे और जब वे तेरे

द्वारा आभित शिला को पैर से छुएँगे, तब तू पाप-रहित हो, भक्ति से राम की पूजा कर तथा परिक्रमा और नमस्कार कर शाप से मुक्त होगी और पूर्ववत् मेरी शुभ्रूपा मुख-पूर्वक कर सकेगी। ऐसा कह गीतम मुनि हिमालय को चले गए। यह कथा सुनाकर विश्वामित्र रामचंद्रजी का हाथ पकड़ कर ले गए और अहल्या को दिखलाकर उसे पवित्र करने की कहा। तब राम ने पैर से शिला को छुआ, और तपस्विनी अहल्या को देख नमस्कार कर “मैं राम हूँ” ऐसा कहा।

अहल्या ने जब रामचंद्र को देखा, जो पीत कौशेय वस्त्र धारण किए हुए थे, चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए थे। धनुर्बाण साथ में था और लक्ष्मण उनके पीछे थे, तो गीतम के वचन का स्मरण कर उसे अत्यंत दर्प हुआ। वह समझ गई कि वे साक्षात् नारायण हैं, और उसने अर्घ्यादि से विधिवत् उनकी पूजा की व ‘दण्डवत्’ प्रणाम किया। फिर उठकर राजीव-लोचन राम को देख, पुलकायमान हो, गद्गद-वाणी से बोली कि हे जगन्निवास ! जिन चरण-कमलों का ध्यान एकाग्र मन से शंकर आदि करते हैं, जिन चरण-कमलों के पराग से भागीरथी पवित्र हुई है और जिन चरण-कमलों की सेवा लक्ष्मी वक्षःस्थल पर रख करती है, उन आर्यके चरण कमलों के रज-क्षण से मैं कृताप्य हो गई। इसके अनन्तर अहल्या ने एक बड़े स्तोत्र द्वारा नारायण के अवतार रामचंद्र की स्तुति की, और फिर प्रणाम कर आशा ले, अपने पति के पास चली गई। श्री महादेव पार्वतीजी से कहते हैं कि अहल्या के बनाए इस स्तोत्र को जो कोई भक्ति से पढ़ता है, वह सब पापों से छूट जाता है और परब्रह्म का प्राप्त होता है। भक्ति-पूर्वक राम का हृदय में ध्यान कर जो पुत्रादि के निमित्त यदि कोई संघ्ना स्त्री भी इसका पाठ करे, तो साल भर में उसे सुपुत्र प्राप्त हो जाय। ब्रह्म, गुह्यलग्न, स्नेही, सुरारि, मातृ-भ्रातृ-विद्विषक तथा सदा भोग के लिये आतुर पुरुष भी यदि रघुराजि का ध्यान करते हुए भक्ति-पूर्वक इस स्तोत्र का नियं जाय करे, तो मुक्ति पा जाये, साधारण आचार्युक्त पुरुष भी तो शान ही क्या है।

अहल्या-उदार की कथा का तीसरा, किंतु सर्वमान्य रूप हमें राम-चरित-मानस (पालकांड, दोहा २४२-२४३) में मिलता है। हिन्दी-संसार इसमें भन्नी प्रकार परिचित है, किंतु तो भी तुलना के लिये हम उसे यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किए देने हैं—

धनुषयुग्म मुनि रघुकुल नाथा; हरति चले मुनिवर के माया ।
 आश्रम एक दीग मग माही; नग मृग जीव जंजु तहें नाहीं ।
 पुत्रा मुनिहि शिखा प्रभु देवी; गरुल कया मुनि कही विमेवी ।
 गौतम नारी श्रावय, उजल-देह धरि धार ।

चरन-कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ॥२८२॥

छंद—परम पद पावन मोक नमावन प्रगट भई तपतुंज सही,
 देवन रघुनाथक मन मुन्य-दायक मनमुन्य हांद कर जंरि रही ।
 अति प्रेम अर्धारा पुलक मरीरा मुन्य नहि आवे बचन कही,
 अतिमय बड़ भारी चरनहि लागी जुगल नयन जलधार बही ।
 धारजु मन कीन्हा प्रभु कहें चीन्हा रघुवनि-कृपा-भगति पाई,
 अति निर्मल बानी अस्तुनि टानी ज्ञानगम्य जव रघुराई ।
 मैं नारि अभावन प्रभु जगभावन रावन रिपु जन-मुन्यदाई,
 राजीव विलांचन भव-भय-मोचन पाहि-पाहि सरनहि आई ।
 मुनि धाय जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना,
 देखेउं भरि लोचन हरि भव-मोचन इहे लाभ संकर जाना ।
 बिनती प्रभु मारी मैं मति मारी नाथ न मारीं यर आना,
 पद-कमल-परागा रस अनुरागा मम मन मधुन करै पाना ।
 जेहि पद मुखरिता परम पुनीना प्रगट भई शिव सीस घरी;
 सोइ पद पङ्कज जेहि पूजत अज, मम शिर धरेउ कृपाल हरी ।
 एहि भाति विधारी गौतम-नारी वार-वार हरि-चरन परी;
 जो अति मन भावा सो बय पावा गइ पतिलोक अनंद-भरी ।

अथ प्रभु दीनवधु हरि, कारन रहित दयाल ।

तुलसिदास सठ ताहि भजु, लुंङ्गि कपट जंजाल ॥२४३॥

अहल्या-उद्धार की कथा के संबंध में इन भिन्न-भिन्न वर्णनों को पढ़कर नीचे लिखी बातों का पता चलना है—

१. ब्राह्मण-ग्रंथों के उल्लेखों से पता लगता है कि अहल्या की कथा का आधार ऐतिहासिक नहीं है; बल्कि कदाचित् धार्मिक-रूपक से इसका प्रारंभ हुआ है। टीकाकारों ने इस रूपक की तरह-तरह से व्याख्याएँ की हैं। कुमारिलभट्ट ने तंत्र याज्ञिक के शिष्टाचार-प्रकरण में एक व्याख्या दी है जिसका भाव यह है। इन्द्र का अर्थ है— परमेश्वरवाला और वह शब्द

सूर्य के लिये प्रयुक्त हुआ है। दिन (अह) में छिपने (ल्या) के कारण रात्रि को अहल्या कहते हैं। क्योंकि सूर्य (इन्द्र) रात्रि (अहल्या) को जीर्ण करता है इसलिये इन्द्र को अहल्या का जार कहा है। पर-स्त्री-व्यभिचार के कारण जार नहीं कहा है। एक बात और ध्यान देने योग्य है। ब्राह्मण-ग्रंथों में अहल्या की कथा का पूर्वार्द्ध तो मिलता है; किंतु अहल्या उद्धार का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है। अहल्या की कथा में यह अंश बाद को मिलाया गया है और इसका उद्देश्य रामचंद्र का विष्णु-अवतार होना—सिद्ध करना मालूम होता है।

२. वाल्मीकि ने इन्द्र के दुराचार की कथा को विस्तार-पूर्वक दिया है। अहल्या के शार के संबंध में विशेषता यह है कि उसके शिला होने का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है—वह केवल अट्ट हो गई है। दूसरी विशेषता यह है कि राम की पद-रज से अहल्या का उद्धार हुआ—इस बात का उल्लेख भी नहीं मिलता। राम के आश्रम में आने से ही अहल्या पवित्र हो गई है। उल्टे राम और लक्ष्मण ने अहल्या के पैर छुए हैं। टीकाकारों ने यहाँ पर बहुत रचिंतान की है; किंतु 'बदले में अहल्या ने भी राम के पैर छुए' यह अर्थ भी वास्तव में निरालता नहीं है। मालूम होता है कि अहल्या-उद्धार की कथा वा यह रूप उस समय का है, जब स्वयं राम पवित्र समझे जाने में और उनके नाम अथवा पदरज की पवित्रता तक उपासकों की कल्पना नहीं पहुँच सकी थी।

३. अश्वाम-रामायण में भी अहल्या शिला नहीं हुई है; बल्कि शिला पर बैठकर तप करने लगी है और जब रामचंद्रजी ने उस शिला को पैर से छुआ, तो अहल्या पाप-रहित हो शार-मुक्त हो गई। अश्वाम-रामायण के वर्णन की विशेषता यह है कि इसमें अहल्या-उद्धार के अर्थ का विस्तृत वर्णन है और अहल्या के मुग से राम रूपधारी नारायण की प्रकटा एक लंबे स्तोत्र द्वारा कराई गई है। वास्तव में अश्वाम-रामायण का वर्णन अहल्या की कथा के बीच के रूप का सातक है। इन्द्र के दुराचार तथा राम-द्वारा उद्धार दोनों का वर्णन है यद्यपि दूसरा अंश अधिक महत्व-पूर्ण है। शिला का भी उल्लेख आया है लेकिन अधिक स्वभाविक ढंग में है।

४. अहल्या के शिला हो जाने का भाव भी बहुत पुराना है। कातिदास

ने रघुवंश^१ के ग्यारहवें सर्ग में, दो श्लोकों (३३-३४) में अहल्या की कथा दी है। यहाँ 'शिलामयी गौतम-वधू' या 'राम-पद-रज' के अनुग्रह से पुनः शरीर धारण करने का स्पष्ट उल्लेख है। पद्म-पुराण (१६, ७-१३) में अहल्या-उद्धार की कथा ताड़का-वध से पहले दी गई है। गौतम ने शाप दिया है कि 'शिला भव' और अंत में वायु ने राम-पद-रज शिला पर डाली है। कथा सरित्सागर (३, अ० १७) में भी अहल्या की कथा आई है। इसके अनुसार गौतम ने निम्नलिखित शाप दिया था :—हे पापिन, चिरकाल तक राम के दर्शन पर्यन्त शिला भाव को प्राप्त हो।

५. गोस्वामी तुलसीदास ने अहल्या की कथा को एक आदर्श राम-भक्त की दृष्टि से चित्रित किया है। सत्य हृदय गुमाईं जी को अहल्या के दुराचार की कथा वर्णन करना सचिकर नहीं प्रतीत हुआ अतः उन्होंने उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख भी नहीं किया है—'पूछा मुनिहि शिला प्रभु देखी ; सकल कथा मुनि कही विमेषी ।' उनकी कथा तो अहल्या-उद्धार से आरंभ होती है। किंतु अहल्या का शाप-वश 'उपल देह' धारण करना तथा 'राम चरन-रज' की कृपा से प्रसूत होने का उल्लेख गुमाईं जी ने स्पष्ट शब्दों में किया है। मानग की अहल्या-उद्धार की कथा में अहल्या द्वारा स्तुति मुख्य अंश है। इस अंश पर अध्यात्म-रामायण की स्तुति का प्रभाव स्पष्ट दिग्लाइं पड़ता है। गुमाईं जी ने अहल्या की कथा को इन दृग में लिखा है कि पाठक का ध्यान अहल्या के दुराचार की ओर विचलित भी नहीं जाता ; बल्कि पतित पावन रामचंद्रजी की अनन्य भक्ति में तल्लीन हो जाता है।

जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि अहल्या का शाप-वश शिला हो जाना और राम-पद-रज में मुक्त होने का भाव वैसा अटल सत्य नहीं है—जैसा हम लोगों का मन्त्रिक समझने लगा है। वाष्पीकि रामायण में ही—जहाँ इस कथा का प्रथम किम्बत दर्शन मिलता है—इन दोनों बातों का उल्लेख नहीं है। अहल्या-उद्धार की यह प्रसिद्ध पौराणिक कथा ब्राह्मण ग्रंथों के 'अहल्याचार' इन्द्र में प्रारम्भ होकर अनेक रूप धारण करने के उपरान्त 'अहल्याचार' राम की भक्ति में लय हो जाती है।

^१ कदाचित् रामचंद्र के पद-रज के उल्लेख का ही संदर्भ है।

५-हिंदी भाषा-संबंधी अशुद्धियाँ

यदि भाषा-विज्ञान के उच्चतम सिद्धांत से देखा जाय तो वास्तव में अशुद्धि कोई चीज़ ही नहीं है। संस्कृत में 'क्षेत्र' रूप शुद्ध था, तो हिंदी में 'खेत' शुद्ध है; यदि ब्रजभाषा में 'बड़ों' शुद्ध है, तो खड़ी बोली में 'बड़ा' शुद्ध है। किसी निश्चित देश-काल में बहुसंख्यक लोगों के प्रयोग से भिन्न प्रयोग की अशुद्ध नाम से पुकारा जाता है। इस तरह किसी भी भाषा का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित है। इन सीमाओं की मर्यादा को तोड़ने से भाषा में उच्छृंखलना आने का भय होता है, इस लिए इसे नियम रखने की और शिष्ट समाज, समालोचक तथा वैयाकरण वर्ग सदा यत्नशील रहता है। किंतु यह सोच कर वास्तव में निराशा होंती है कि यह समस्त प्रयत्न अवरुद्धालीन है। गुरु के हिंदी व्याकरण के लिए सी दो सी वर्ष के अंदर ही कान्यायन और वररुचि की आशयकता पड़ेगी।

अशुद्धियाँ होने के अनेक कारण हैं—

(१) लेखक या बोलने वाले की अपनी बोली भिन्न होने के कारण आदर्श साहित्यिक भाषा में प्रादेशिक प्रयोग।

(२) उच्चारण की असारधानी से लिखावट में भूलों का आ जाना।

(३) लिपिदोष के कारण अशुद्धियाँ।

(४) विद्वत्ता प्रकट करने के मोह के कारण बूटियाँ। तथा

(५) उतावली के कारण भूलचूकें।

प्रादेशिक प्रयोग पहली कक्षा के विशार्थों की भाषा से ले कर हिंदी के बड़े से बड़े लेखक तक के लेख में पाए जाते हैं। बिहार प्रांत तथा पच्छी प्रदेश की हिंदी की बोलियों में 'ने' के प्रयोग तथा क्रिया में लिंग-भेद का प्रायः अभाव है। इस कारण इन प्रदेशों के लोग जब हिंदी लिखने या बोलते हैं तो इस तरह की गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। क्रिया में टीक लिंग प्रयोग की बटिनाई गुणवाचक या जड़ वस्तुओं की दानक संज्ञाओं के साथ विशेष पड़ती है—'जलराशि चाँदी ऐसा सज्जेद मालूम पड़ता था'; 'पुस्तक बनाया है'; 'तकलीक मालूम होगा'। 'ने' का या तो प्रयोग छोड़ दिया जाता है, या कभी-कभी गलत प्रयोग हो जाता है। जैसे, 'बह बड़ी बुद्धिमानी से काम

लिया', 'जयमिंह छोड़ दिये', 'दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो धोखा न खाये हां' या 'मैं ने ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर ब्रज चला आया'। ब्रज प्रदेश के विद्यार्थी 'करी' (करी), 'सेना' (सेना), 'एसा' (ऐसा), 'केसी' (कैसी), 'तपाइ के' (तपा के) लिखने अक्षर पाए जाते हैं। मेरठ के तरऊ की सरहिंदी बोलने वाले 'नहीं जाने का' (नहीं जायेगा), 'गेर दिया' (गिरा दिया), 'दीखे हे' (दिखलाई पड़ता है) जैसे प्रयोग कर बैठने हैं। इसी प्रकार प्रादेशिक प्रभावों के कारण 'पैर' के स्थान पर 'गोड़', 'निगलना' के स्थान पर 'लीलना', 'सोना' के स्थान पर 'भूतना' आदि अक्षर मिल जाते हैं।

विद्यार्थी-वर्ग की अधिकांश अशुद्धियों का कारण प्रारंभ से शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान न दिलाया जाना है। 'ऋ' और 'र' के उच्चारण की गड़बड़ी के कारण बहुत बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी 'श्रंगार' (शृङ्गार), 'मात्र-भापा' (मातृभाषा), 'श्रमृतसर' (श्रमृतसर) या 'पृथा' (प्रथा), 'वृजभापा' (ब्रजभाषा), 'बृह्मा' (ब्रह्मा), 'पृकृति' (प्रकृति) लिखते पाए गए हैं। अन्य ह्रस्व 'इ' को दीर्घ की तरह बोलने के कारण नीचे लिखे अशुद्ध रूप अक्षर दिखलाई पड़ते हैं—'लिरी', 'अमी', 'ऋपी', 'शानी', 'रात्री', 'प्राप्ती', 'अभिरुची', 'की' (कि)। दूसरी ओर दीर्घ ऊ का उच्चारण ह्रस्व के समान करने का कभी-कभी अभ्यास हां जाता है, और इसके फलस्वरूप 'मालुम', 'मूच्छी', 'दुसरे', 'मुल्बवान' ऐसे प्रयोग मिलते हैं। 'व' और 'श' के ठीक उच्चारण की ओर अब बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इसका परिणाम यह हुआ है कि इन वर्णों वाले शब्द बहुत कम विद्यार्थी शुद्ध लिख पाते हैं। 'वाच्य' को 'काच्य' और 'शाखा' को 'साखा' लिख देना स्कूली विद्यार्थियों के लिए साधारण बात है। अक्षर तो हिंदी के अध्यापक संस्कृतज्ञ 'पंडित जी' वा उच्चारण ही गड़बड़ होता है। फिर बेचारे विद्यार्थियों का क्या दोष ! अशुद्धियों की निम्नलिखित सूची पर ध्यान देने से प्रायःक का कारण अशुद्ध उच्चारण सिद्ध होगा—'छेपक' (छेपक), 'छत्री' (क्षत्रिय), 'इदा' (इन्द्रा), 'जोतिप' (ज्योतिष), 'रचैता' (रचयिता), 'दैनीय' (दयनीय), 'कलेश' (क्लेश), 'गुड़' (गुण), 'गड़ना' (गणना), 'पणयंत्र' (पश्यंत्र), 'इतहाम' (इतिहास), 'प्रियन्न' (प्रयत्न), 'व्योहार' (व्यवहार), 'इमाई' (ईसाई), 'प्रमंशा' (प्रमंशा), 'अप्यन' (अप्ययन), 'श्रेष्ट' (श्रेष्ठ) इत्यादि। उच्चारण-दोष

के कारण प्रसिद्ध नाम तक अशुद्ध लिपि मिलते हैं, जैसे 'उपाध्या जी', 'देदी जी', 'भारतेंदू हरीशचंद्र', 'जैमिह' ।

हिंदी की कुछ अशुद्धियों के कारण हमारी लिपि के दोष हैं। 'ऋ' (रि) और 'र' में उच्चारण-साम्य है किंतु लिपिभेद है तथा 'ध' और 'व' में उच्चारण भेद है किंतु लिपिसाम्य है। इस कारण जो गड़बड़ी होती है उस की ओर ऊपर ध्यान दिलाया जा चुका है। इसी प्रकार 'श' और 'ष' की गड़बड़ी के कारण 'श्लेश' (श्लेष), 'दांश' (दोष) आदि लिख जाना स्वाभाविक है। 'दृष्य' की अशुद्धि का कारण इस शब्द के अन्य रूप 'दृष्टि' इत्यादि हैं। 'व' के संयुक्त रूपों में अक्षर भूल हो जाती है—जैसे 'शताब्दी' 'शत्र' इत्यादि। 'श' (ज् + ष) का उच्चारण हिंदी में प्रायः 'भ्य' हो गया है। इस कारण कभी कभी वास्तविक 'भ्य' के स्थान पर 'श' लिखा मिल जाता है जैसे 'योग्य' के लिए 'योश'। 'ज्ञान' के लिए 'ग्यान' लिखना बहुत बड़ी अशुद्धि नहीं समझी जानी चाहिए। हिंदी में अधिकार्य स्थलों पर शब्द या शब्दाश के अंश 'अ' का उच्चारण नहीं होता, किंतु यह लिखा जाता है, इस कारण हलंत्य के स्थान पर भी अकारण रूप लिख देना एक स्वाभाविक गलती है। 'आशचर्य', 'अश्लील', 'हरिशचंद्र', 'परिचात्', 'आवश्यक', 'सन्ध्या' जैसे रूप अक्षर लिखे मिल जाते हैं। दूसरी ओर 'परिचात' और 'अर्थात' लिखना है। चंद्रबिंदु और अनुस्वार की गड़बड़ी से तो प्रत्येक हिंदी लेखक परिचित है।

लिखने और बोलने की कुछ अशुद्धियों के मूल में विद्वत्ता प्रकट करने का मोह होता है। मध्यमस्त के विद्यार्थी शान-शास्त्र दुस्त होने का प्रमाण देने के लिये अक्षर 'जौज़', 'मज्ञान', 'मौज़ूद' व 'शरदी' लिख बोल बैठते हैं। संस्कृतज्ञ होने के लोभ को न रोक सकने के कारण 'माधुर्यता', 'चातुर्यता', 'सौंदर्यताई', जैसे प्रयोग हो जाते हैं। 'नुकसान प्रद', 'शालपन' और 'बेसमय' आदि को तो आदर्श हिंदुस्तानी शब्द मानने चाहिए !

परंतु वास्तविक अशुद्धियों की अपेक्षा उतावली के कारण भूल-भूकों की संख्या प्रायः सदा ही अधिक रहती है। लेख को दुबारा ध्यानपूर्वक देख लेने से इन में से अधिकांश ठीक हो सकती हैं। अंतर, मात्रा या बिंदी को छोड़ देना, मात्रा या बिंदी गलत जगह पर लगा देना, 'व' लिखने में अक्षर के पैठ को न पाटना विद्यार्थियों के लेखों में माधारण बात है। यह भुला दिया जाना

है कि यद्यपि ये शब्दों के गने में लंबाई है किन्तु इन की गणना में 'वाग' (वाक्त्रि) वा 'वाग' (वागङ्गा) और 'वां' (वा) वा 'वां' (वान) हो सकता है ।

एक अंतिम भेदी अणुधारण अशुद्धियों की भी बनावट जा सकती है । तद्विना शब्द संस्कृत के सिद्धांत पर बनाए जायें या हिंदी के इस गणना की कारण 'पुराणि', 'समाजिक', 'राजनैतिक' रूपों का प्रयोग हिंदी में सर्वमान्य या होना जा रहा है । 'जाप्त' और 'जायति' के भेद का स्मरण रखना फटिन हो जाता है । 'दुःख' लिखने के बाद 'दुःखित' न लिखने के प्रयत्न का रोगना दुस्तर है । 'हुए' और 'हुये' या 'गए' और 'गये' या 'जायेंगे' और 'जावेंगे' आदि में सर्वसाधारण के अनुसार दोनों ही रूप अभी शुद्ध हैं । नई लिपिसुधार की आयाजना के अनुसार तो 'हुये' और 'गये' और 'जावेंगे' भी भविष्य में अशुद्ध नहीं माने जायेंगे । शब्द को दुबारा लिखने के बजाय उस के आगे २ लिख देने में बहुत सुभीता मालूम होता है, यद्यपि साधारण भाषा में गणित के सिद्धांत का प्रयोग बहुत उचित नहीं है, इस के मानने में किसी को भी आपत्ति न होगी । अध्यापकों के 'प्रगट' को 'प्रकट' और 'उपरोक्त' को 'उपर्युक्त' बनाने के निरंतर उद्योग के रहने पर भी 'प्रगट' और 'उपरोक्त' को शुद्ध रूप मानने में थोड़ा ही विलंब है । 'आप आये हो' तो भ्रष्ट लोगो के मुख तक पहुँच जाने के कारण आप्र प्रयोग की भेदी में रखना पड़ेगा ।

यहाँ शब्दों तथा कुछ वाक्यों की अशुद्धियों की ही ओर ध्यान दिलाने का यत्न किया गया है । यदि मुहावरे की अशुद्धियों को लिया जावे तब तो 'विहारी की कविता कितनी सुंदर है—जी चाहता है कि उन का हाथ चाट लें', मुक्तक काव्य में एक ही विषय का सतुच्छा साना जाता है' जैसे रोचक उदाहरणों और बिम्बुल नए प्रयोगों से लेख भर जावेगा । हिंदी की साधारण अशुद्धियों के उपर्युक्त वर्गीकरण से अशुद्धियों के कारण स्पष्ट रीति से समझ में आ जाते हैं । इन कारणों पर ध्यान दे कर इलाज करने से अशुद्धियों से सहज में मुक्ति मिल सकती है ।

६—हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके लिये नये चिह्न

हिंदी भाग में नई ध्वनियों तथा उनके लिये देवनागरी लिपि में नये चिह्नों की आवश्यकता का प्रश्न तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

- (क) हिंदी की वे मुख्य ध्वनियाँ जो भाषा में वर्तमान हैं किंतु जिनके लिये पृथक् अथवा सर्वसंमत उपयुक्त चिह्न नहीं हैं।
- (ख) हिंदी में विदेशी, विशेषतया अंग्रेज़ी तथा पारसी के, प्रचलित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिये उन भाषाओं की विशेष ध्वनियों के लिये नये चिह्नों की आवश्यकता।
- (ग) भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ध्वनि-समूह का अध्ययन तथा देवनागरी लिपि के आधार पर भारत के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय लिपि-क्रम (International Phonetic System.) निर्माण करने का प्रश्न।

प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य भाग (क) के सवध में विचार करना है। भाग (ख) के विषय में भी कुछ मुख्य मुख्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया जायगा।

हिंदी के ध्वनि-समूह का आधार संस्कृत ध्वनि-समूह है। मध्य देशों में प्रचलित कोई भी वर्णमाला शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से इतनी पूर्ण तथा क्रमबद्ध नहीं है। किंतु संस्कृत तथा हिंदी में अनेक शताब्दियों का अंतर होने के कारण, संस्कृत की कुछ ध्वनियों का व्यवहार हिंदी में अब नहीं होता अथवा परिवर्तित रूप में होता है तथा कुछ नई ध्वनियाँ भी हिंदी में विकसित हो गई हैं। इन परिवर्तनों पर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। देवनागरी लिपि पर भी इस दृष्टि से गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है। फलतः हमारी भाषा की यह विशेषता धीरे धीरे कम हो रही है कि उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिये पृथक् चिह्न है तथा प्रत्येक चिह्न किसी न किसी व्यवहृत मूल ध्वनि का संकेत है। हिंदी वर्णमाला तथा देवनागरी

निर्दिष्ट पर इग दृष्टि में विचार करने तथा इग संबंध में निर्णय करने का अब आ गया है।

हिंदी स्वर समूह में इग नियम पर करने अधिक मामूली लिखनी हिंदी वर्णमाला में गाथासंग्रहया निम्नलिखित ११ स्वर माने जाने हैं—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ।

ऋ लृ ऌ ड अः का स्वरों में गूने की शैली धीरे धीरे कम हो रही और यह उच्चिग ही है यद्यपि वास्तविकी में अ अः का प्रयोग चल रहा है।

हिंदी में अन्य अ का उच्चारण धीरे धीरे लुप्त हो रहा है तथा अ स्वरों पर एक दूसरे प्रकार के अल्प अ (१) का उच्चारण प्रायः होता है उदाहरणार्थ समझना शब्द में, स में अ का साधारण रूप मिलता है, म अल्प अ है तथा म् में अ का उच्चारण बिलकुल भी नहीं होता। लिखने तीनों अक्षरों में अ समान रूप से लिखा जाता है।

बोलने का अभ्यास होने के कारण हिंदी भाषा बोलने वालों को पढ़ने समय कोई विशेष कठिनाई नहीं पड़ती किंतु हिंदी से अनभिज्ञ व्यक्ति वर्तमान स्वरों का बोध करा के यदि हिंदी का लेख पढ़ने का दिया जाय वह अवश्य अशुद्ध पड़ेगा। उदाहरणार्थ हम बोलते हैं—'उसने एक बात कही' लेकिन लिखते हैं 'उसने एक बात कही'।

अल्प अ पर साधारणतया चारों ओर ध्यान न भी दिया जाय किंतु अ के लोप के निर्देश पर आगे पीछे ध्यान देना ही पड़ेगा। अक्षरों को मिलाकर लिखने से शब्द-समूह के दुर्बोध हो जाने की संभावना है। ष्यक् हल् का चिह्न लगाना भी बहुत अच्छी युक्ति नहीं है विशेषतया जब प्रायः प्रत्येक शब्द में इसके लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अक्षर के अंतिम भाग को ऊपर या नीचे की ओर मोड़ देने से कदाचित् हल् का भाव अधिक सुगमता से प्रकट हो सके। (देखिये चित्र १,) अथवा ह्रस्व अ के लिये ही कोई दूसरा चिह्न बना लिया जाय जैसे ऊपर धतलाये हुये चिह्न का प्रयोग ह्रस्व अ के लिये किया जा सकता है।

आ इ ई उ ऊ के उच्चारण में कोई ऐसे विशेष परिवर्तन या उपभेद नहीं हुए हैं जिनके लिये प्रचलित लिपि में नये चिह्नों की आवश्यकता हो।

ऋ स्वर का उच्चारण अथवा संस्कृत में होता है और न हिंदी में। हिंदी में इसके वर्तमान उच्चारण रि के लिखने की स्वतंत्रता हो जानी चाहिये। यदि इस तरह के परिवर्तन न किये गए तो हिंदी में भी उर्दू लिपि की तरह अनापश्यक अक्षरों की धीरे धीरे भरमार हो जायगी।

ए ऐ ओ औ समूह में कई परिवर्तन हुए हैं और लिपि में इनका बोध कराना आवश्यक है। ए और ओ वैदिक काल में कदाचित् संधिस्वर ई और क्रम से झ + इ तथा झ + उ के स्रोतक थे। संस्कृत तथा हिंदी में इनका उच्चारण संयुक्त स्वर के समान नहीं होता अतः हिंदी में तो इन्हें अथ मूल स्वर मानना ही उचित होगा। साथ ही ऐ औ, आ + इ तथा आ + उ के संयोग से कदाचित् बने थे किन्तु गड़ी वाली हिंदी में सर्व प्रचलित उच्चारण ही दृष्टि से अथ ये झ + ए तथा झ + औ के संयुक्त रूप हो गये हैं अतः इन्हें ऐआ ही मानना चाहिये तथा इनका यह उच्चारण ही बालकों का आरम्भ में सिखलाना चाहिए।

ए ऐ ओ औ के दीर्घरूपों के अतिरिक्त ब्रजभाषा कविता तथा हिंदी की कुछ प्रामाण्य शैलियों में ह्रस्व ए ऐ, ओ औ का व्यवहार ही मिलता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियों में अधोरेखांकित ए ऐ ओ औ के उच्चारण ह्रस्व हैं, शेष के दीर्घ—

- (क) अरधेन के हारे सकारे गई
 सुन गीद के मूरति सै निकसे ।
 अरसोकि हीं सोच विमोचन को
 टगि सी रहि जे न टगे धिक से ॥
 (तुलसी)
- (रा) कपहू रिनिप्राद कहे इठि के
 पुनि लेन छोई जेहे लागि अरै
 (तुलसी)
- (ग) बेमरी देहरिया, बेरिया
दोतरिउ, बांगार, बांठा ।
 (अरधो शब्द)

ऐसी अवस्था में झ इ उ के ह्रस्व और दीर्घरूपों के समान ए ऐ ओ औ

के भी दो दो रूप गमभे जाने चाहिएँ। प्रियमन महीदय ने हृन्व ए ओ तथा उनकी मात्राओं के लिये कुछ विशेष रूपों का प्रयोग किया है। (देखिये चित्र २) इगो तरह हृन्व ए औ के लिये भी विशेष रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि इनकी आवश्यकता उतनी अधिक नहीं पड़ती। (बही-चित्र देखिये)।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि गढ़ी बोली हिंदी में ऐ औ का उच्चारण अ+ए, अ+ओ के संयुक्त रूप के समान साधारणतया होता है। किंतु हिंदी की कुछ प्रामाण्य बोलियों तथा कुछ रगड़ी बोली के शब्दों में भी इनका उच्चारण अ+इ, अ+उ के समान होता है जैसे मैया, बलैया, गैया, जीन, लीट, कैके आदि। संस्कृत में तो इनका उच्चारण सदा ऐसे ही होता है। ऐ औ का यह उच्चारण हिंदी में कम होता है अतः इसके लिये दोनों स्वरों को अलग अलग लिखने से काम चल सकता है। ऊपर के शब्द नीचे लिखे ढंग से लिखे जा सकते हैं— भइया, बलइया, गइया; जउन, लउटे, कइ के आदि। ऐसा करने से ऐ औ के दोनों उच्चारणों को प्रकट करने के लिये दो पृथक् रूप हो जावेंगे।

ए ओ के अतिरिक्त ब्रजभाषा में दो मूल स्वर और हैं जो उच्चारण की दृष्टि से अ के अधिक निकट हैं। जिनकी मातृभाषा ब्रज है उनकी बोली में विशेष माधुर्य कुछ तो इन दो नई ध्वनियों के कारण आ जाता है। ब्रजभाषा कविता को शुद्ध रूप में पढ़ने के लिये इन दोनों स्वरों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना आवश्यक है। इनके लिये ए औ का प्रयोग किया जा सकता है जैसे एसो, पे, टेर, चलैगी, गढ़ायी, साँवरी। इनके उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ दोनों संभव हैं।

इस तरह हिंदी में साधारणतया व्यवहृत स्वरों की पूर्ण सूची के लिये चित्र ३ देखिए।

स्पर्श वर्गों के क्रम में चवर्ग और टवर्ग में उच्चारण की दृष्टि से स्थान परिवर्तन हो गया है। चवर्ग का उच्चारण दंत्य वर्गों के अधिक निकट होता है तथा टवर्ग का अंदर को हटा हुआ। अतः वर्णमाला में इन वर्गों का क्रम वास्तव में इस प्रकार होना चाहिए—कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग।

अनुनासिक व्यंजनों का प्रश्न भी बहुत उलझन का है। न और म का

उच्चारण तो स्पष्ट होता है तथा इनका प्रयोग स्वतंत्र भी होता है। ङ, ञ तथा ण प्रायः शब्दों के बीच में ही आते हैं। ञ तथा ण का उच्चारण भी प्रायः उतना स्पष्ट नहीं होता। उदाहरणार्थ पंच, चंचल, पंडित, मुंडन में अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण न से मिलता जुलता होता है।

इन पाँच अनुनासिक व्यंजनों के अतिरिक्त अनुस्वार तथा शुद्ध अनुनासिक भी मौजूद हैं। अनुनासिक के लिये यद्यपि चंद्रबिंदु का चिह्न देवनागरी लिपि में है किंतु अधिकांश शब्दों में केवल बिंदु से ही अनुनासिक, अनुस्वार, तथा पंचम अनुनासिक व्यंजन तीनों का बोध कराया जाता है, जैसे, जाती, मे, शब्दों; संशय, संहार, हंस; कंगन, कुंदन, चंचल, डंडा इत्यादि। अनुस्वार और अनुनासिक के लिये दो पृथक् चिह्नों का बना रहना ही उचित है। कुछ लोग लिखने में बिंदु का प्रयोग अनुनासिक के लिये तथा गोलाकार चिह्न (०) का प्रयोग अनुस्वार के लिये करते हैं। जैसे जाती, में, शब्दों किंतु संशय, संहार, हंस इत्यादि। यह ढंग बुरा नहीं है। पंचम अनुनासिक व्यंजनों के लिये भी अनुस्वार के चिह्न का प्रयोग करना चिंत्य विषय है। इस ढंग में बड़ी त्रुटि यह है कि भिन्न भिन्न ध्वनियों के लिये एक ही चिह्न हो जाता है।

अंतस्य वर्णों में र के साथ ङ और ढ को भी अत्र निहित रूप से मिला लेना उचित है क्योंकि इन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में बहुत से शब्दों में होता है।

व के वास्तव में दो रूप प्रचलित हैं—एक दंत्योष्ठ्य और दूसरा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य व ऐसे शब्दों में मिलता है जैसे ज्वर, त्वरित, फारा, चालति, र्वावति आदि। इस दूसरे व का निर्देश करने की आवश्यकता है। साधारणतया नीचे बिंदु लगा देने से यह काम निकल सकता है और इस तरह दंत्योष्ठ्य व और ओष्ठ्य व का भेद स्पष्ट हो सकता है।

ऊष्म वर्णों में श तथा ष में भेद अत्र निष्कुल भी नहीं रह गया है अतः इनमें से एक ही से दोनों का काम सहज में लिया जा सकता है। शब्दी या पृष्ठ देखने में कुछ ही दिनों आँसों को बुरे लगेंगे।

ह के समस्त स्थलों पर षो वर्ण के लिये यारे में संदेह है। यदि ह अपोर हो गया है तो विसर्ग केवल, चिह्न रह जाता है जिसकी हिंदी में कुछ विशेष प्रायह, अंतःकरण और . . .

देवनागरी लिपि में गीन मगुच्छ व्यंजनों के लिये वृषरू निह्न रगने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । स च म यान्तर में वश ल म्य मात्र है ।

इन गच्छ शरों, अलग नया ऊष्म वर्णों का क्रम इन प्रकार हो सकता है—

क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	ळ	ल
व	वृ	श	स	ह

प्रारम्भी-प्रारसी वर्णमाला में पाई जाने वाली कुछ नई ध्वनियों के लिये देवनागरी लिपि में नीचे लिखे चिह्नों का व्यवहार बहुत दिनों से हो रहा है—

कृ—कृतम	(कृ)
खृ—खराव	(खृ)
गृ—गुरीव	(गृ)
ज़—ज़ालिम, ज़ामिन, ज़िक, ज़रा	(ظ نر ذ ز)
फ़—फ़रेव	(ف)
अ—मथलूम	(ع)

इनमें नीचे लिखी एक ध्वनि के लिये चिह्न और बड़ा लेना चाहिये—

ऋ—यभमुदा	(ऋ)
----------	-------

उर्दू तथा प्रारसी के तत्सम शब्दों को लिखने के लिये इनका व्यवहार अवश्य करना चाहिये । हिंदी की ध्वनियों का अभ्यास कराने के बाद अपने प्रांत में बालकों को इन विदेशी ध्वनियों का भी अभ्यास करा देना नितंत आवश्यक है । आगे चल कर उर्दू लिपि के प्रत्येक अक्षर के लिये देवनागरी लिपि में एक चिह्न बनाने की आवश्यकता पड़ेगी । सर्व साधारण के लिये इन बारीक भेदों की आवश्यकता नहीं होगी अतः यहाँ इस संबंध में विस्तार पूर्वक विचार करना अनावश्यक होगा ।

जिस तरह फ़ारसी की नई ध्वनियों के लिये चिह्न बना लिये गए हैं उस तरह अभी तक अंग्रेज़ी भाषा में पाई जाने वाली नई ध्वनियों के लिये विशेष चिह्नों का व्यवहार नहीं पाया जाता। अंग्रेज़ी के शब्दों को देवनागरी में ठीक ठीक लिखने के लिये इनकी भी बड़ी आवश्यकता है।

ऊपर दी हुई ध्वनियों के अतिरिक्त नीचे लिखी अन्य मुख्य नवीन ध्वनियाँ अंग्रेज़ी में पाई जाती हैं—

- (क) अंग्रेज़ी के *t d* न दंत्य हैं और न मूर्द्धन्य। वे वर्त्य से हैं। अतः उनके शुद्ध निर्देश के लिये टु डु अथवा ऐसे ही किसी अन्य चिह्न से युक्त अक्षरों का व्यवहार करना चाहिये, जैसे ट्राइम ट्रिडु आदि।
- (ख) अंग्रेज़ी में *tʰ* का उच्चारण थ तथा द स्वर्ग व्यंजनों के समान नहीं है बल्कि ईपत् स्पृष्ट की तरह है। यह भेद धु, दृ लिखने से प्रकट किया जा सकता है जैसे धिन्, देन् आदि।
- (ग) अंग्रेज़ी में *ch j* का उच्चारण हिंदी च ज के समान नहीं है। ये वास्तव में टू+ तथा शू और डू तथा भू के संयोग से बनते हैं। यह भेद जतलाने के लिये इनके वास्ते इन संयुक्त व्यंजनों को अथवा किन्हीं भिन्न चिह्नों का प्रयोग होना चाहिए।
- (घ) अंग्रेज़ी स्वरों में अ और ओ के बीच में एक और स्वर भी पाया जाता है। इस ध्वनि को हिन्दी ओ अथवा ओ से प्रकट करते आये हैं, जैसे ओन, कोट आदि।
- (ङ) अंग्रेज़ी में संयुक्त स्वर बहुत हैं इनके लिये मूल स्वरों के आधार पर संयुक्त स्वरों के बनाने की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार हिंदी और फ़ारसी-अरबी की ध्वनियों के अतिरिक्त अंग्रेज़ी शब्दों में निम्नलिखित अन्य विशेष ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। अतः इनके लिये भी अपनी लिपि में नीचे लिखे ढंग के या किसी अन्य प्रकार के सर्व-संमत चिह्न होने चाहिए—

अँ टु डु धु दृ

प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के इस आवश्यक अंग की पूर्ति की ओर हिंदी भाषा के मर्मज्ञों का ध्यान आकर्षित करना मात्र है। निबंध में दिए हुए नवीन चिह्न उदाहरण स्वरूप हैं। इस

विषय पर अंतिम निर्णय के गुरुक नहीं है। नई ध्वनियों के विषय पर और भी अधिक सूक्ष्मरूप में विवेचन हो सकता है और होने की आवश्यकता है। इस प्रकार में प्रसिद्ध भारतीय भाषा के ध्वनि-समूह का शास्त्रीय दृष्टि में अध्ययन हो। सुबने के उदराल ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय निरिक्तम का निर्णय हो सकता है।

क ख छ द स
उस ने एक बात कही

चित्र—१

ए^२ ओ^१
ऐ^३ औ^४

चित्र—२

	ह्रस्व	दीर्घ
मूल स्वर	अ	आ ।
	इ ि	ई ी
	उ ु	ऊ ू
	ए ^२	ए ^१
	ओ ^१	ओ ^१
संयुक्त स्वर	ऐ ^३	ऐ ^२
	औ ^४	औ ^४

चित्र—३

७—हिंदी-वर्णों का प्रयोग

हिंदी-वर्णमाला के किन वर्णों का प्रयोग अधिक होता है और किनका कम, इस बात की जानकारी कई दृष्टियों से लाभकर हो सकती है। भारतीय आर्यभाषाओं के ध्वनि विकास पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त इस तरह के अध्ययन से कुछ व्यावहारिक लाभ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, हिंदी टाइपराइटर आदि के वर्णों के क्रम को ठीकाने में इससे सहायता मिल सकती है। हिंदी टाइप कौन कितना चाहिए, इसमें भी इस तरह के अध्ययन से सहायता ली जा सकती है। अथ से पहले हिंदी वर्णमाला का इस दृष्टि से कभी विश्लेषण हुआ है, इसका मुझे पता नहीं। इसीलिए मैं अपने इस प्रयोग के परिणामों को संक्षेप में यहाँ लेखबद्ध कर रहा हूँ।

कुछ गद्य-रचनाओं में से कुल मिलाकर एक हजार अक्षर अपने विद्यार्थियों को बाँटकर उनका विश्लेषण मैंने अपने सामने कराया। इन विश्लेषणों के जोड़ने से जो परिणाम निकला वही इस लेख में दिया गया है। जिन पुस्तकों से उद्धरण लेकर वर्णों का विश्लेषण किया गया है उनके नाम, अक्षर-संख्या तथा शब्द-संख्या के साथ, नीचे दिए जा रहे हैं—

रचना का नाम	अक्षर-संख्या	शब्द-संख्या
(१) अष्टछाप (ब्रजभाषा गद्य)	१००	४५
(२) तुलसीकृत रामायण अयोध्याकांड (भूमिका)	१००	५१
(३) सूरपंचरत्न (भूमिका)	१५०	७१
(४) परिपद्मनिबंधावली (भाग १)	१००	४०
(५) हमारे शरीर की रचना	१००	४०
(६) साहित्य-समीक्षा	१००	४५
(७) 'लोकमत' (दैनिक पत्र)	१५०	६९
(८) 'भारत' (साप्ताहिक पत्र)	२००	९०
	<u>१०००</u>	<u>४५१</u>

इन भिन्न-भिन्न उद्धरणों के विश्लेषणों के जोड़ने से पृथक्-पृथक् वर्णों के प्रयोग के सम्बन्ध में जो परिणाम निकला वह नीचे तालिका में दिया

गया है। बिटने ने संस्कृत भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण किया था जिसका परिणाम उसके संस्कृत व्याकरण (१७७५) में दिया हुआ है। तुलना के लिये यह तालिका भी समार में दे दी गई है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि मैंने अपने प्रयोग में विशेष ध्यान जिन निम्नलिखित पर दिया है, न कि ध्वनियों पर; क्योंकि मैंने यह प्रयोग व्यावहारिक दृष्टि से किया है, न कि केवल शास्त्रीय दृष्टि से।

स्वर

पूर्ण स्वर	मात्रा	गोत्र	हिन्दी में प्रयोग प्रतिशत	संस्कृत में प्रयोग प्रतिशत
अ	१४	३६२	३७८	१९.७८
आ	९	१३२	१४१	८.१९
इ	१२	८८	१००	४.८५
ई	७	६६	७१	१.१९
उ	१२	२८	६०	२.९१
ऊ	...	७	७	०.७१
ऋ		६	६	०.७६
ॠ	६	९	१३	२.८६
ऌ	२	३५	३७	०.५१
ॡ	१	६६	४७	१.८८
ऋ	५	५	१०	०.१८

व्यंजन

पूर्ण व्यंजन	हल्फ व्यंजन	गोत्र	हिन्दी में प्रयोग प्रतिशत	संस्कृत में प्रयोग प्रतिशत
क	११०	९	११९	१.९९
ख	१३	७	१५	०.११
ग	२०	७	२२	०.८७
घ	७	७	७	०.१५
ङ	...	१	१	०.११
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	१६५	१६	१६९	

पूर्ण व्यंजन	हलन्त व्यंजन	जोड़	हिंदी में प्रयोग प्रतिशत	संस्कृत में प्रयोग प्रतिशत
च	८	२	१०	१०२६
छ	५	...	५	०१७
ज	२५	२	२७	०९४
झ	२३	...	२३	००१
ञ	...	१	१	०३५
	<u>६१</u>	<u>५</u>	<u>६६</u>	
ट	५	१	६	०२६
ठ	३	...	३	००६
ड	१	...	१	०२१
ढ	००३
ण	४	...	४	१०३
	<u>१३</u>	<u>१</u>	<u>१४</u>	
त	५५	१०	६५	६६५
थ	१९	२	२१	०५८
द	३६	७	४३	२८५
ध	७	...	७	०८३
न	<u>५८</u>	<u>१९</u>	<u>७७</u>	<u>४८१</u>
	<u>१७५</u>	<u>३८</u>	<u>२१३</u>	
प	४३	...	४३	२४६
फ	२	...	२	००३
ब	१५	२	१७	०४६
भ	११	...	१३	१२७
म	<u>५६</u>	<u>५</u>	<u>६१</u>	<u>४३४</u>
	<u>१२९</u>	<u>७</u>	<u>१३६</u>	

	पूर्ण व्यंजन	हलन्त व्यंजन	जोड़	हिंदी में प्रयोग प्रतिशत	सम्भृत में प्रयोग प्रतिशत
य	५३	१	५४	५.४	४.२५
र	७८	२५	१०३	१०.३	५.०५
ल	२९	...	२९	२.९	०.६९
व	३७	४	४१	४.१	४.९९
	<u>१९७</u>	<u>३०</u>	<u>२२७</u>		
श	१५	२	२०	२.०	१.५७
ष	१३	२	१५	१.५	१.४५
स	७६	६	८२	८.२	३.५६
ह	८४	...	८४	८.४	१.०७
	<u>१८८</u>	<u>१३</u>	<u>२०१</u>		
ऌ	१	...	१	०.१	...
ॡ	३	...	३	०.३	...
:	३	...	३	०.३	१.२१
.	३२	...	३२	३.२	...
॰	३	...	३	०.३	०.६३
	<u>४२</u>	<u>०</u>	<u>४२</u>		

ऊपर की तालिका^१ में अ की मात्रा से मतलब पूर्ण व्यंजन से है। इस तरह के व्यंजनों में कुछ उच्चारण की दृष्टि से हलन्त भी हो सकते हैं, किंतु उपर्युक्त गणना में इसका ध्यान नहीं रखा गया है। अनुस्वारों की संख्या भी ध्वनि की दृष्टि से शुद्ध अनुस्वार की चोतक नहीं है; क्योंकि हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग शुद्ध अनुस्वार के अतिरिक्त पंचमाक्षर तथा अनुनासिक स्वर के लिये भी होता है। अनुस्वार के प्रयोग का यह भेद नहीं दिखलाया जा सका है। इसी कारण अर्द्धचंद्र द्वारा द्योतित अनुनासिक स्वरों की संख्या

^१ ऊपर दिए हुए व्यंजनों में नाँवे लिखे विशेष सप्ल विधि-विधियों के प्रयोग पाए गए। देवनागरी लिपि की दृष्टि से वे हलवारों में रोषक हैं—अ ५, व २, ङ १, ञ २, ष २, स १, ह १।

भी संदिग्ध समझनी चाहिए; क्योंकि अनुनासिक ध्वनियाँ अनुस्वार चिह्न के अंतर्गत आ गई हैं। अन्य सख्याएँ लिपि-चिह्न के साथ-साथ ध्वनि की दृष्टि से भी ठीक हैं।

ऊपर की तालिकाओं से निम्नलिखित रोचक परिणाम निकलते हैं—(१) हिंदी-शब्दों में वर्णों की संख्या का औसत लगभग दो है (शब्दसंख्या ४५१, अक्षरसंख्या १००)। इसका कारण कदाचित् एकाक्षरी कारक चिह्नों का अधिक प्रयोग है। ये पृथक् शब्द गिने गए हैं। (२) क्योंकि प्रत्येक वर्ण में साधारणतया एक स्वर तथा एक या अधिक व्यंजन होता है, इस कारण १००० वर्णों में लगभग दुगुनी ध्वनियाँ (१९०६) मिलती हैं। (३) हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त वर्ण क है, सबसे अधिक प्रयुक्त ध्वनि अ है तथा सबसे कम प्रयुक्त वर्ण अथवा ध्वनि ङ है। (४) स्वरो में पूर्ण स्वरचिह्नों की अपेक्षा मात्राचिह्नों का प्रयोग कहीं अधिक होता है। इस दृष्टि से ऊपर दी हुई स्वरो की तालिका अत्यंत रोचक है। किंतु व्यंजनों में हलंत व्यंजनों की अपेक्षा पूर्ण व्यंजनों का प्रयोग कहीं अधिक होता है। (५) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से पूर्ण स्वरो का क्रम निम्नलिखित होगा—अ, इ, उ, आ, ई, औ, ए, ऐ, ओ, ऊ, ऋ; मात्रा-चिह्नों का क्रम निम्नलिखित होगा—अ (अर्थात् मात्रा का अभाव), आ, इ, ई, ओ, ऐ, उ, ए, ऊ, औ, ऋ; समस्त हिंदीवर्णसमूह में स्वरध्वनियों के प्रयोग का क्रम निम्नलिखित होगा—अ, आ, इ, ई, ओ, उ, ऐ, ए, औ, ऊ, ऋ। किसी तरह भी गणना की जाय, स्वरो में अ का स्थान सर्वप्रथम और ऋ का अंतिम रहता है। (६) प्रयोग की दृष्टि से पच-वर्णों का क्रम निम्नलिखित है—तवर्ग, कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। अतस्य तथा ऊष्म वर्णों को संमिलित कर लेने से तवर्ग से भी पहले क्रम से अतस्य तथा ऊष्मों का स्थान पड़ता है। (७) न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से व्यंजनों का क्रम निम्नलिखित होगा—

१०० से अधिक—क र	११ में ५० तक—प द ध
५१ से १०० तक—ह स न	ल ज भ ग य
त म य	श व ण ष भ
१ में १० तक—च घ ङ छ ण ङ	
	ट ष फ ट ज ट ङ ।

८-अवध के जिलों के नाम

अपने देश में स्थानों के नामों का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। अनेक नामों के संबंध में जनश्रुतियाँ और किंवदंतियाँ मिलती हैं किन्तु इनका भी कोई संग्रह अभी तक मौजूद नहीं है। अवध के जिलों के नामों का यह अध्ययन केवल दिग्दर्शन कराने के निमित्त है। इसकी अधिकांश सामग्री का मूलाधार गज़ेटियर की जिल्दें हैं। नामों के पीछे छिपे हुए इतिहास की खोज न करके केवल नामों की व्युत्पत्ति के संबंध में प्रचलित मतों का निर्देश इस संबंध में किया गया है।

अवध का उपग्राम १२ जिलों में विभक्त है। यह जिलों का विभाग १८५६ ईसवी में अवध पर अंग्रेजों का कब्ज़ा हो जाने के बाद हुआ था। यद्यपि इसका मूलाधार मुस्लिम कालीन विभाग था, जो इससे बहुत मिलता-जुलता था। लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं है कि इन जिलों के नगरों का निर्माण भी अंग्रेजी काल में हुआ। इन १२ नगरों में से प्रत्येक १८५६ के पहले मौजूद था। यह अवश्य है कि इनमें से अनेक नगर, जिले के मुख्य नगर-स्वरूप चुने जाने के बाद विशेष समृद्धि प्राप्त कर सके।

लखनऊ और फैजाबाद मुस्लिम काल में ही अवध के प्रधान नगर थे। अवध के इन १२ जिलों के नामों की व्युत्पत्ति के संबंध के नीचे अकारादि क्रम में उपलब्ध सामग्री संक्षेप में दी गई है। कुछ की व्युत्पत्तियाँ स्पष्ट हैं किन्तु अधिकांश के संबंध में संदेह याज्ञी रह जाता है। इस क्षेत्र के भावी कार्यकर्ताओं को यह अपूर्णता प्रोत्साहक होनी चाहिये।

१—बहराच—ऐतिहासिक दृष्टि में यह नाम 'भर' जाति के नाम पर पड़ा था। 'आयच' प्रत्यय की व्युत्पत्ति अस्पष्ट है।

जनश्रुति के अनुसार इस नगर का मूल नाम 'ब्रह्माच' था किन्तु इतिहास तथा प्वनिविरान में इसकी पुष्टि नहीं होती।

२—बाराबंकी—इस नाम में 'बारा' सर्व-सम्मति से बारह का विवृत रूप माना जाता है। 'बंकी' संज्ञा 'बंके' अथवा 'बनकी' (छोटा बन) अर्थ बाला समझा जाता है। अर्थात् १२ बंके या १२ छोटे-छोटे बन। इन १२ बंकी

के संबंध में एक किंवदंती प्रसिद्ध है, जो गज़ेटियर में विस्तार से बर्णित है। इस नाम का 'भरौं के वन' अर्थ से संबंध जोड़ना बहुत अनोपजनक नहीं होगा।

३—कैलावाद स्पष्ट ही प्रारम्भी तन्मम है। इस नगर के प्राचीन भाग का अयोध्या नाम अभी तक मिट नहीं सका है।

४—गोंडा नाम की व्युत्पत्ति 'गोंड' या पगुओं के व्रज से मानी जाती है, क्योंकि इस स्थान पर एक हिन्दू राजा की 'गोंड' प्रारम्भ में थी।

५—हरदोई नाम प्रसिद्ध साधु 'हरदेउ' के नाम पर पड़ा, ऐसी एक किंवदंती है। 'हरदेउ' उपनाम एक जागीरदार का भी बतलाया जाता है, जिनका मुख्य नाम हरनकम था।

६—नेरी नाम की कोई व्युत्पत्ति पुस्तकों में नहीं मिलती है। छोटे खेरे में इस नगर का नाम पढ़ सकता है। अवधी के विशेषण और नेरी के रहने वाले डाक्टर धाराम सकसेना के अनुसार इसका संबंध 'धीर' शब्द से होना चाहिये।

७—लखनऊ—यह आश्चर्य की बात है कि अवध की राजधानी के नाम की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। नाम का पुरातन लखन, लक्ष्मण का विकृत रूप है, किन्तु एक दूसरी जनभूति के अनुसार एक प्रसिद्ध भवननिर्माता लिखना के नाम पर नगर का नाम पड़ा है। 'धनी' का 'अऊ' होना ध्वनि-विज्ञान के अनुसार संभव नहीं है।

८—प्रतापगढ़ राजा प्रतारसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस नाम की व्युत्पत्ति अस्पष्ट है।

९—रायबरेली—जनभूति के अनुसार यह नगर भरौं में बसाया था और इसका नाम प्रारम्भ में बरीली या भरीली था जो दिग्दर्शक राय की बरीली या बरेली हो गया। राय अथवा एक निष्कटपत्नी गाँव राह का विकृत रूप बतलाया जाता है जो बरेली नाम की अन्य बस्तियों में पृथक्-पृथक् के निरं इस नाम के साथ जोड़ दिया गया है। क्योंकि यह नगर बहुत दिनों बाद पृथ्वीपति के हाथ में रहा था इसलिए यह रायबरेली कहलाने लगा, ऐसा एक दूसरा मत भी इस संबंध में है।

१०—सीतापुर नाम की व्युत्पत्ति स्पष्ट ही है।

११—मुल्तानपुर नाम मुल्तान अलाउद्दीन ग़ोरी के समय में पड़ा था। इग बस्ती का प्राचीन नाम कुशपुर बनलाया जाता है।

१२—उन्नाव—राजा उनवंत पर पड़ा ऐसा प्रसिद्ध है किन्तु ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से यह व्युत्पत्ति संदिग्ध मालूम हंगी है।

ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं—

(क) किसी भी नाम पर अंग्रेज़ी प्रभाव नहीं मिलता। स्थानों के नामों पर अंग्रेज़ी प्रभाव अभी कम पड़ा है।


(ख) फ़ैज़ाबाद स्पष्ट ही मुसलमानी नाम है और मुल्तानपुर आधा नर आधा मृगराज है। इस तरह की प्रवृत्ति नामों के संबंध में बराबर पाई जाती है।

(ग) सीनापुर विशुद्ध संस्कृत नाम है। प्रतापगढ़ हरदोई और लखनऊ में भी संस्कृत मूल रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं।

(घ) अन्य नामों—बहराइच, बरेली, बाराबंकी, गोंडा, खेरी, रायबरेली और उन्नाव की व्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं है। बहराइच, बरेली और बाराबंकी भरो के नाम पर पड़े थे ऐसा माना जाता है, गोंडा और खेरी नाम इन स्थानों की प्रकृति पर पड़े। उन्नाव नाम के संबंध में संदेह ऊपर प्रकट किया जा चुका है।

वास्तव में अवध के जिलों के इन १२ नामों में से अधिकांश की व्युत्पत्ति अभी संदिग्ध है और इनकी विशेष खोज होने की आवश्यकता है। इन नामों के पीछे कितना इतिहास छिपा है वह तो पृथक् ही विषय है।

ख-हिंदी-प्रचार



१-हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी

अपने देश की हिंदी-उर्दू समस्या उन महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, जिस के निर्णय पर देश की भावी उन्नति बहुत कुछ निर्भर है।

आधुनिक साहित्यिक हिंदी के पक्ष में कई बातें कही जा सकती हैं:—

१. शब्द-भंडार के लिए संस्कृत की ओर झुकने से हिंदी भारत की अन्य समस्त आधुनिक आर्य-भाषाओं, जैसे बँगाली, मराठी, गुजराती आदि के निकट रहती है, क्योंकि ये समस्त भाषाएँ भी संस्कृत से ही अपना शब्द-कोष भर रही हैं।

२. नए विचारों को प्रकट करने के लिए बने-बनाए प्राचीन संस्कृत शब्दों को ले लेने में सुभीता रहता है। तद्भव, देशी अथवा विदेशी शब्दों को ढूँढना कठिन होता है, फिर अक्षर ठीक शब्द मिलते भी नहीं। आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के शब्द-समूह को बढ़ाने के लिए संस्कृत का शब्द-समूह एक अक्षय्य तथा स्वाभाविक भंडार है।

३. संस्कृत शब्दों के प्रयोग से शैली में प्रौढ़ता तथा गरिमा आ जाती है तथा भाषा में साहित्यिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। हिंदुस्तानी शैली में यह बात नहीं आती। साधारण संसारी आदमी इस की महत्ता को भले ही अनुभव न करे किंतु साहित्यिक पुरुष इस संबंध में उपेक्षा नहीं कर पाता।

४. उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी शैली के संबंध में संस्कृत-मिश्रित हिंदी और हिंदुस्तानी लिखने के प्रयोग होने आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता में निश्चित रूप से संस्कृत-मिश्रित शैली की ही जीत रही। विद्वले पचास-छाठ वर्षों में हिंदी शैली गिर ही हो गई है। अतः फिर नए विदे से व्यर्थ को बही पुराने प्रयोग क्यों आरंभ किए जावें ?

५. अंत में भारतीय मूल साहित्यिक भाषा अर्थात् संस्कृत के निकट रहने से हमारा संबंध प्राचीन भारतीय संस्कृत में अधिक दृढ़ तथा अटूट बना रहता है।

ऊपर दिए हुए तर्कों में बहुत कुछ तथ्य है किंतु इस के विरुद्ध भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं ।

यह विल्कुल सत्य है कि शुद्ध-भंडार के लिए संस्कृत की ओर मुकाबले से हिन्दी भारत की अन्य आधुनिक आर्य-भाषाओं के निकट रहनी है, किन्तु अतर्प्रांतीय संबंध के अनिश्चित हिन्दी का एक प्रांतीय पहलू भी है, जो कभी महत्वपूर्ण नहीं है । राष्ट्रभाषा के पहलू के सामने हिन्दी के प्रांतीय भाषा के पहलू को प्रायः भुला दिया जाता है । खड़ी बोली हिन्दी का घर संयुक्त प्रांत है तथा संयुक्त-प्रांत, विहार, राजस्थान, मध्यभारत और हिन्दुस्तानी मध्यप्रांत के हिन्दुओं की यह साहित्यिक भाषा है । इन प्रांतों के मुसलमानों और पंजाब तथा दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों की साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिन्दी को बहिन उर्दू है, जो संस्कृत-गर्भित न होकर फ़ारसी-अरबी मिश्रित है । अब प्रश्न यह हो जाता है कि हिंदी को संस्कृत-गर्भित कर के हिंदी-भाषी प्रदेश की जनता के एक बड़े समूह से तथा पड़ोश के पंजाब और दिल्ली प्रांतों की प्रायः समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर करके सुदूरवर्ती बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र की भाषाओं के अधिक निकट रखना अधिक हितकर होगा या हिन्दुस्तानी शैली की ओर झुकाव करके बँगाली, गुजराती आदि भाषाओं से दूर हो कर अपने घर के एक वर्ग की उर्दू भाषा के निकट रखना अधिक उचित होगा । यह न भुलाना चाहिए कि भारतीय मुसलमानी संस्कृति का केंद्र हिंदी-भाषी प्रदेश ही है । दिल्ली, आगरा, लखनऊ, संयुक्त-प्रांत में ही हैं, यहां ही मुसलमानी विशाल साम्राज्य बने बिगड़े हैं और उन के खंडहर अब तक विलुप्त नहीं हो पाए हैं । अतः हिंदी को जितना अधिक उर्दू से मिलने-जुलने का अवसर मिलता है उतना गुजराती, बँगाली आदि को नहीं मिलना । इन अन्य भारतीय आर्य-भाषाओं के आगे इस तरह की समस्या आती ही नहीं अतः हिंदी की इस समस्या को मुसलमानों में इन भाषाओं की परिस्थिति विशेष सहायक नहीं होती ।

फिर हिंदी-उर्दू समस्या केवल प्रांतीय समस्या ही नहीं है । यह एक भारतीय पहलू भी रखती है । यदि राष्ट्र भाषा हिंदी संस्कृत-गर्भित हुई तो यह सच है कि गुजराती, बँगाली, मराठी तथा मद्रासी भाषियों को ऐसी हिंदी के समझने में मुर्झाना होगा, किंतु कई करोड़ मुसलमान भाषियों के प्रतिनिधियों के लिए तो ऐसी हिंदी संस्कृत के बराबर हो जायगी । उन की उर्दू के निकट

तो हिंदुस्तानी हिंदी ही रह सकेगी। फिर यह वर्ग ऐसा नहीं है जिसे संस्कृत शब्द-समूह को सिखला सकना आसान हो। उर्दू धीरे-धीरे समस्त भारतीय मुसलमानों की साहित्यिक भाषा होती जा रही है। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि सुदूरवर्ती प्रांतों की मुसलमान जनता, धर्म में इस्लाम धर्म को मानते हुए भी, भारा की दृष्टि से अपने-अपने प्रांतों की भाषा पढ़ती लिखती रही है किंतु अब प्रायः हर एक प्रांत के मुसलमानों की प्रवृत्ति प्रांतीय भाषा को छोड़ कर अथवा साथ साथ उर्दू को अपनाने की ओर हो रही है। इस प्रवृत्ति से हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि और उर्दू के बीच में भेद की दीवार और भी अधिक ऊंची तथा दृढ़ होती जा रही है।

यह हिंदी-उर्दू की द्विभाषा समस्या हिंदी-भाषी प्रदेशों, विशेषतया संयुक्त-प्रांत, के लिए बड़ी विकट समस्या है। निकट भविष्य में जब भारत की प्रांतीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनीवर्सिटी तक की पढ़ाई होगी उस समय यूनीवर्सिटी के अध्यापक किस भाषा में अपने मुसलमान और हिंदू विद्यार्थियों को इतिहास तर्कशास्त्र, वनसति-शास्त्र आदि विषयों पर व्याख्यान दिया करेंगे? हमारे प्रांत में हिंदू और मुसलमानों की समस्त शिक्षा-संबंधी संस्थाएँ बिल्कुल अलग हों, यह भी तो बड़ी विचित्र बात होगी। प्रांतीय सरकार अपना कारवार भले ही हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में करती रहे किंतु प्रांतीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रक्ते जाया करेंगे और किस भाषा में उन पर वाद-विवाद होगा? किस लिपि और भाषा में समस्त सरकारी और गैर-सरकारी दफ्तरों में लिखापढ़ी हुआ करेगी? वास्तव में परिस्थिति बड़ी उलझन की होगी।

मुगलमानी दौर-दौरे के कारण कुछ दिन पहले तक एकमात्र उर्दू राज-भाषा थी। राजकाज से संबंध रखने वाले हिंदू भी उर्दू सीखने में। उस समय संस्कृत पंडितों की और नागरी क्रिया तथा तिजारत पेशावालों की भाषा समझी जाती थी। राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ उर्दू का यह विशेष पद नष्ट हो गया तथा पड़े-लिखे हिंदुओं की नई पीढ़ियों में खड़ीबोली हिंदी का पठन-पाठन पढ़ने लगा। इस समय पश्चिमी संयुक्त-प्रांत के कुछ हिस्सों तथा लखनऊ के इर्द गिर्द कुछ ज्ञानदानों को छोड़ कर संयुक्त प्रांत की शेष समस्त पढ़ी-लिखी हिंदू जनता की तथा पड़ोस के प्रांतों की हिंदू जनता की भी साहित्यिक भाषा हिंदी हो गई है। यद्यपि इस भूमि-भाग में मम्मन पड़े-

ऊपर दिए हुए तर्कों में बहुत कुछ तथ्य है किंतु इस के विरुद्ध भी कुछ तर्कों पर ध्यान देने योग्य हैं ।

यह विस्कुल सत्य है कि शब्द-भंडार के लिए संस्कृत की ओर भुक्त से हिन्दी भारत की अन्य आधुनिक आर्य-भाषाओं के निकट रहती है, अन्धप्रान्तीय संबंध के अनिश्चित हिन्दी का एक प्रांतीय पहलू भी है, जो क महत्वपूर्ण नहीं है । राष्ट्रभाषा के पहलू के सामने हिन्दी के प्रांतीय भाषा पहलू को प्रायः भुला दिया जाता है । खड़ी बोली हिन्दी का घर संयुक्त प्रांत है तथा संयुक्त-प्रांत, बिहार, राजस्थान, मध्यभारत और हिन्दुस्तानी मध्यप्रदेश के हिन्दुओं की यह साहित्यिक भाषा है । इन प्रांतों के मुसलमानों और पंजाब तथा दिल्ली के हिंदू और मुसलमान दोनों की साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिंदी को बहिन उर्दू है, जो संस्कृत-गर्भित न होकर फारसी-अरबी मिश्रित है । अतः प्रश्न यह हो जाता है कि हिंदी को संस्कृत-गर्भित कर के हिंदी भाषी प्रदेश की जनता के एक बड़े समूह से तथा पड़ोस के पंजाब और दिल्ली प्रांतों की प्रायः समस्त पढ़ी लिखी जनता की भाषा से दूर करके सुदूरवर्ती बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र की भाषाओं के अधिक निकट रहना अधिक हितकर होगा या हिन्दुस्तानी शैली की ओर भुक्ताय करके बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं से दूर हो कर अपने घर के एक वर्ग की उर्दू भाषा के निकट रहना अधिक उचित होगा । यह न भुलाना चाहिए कि भारतीय मुसलमानी संस्कृति का केंद्र हिंदी-भाषी प्रदेश ही है । दिल्ली, आगरा, लगनऊ, संयुक्त-प्रांत में ही है, यहाँ ही मुसलमानी विशाल साम्राज्य बने बिगड़े हैं और उन के गंढहर अतक विलुप्त नहीं हो पाए हैं । अतः हिंदी को जितना अधिक उर्दू से मिलने सुनने का अवसर मिलता है उतना गुजराती, बंगाली आदि को नहीं मिलता । इन अन्य भारतीय आर्य भाषाओं के आगे इस तरह की समस्या आती ही नहीं अतः हिंदी की इस समस्या को सुलभ करने में इन भाषाओं की परिस्थिति विशेष सहायक नहीं होती ।

दिए हिंदी-उर्दू समस्या केवल प्रांतीय समस्या ही नहीं है । यह एक भारतीय पहलू भी रखती है । यदि राष्ट्र भाषा हिंदी स्वीकृत गर्भित हुई तो यह सब है कि गुजराती, बंगाली, मराठी तथा मद्रासी भाषाओं को ऐसी हिंदी के सम्मिलन में सुनिश्चित होगा, किन्तु कई करोड़ मुसलमान भाषाओं के प्रतिनिधियों के लिए तो ऐसी हिंदी स्वीकृत के बराबर हो जायगी । उन को उर्दू के निकट

तों हिंदुस्तानी हिंदी ही रह सकेगी। फिर यह बर्ग ऐसा नहीं है जिसे संस्कृत शब्द-समूह को लिखला सकना आसान हो। उर्दू धीरे धीरे समस्त भारतीय मुसलमानों की साहित्यिक भाषा होती जा रही है। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि सुदूरवर्ती प्रांतों की मुसलमान जनता, धर्म में इस्लाम धर्म को मानते हुए भी, भाषा की दृष्टि से अपने अपने प्रांतों की भाषा पढ़ती लिखती रही है किंतु अब प्रायः हर एक प्रांत के मुसलमानों की प्रवृत्ति प्रांतीय भाषा को छोड़ कर अथवा साथ साथ उर्दू को अपनाने की ओर हो रही है। इस प्रवृत्ति से हिंदी, बंगाली, गुजराती आदि और उर्दू के बीच में भेद की दीवार और भी अधिक ऊंची तथा दृढ़ होती जा रही है।

यह हिंदी उर्दू की द्विभाषा समस्या हिंदी-भाषी प्रदेशों, विशेषतया संयुक्त-प्रांत, के लिए बड़ी विकट समस्या है। निवृत्त भविष्य में जब भारत की प्रांतीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनीवर्सिटी तक की पढ़ाई होगी उस समय यूनीवर्सिटी के अध्यापक किस भाषा में अपने मुसलमान और हिंदू विद्यार्थियों को इतिहास तर्कशास्त्र, वनस्पति-शास्त्र आदि विषयों पर व्याख्यान दिया करेंगे? हमारे प्रांत में हिंदू और मुसलमानों की समस्त शिक्षा-संबंधी समस्याएँ विस्कुल अलग हो, यह भी तो बड़ी विचित्र बात होगी। प्रांतीय सरकार अपना कारवार भले ही हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में करती रहे किंतु प्रांतीय काउंसिल में किस भाषा में प्रस्ताव रखे जायेंगे और किस भाषा में उन पर वाद-विवाद होगा? किस लिपि और भाषा में समस्त सरकारी और गैर-सरकारी दफ्तरों में लिखापढ़ी हुआ करेगी? वास्तव में परिस्थिति बड़ी उलझन की होगी।

मुसलमानी दौर-दौरे के कारण कुछ दिन पहले तक एकमात्र उर्दू राज-भाषा थी। राजराज से संबंध रखने वाले हिंदू भी उर्दू सीखने थे। उस समय संस्कृत पंडितों की और नागरी स्त्रियों तथा निजामत पेशावालों की भाषा समझी जाती थी। राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ उर्दू का यह विशेष पद नष्ट हो गया तथा पड़े-लिखे हिंदुओं की नई पीढ़ियों में खड़ीबोली हिंदी का पठन-पाठन बढ़ने लगा। इस समय पश्चिमी संयुक्त-प्रांत के कुछ हिस्सों तथा सखनऊ के रूढ़ गिर्द कुछ ज्ञानदानों को छोड़ कर संयुक्त-प्रांत की शेष समस्त पढ़ी-लिखी हिंदू जनता की तथा पड़ोस के प्रांतों की हिंदू जनता की भी साहित्यिक भाषा हिंदी हो गई है। यद्यपि इस भूमि-भाग में समस्त पड़े-

निम्ने मुगलमान भाइयों तथा बहुत तेज़ी में घटने हुए, पुगने प्रभावों प्रभावित कुछ हिंदू घरानों की साहित्यिक भाषा अब भी उर्दू बनी हुई है ऐसी परिस्थिति में भाषा संबंधी कठिनाई का होना स्वाभाविक है।

अपने प्रांत के मुगलमान भाइयों की साहित्यिक भाषा—उर्दू—के निकट रहने के शक्तिरिक्त हिंदी का हिंदुस्तानी की ओर मुखाण रखने के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि ऐसा करने से हिंदी सर्वसाधारण की पहुँच के अंदर रहेगी। मधुक्त-प्रांत के गाँवों, कस्बों तथा शहरों की साधारण जनता संस्कृत-मिथित भाषा को अपनी आमानी में नहीं समझ सकती जिनकी आशानी में वह प्रचलित तद्भव तथा विदेशी शब्दों में युक्त सरल हिंदी को समझ सकती है। साधारण जनता फ़ारसी-मिथित उर्दू को भी नहीं समझ सकती। हिंदी और उर्दू में जो भाषा भी जनता तक अपनी पहुँच चाहती है उसे अपने को सरल बनाए रखना चाहिए। इस तर्क में बहुत कुछ तथ्य है किंतु यह ध्यान केवल समाचार-पत्रों, उपन्यासों तथा साधारण नाटकों आदि की भाषा के संबंध में लागू हो सकती है। जब कभी गंभीर विषयों पर कलम उठानी पड़ेगी तभी फ़ारसी या संस्कृत का सहारा लेना अनिवार्य हो जायगा। जनता के हित को दृष्टि से इस में विशेष अड़चन भी नहीं पड़ती क्योंकि यह ग्रन्थ-समूह सर्वसाधारण के लिए नहीं होता है और न साधारण जनता तक इसकी पहुँच कराने की आवश्यकता ही पड़ती है। हिंदी को जनता की पहुँच के अंदर रखने में हिंदी का ही हित है। किंतु इससे हिंदी-उर्दू समस्या हल नहीं होती।

सच यह है हिंदी और उर्दू साहित्यिक भाषाओं को भविष्य में मिलाकर अब एक भाषा नहीं किया जा सकता। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है बोल-चाल या साधारण साहित्य की हिंदी-उर्दू को जनता की पहुँच की दृष्टि से सरल बनाए रखने में इन्हीं भाषाओं का हित है। ऐसी सरल हिंदी और उर्दू का एक दूसरे के अधिक निकट रहना स्वाभाविक है किंतु भविष्य में हिंदी और उर्दू में दिन-दिन ऊँची से ऊँची भेरी का कार्य होना है, अतः ऐसे ऊँचे पाये की साहित्यिक हिंदी और उर्दू का एक दूसरे से, आपस की अपेक्षा भी अधिक दूर हो जाना विल्कुल स्वाभाविक है।

मुसलमान भाइयों से यह आशा करना कि वे प्रांत की अधिकांश पढ़ी लिखी जनता की भाषा—हिंदी—को सीख सकेंगे दुराशा मात्र है। हिंदी-

उर्दू की मिडिल परीक्षाओं से लेकर एम्० ए० की परीक्षाओं तक हिंदी-मिडिल और हिंदी एम्० ए० में मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या से भविष्य की प्रवृत्ति का पता स्पष्ट चल सकता है। रहीम और जायसी आदि के नाम लेकर मौखिक सहायता मिलाना दूसरी बात है। यह सच है कि उर्दू पढ़ने वाले हिंदू विद्यार्थियों की संख्या अभी भी पर्याप्त है किन्तु यह दिन-दिन घट रही है। वर्तमान काल की परिवर्तित परिस्थिति में हिंदुओं से भी यह आशा नहीं की जा सकती कि ये पहले की तरह बहुत दिनों तक उर्दू का अपनाए रहेंगे। नीचे की कक्षाओं में नागरी और उर्दू लिपि तथा एक दो दूसरी भाषा की किताबें प्रत्येक हिंदी या उर्दू जानने वाले को पढ़ा देने से भी साहित्यिक हिंदी और उर्दू के भेद की समस्या हल नहीं होती।

बाल्य में देवनागरी लिपि तथा हिंदी-भाषा भारतीय लिपि तथा भाषा है, अतः संयुक्त-प्रात आदि भूभागों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, ख्रिश्चन हो या यहूदी, पारसी हो या मद्रासी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय लिपि और भाषा समझ कर सीखना चाहिए। मुसलमान भाई यदि चाहे तो अपनी संस्कृति और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए फ़ारसी लिपि और भाषा को भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इसकी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक वे इसके लिए राजी न हों तब तक यही एक उपाय है कि हिंदी-भाषी प्रदेशों के ८५ वीं सदी हिंदू, हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनावें और १५ वीं सदी मुसलमान भाई उर्दू को अपनाए रहें। भविष्य आप ही इस संबंध में फैसला कर देगा। जो ही प्रत्येक पढ़े लिखे हिंदू बालक को उर्दू भाषा और फ़ारसी लिपि का अनिवार्य रूप से सिखलाया जाना या उर्दू के निकट जाने के उद्देश्य से साहित्यिक हिंदी की प्रौढ़ शैली को नष्ट कर उसे हिंदुस्तानी बनाना अस्वाभाविक तथा अनावश्यक है। विशेष-तया जब इससे साहित्यिक हिंदी और उर्दू के भेद को दूर करने में कोई भी सहायता नहीं मिलती हो।

२-हिन्दी की भौगोलिक सीमाएँ

प्रत्येक जीवित भाषा की भौगोलिक सीमाएँ हुआ करती हैं। बंगाली

बंगाल प्रायद्वीप तक सीमित है, गुजराती गुजरात की भाषा है, फ्रांसीसी की निश्चित भौगोलिक सीमा फ्रांस देश है और ज्ञानानी की ज्ञानान के टापू। राजनीति, व्यापार या धर्म प्रचार आदि की आवश्यकताओं के कारण एक निश्चित भाषा-सीमा के निवासियों को अन्य भाषाओं के क्षेत्रों में जाना पड़ता है और कभी-कभी यहाँ तक जाना पड़ता है, किन्तु इसमें मूल भाषा की सीमा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बंगाली लोग अपनी जीविका अथवा तीर्थ-मेवन की दृष्टि में हजारों की संख्या में काशी, लखनऊ आदि उत्तर-भारत के नगरों में बसे हुए हैं किन्तु इसमें काशी कलकत्ता नहीं हो जायगी, ठीक जिन तरह कलकत्ते में हिन्दी भाषी हजारों की संख्या में हैं तो भी कलकत्ता बंगाल का ही नगर है और रहेगा। राजनीतिक संबंध के कारण लाखों अंग्रेज इस समय भारत में हैं और साथ ही लाखों भारतीयों ने भी अंग्रेजी को राष्ट्र-भाषा के रूप में ग्रहण कर रखा है, किन्तु इससे भारत अंग्रेजी भाषा की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। यदि भारतीयों ने अपनी जीवित भाषाओं को छोड़ कर अंग्रेजी को ग्रहण कर लिया होता या यहाँ के निवासी अल्पसंख्यक होने और अंग्रेज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बस गये होते तो बात दूसरी थी। ऐसे ही कारणों से कनाडा और अमेरिका के संयुक्त राज्य अथवा अंग्रेजी भाषा की परिधि के अंतर्गत आगये हैं। इस तरह हम पाते हैं कि प्रत्येक भारतीय या विदेशी भाषा की अपनी निश्चित भौगोलिक सीमा है, किन्तु केवल एक भाषा ऐसी है जिसके बोलनेवाले अपनी सीमाओं का निश्चित रूप से नहीं जानते। इस भाषा का नाम हिंदी है।

यहाँ पर 'भौगोलिक सीमा' इस परिभाषा को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। किसी भाषा की भौगोलिक सीमा से तात्पर्य उस भूमि-भाग से है जिसमें वह भाषा स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हो, पत्र-पत्रिकाएँ उस भाग में निकलती हों या '... ' द्वारा पढ़ी जाती हों, पुस्तकें उस भाग में लिखी जाती हों और धारण उन्हें पढ़ सकता हो, शहरों, गाँवों और कस्बों में उस

भाषा में भाषणों के द्वारा जनता तक पहुँच हो सकती है। इसी बगौटी पर फसने से आधुनिक रङ्गी बोली हिंदी को निश्चित भौगोलिक सीमाएँ स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। हिंदी इस समय राजस्थान, मध्यभारत, महाकांशल, दिल्ली, संयुक्तप्रान तथा विहार की साहित्यिक-भाषा है। इस क्षेत्र के अन्दर कहीं-कहीं उर्दू का भगड़ा अभी अवश्य मौजूद है लेकिन उर्दू भाग वास्तव में हिंदी का ही एक रूपतर भाव है और हिंदी उर्दू की समस्या एक प्रकार से घरेलू समस्या है। भारत का शेर भाग हम दृष्टि से हिंदी की भौगोलिक सीमा से बाहर है। विहार के राजेन्द्र बाबू तो हिंदी में लिखने-पढ़ते हैं किंतु बंगाल के रफींद्र बाबू बंगाली में अपना सब काम करते थे। राजग्यान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ आभारजी ने अपने समस्त ग्रंथ हिंदी में लिखे हैं और ये ग्रंथ हिंदी की अमर मयलि हैं, किंतु महान्मा गाँधी ने अपना आत्म-चरित्र गुजराती में लिखा है और लोकरमान्य निलक ने गीता-रहस्य मराठी में लिखा था। मैथिली-शरण गुप्त का काव्य, प्रेमचंद के उपन्यास या जयशंकर प्रसाद के नाटक अपने मूल रूप में क्या गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल या नेपाल के पढ़े-लिखे मूल निवासियों तक पहुँच सकते हैं ? तनिक भी ध्यान देने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि गुजराती, बंगाली आदि की तरह हिन्दी की भी निश्चित भौगोलिक सीमाएँ हैं और इन सीमाओं के अंदर ही हिंदी सर्व साधारण की साहित्यिक भाषा के सिद्धासन पर आरुढ़ है। इन सीमाओं के बाहर अन्य भाषाओं का राज्य है। हिन्दी का क्षेत्र अन्य भाषाओं के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत बड़ा अवश्य है। हिंदी सम्राणी है, अन्य भाषाएँ राजी हैं।

किंतु कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी शीघ्र ही समस्त भारत की राष्ट्र-भाषा होने जा रही है। दक्षिण में मूय प्रचार हो रहा है। गुजरात में हिंदी के प्रति विशेष प्रेम है। महाराष्ट्र उदासीन तथा बंगाल कुछ स्थिर अवश्य दिखलाई पड़ता है, किंतु आगे पीछे ये भी हिन्दी को अपना लेंगे, ऐसी पूर्ण आशा है। वास्तव में हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के संबंध में हिंदी-भाषियों में बड़ा भारी भ्रम फैला हुआ है। यदि भारत के अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना भी लिया तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हिन्दी इन प्रांतीय भाषाओं का स्थान ग्रहण कर लेगी। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रांतीय भाषा के साथ-साथ पढ़े-लिखे लोग थोड़ी हिन्दी भी जान लेंगे, जिस तरह आजकल अंग्रेज़ी सीखते हैं। महाराष्ट्र में

मराठी तब भी शिक्षा की माध्यम रहेगी, महाराष्ट्र जनता तक पहुँचने के उस समय भी मराठी समाचार-पत्र और मराठी में भाषण देना एक साधन रहेगा, मराठी-साहित्य तब भी मराठी कवि, उपन्यास-लेखक नाटककारों द्वारा समृद्ध किया जावेगा। हाँ, पढ़े-लिखे मराठे थोड़ी हिंदी जाननेवाले मिलेंगे जिसके द्वारा वे अखिल भारतवर्षीय समस्याओं पर श्रमजालों के साथ विचार-विनिमय कर सकेंगे। हिंदी का भारत की राष्ट्रभाषा होने का अर्थ है हिंदी का अन्तर्प्रतीय भाग के रूप में विशेष स्थान प्राप्त करना, जिस तरह यह स्थान इस समय अंग्रेजी को मिला हुआ है, मुसलमान काल में पारसी को मिला हुआ था और गुप्तकाल में संस्कृत को प्राप्त था किंतु प्रादेशिक शूरमेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि प्राकृतों से ही, रहेंगे और रहना चाहिए।

इस सभ्यते हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस तरह भारत की प्राचीन भाषा का अपना प्राचीन क्षेत्र है। उसी प्रकार हिंदी का भी प्रादेशिक क्षेत्र है। इसकी सीमाएँ पश्चिम में जैसलमीर से लेकर पूरव में भागलपुर तक और उत्तर में हरिद्वार से लेकर दक्षिण में रायपुर तक है। हिंदी भारत की अन्य भाषाओं के विपरीत हिंदी कदाचित् भारत की अन्तर्प्रतीय भाषा या राष्ट्रभाषा होने भी जा रही है। इस विशेष पद के प्राप्त करने पर हिंदी भिन्न-भिन्न प्रांतों के पढ़े-लिखे लोगों के लिए मिलने-जोड़ने और बातचीत करने का एक साधन स्वरूप हो जावेगी। हिंदी-भाषियों को यह आशा करना कि राष्ट्रभाषा हो जाने पर हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति तथा विकास में अहिंदी-भाषी-भारतीयों से विशेष सहायता मिल सकेगी, दुःखसा मान्य है। हिंदी भाषा और साहित्य को बनाने का भार मदा हिंदी-भाषियों पर ही रहेगा और रहना चाहिए। वास्तव में इस पद को प्राप्त कर लेने पर हिंदी की कठिनाईयाँ बढ़ ही जावेगी। इसी समय अहिंदी भाषी तरह तरह की भाँति देश करने लगे हैं। पंजाबी कहते हैं कि हिंदी से निज-भेद का भगड़ा हटा दिया जाये, गुजराती चाहते हैं कि उनकी लिपि की तरह हिंदी लिपि भी निज मुंडी ली कर दी जाये। ऐसा मान्य हो गया है कि जैसे हिंदी कोई अनाथ भाषा हो, मानो उसका कोई घर ही न हो, और उस पर विशेष कृपा की जा रही हो। ये कठिनाईयाँ अक्षय में और भी बढ़ेंगी। आश्चर्यजनक इस बात की है कि हिंदी ज्ञानी अज्ञानी भाषा की विशेष

प्रांतीय सीमाओं को समझें और अपनी भाषा के प्रांतीय महत्त्व को अनुभव करें। राष्ट्रभाषा न होने पर भी हिंदी १०,११ करोड़ भारतीयों की साहित्यिक भाषा और रहेगी। उसका अस्ती बनाव बिगाड़ तो इस हिंदी-जनता पर ही निर्भर है। भारत की समस्त आधुनिक भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा का मद दिया जाना कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों के फलस्वरूप अनिवार्य है। यह हिंदी पर कोई एहसान करना नहीं है। राष्ट्रभाषा होने पर भी हिंदी की अस्ती नीचे उसके प्रांतीय रूप में है और रहेगी। अंतर्प्रांतीय गौरव प्राप्त करने के लालच में हिंदी के प्रांतीय रूप को तोड़ने-मरोड़ने या नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

सच तो यह है कि राष्ट्रभाषा होने के मान और लालच की वजह से इस समय हिंदी-भाषी भुलावे में पड़ गये हैं और अपनी बाल्विक समस्याओं की या तो उपेक्षा कर रहे हैं और या उनके संबंध में ठीक दृष्टिकोण से विचार करने में असमर्थ हो गये हैं। वास्तव में हिंदी-भाषियों की शक्ति का समस्त उपयोग हिंदी की भौगोलिक सीमा के अन्दर अपनी भाषा और साहित्य को दृढ़ और स्थायी बनाने में होना चाहिये और अपनी घरेलू कठिनाइयों और समस्याओं को मुलभाने में होना चाहिये। अन्य प्रांतवाले हिंदी को अंतर्प्रांतीय भाषा के रूप में अपनावेंगे तो उनका ही हित है, नहीं अपनावेंगे तो वे जाने। अपने घर को अस्तव्यस्त अवस्था में छोड़ कर पराये घर की मदद करने को दौड़ते फिरना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदी-भाषी अभी अपने घर की सीमाओं तक से ठोक-ठोक परिचित नहीं हैं, घर को ठीक करना और सुधारना तो दूर की बात दिखलायी पड़ती है।

३-साहित्यिक हिंदी को नष्ट करने के उद्योग

सवा सौ से भा अधिक वर्ष हुए जब १९वीं शताब्दी के प्रारंभ में बोली हिंदी-भाषा के संबंध में निश्चित प्रयोग हुए थे। इन प्रयोगों में से सदल मिश्र की शैली से मिलना-जुलना हिंदी को अन्तः भारतेंदु याचू हरिश्चन्द्र ने १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस संबंध में निश्चित मार्ग निर्धारित कर दिया। २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में पति महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस मार्ग के रोंटे-कंकड़ खीनकर इसे सरके च योग्य बनाया। पिछले २०-२५ वर्षों से हिंदी की समस्त संस्थाएँ, पत्र-पत्रिकाएँ, लेखकवृन्द तथा विद्यार्थीगण इसी आधुनिक साहित्यिक हिंदी के माध्यम अपनाकर अपना समस्त कार्य कर रहे हैं तथा स्वाभाविकतया इसे अंग्रजी प्रौढ़ तथा परिमार्जित करने में अधिकाधिक सहायक हो रहे हैं।

किन्तु इधर कुछ दिनों से हिंदी की इस चिर निश्चित साहित्यिक शैली को नष्ट करने के संबंध में कई ओर से उद्योग हो रहे हैं। इशा, राधाशिवप्रसाद तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय के 'ठेठ हिंदी' प्रयोगों तरह कुछ दिनों तक इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत थे, किन्तु हिंदियों की उदासीनता के कारण ये धीरे-धीरे अधिक सुसंगठित होने जा रहे हैं। पत्र-पत्रिकाओं के प्रवृत्तियों का नियंत्रण न किया गया तो साहित्यिक हिंदी-शैली की भारी धक्का पहुँचने का भय है। आन्तरिकता का दृष्टि से समस्त प्रमुख विरोधी शक्तियों की स्पष्ट जानकारी अत्यंत आवश्यक है।

साहित्यिक हिंदी के विरोध ने निम्नलिखित रूप धारण कर रक्ते हैं—

१—प्रांतीय शिक्षा-विभाग की 'कामन लैंग्वेज' वाली नीति तथा स्कूलों में अंगरेजी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग।

२—हिंदुस्तानी ऐंकेटेमी के कुछ प्रमुख संचालकों की 'हिंदुस्तानी भाषा गढ़ने की नीति'।

३—हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के वर्तमान वर्गधारों की 'राष्ट्रभाषा' की कल्पना जो धीरे धीरे उर्दू की ओर मुक रही है।

४—भारतीय साहित्य-परिषद्, वर्धा, की 'हिंदी दानी हिंदुस्तानी' वाक्य

कांग्रेसवादियों में हिंदी को हिंदुस्तानी अथवा मरल उर्दू बनाने के उद्योग का मुख्य अभिप्राय मुगलमानों के गाय समझीना कर्ना मात्र है। हिंदी की जिन समस्याओं में कांग्रेसवादियों का जोर है, वहाँ कांग्रेस की इस नीति का प्रवेश हो गया है। प्रारंभ में हिंदी-साहित्य सम्मेलन ने अहिंदी प्रांतों में हिंदी का प्रचार राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से प्रारंभ किया था। शीघ्र ही इस कार्य का नेतृत्व कांग्रेसी लोगों के हाथ में चला गया। इसका फल यह हो रहा है कि इस अंतर्प्रतीय हिंदी के नाम में तो परिवर्तन हो ही गया, साथ ही साथ रूप में भी शीघ्र ही परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना है। अभी कुछ ही दिन हुए साहित्य-सम्मेलन की एक कमिटी में यह प्रस्ताव पेश था कि सम्मेलन की 'राष्ट्र-भाषा' परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उर्दू-लिपि का जानकारी भी अनिवार्य समझी जाय। यदि साहित्य-सम्मेलन की बागडोर और कुछ दिनों कांग्रेसी लोगों के हाथ में रही तो यह प्रस्ताव तथा इसी प्रकार के अन्य प्रस्ताव निकट भविष्य में स्वीकृत हो जायेंगे और उस समय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन हिंदी-भाषा और देवनागरी-लिपि के साथ-साथ उर्दू भाषा और उसकी लिपि का प्रचार भी करने लगेगा। इन्दौर का प्रस्ताव इस भावी नीति का प्रस्तावना था।

भारतीय साहित्य-परिषद् का वर्धा में होना ही इस बात का द्योतक है कि यह संस्था कांग्रेस महासभा की देश-संबंधी साधारण नीति का साहित्यिक अंग है। अतः इसके नियमों में 'इस परिषद् का सारा काम हिंदी यानी हिंदुस्तानी में होगा' का रहना आश्चर्य जनक नहीं है। इस नियम के अनुसार तो हिंदी-साहित्य सम्मेलन का नाम भी 'हिंदी यानी हिंदुस्तानी साहित्य-सम्मेलन' हो सकता है। ऐसी अवस्था में 'हिंदी-उर्दू यानी हिंदुस्तानी ऐकेडेमी' 'हिंदी यानी हिंदुस्तानी साहित्य परिषद्', 'हिंदुस्तानी यानी हिंदी साहित्य-सम्मेलन' और 'कामन लैंग्वेज' की नीति, ये चारों मिलकर एक और एक ग्यारह की कहायत चरितार्थ कर सकते हैं।

भारतवर्ष की जातीय भूमियों में केवल हिंदी प्रदेश ही ऐसा भूमि भाग है जहाँ द्विभाषा समस्या उत्पन्न हो गई है। वास्तव में ऊपर के समस्त आंदोलन हिंदी-उर्दू की समस्या को मुलभाने के स्थान पर उसे अधिक जटिल बनाते जा रहे हैं। भारतवर्ष के अन्य प्रांतों के निवासियों के समान ही हिंदियों की भाषा, लिपि तथा साहित्य का भुकाव सदा से भारतीयता की ओर था,

है और गहना चाहिए। मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों में तन्कालीन परिस्थितियों के कारण दरबारी कारबार तथा साहित्य की भाषा फारसी के स्थान पर हिंदवी हो गई। इस हिंदवी भाषा का रूप विदेशी फारसी शब्दों आदशों ने छीन-घोत होना स्वाभाविक था। ऐसी अवस्था में इसका भिन्न उर्दू नाम हो गया। राजनीतिक परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ उर्दू के इस कृत्रिम महत्व में भी परिवर्तन हो गया है। किंतु प्राचीन प्रभाव अभी थोड़े बहुत बच रहे हैं। हिंदी-जनता ने हिंदी के उर्दू-रूप को साहित्य के क्षेत्र में उस समय भी ग्रहण नहीं किया जब इस प्रदेश में उर्दू के पीछे तन्कालीन राज्य का गौरवण्य था। अब परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में ऐसा हो सकना और भी अधिक असंभव है।

काम्रेस अथवा सरकार के सखिक राजनीतिक दृष्टिकोणों से प्रभावित न होकर हिंदियों को चाहिए कि मथा मी बर्ष के सतत उद्योग से मुक्त अपनी भाग-शैली को नारा में बचावें। हाँ, यदि हिंदी-भाषी नीचे लिखे परिणाम को साहित्यिक क्षेत्र में भी स्वीकृत करने को तैयार हों तो दूसरी बात है। वह परिणाम होगा—हिंदी, यानी राष्ट्रभाषा, यानी कामन लैंग्वेज, यानी हिन्दु-स्तानी, यानी उर्दू।

४—पंजाब की साहित्यिक भाषा कौन होनी चाहिये ? हिंदी, उर्दू या पंजाबी ?

त्रिटिश भारत का आधुनिक पंजाब प्रांत तीन चार भाग-भागी प्रदेशों का समूह है। दिल्ली-अंयाला के निकट का पूर्वी-पंजाब हिंदी-भाषी है। यह प्रदेश वास्तव में संयुक्त प्रांत का एक अंश है, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इस समय पंजाब प्रांत का अंग हो गया है। शिमला के चारों ओर कुछ पहाड़ी बोलियाँ बोलती जाती हैं, जिनका पंजाबी से कुछ भी संबंध नहीं है। असली पंजाबी भाषा लाहौर-अमृतसर के निकटवर्ती पंजाब के मध्य भाग में बोलती जाती है। रावलपिंडी से लेकर मुल्तान तक की पश्चिमी पंजाबी या लहदा भाषा पंजाबी से कुछ ही भिन्न है। अतः असली पंजाब पंजाबी और लहदा-भाषी प्रदेश कहा जा सकता है। शिमला-दिल्ली पंजाबी भाषियों की अपनी भूमि नहीं है।

किंतु यहाँ जितनी समस्या पर विचार करना है वह जनता की भाषा की समस्या नहीं है बल्कि पंजाब प्रांत की साहित्यिक भाषा की समस्या है। यह सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में पंजाब ही एक ऐसा मुख्य प्रांत है, जिनकी साहित्यिक भाषा प्रादेशिक भाषा में मिलकूल भिन्न है। पंजाब की साहित्यिक भाषा और राजभाषा पंजाबी न होकर गढ़ी बोली का उर्दू रूप है। यह प्रायः उर्दू लिपि में लिखी जाती है। आर्यसमाज तथा कुछ अन्य प्रभावों के कारण गढ़ी बोली का दूसरा रूप हिंदी देवनागरी लिपि के माध्य धीरे-धीरे पंजाब में फैल रहा है किंतु अभी इसका क्षेत्र विशेषतया गढ़ी लिपि पंजाबी लिपि तक ही सीमित है। पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि शिक्षकों के बीच में धार्मिक महत्त्व के कारण अपना विशेष स्थान रखती हैं। इस तरह पंजाब में तीन साहित्यिक भाषाएँ चल रही हैं प्रांत प्रधान साहित्यिक भाषा तो उर्दू, साधारणतया स्त्रियों में हिंदी भाषा और साहित्य का कुछ चरण है तथा शिक्षकों का धार्मिक साहित्य पंजाबी में है। किसी भी प्रांत के लिए तीन तीन साहित्यिक भाषाओं का होना उचित उचित में वाचक है। आगे चल कर जायियों को इन तीन भाषाओं में से एक को सर्वोपरि स्थान देना होगा।

समस्या यह है कि यह स्थान किसको मिलना चाहिए—उर्दू को, हिंदी को या पंजाबी को।

पंजाब में उर्दू भाषा और लिपि के प्रचार का कारण मुगलमानी प्रभाव है। पंजाब में लगभग आधे इस्लाम धर्मावलंबी हैं, जिनकी मान्यभाषा यद्यपि पंजाबी ही है किन्तु जो मुगलमानी संस्कृति के प्रभाव के कारण दिल्ली लगनऊ की उर्दू से विशेष ममता रखते रहे हैं। मुगलमान आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ने तथा दिल्ली आगरा के मुगलमानी केंद्रों के निकट होने के कारण, पंजाब में मुगलमानी प्रभाव, भाषा के साथ साथ, संस्कृति के अन्य अंगों पर भी पर्याप्त पड़ा है। इस समय उर्दू पंजाबी मुगलमानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाबी हिंदुओं ने भी ध्यायवहारिक दृष्टि से उसे अपना लिया है। पंजाब की कचहरी, स्कूल, अस्पताल आदि की भाषा उर्दू ही हो गई है।

किन्तु उर्दू भाषा पंजाब की जनता की भाषा पंजाबी से बहुत भिन्न है। प्रामाण्य पंजाबी स्त्री-पुरुष न उर्दू बोल सकते हैं, न आगामी से समझ ही सकते हैं। जनता के हाथ में अधिकार पहुँचने ही भाषा संबंधी यह अस्वाभाविक परिस्थिति बहुत दिन न रह सकेगी।

थोड़े दिनों से पंजाब के हिंदुओं में, जो आर्यभोज्य या हिंदू महात्म्या जैसी सस्थाओं के प्रभाव में आए हैं, इस बात का यत्न किया जा रहा है कि पंजाब में उर्दू के स्थान पर हिंदी को चिन्ता दिया जावे। हिंदू दृष्टिकोण से भले ही इस परिवर्तन से कुछ लाभ हों, किन्तु पंजाब प्रांत के दृष्टिकोण से उर्दू और हिंदी दोनों ही पंजाबियों के लिये इतर प्रांतीय भाषाएँ हैं और इन दोनों के सोचने में इनको बराबर ही परिश्रम करना पड़ेगा, बदाचित्त हिंदी सीखने में कुछ अधिक ही परिश्रम करना पड़े। फिर पंजाब के लगभग पचास फीसदी मुसलमान हिंदी को साहित्यिक भाषा तथा राजभाषा के रूप में कभी भी अपनाने की तैयार न होंगे। इस संबंध में सिक्कों की ओर से भी विशेष सहानुभूति मिलने की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी अवस्था में हिंदी के अधिक प्रचार से पंजाब की भाषा संबंधी प्रांतीय समस्या के सरल होने के स्थान पर और भी अधिक जटिल होने की आशंका है।

यदि पूर्वी पंजाब का हिंदी-भाषी प्रदेश पंजाब से निष्कल कर दिल्ली या

संयुक्त प्रांत में डाल दिया जाए तो जो अमल पंजाब की स्वाभाविक भाषा पंजाबी रह जाती है। यह मन्त्र है कि लड़े निम्न पंजाबियों का ध्यान हमकी ओर अभी तक विशेष नहीं गया है, इसी कारण पंजाबी साहित्य की उन्नति अभी विशेष नहीं हो गयी है। उर्दू-हिंदी और पंजाबी में पंजाबी ही ऐसी भाषा है जिसके मध्य में पंजाबी सुगलमान, हिंदू और सिक्खों में एक मन हो सकता है। इसी प्रकार गुरुमुखी लिपि पंजाब की अपनी लिपि है। पंजाबी भाषा के द्वारा ही तरह-तरह का प्राचीन तथा आधुनिक ज्ञान पंजाब के प्रान्तों तक मुविधा से पहुंचाया जा सकता है। भारत को राष्ट्र-भाषा के रूप में हिंदी तथा देव-नागरी लिपि का विशेष स्थान अन्य प्रांतों के समान पंजाब में भी रहेगा, किंतु प्रांतीय भाषा का स्थान पंजाब में पंजाबी के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलना चाहिये।

जब तक, बंगाल बंगाली देशवासी और बंगाली भाषा; गुजरात, गुजराती देशवासी और गुजराती भाषा; प्राय, फ्रांसीसी देशवासी और फ्रांसीसी भाषा; जापान, जापानी देशवासी और जापानी भाषा की तरह पंजाब, पंजाबी देशवासी और पंजाबी भाषा की पक्की तिरकुट न बनेगी तब तक पंजाब की उन्नति का एक पाया निर्धल रहेगा। दां पैर की तिराई क्षण भर ही खड़ी रह सकती है।



५—क्या प्रस्तावों द्वारा हिंदी का कायाकल्प हो सकता है ?

जब से १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के भारत की राष्ट्र भाषा अर्थात् अंग्रेज़ी के समान चंद्र लाल लोगों की अन्तर्प्रतीय भाषा बनने का प्रश्न उठा है तब से लोगों को हिंदी में अनेक चुटियाँ दिखलाई पड़ने लगी हैं। इनमें मुख्य व्याकरण-संबंधी चुटियाँ हैं—विशेषतया लिंग-संबंधी। इन सुधारआयोजनाओं पर कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है। हिन्दी-भाषियों की साहित्यिक संस्थाओं के सूधार प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करनेवाले हैं अतः यह स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र के अपने अनुभव को ये महानुभाव साहित्य तथा भाषा पर भी घटित करना चाहते हैं। उनकी धारणा है कि आदीलन तथा प्रस्तावों के द्वारा ये भाषा के प्रवाह को भी जिधर चाहें मोड़ सकते हैं। वास्तव में यह भारी भ्रम है। सभा-सम्मेलनों के प्रस्तावों के बल पर हिंदी भाषा के रूप को बदलने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ पड़ेंगी उनका दिग्दर्शन बहुत सक्षेप में नीचे कराया जाता है।

साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है, व्याकरण के सहारे नहीं। तीन वर्ष का भी हिंदी-भाषी बालक शुद्ध हिंदी बोल लेता है किंतु वह यह भी नहीं जानता कि सश और क्रिया में क्या भेद है अथवा उसकी मातृभाषा में कितने लिंग या वचन होते हैं। फलतः हिंदी भाषा में लौट-पौट करने के प्रस्ताव १९ प्रतिशत हिंदी-भाषियों तक नहीं पहुँच सकेंगे, न वे उन्हें समझ ही सकेंगे। यदि 'सुधरी हुई' हिंदी में कुछ किताबें निकाली गईं और हिंदी-भाषी बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाई भी गई तो सर्व-साधारण द्वारा बोली जाने वाली हिंदी और इस सुधरी हुई हिंदी में संघर्ष होगा। क्योंकि हिंदी-भाषी बालक अपनी भाषा को पुस्तक पढ़ना सीखने से पहले ही सीख चुकता है अतः वह इस सुधरी हुई किताबी हिंदी से सहसा प्रभावित नहीं हो सकेगा। हिंदी के वर्तमान स्थिर रूप के संबंध में एक भारी गड़बड़ी अवश्य पैदा हो सकती है।

हिंदी सीखने वाले अन्य-भाषा-भाषियों को व्याकरण की पुस्तकों के सहारे हिंदी के नाम से अवश्य काँइ भी भाषा मिललाई जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में वास्तविक हिंदी तथा इस सुधरी हुई राष्ट्रभाषा अथवा हिंदी-हिंदुस्तानी में भारी अन्तर हो जावेगा जिससे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के स्वप्न में सहायता के स्थान पर हानि पहुँचने की अधिक सम्भावना है। अन्य भाषा-भाषी यह कह सकते हैं कि आपकी भाषा का कोई निश्चित रूप ही नहीं है—कुछ पुस्तकों में एक भाषा है, कुछ में दूसरी, तथा बोलने वाले भिन्न भाषा बोलते हैं। इनमें से हिंदी किसको माना जावे ?

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त प्राचीन तथा अद्य तक के प्रकाशित हिंदी-साहित्य की भाषा में और इस सुधरी हुई हिंदी में भी संपर्क उपस्थित होगा। उदाहरणार्थ या तो रूर, तुलसी और केशव के लिंग के प्रयोगों को ठीक किया जावे तथा भारतेंदु, द्विवेदीजी, गुप्तजी, प्रेमचंद, प्रसाद, उपाध्यायजी आदि के ग्रंथों के नये संशोधित संस्करण निकाले जावें, अथवा हिंदी के दो रूप माने जावें—एक मुधारकों से पूर्व के साहित्य का तथा दूसरा सुधार-युग के बाद के साहित्य का। यह हिंदी भाषा को सरल करना तो नहीं ही हुआ, इतना निश्चित है।

एक बात और चिन्त्य है। हिंदी को राष्ट्र-भाषा बनाने में बहुत अधिक सहायता उर्दू के प्रचार के कारण मिल रही है। मुसलमानों के प्रभाव के साथ साथ उर्दू दक्षिण में हैदराबाद तक पहुँच गई; उत्तर भारत के समस्त नगरों में और कस्बों में इसका प्रचार था ही। वर्तमान हिंदी और उर्दू के व्याकरणों का ढाँचा लगभग समान है। किंतु सुधार हो जाने पर राड़ी बोली हिंदी और उर्दू में भाषा की दृष्टि से भी भेद हो जावेगा। उर्दू वर्तमान सुधारों को मानने से रहा। ऐसी अवस्था में हिंदी का पत्र और भी अधिक निर्बल हो जावेगा। हिंदी-हिंदुस्तानी और उर्दू-हिंदुस्तानी निकट आने के स्थान पर एक दूसरे से दूर हो जावेंगी।

यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि भाषा के रूप में परिवर्तन करना एक बात है और अक्षरविन्यास आदि में एक रूपान्तरण माने का प्रमाण दूसरी बात है। 'रुये' किसे जिगा जाँ ? 'रुए', या 'रुये'। 'रुए' निम्न भंसा तथा सर्वनाम के साथ लिखे जावें या पृथक्। 'धर्म', 'इर्म', 'आर्ध' आदि में दो व्यंजन रहें या एक ? इन तरह की स्थितियाँ माना साहित्यिक भाषा में

अनिवार्य है तथा संभव है। हिंदी की लेखन शैली में तथा व्याकरण संबंधी रूपों में भी जहाँ एक से अधिक रूप प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ (दही अच्छा है, अच्छी नहीं) उनमें भी एक रूपता लाई जा सकती है और उसके लाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु 'वात' 'रात' आदि समस्त अकारान्त अप्राणि-याचक शब्द पुल्लिंग कर दिये जावें जिससे 'वात अच्छा है' और 'रात हो गया' जैसे प्रयोग आदर्श हिंदी समझे जावें या ऐसे प्रयोगों को भी ठीक समझा जावे, इस प्रकार के प्रस्ताव भाषा के रहस्य को न जानने वाले ही कर सकते हैं। इस प्रकार के उद्योगों का परिणाम कुछ समय के लिए अव्यवस्था उपस्थित करके हिंदी की बाढ़ को रोक देने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकेगा। यों समुद्र की लहरों को रोकने का प्रयास करने वाले राजा कैम्ब्यूट भाषा के क्षेत्र में भी प्राचीन काल से होते चले आये हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे।

६—भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में हिंदी

प्रचार का रूप तथा उसके उपाय

हिंदी भाषा की दिन दिन उन्नति हो रही है और उसका भविष्य अत्यंत आशापूर्ण है। तो भी यह विचार करना हितकर होगा कि हिंदी के लाभ के लिये भविष्य में किस रीति से कार्य करना चाहिये। 'हिंदी भाषा का भारत में क्या स्थान है?' सबसे पहले इस संबंध में ठीक परिस्थिति को समझ लेना आवश्यक है।

इसके मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती कि हिंदी समस्त भारत की मातृ-भाषा नहीं है और न कदाचित् हो ही सकती है। भारतवर्ष के प्रदेशों के दो भाग हैं—एक वे जिनमें हिंदी हिंदुओं की साहित्यिक भाषा स्वीकृत कर ली गई है और दूसरे वे जिनमें हिंदी को यह गौरव प्राप्त नहीं है। प्रथम श्रेणी में संयुक्त प्रांत, दिल्ली, मध्यप्रान्त (चार मराठी जिलों को छोड़कर) बिहार (उड़ीसा छोड़ कर), मध्यभारत तथा राजस्थान हैं। दूसरी श्रेणी में भारत के शेष सब प्रांत हैं। सबसे प्रथम में दूसरी श्रेणी के प्रदेशों पर विचार करूँगा।

भारत के जिन प्रदेशों में हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण नहीं की गई है उनके भी दो मुख्य विभाग हैं। प्रथम श्रेणी में हिंदी से मिलती-जुलती आर्य्य भाषायें बोलने वाले प्रदेश हैं जैसे, पंजाब, काश्मीर, सरहदी सूबा, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल तथा आंध्रप्रदेश। इनमें भी प्रत्येक की स्थिति पृथक् पृथक् है।

यद्यपि पंजाब की जनता की अपनी भाषा पंजाबी है, किंतु शहरवाले पंजाबियों ने हिंदी के दूसरे रूप उर्दू को शिष्ट लोगों की भाषा तथा साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण कर रक्खा है। आर्य्य-समाज के प्रभाव के कारण कुछ पढ़े-लिखे हिंदुओं के बीच हिंदी का भी प्रचार है। किंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि हिंदी और उर्दू का व्यवहार में लाने वाले ऐसे पढ़े-लिखे पंजाबियों की संख्या दो करोड़ में केवल १० लाख है। इस विशेष स्थिति के कारण

पंजाब में हिंदी प्रचार का तात्पर्य है पढ़े-लिखे पंजावियों के बीच उर्दू के स्थान में हिंदी को स्थान दिलाना। यह काम आसान नहीं है क्योंकि यह ध्यान रखना चाहिये कि पंजाब में ५५ फी सदी मुसलमान हैं जो उर्दू को तो ग्रहण कर सकते हैं किंतु हिंदी को साधारणतया कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो भी शेष ४५ फी सदी हिंदुओं में विशेषतया पढ़े-लिखे लोगों के बीच कुछ काम हो सकता है। यह काम लड़कियों की शिक्षा के रूप में अभी भी हो रहा है, और इसमें आर्य्य-समाज से विशेष सहायता मिल रही है। पंजाब में कन्या महाविद्यालय, जालंधर हिंदी प्रचार का ऐसा ही एक केंद्र है। काश्मीर तथा सरहदी सूबे की परिस्थिति पंजाब से मिलती-जुलती है केवल अंतर इतना है कि काश्मीर में ७९ फी सदी मुसलमान हैं, तथा सरहदी सूबे में ६१ फी सदी। शेष २१ तथा ९ फी सदी हिंदू जनता के पढ़े-लिखे वर्ग का ध्यान उर्दू से खींच कर हिंदी की ओर दिलाया जा सकता है। यह स्पष्ट हो गया होगा कि पंजाब, काश्मीर तथा सरहदी सूबे में इस बात का प्रचार करना है कि पढ़े-लिखे हिंदुओं में यथासंभव उर्दू के स्थान में हिंदी को स्थानापन्न किया जाये।

सिंध की स्थिति भी इन प्रदेशों से बहुत भिन्न नहीं है। सिंध में मुसलमानों की आबादी ७५ प्रतिशत है। सिंधवासियों की अपनी भाषा अभी बहुत उन्नत नहीं हो पाई है। पढ़े लिखे हिंदू और मुसलमान सिंधी उर्दू को बहुत कुछ अपनाये हुये हैं। सबसे उत्तम तो यह हो कि सिंधी भाषा स्वयं इतनी उन्नत हो जाय कि उर्दू का स्थान ले सके किंतु तो भी २५ प्रतिशत हिंदुओं की दृष्टि राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर दिलाना हमारा कर्तव्य है।

गुजरात तथा महाराष्ट्र की स्थिति भिन्न है। इन दोनों प्रदेशों में हिंदू अधिक संख्या में हैं तथा इन प्रदेशों की अपनी अपनी भाषायें—गुजराती और मराठी—साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत अवस्था में हैं। यह सोचना कि इन प्रदेशों में हिंदी कभी भी मातृ-भाषा की तरह हो सकती है बड़ी भारी भ्रांति होगी। यह बात अवश्य होनी चाहिये कि इन प्रदेशों के विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का प्रबंध सहायक भाषा के रूप में हो जाय, जिसमें पढ़े-लिखे गुजराती और मराठी भाषियों की भविष्य की पीढ़ियाँ अपनी-अपनी भाषाओं के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी का भी व्यावहारिक ज्ञान रख सकें।

उड़ीसा, बंगाल तथा आसाम की परिस्थिति महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रदेशों के ही समान है। उड़ीसा तथा आसामी भाषायें अभी बहुत उन्नत अवस्था

में नहीं है, किन्तु दिन-दिन उन्नति कर रही है। बंगाली भाषा आर्य भाषाओं में सबसे अधिक उन्नत अवस्था में है। इन प्रदेशों के निवासी अपनी अपनी भाषाओं को शिक्षा तथा साहित्य का माध्यम रखेंगे ही किन्तु साथ ही यदि हिंदी को भी सहायक भाषा की तरह अधिक संख्या में पढ़ने लगे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान शीघ्र देने में बहुत सहायता मिल सकेगी।

दक्षिण भारत की द्राविड भाषाएँ बोलने वाले प्रदेशों की स्थिति उत्तर भारत के उपर्युक्त आर्यभाषा भाषी प्रदेशों से भिन्न है। पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बँगाली तथा आसामी आदि भाषाएँ हिंदी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं तथा हिंदी भाषी प्रदेशों तथा इन अन्य प्रदेशों के बीच में लोगों के अधिक समुदाय में आते जाते रहने के कारण हिंदी उत्तर भारत के प्रायः समस्त बड़े-बड़े शहरों में थोड़ी बहुत समझ ली जाती है किन्तु मद्रास प्रांत के तामिल, तेलगू, मलयालम तथा कनाड़ी बोलने वाले प्रदेशों के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता। दक्षिण भारत की यह द्राविड भाषाएँ उत्तर भारत की आर्य भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। दक्षिण के हिंदू यदि मुसलमानों से अनभिन्न होते और मुसलमान काल में दक्षिण में यदि उर्दू हैदराबाद रियासत में क़ायम न हो गई होती तो भाषा की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण भाग में मनुष्य पूर्व और पश्चिम का अंतर होता। इन कारणों के होने हुए भी दक्षिण की भाषाएँ हिंदी से बहुत भिन्न हैं और मद्रास प्रांत में हिंदी का प्रचार करना गलत कार्य नहीं है। यह अत्यंत प्रयत्न की बात है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इस कठिन कार्य की दृष्टि से नीयत दी है और मद्रास प्रांत में हिंदी प्रचार का कार्य धीरे धीरे हिंदु सुचारु रूप में हो रहा है। निज़ाम ने उम्मानिया यूनिवर्सिटी क़ायम करके अपनी रियासत के तेलगू और कनाड़ी बोलने वाली जनता के बीच में हिंदी के दूरे रूप उर्दू के प्रचार का एक भागी केंद्र स्थापित कर दिया है। इससे हैदराबाद रियासत में हिंदुस्तानी अथवा हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने की सम्भावना है। इसका प्रभाव मद्रास प्रांत पर भी कुछ पड़ सकता है। मैसूर कनाड़ी भाषा भाषियों का केंद्र है। वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी स्तुतने का निधाय हुआ है किन्तु यह हैदराबाद की उम्मानिया यूनिवर्सिटी की तरह हिंदुस्तानी भाषा का केंद्र न होगी किन्तु कनाड़ी तथा बंगोली का केंद्र होगी। मद्रास प्रांत के उत्तरी भाग में आर्य यूनिवर्सिटी को स्तुत ही बुझी है। दक्षिण भाग

में तामिल यूनीवर्सिटी की चर्चा भी रह रह कर उठ रही है। संभव है द्राव-
नकोर में मलयालय यूनीवर्सिटी भी स्थापित हो जावे। दक्षिण के इन समस्त
विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन पाठन को द्वितीय भाषा के रूप में स्थान
दिलाने का यत्न होना चाहिए।

ऊपर दिये हुए दिग्दर्शन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत के हिंदी न
बोलने वाले प्रदेशों में हिंदी प्रचार का कार्य किस उद्देश्य से तथा किस रूप में
होना चाहिये। इन सब प्रदेशों की अपनी अपनी भाषाएँ हैं। हिंदी इन
प्रादेशिक भाषाओं का स्थान नहीं लेना चाहती। भारत की राष्ट्रभाषा अर्थात्
अनप्रांतीय भाषा की हैषियत से वह इन सब प्रदेशों में सहायक भाषा के रूप
में वर्तमान रहना चाहती है जिससे वह भारत के पड़े लिये लोगों की वर्तमान
राज भाषा अंगरेज़ी का स्थान भविष्य में बिना कठिनाई के ले सके।

अब हिंदी भाषी प्रदेशों में किये जाने वाले कार्य पर विचार करना
है। इनकी आवश्यकता ऊपर दिये हुये प्रदेशों की आवश्यकता से भिन्न है।
ऊपर बतलाया जा चुका है कि संयुक्त प्रांत, दिल्ली, मध्यप्रांत, मध्यभारत, राज-
स्थान तथा बिहार, हिंदी भारी बहलाये जा सकने हैं। इनमें सबसे मुख्य
हिंदी भाषा की जन्मभूमि संयुक्त प्रांत है।

संयुक्त प्रांत हिंदी भाषा के समस्त मुख्य मुख्य रूपों का घर है। हिंदी
के प्राचीन साहित्यिक रूप अर्थात् अथर्वी तथा ऋग्वेदिक साहित्य संयुक्त प्रांत
की ही दो बोलियों की नींव पर गड़े हुये थे। हिंदी का आधुनिक साहित्यिक
रूप भी संयुक्त प्रांत के पश्चिमोत्तर कोने में बिजनौर के निकट बोलो जाने
वाली खड़ी बोली के आधार पर ही निर्मित हो रहा है। उर्दू भी इसी खड़ी-
बोली की दूसरी शाखा है। भारतव में जन्म से हिंदी उर्दू दो बहिन हैं।
अंतर केवल इतना हो गया है कि बड़ी होकर एक तो अपने हिंदू धर्म पर
रह गई, और दूसरी ने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया है। हिंदी का घर होने
हुये भी संयुक्त प्रांत में हिंदी का पूर्ण आधिपत्य नहीं है। यहाँ की उच्च तथा
माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अभी भी अंगरेज़ी है। हिंदी की उच्च में उच्च
शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये हिंदी के अथ भण्डार को निज निज निचरों
के रूपों में अभी बहुत कुछ भरना है। अंगरेज़ी के आधुनिक संयुक्त प्रांत में
हिंदी की बहिन उर्दू भी भीतर है। यह समस्त दिग्दर्शन आदर्शक है कि
यहाँ संयुक्त प्रांत में मुसलमानों को आसानी से उर्दू की भाषा में आधिपत्य नहीं

है किन्तु संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग में स्वयं हिंदुओं के घरों में भी अ
 उर्दू के पैर जमे हुये हैं। मेरठ, रोहिलखंड तथा आगरे कमिश्नरियों के प
 लिये लोगों से मिलने पर वस्तु स्थिति का ठीक पता चलता है। संयुक्त प्रा
 के प्रत्येक हिंदू घर में हिंदी की स्थाई रूप से स्थापना करना हमारा मु
 उद्देश्य होना चाहिये। संयुक्त प्रांत की वर्तमान अवस्था 'दिया तले बँपेरे' का
 कहावत चरितार्थ करती है। हिंदू जनता के अतिरिक्त संयुक्त प्रांत की सर
 कारी तथा गैर सरकारी सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, यूनीवर्सिटी
 तथा प्रांतीय कांग्रेस सभा आदि का कारबार भी एक मात्र हिंदी में ही होना
 चाहिये। इस आंद भी पूर्ण उद्योग करने की आवश्यकता है।

दिल्ली की परिस्थिति पश्चिमी संयुक्त प्रांत से मिलती जुलती है।

संयुक्त प्रांत तथा दिल्ली का लड़ा कर अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी
 का प्रायः एक सदाधिन्य है। हिंदी-उर्दू की समस्या न मध्य प्रांत में है और
 न बिहार में है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान भी इस प्रश्न से मुक्त हैं। यह
 इन प्रदेशों का लोभाग्य है। मध्य प्रांत के हिंदी भाषी जिलों को अगनी
 भाग तथा मध्य प्रांत का अलग केन्द्र बना कर तन्मय होकर हिंदी की उन्नति
 का काम करना चाहिये। इस समय हिंदुस्तानी मध्य प्रांत का केंद्र जयपुर
 है, जहाँ में थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है। गढ़वा में भी हिंदी का बहुत
 काम हुआ है। बिहार में भी हिंदी को पूर्ण रूप से प्राप्त है। कभी कभी
 मैदानी बोलने वालों को अगनी बोलनी का मोह जबर हो जाता है। मध्य
 प्रदेश तथा राजस्थान यदि कोई तो आसानी-त उन्नति कर सकते हैं।
 लोभाग्यवश इन प्रदेशों में एक तरह से स्वभाव है। यदि हमारे हिंदू नोडल
 मनु कोई तो एक एक राज्य में हिंदी के कार्य का विशाल केंद्र बना सकते हैं।
 कुछ नहीं तो कोई एक सम्मेलन जैसे हिंदी की समस्याओं को अपना हिंदी
 भाषी प्रदेशों में स्थित विश्वविद्यालय का धन देकर से मनमाना हिंदी का
 काम करा सकते हैं। क्या अशुभा ही यदि राजस्थान के मध्य हिंदू नोडलम
 जिसका एक हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दें। हिंदी के प्रचार
 और उन्नति में हमें विशालता में हिंदी अतिरिक्त लाभ ही सकता है यह
 बताना उचित है। हैदराबाद विशालता उन्नति का यूनीवर्सिटी द्वारा उर्दू के
 सिने एक प्रचार का काम कर रही है। इसकी टक्कर का कार्य हिंदी की
 हिंदू राज्य में हिंदी के सिने अगनी नक नहीं हो रहा है।

यह स्मरण रखना चाहिये कि हिंदी भाषी प्रदेश में हमें केवल प्रचार का कार्य ही नहीं करना है बल्कि यहाँ हिंदी के भविष्य की श्रमली नींव भी दृढ़ करनी है। हिंदी का पुस्तक भंडार इन्हीं प्रदेशों के उद्योग में भरेगा। इन प्रांतों में हिंदी को उच्च से उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना है अतः साहित्य के अनिच्छित हमें अन्य समस्त व्यावहारिक विषय, जैसे विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास आदि पर उच्च से उच्च ग्रंथ तैयार करने हैं। यह काम थोड़ा बहुत आरंभ आवश्यक हो गया किन्तु अभी दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। क्या हिंदी में रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र अथवा विद्युत् शास्त्र की प्रामाणिक पुस्तकें हैं? विज्ञान को जाने दीजिये। क्या हिंदी में भारतवर्ष का प्रामाणिक इतिहास है, अथवा भारतीय अर्थशास्त्र पर कोई ऐसा ग्रंथ है जिसे अंगरेजों को अंगरेजी में अनुवाद करने की आवश्यकता पड़े? इस संबंध में सबसे प्रथम तो यह आवश्यक होगा कि अंगरेजी तथा अन्य भाषाओं में लिखे गये प्रत्येक विषय के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में कर लिया जाय। उसके बाद मौलिक ग्रंथ आवश्यकतानुसार धीरे धीरे लिखे जा सकेंगे। हिंदी प्रेमियों को याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहिले हिंदी में उपन्यास और गल्पों केवल बंगला आदि से अनूदित पढ़ने को मिलती थी। अनुवादों से भंडार भर जाने पर साहित्य के इन खंगों पर मौलिक ग्रंथ लिखे गए। अनुवाद करना कोई लज्जा की बात नहीं है कदाचित् सर लोगों को विदित न होगा कि यूरोप की भाषाओं में अंग्रेजी सबसे पीछे समझी जाती है। प्रथम ही और जर्मन भाषाओं के सामने अंग्रेजी के मौलिक ग्रंथों का भंडार २० वर्ष पीछे समझा जाता है। बीसवीं शताब्दी में बीस वर्ष एक युग के बराबर है। किन्तु परहार-निपुण चतुर अंगरेज जाति इसी अनुवाद के उपाय को काम में लाती है। जहाँ किन्हीं भी विषय पर कोई अच्छी पुस्तक यूरोप की किसी भाषा में निकली कि मूल शीघ्र से शीघ्र उगका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। इन अनूदित ग्रंथों के सहारे ही अंगरेज लोग नये शानोराजन करने में हमारे यूरोपीय देसों के बराबर रहते हैं।

भारतवर्ष के बाहर भी हमें हिंदी का प्रचार करने की आवश्यकता है। इनमें सबसे प्रथम स्थान उन उपनिवेशों का है जहाँ भारतीय भाई आकर बस गये हैं, जैसे दक्षिणी व पूर्वी अफ्रीका, त्रिजी, मारीशस, दमो आदि। यह काम भी अत्यंत आवश्यक है। व्यवहारिक ग्रंथों के अनिच्छित

साहित्यिक क्षेत्र में ही बहुत काम पड़ा है। हिंदी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों में से अभी तक बहुत कम के शुद्ध आदर्श संस्करण निकल सके हैं। नई पुस्तकों की खोज का काम अधूरा ही पड़ा है। जो साहित्य बन रहा है उसमें जनता से पूर्ण सहायता नहीं मिल रही है। किंतु यह विषय इस निबंध के क्षेत्र से बाहर का है।

भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों में हिंदी प्रचार का क्या रूप रहना चाहिये तथा उसके क्या उपाय हैं, इनका यहाँ दिग्दर्शन कराने का यत्न किया गया है। हमें हिंदी भाषी प्रदेशों की हिंदी की अवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सबसे प्रथम संयुक्तप्रान्त में हिंदी उद्दे के प्रश्न को—विशेषतया पश्चिमी भाग के हिंदुओं के बीच में—सुलभाने का यत्न होना चाहिए। यह प्रश्न हिंदी की भावी स्थिति के लिये अत्यंत महत्व का है किंतु इस ओर अभी तक थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा काम इन प्रांतों की सार्वजनिक संस्थाओं जैसे दफ्तर, कचहरी, शिक्षणालयों आदि में हिंदी का पूर्ण स्थत्व दिलाना है। इसमें हमें अंगरेजी और उर्दू दोनों से दफ्तर लेना पड़ेगी। तीसरा मुख्य कार्य उस्मानिया यूनीवर्सिटी की जोड़ का एक हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करना है। पहले अपना घर ठीक हो जाने पर फिर हमें बाहर की चिंता करनी चाहिये।

७—हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मोह

“मियाँ जी क्या दुबले, शहर के अदेशे से”—यह कहावत हिंदी-भाषियों पर अक्षरशः घटित होती है। किसी भी जानकर हिंदीभाषी से हिंदीभाषा के संबंध में बातचीत करके देखिये, वह दूसरे ही वाक्य में हिंदी के राष्ट्रभाषा-संबंधी महत्त्व की चर्चा किये बिना नहीं रहेगा। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की धुन उसके मस्तिष्क में ऐसी समा गई है कि हिंदी के संबंध में प्रत्येक अन्य समस्या उसे गौण मालूम होती है। यह रोग केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, हिंदी-भाषियों की संस्थाएँ भी इससे मुक्त नहीं हैं। कुछ संस्थाओं ने तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना अपना चरम ध्येय बना रखा है।

कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा अर्थात् अंतर्प्रान्तीय भाषा की समस्या कम महत्त्वपूर्ण है अथवा उसके संबंध में उद्योग ही नहीं होना चाहिये। मतभेद केवल यहाँ है कि इस समस्या को हम हिंदी-भाषी अपने भाषा तथा साहित्य-संबंधी उद्योगों में कौन स्थान दें—प्रथम या द्वितीय। सच तो यह है कि हमारी अवस्था उद्य कंगाल की-सी हो रही है जिसके घर में बच्चे भूखी मर रहे हों, भोगड़ी टूटी-फूटी पड़ी हो, घर का बच्चा-खुन्ना सामान पड़ोसी लिये जा रहे हों और वह समस्त नगर के बच्चों, घरों और सड़कों की उल्लति में तन्मय होकर मारा-मारा फिर रहा हो। अपना घर ठीक कर लेने के उपरांत - अथवा उसके साथ-साथ भी—पड़ान, नगर अथवा देश की चिंता करना मनुष्य के मनुष्यत्व की निशानी है।

वास्तव में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मोह ने हम हिंदीभाषियों को अपनी समस्याओं के प्रति अंधा कर दिया है। हमें आसाम, सिंध और लंका में हिंदी का प्रचार करने की धुन तो है, किंतु स्वयं हिंदी-प्रान्तों में हिंदी की क्या अवस्था है, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारी संस्थाएँ, हमारी पत्र-पत्रिकाएँ, हमारे नेता—हिंदीभाषियों की समस्त अन्य संस्थाओं के समान उनकी नेताओं की संस्था भी अस्तित्व भारतवर्षीय है—इस संबंध में कभी विचार ही नहीं करते। दिल्ली के अनिश्चित परिचामी संयुक्त प्रण की बैठक, आगरा और रोहिलखंड की कमिश्नरियों में हिंदी तथा देवनागरी लिपि

को अनी तक यह स्वाभाविक ग्यान नहीं प्राप्त हो गया है जो होना चाहिए, जयपुर तथा कई अन्य हिंदीभाषी राज्यों में मात्र भी हिंदी राजभाषा नहीं है और न देवनागरी राजनिधि ही है, मिथिला तथा मारवाड़ के सीमा प्रदेशों में हिंदी के प्रति विरोध की भावना धीरे-धीरे जाग्रत हो रही है, यह क्यों—इस प्रकार की संकड़ों ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें सुलभाना हम हिंदीभाषियों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, या। किंतु हमें अपनी समस्याओं की प्रायः जानकारी ही नहीं है। हिंदी का प्रचार अहिंदी भारत में कहीं कहीं हो रहा है और वहाँ कितने महसूब बकाल और व्यापारी हिंदी की पहली और दूसरी पोथी पढ़ चुके हैं, ये संख्यायें हमें फंटेस्य हैं।

भारतवर्ष के प्रत्येक अन्य भाषाभाषी प्रदेश की पढ़ी-लिखी जनता अपनी प्रादेशिक भाषा तथा साहित्य की उन्नति में लगी हुई है। टैगोर बंगला-साहित्य को अमर करने में संलग्न हुए, महात्मा जी ने आत्मकथा अपनी मातृ-भाषा गुजराती में लिख कर गुजराती-भाषा को स्थायी भेंट अर्पण की है, महाराष्ट्र के विद्वान् मराठी-साहित्य और इतिहास की खोज में जी-जान से जुटे हैं और अपनी खोज के परिणामों को मराठी में प्रकाशित करके अपनी मातृ भाषा का गौरव बढ़ा रहे हैं। और गुमनाम हिंदी-भाषी ? उनके एक प्रतिनिधि नेता पंडित नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा अंगरेज़ी में लिखी और उसके उद्दु-अनुवाद को आदर्श हिंदुस्तानी अतः आदर्श हिंदी सिद्ध करने में हमारे आलोचक-गण व्यस्त हैं। हमारे अधिकांश नेताओं को तो अखिल भारत-वर्षीय तथा सर्वभौम समस्याओं से इतनी भी फुरसत नहीं मिल पाती कि वे क्लम उठाकर अपनी मातृभाषा में क्या, किसी भी भाषा में कुछ लिखें-पढ़ें। इस संबंध में नाम गिनाना व्यर्थ होगा, क्योंकि प्रांत के अग्रगण्य विचारकों में लगभग समस्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नाम इस वर्ग में रक्त्ते जा सकते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी समझी जाती है, यदि वे ही हिंदीभाषा और साहित्य की अभिवृद्धि में हाथ नहीं लगावेंगे तो क्या बंगाली गन्गलेखक, मराठा इतिहासक, आंध्र वैज्ञानिक, तामिल राजनीतिक तथा सिंहाली समाज-सांख्यिक विद्वानों से यह आशा की जा सकती है कि वे हिंदी साहित्य के भंडार को भरेंगे ? उन्हें हिंदीभाषा और साहित्य के संबंध में न वैसी चिंता ही हो सकती है और न वैसी योग्यता ही उनमें आ सकती है। राष्ट्र-भाषा-परीक्षा देने के बाद किसी अंतर्प्रांतीय कमेटी में बैठ कर 'हिंदी हिंदुस्तानी'

प्रथम 'चालू—हिंदी' में बोलने की योग्यता प्राप्त कर सकना एक बात है और राष्ट्रभाषा में इन भाषा में स्थायी मामलों उपस्थित करना दूसरी बात है ।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त हम हिंदीभाषियों की इस राष्ट्रभाषा-समस्या के संबंध में क्या निश्चित नीति होनी चाहिए । इसका उत्तर स्पष्ट है । भारत की राष्ट्रभाषा अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय भाषा की समस्या समस्त प्रांतों से संबंध रखनेवाली समस्या है । वास्तव में तो इस समस्या का संबंध अन्य प्रांतों से अधिक है और हम हिंदी-भाषियों से कुछ कम ही है । एक बंगाली और एक गुजराती एक दूसरे की बोली बिलकुल ही नहीं समझ पाते—हमारी बोली तो थोड़ी-थोड़ी दोनों ही समझ लेते हैं । ऐसी परिस्थिति में इस समस्या को सुलझाने का उपाय अन्य प्रांतवालों को ही करने देना चाहिए । हम हिंदीभाषियों के इस आंदोलन में अग्रभाग लेने से एक यह भ्रम भी फैल रहा है कि मानों इसमें हमारा कुछ अपना स्वार्थ है । यहाँ तक कि हिंदी के संबंध में अन्य प्रांतों में कहीं-कहीं विरोध के लक्षण तक दिखलाई पड़ने लगे हैं । यदि कोई प्रांत स्वयं हमारी सहायता चाहे तो, अपनी भाषा और साहित्य से अपनाश मिलने पर, हमें प्रसन्नता पूर्वक भरसक सहायता दे देनी चाहिये ।

किंतु यह तभी हो सकता है जब हिंदी-भाषी अपनी भाषा और साहित्य की समस्याओं को ठीक-ठीक समझते हों और अपनी भाषा की आवश्यकताओं की ओर उनका ध्यान हो । अभी तो पढ़ा-लिखा हिंदीभाषी भी प्रायः हम भ्रम में है या डाल दिया गया है कि एक न एक दिन हिंदी समस्त भारतवर्ष की साहित्यिक भाषा हो जायगी, अर्थात् भविष्य के टैगोर, लोकमान्य, रमन तथा गांधी हिंदी में ही अपनी समस्त मौलिक रचनाएँ लिखेंगे और समस्त प्रांतीय भारते कदाचित् अकधी, बुंदेलखंडी, गढ़वाली आदि हिंदी की बोलियों की तरह रह जायगी । पहली बात तो यह है कि ऐसा स्वप्न असंभव है और यदि यह असंभव संभव भी हो जाय तो वास्तव में यह भारत वर्ग के लिए दुर्दिन होगा । अन्य भाषाभाषी लोग हिंदी की तो अधिक में अधिक उत्तनी ही सेवा कर सकेंगे, जितनी मुभी सरोजिनी नायडू अथवा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी अंगरेजी कृतियों के द्वारा इंग्लैंड के साहित्य की सेवा कर सके हैं । हाँ, अपनी अपनी मातृभाषा के क्षेत्र को संभाल करने में वे अत्यंत सहायक होंगे । मूलसीदाम का हिंदी में, नानक का पंजाबी में,

बुकाराम का मराठी में, नगमी मेहता का गुजराती में, चंडीदास का बंगाली में अपना हृदय निकाल कर रखना बिलकुल स्वाभाविक था। वास्तव में इस परिस्थिति की रक्षा होनी चाहिए। अंगरेज़ी के हटने पर एक नई अस्वाभाविक परिस्थिति के लिए प्रयत्नशील होना देश का अहित करना होगा; भाग की राष्ट्रभाषा अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय भाषा में किसी भी अन्य मातृभाषी का कोई भी स्थाई कृति छोड़ जाना सदा अस्वाभाविक-स्वरूप रहेगा। देश की एक निश्चित राष्ट्रभाषा बनाने का तात्पर्य इस महाद्वीप के राजनीति तथा व्यवसाय आदि संबंधी व्यावहारिक कार्यों के माध्यम का निश्चित करना मात्र है। मौलिक साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रत्येक प्रदेश की अपनी-अपनी भाषा रहेगी और रहनी चाहिए।

हिंदी राष्ट्रभाषा हो या न हो—उर्दू के मुझाविले में इसके राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो सकने की बहुत कम संभावना है—किंतु वह १०-१२ करोड़ हिंदीभाषियों की अपनी एकमात्र साहित्यिक भाषा तो है ही, और सदा रहेगी। इस ध्रुवमत्स्य की ओर से श्रांति मीचकर मृगतृष्णा के पीछे भटकना कहाँ तक उचित है? १०-१२ करोड़ प्राणियों की साहित्यिक भाषा को नष्ट-भ्रष्ट किये बिना राष्ट्रभाषा समस्या को मुलभूतने में अन्य प्रांतों का हाथ बँटाने के लिए हम हिंदीभाषियों को सदा उद्यत रहना चाहिए। सब कुट्ट होने पर भी राष्ट्रभाषा-समस्या अधिक से अधिक चंद लाल लोगों के पास व्यवहार की समस्या है, किंतु मातृभाषा हिंदी की समस्या करोड़ों के हृदय और मस्तिष्क से संबंध रखने वाली समस्या है। हमें राष्ट्रभाषा का कोई भी रूप और कोई भी लिंग स्वीकृत कर लेनी चाहिए, केवल एक शर्त पर कि हिंदी हिंदियों के लिए छोड़ दी जाय। कोई पागल आत्मघात कर ले, इसका तो कोई इलाज नहीं और न इसकी कोई शिकायत ही हो सकती है।

८-राष्ट्र-भाषा बनने का मूल्य

हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा मानने के पूर्व अन्य भाषा-भाषी लोग हिंदी में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। प्रत्येक भाषा-भाषी देश की माँग भिन्न है।

उदाहरण के लिए, हिंदी का लिंग भेद बंगालियों को कष्ट देता है क्योंकि बंगाली भाषा में व्याकरण संबंधी लिंग-भेद की परिस्थिति हिंदी से भिन्न है। अतः, उनका कहना है कि हिंदी-भाषा से भी लिंग-भेद की यह बारीकी हटा दी जाय। बंगाली के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी ने हिंदी व्याकरण संबंधी कुछ अन्य आयोजनाएँ भी उपस्थित की हैं। उनके तर्क का धार यह है कि परिश्रम किये बिना बंगाली यावू जैसी हिंदी बोल लेता है—“हम बोला कि हाथी जाती है”—वैसी ही ‘बालू हिंदी’ राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत होनी चाहिए। लिपि के संबंध में तो बंगालियों का हट है कि रोमन लिपि को राष्ट्र लिपि बना लेना चाहिए। सच तो यह है कि बंगाली भाषा के अनिश्चित किसी भी भारतीय भाषा तथा लिपि को सीखने में बंगाली अपनी भाषा और लिपि की मानहानि समझते हैं। उनकी विचार-शीली कुछ इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्जातीय कार्य के लिए वे अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि सीख चुके हैं। अतः, नये सिरे से एक अन्य भारतीय भाषा और लिपि क्यों सीखी जाय, विशेषतया जब कि वह भाषा उनकी समझ में उनकी अपनी भाषा से हटती है। यदि ऐसी भाषा उन्हें सीखनी ही पड़े तो उसका रूप ऐसा हो जाना चाहिए, जो उनकी अपनी भाषा के निकट हो। जितने उन्हें उसके सीखने में विशेष कष्ट न उठाना पड़े।

उर्दू के जानकारों की—चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान—राष्ट्र भाषा के संबंध में माँग भिन्न है। हिंदी तथा अन्य समस्त भारतीय भाषा-भाषाओं की अपनी संस्कृत के नालम शब्द उनके कामों में बहुत पसंदते हैं। इसका कारण इतिहास में संबंध रखता है। मुसलमान काल में भारत की राज-भाषा पारसी हो गई थी, जिस तरह अंग्रेज़ी राज्य में हमने राज-भाषा के रूप में अंग्रेज़ी सीखी। मुसलमान शासन के क्षीण होने पर उत्तर-भारत के पड़े निरंतर लोगों में पारसी पारसी शब्द मनुष्य में भिन्न नहीं बोरी हिंदी की एक ही भाषा बनने

हो गयी थी, जिस तरह आजकल अंग्रेजी पढ़े-लिखे कालेज के विद्यार्थियों तथा यात्री लोगों की आगम की यातचीत की अंग्रेजी-मिश्रित हिन्दी होती है। "इस Sunday को, मैं Market से एक pair socks लाऊँगा" तथा "इन्सान का फर्ज है कि वह मजदूरों के साथ मेहरवानी से पेश आवे"—ये दोनों वाक्य समान परिस्थितियों के फल हैं। अंतर केवल इतना है कि मुसलमानों के भारत में बस जाने के कारण पारसी-अरबी मिश्रित हिन्दी में, अर्थात् रेखता या उर्दू में, याद का साहित्य भी लिखा गया, किंतु पहली भाग अभी होस्टेल हिन्दी ही है। कभी-कभी हिन्दी के अप टू-डेट उपन्यासों और नाटकों में तथा नई स्कूली किताबों में इस भाग का प्रयोग कुछ दिनों से अवश्य दिखाई पड़ने लगा है।

हाँ, तो पारसी के याद उर्दू धीरे-धीरे राजभाषा बन गई तथा साथ ही उत्तर-भारत के नागरिक मुसलमानों और उनके संपर्क में आने वाले हिंदुओं की साहित्यिक भाषा भी हो गई। आज भी उर्दू कई प्रांतों में तथा कुछ हिंदू राज्यों तक में राज-भाषा का पद प्राप्त किये हुए है और उत्तर-भारत के शिष्ट नागरिकों के आपन के बोलचाल की भाषा भी यही समझी जाती है। अतः यह स्वाभाविक है कि उर्दू के जानकारों को उनकी चिर-परिचित खड़ी-बोली शैली में प्रयुक्त संस्कृत-शब्दावली बहुत प्यारी है। इस कठिनाई का मुख्य कारण यह है कि साधारणतया उर्दूदा 'भाषा' तथा 'नागरी' से विचकित ही अपरिचित हैं—'संस्कारित' का ज्ञान तो दूर की बात है। परंतु उपर्युक्त विशेष राजनीतिक परिस्थिति के कारण हिन्दी जाननेवाला प्रायः बोली बहुत उर्दू—कुछ नहीं तो साधारण बातचीत वाली उर्दू—जानता है। अतः, जब कभी उर्दू और हिन्दी जाननेवाले एक जगह एकत्र होते हैं तो उर्दूदा तो उर्दू बोलता ही है, हिन्दी का प्रतिनिधि भी उर्दू बर्णों का अपनी बात समझाने के उद्देश्य से, तथा कुछ संघ में आ जाने के कारण उर्दू में बोलने का प्रयत्न करने लगता है। यह परिस्थिति केवल व्यक्तियों की बातचीत तक ही सीमित नहीं है बल्कि हिन्दी प्रांतों की संस्थाओं, समाजों तथा काउंसिलों आदि तक में यही नियम ही रहा है। जल्द ही उर्दू का जानकार तुम्हें यह तर्क पेश करता है कि "आप जिन जगह में मुझ से मुलाकात कर रहे थे यह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आप 'संस्कारित' बोलने लगते हैं तब वह मेरी समझ में कतरा नहीं आती।" इसी उर्दू बर्ण

को संतुष्ट करने के लिए देश के राजनीतिक नेताओं को अब राष्ट्र-भाषा के लिए हिंदी के स्थान पर 'हिंदी-हिंदुस्तानी' अथवा केवल 'हिंदुस्तानी' नाम प्रयुक्त करना पड़ रहा है। समस्या वास्तव में नाम की नहीं है बल्कि भाषा शैली की है। 'हिंदी हिंदुस्तानी' या 'हिंदुस्तानी' कम कठिन उर्दू का दूसरा नाम है। हिंदी वर्ग की तसल्लों के लिए उर्दू के स्थान पर यह नाम इसे दिया जा रहा है। मतलब यह है कि हिंदी को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत करने का मूल्य उर्दू-दाँ हिंदी से भारतीय शब्दों के यथासंभव पूर्ण बहिष्कार के रूप में माँगते हैं या दूसरे शब्दों में शब्द-समूह की दृष्टि से हिंदी शैली के स्थान पर वे उर्दू-शैली को चलवाना चाहते हैं।

इधर गुजराती भाइयों की ओर से देवनागरी लिपि के सुधार की आयोजनाएँ आ रही हैं। शिरोरेखा-बिहीन गुजराती लिपि की अभ्यस्त आँखों को देवनागरी लिपि की ऊपर की आड़ी लकीर अतुदर और अनावश्यक मालूम होती है। अतः, उसे दूर करने के अनेक प्रस्तावों पर आजकल विचार हो रहा है। इसके अतिरिक्त देवनागरी के कई अक्षरों के स्थान पर बंधइया मराठी अक्षर प्रचलित करने के प्रस्ताव भी साथ-साथ चल रहे हैं।

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्र-भाषा मानने के पूर्व लगभग प्रत्येक भाषाभाषी प्रदेश-की कुछ न कुछ माँगें हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि हिंदी-भाषियों के प्रतिनिधि, जो प्रायः राजनीतिक नेता हैं—ऐसी समस्त माँगों को स्वीकृत कर लेने को उद्यत हैं, बिना यह सोचे हुए कि १०, १२ करोड़ हिंदी भाषियों को भी इन सुधारों में से किन्हीं की आवश्यकता है या नहीं। चंद लाख लोगों के कल्पित हित के लिए सैकड़ों वर्षों की भाषा और लिपि संबंधी परम्परा को तिलाजलि देने में इन्हें संकोच नहीं है, विशेषतया जब कि यह परंपरा ऐसी है जो करोड़ों व्यक्तियों के नित्यपति के जीवन का अंग हो गयी है। यह भी सोचने की बात है कि प्रत्येक भाषा-भाषी प्रदेश की माँग के अनुसार परिवर्तित यह राष्ट्र-भाषा हिंदी क्या एक विचित्र जंतु के समान नहीं हो जायगी? इसके अतिरिक्त लखनऊ के हिंदू-मुसलिम पैक्ट के समान यदि एक बार यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इरुका अंत भी हो सकेगा? फिर भारत के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कहाँ तक किया जा सकता है, यह भी विचारणीय विषय है।

वात वास्तव में विचित्र है। लाखों भारतीयों ने—जिनमें बंगाली, गुजराती,

मराठा, मद्रासी आदि सभी शामिल हैं—वात समुद्र पार की एक विदेश भाग अंग्रेजी सींग ली किन्तु किसी भी प्रदेश से एक भी प्रस्ताव पेश नहीं किया गया कि हम अंग्रेजी तब सीखेंगे जब अंग्रेजी शब्द-विन्यास, व्याकरण अथवा लिपि में अनुकूल-अनुकूल परिवर्तन कर दिये जायें। यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक अंग तर्क से बहुत दूर है। किन्तु अंग्रेजी अनेक अत्युत्कृष्ट रूप में भारत क्या संसार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो रही है और करोड़ों अन्य भाषा-भाषी उसे लगभग ठीक-ठीक सीख लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण लीजिये। योरप महाद्वीप की प्रधान भाषा फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी में हिंदी के समान तीन लिंग होने हैं और परिश्रम स्वरूप त्रिम तरह हिंदी में 'मेरा टोप' और 'मेरी कुर्सी' कहा जाता है, ठीक उसी तरह फ्रांसीसी में *mon chapeau* और *ma chaise* कहना पड़ता है। फ्रांसीसी लोग इस व्याकरण संबंधी लिंग-भेद को अपनी भाषा की एक बारीकी समझते हैं और उन्हें इस बात का गर्व है। कोई भी फ्रांसीसी इस बात को स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि उसकी भाषा में इस संबंध में कोई लौट-पौट किया जा सकता है और न आज तक लाखों अंग्रेज, जर्मन, दक्षिण, तुर्क, ईरानी तथा जापानी आदि फ्रांसीसी भाषा के सीखनेवालों की हिम्मत पड़ सकी कि वे योरप की इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हस्तक्षेप करें। किन्तु हिंदी तो अनाथों या सर्वभौम दृष्टिकोण रखने वालों की भाषा है। अतः, उस पर तो वह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ होती है कि "निर्बल की जीप सारे गाँव की सरहज।"

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि तब फिर आलस्य किया क्या जाय। इसका उत्तर कठिन नहीं है। हम हिंदीभाषियों को यह स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिये कि हिंदी जैसी है उसी रूप में वह यदि राष्ट्र-भाषा अर्थात् भारत की अंतर्प्रार्थनीय भाषा हो सके तो ठीक है नहीं तो बेहतर यह होगा कि हमारी भाषा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाय और कोई अन्य भाषा राष्ट्र-भाषा बना ली जाय अथवा राष्ट्र-भाषा हिंदी को हिंदी से भिन्न मान लिया जाय। यह बात तो समझ में आ सकती है कि अन्य भाषा-भाषी जब तक हिंदी को भली प्रकार न सीख सकें तब तक उनके चलते चलने या लिखने पर हिंदी भाषी न हँसे—अन्य भाषा-भाषी ने टूटे-फूटे रूप में भी एक अन्य भाषा सीख ली यही क्या कम है—किन्तु इन अशुद्ध भाषा बोलनेवालों का यह कहना

कि हम हिंदी-भाषी उर्दू के समान अशुद्ध भाषा बोलने लगे और अपने बच्चों को भी उसे सिखलावें यह ऐसी माँग है जिसे कोई भी हिंदी-प्रेमी स्वीकार नहीं कर सकता ।

हिंदी-भाषियों को गम्भीरतापूर्वक विचार करके यह निर्णय कर लेना चाहिए कि १०, १२ करोड़ की साहित्यिक भाषा हिंदी के राष्ट्र-भाषा, अर्थात् चंद्र लाल लोगों की अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बनने का वे क्या इतना मूल्य देने को उद्यत हैं ? आवश्यकता पड़ने पर अपनी मातृ-भाषा तथा लिपि में उचित सुधार करना भिन्न बात है क्योंकि ऐसे सुधारों का दृष्टि-कोण तथा उनकी सीमा भिन्न होगी ।



•

ग-हिंदी-साहित्य



१—सूरसागर और भागवत

लोगों की प्रायः यह धारणा है कि सूरसागर भागवत का यदि अनुवाद नहीं है तो स्वतंत्र उल्था अवश्य है। दोनों ग्रंथों की साधारण तुलना में इस विचार की पुष्टि भी होती है। भागवत और सूरसागर दोनों ही में बारह स्कंध हैं तथा भिन्न भिन्न स्कंधों की कथा में भी पूर्ण साम्य है। उदाहरण के लिए दोनों ग्रंथों में नवम स्कंध में रामावतार का वर्णन है तथा दशम स्कंध में कृष्णावतार का। इसी प्रकार अन्य स्कंधों के कथानक में भी समानता मिलती है। फिर इस पक्ष की पुष्टि में सब से बड़ा तर्क यह दिया जा सकता है कि स्वयं सूरदास ने इस बात का अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है—

श्री मुख चारि श्लोक दिये, ब्रह्मा को समुझाई ।

ब्रह्मा नारद सों कहे, नारद व्यास मुनाई ॥

व्यास कहे शुकदेव सों, द्वादश कंध बनाई ।

सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाई ॥ स्कंध १, ११३ ।

इस प्रकार के वाक्य साम्य तथा अतर्साक्ष्य के रहते हुए भी यदि सूरसागर तथा भागवत का विवेचन सूक्ष्म तुलनात्मक दृष्टि से किया जाय तो दोनों में समानताओं की अपेक्षा विभिन्नताओं की मात्रा अधिक दिखलाई पड़ती है।

संक्षेप में भागवत का मुख्य विषय भगवान् विष्णु के चौबीस अवतारों तथा उन के द्वारा भगवान् की अपरिमित शक्ति का वर्णन करना है। भागवत के प्रथम दो स्कंध भूमिका स्वरूप हैं। महाभारत की कथा का अंतिम अंश संक्षेप में देने के बाद परीक्षित ने किस प्रकार भागवत की कथा को शुकदेव से सुना इस का विस्तार, ग्रंथ के लक्षण आदि सहित, आदि के दो स्कंधों में मिलता है। तीसरे स्कंध से अवतारों का विवेचन प्रारंभ होता है और आठवें स्कंध तक शंकर, ऋषभदेव, नृसिंह, वामन, मत्स्य आदि गौण अवतारों का वर्णन दिया गया है। जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है नवम स्कंध में राम तथा दशम स्कंध में कृष्ण अवतार का विस्तृत वर्णन है। एकादश और द्वादश स्कंधों में हंस तथा भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार का उल्लेख करते हुए परीक्षित और शुकदेव से संबंध रखने वाली मूल कथा का उपसंहार किया गया है।

भागवत तथा सूरसागर में वर्णित अवतारों की सूची तथा क्रम आदि में कोई भारी भेद नहीं है। कुछ गौण अन्तर अवश्य हैं। किंतु सब से पहला बड़ा भेद भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के महत्व के संबंध में है। भागवत में कृष्ण तथा राम अवतार प्रमुख अवश्य हैं और इन दोनों में भी कृष्ण अवतार सर्वोपरि है—उस का विस्तार भी सब से अधिक दिया गया है—किंतु अन्य अवतारों की बिल्कुल उपेक्षा नहीं की गई है। सूरसागर में कृष्ण अवतार ही सब कुछ है। राम अवतार के अतिरिक्त अन्य अवतारों का उल्लेख नाम-मात्र के लिए किया गया है। यह भेद नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जावेगा :—

भागवत		सूरसागर	
स्कंध	अध्याय संख्या	स्कंध	पद संख्या
१	१९	१	२१९
२	१०	२	३८
३	३३	३	१८
४	३१	४	१२
५	२६	५	४
६	१९	६	४
७	१५	७	८
८	२४	८	१४
९	२४	९	१०२
१० पूर्वाह्न उत्तराह्न	४९ } ४१ } ९०	१० पूर्वाह्न उत्तराह्न	३४९४ } १३८ }
११	३१	११	६
१२	१३	१२	५
	<u>३३५</u>		<u>४०३२</u>

अर्थात् भागवत में ३३५ अध्यायों में से ९० अध्याय कृष्ण अवतार से संबंध रखने वाले हैं और सूरसागर में लगभग ४००० पदों में से ३६०० से अधिक पदों में कृष्ण-चरित्र का वर्णन है तथा शेष ४०० पदों में विनय आदि साधारण विषयों के अतिरिक्त शेष ३२ अवतारों का उल्लेख है।

ऊपर की तालिका पर ध्यान देने से एक अन्य अंतर भी स्पष्ट दिखलाई

पड़ता है। भागवत तथा सूरसागर दोनों ही में दशम स्कंध दो भागों में विभक्त है—पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध। दशम स्कंध पूर्वार्द्ध में तब तक का कृष्ण-चरित्र मिलता है जब तक कृष्ण ब्रज अर्थात् गोकुल, वृन्दावन तथा मथुरा में थे। दशम स्कंध उत्तरार्द्ध में कृष्ण के मथुरा छोड़ कर द्वारिका जाकर बसने तथा उस के बाद की घटनाओं का वर्णन है। भागवत में कृष्णचरित्र पूर्वार्द्ध की कथा ९० में से ४९ अध्यायों में तथा उत्तरार्द्ध की कथा ४१ अध्यायों में दी गई है, किंतु सूरसागर में पूर्वार्द्ध की कथा लगभग ३५०० पदों में तथा उत्तरार्द्ध की कथा केवल १२८ पदों में मिलती है। इस का तात्पर्य यह है कि कृष्णचरित्र में से भी केवल ब्रजवासी कृष्ण सूरदास के लिए सब कुछ थे द्वारिकावासी राजनीतिज्ञ तथा योगिराज कृष्ण सूरसागर के रचयिता के लिए कुछ भी महत्व नहीं रखते थे।

इस तरह सूरसागर का प्रायः दशम स्कंध पूर्वार्द्ध अर्थात् ब्रजवासी कृष्ण का चरित्र-चित्रण मात्र रह जाता है, किंतु यह चित्रण भी भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्द्ध के चित्रण से बहुत भिन्न है। भागवत में पूतना, तथा बस, प्रलंब आदि असुरों के संहार से संबंध रखने वाली अलौकिक लीलाओं के विस्तृत वर्णनों द्वारा भगवान की असुर-संहारिणी शक्ति को सामने लाकर उपस्थित किया गया है। सूरसागर में इन बाल-लीलाओं का बहुत संक्षेप में उल्लेख-मात्र मिलता है, और भगवान की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का आकर्षक सुंदर रूप तथा उनकी राधा तथा गोपियों से संबंध रखनेवाली प्रेमलीलायें पूर्ण विस्तार के साथ दी गई हैं। सूरसागर के इस मौलिक पद-समूह का वर्गीकरण प्रायः तीन शीर्षकों में किया जाता है—(१) बाल्य-रस-प्रधान अथवा बाललीला, (२) संयोग-द्वार-प्रधान अथवा राधाकृष्ण या गोपी-कृष्णलीला, तथा (३) विप्रलंब-द्वार-प्रधान अथवा राधा-गोपिका-विरह या भ्रमरगीत।

यहाँ यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि भागवत में इन विषयों का विवेचन या तो विशेष मिलता ही नहीं है और यदि मिलता भी है तो बहुत संक्षेप में और भिन्न दृष्टिकोण के साथ। कृष्ण की बाललीला भागवत में केवल दो-तीन पृष्ठों में ही गई है, सूरसागर में यही बहुत विस्तार के साथ लगभग तीस पृष्ठों में मिलती है। सूरसागर में अन्नदासन, बरप-गाँठ, पाँव चलना, चाँद के लिए मञ्जना आदि अपने सम्राज के प्रत्येक बालक

की वात्स्यावरुधा से संबंध रखने वाले अनेक नए विषयों का समावेश किया गया है; तथा मिट्टी खाना, माखनचोरी आदि भागवत में पाए जाने वाले विषयों का विशेष मौलिक विस्तार मिलता है। प्रेमलीला के संबंध में भागवत में केवल कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन मिलता है। राधा का नाम भी भागवत में नहीं आया है। सूरसागर में राधा-कृष्ण के प्रेम का आरंभ, विकास तथा परिणाम बहुत ही सुंदर ढंग से तथा पूर्ण विस्तार के साथ वर्णित है। उद्धव-संदेश की कथा भागवत में है अचर्य, किंतु विलकुल नीरस रूप में है। सूरसागर में गोपियों की विरहावस्था का अत्यंत उच्छृंखल वर्णन है और इसके अतिरिक्त इस कथा का उपयोग निर्गुण उपासना तथा शान-कर्म मार्गों की अपेक्षा सगुण उपासना तथा भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किया गया है। इन मौलिक अंशों का विस्तार भी कम नहीं है। सूरसागर के दशम स्कंध पूर्वार्द्ध के अधिकांश का विषय कृष्ण की इस नये दृष्टिकोण से की गईं बाल तथा प्रेम-लीलायें ही हैं।

अब एक स्वाभाविक प्रश्न यह हो सकता है कि फिर सूरसागर का क्रम भागवत से इतना अधिक मिलता हुआ क्यों है तथा स्वयं सूरदास अपनी कृति को भागवत का 'भाग्य' रूप क्यों कहते हैं? सूरसागर का प्यानपूर्वक अध्ययन करने पर प्रत्येक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि वर्तमान सूरसागर एक ग्रंथ नहीं है बल्कि सूरदास की प्रायः समस्त कृतियों का संग्रह है। इसका मूल ढाँचा वास्तव में भागवत के बारहों स्कंधों का अर्थात् संपूर्ण छन्दोबद्ध अनुवाद मात्र है। यह वर्णनात्मक अथ काव्य की दृष्टि से अथवा अग्रफल है तथा धार्मिक दृष्टि से भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। इसी संशय के कारण यह धोका होता है कि सूरसागर भागवत का उल्था है, किंतु वास्तव में यह अथ अत्यंत मौल्य है। भागवत के इस गद्यित सुदीनद अनुवाद में अनेक स्थलों पर कवि की तद्विषयक मौलिक पदरचना भी संश्लेषित है। ये पदमनुह विशेषतया दशम स्कंध पूर्वार्द्ध में मिलते हैं। ये अथ ही वास्तविक सूरसागर कह जा सकते हैं। मौलिकता, रसामयता तथा धार्मिक विकास की दृष्टि से यह पदमनुह अर्थात् महत्पूर्ण है। कवि की अन्य पुराण रचनाएँ भी सूरसागर में अनेक स्थलों पर संश्लेषित हैं। हिन्दी हिन्दी कीताग्रो का वर्णन तीन-तीन बार-बार मिलता है। उदाहरण के लिए, सूरसागर में तीन अमरगानि मिलते हैं—पहला भागवत का उल्था है, दूसरा तद्विषयक

मौलिक पदसमूह तथा तीसरा एक छोटा-सा छंदोपद भ्रमर-गीत है, जो छंद आदि की दृष्टि से नंददास-कृत भँवरगीत का पूर्वरूप मालूम पड़ता है।

इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भागवत का आंशिक अनुवाद होने पर भी इस समय सूरसागर नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ का अधिक अंश कथानक तथा साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मौलिक है। इन मौलिक अंशों में प्रथम स्कंध के प्रारंभ में पाए जाने वाले विनयसंबंधी पद भी संमिलित किए जा सकते हैं। यह अंश सूरदास की विनयपत्रिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। दासभाय की प्रधानता के कारण विनयसंबंधी अधिकांश पदसमूह कदाचित् बल्लभाचार्य के सर्ग में आने से पहले कवि द्वारा लिखा गया हो, यह आश्चर्य नहीं। चौरासी वाक्ता में इस अंश के कुछ पदों का निर्देश सूरदास तथा बल्लभाचार्य की प्रथम भेंट के अवसर पर किया गया है। इन मुख्य मौलिक अंशों के अनिश्चित छोटे-छोटे मौलिक पदसमूह ग्रंथ में अनेक स्थलों पर मिलने हैं। विस्तार-भय से इनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।



२-हिंदी साहित्य में वीर रस

साहित्य में साधारणतया तीन रसों का प्राधान्य रहता है। शृङ्गार, वीर तथा शांत। इनमें से भी प्रायः एक ही रस एक समय में सर्वोपरि रहता है। चरु के समान क्रम से इनका आधिपत्य बदलता रहता है। उपर्युक्त नियम सर्वव्यापी दिखलाई पड़ता है। संसार के समस्त साहित्यों में साधारणतया इन तीन मुख्य रसों के परिवर्तन का खेल देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य भी इस नियम का अपवाद नहीं है। प्रस्तुत लेख में हिंदी साहित्य में वीर रस की अवस्था पर कुछ विचार प्रकट किए गये हैं।

हिंदी साहित्य में वीर रस की तीन मुख्य अवस्थाएँ दिखलाई पड़ती हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ ही वीर-रस-प्रधान चारण काव्यों तथा वीर गाथाओं से हुआ है। अपने साहित्य द्वारा प्राप्त वीर रस के इस प्रथम रूप पर हमें तनिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये। आदि काल के चारण-साहित्य में पृथ्वीराजराओ एक मुख्य भंग्य है। इसे आयोगत पढ़ जाने पर, सच पूछिये तो, इस काल के वीर रस से घृणा होने लगती है। संक्षेप में राओ में दो मुख्य बातों का वर्णन है। प्रथम पृथ्वीराज का पड़ोस के हिंदू राजाओं की मुरर कन्याओं को छीनने का प्रयत्न तथा इस कारण अपने पड़ोसी हिंदू राजाओं से अगणित युद्ध, दूसरे विवाह कर लेने के बाद विलास-प्रियता तथा तबियत उब जाने पर मृगया।

मुहम्मदगोरी से पृथ्वीराज का युद्ध गौरव विषय है और उसमें भी पार्श्विक यत्न तथा व्यक्तिगत हानि लाभ का दृष्टिकोण मुख्य है। राओ के वीर रस में राष्ट्र के हित की भनक कहीं नहीं है और न कहीं देश की आत्मा को समुन्नत करने वाले कोई विचार हैं। आल्दलंड भी हिंदू राजाओं की आरस की लड़ाई की एक विस्तृत कथा है। हिंदी साहित्य के आदि काल के वीर रस में न्यूनाधिक यही रूप दिखलाई पड़ता है। संक्षेप में वीर रस नीच उद्देश्यों के लिए आरस में लड़ मरने पर ही समाप्त हो जाता है। प्रायः १२०० में १६०० ईसवी के बीच मुसलमान आक्रमणकारियों ने गढ़ा की पट्टी में अपने दैर जमाये थे। किंतु इन काल में हिंदी का एक भी

महाकाव्य नहीं बना, जो हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए आत्म-बलि का इतिहास हो। सच तो यह है कि गङ्गा की घाटी की हिंदू जनता ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आत्मबलि की ही नहीं। कुछ हिंदू एक-एक करके अपने राज्यों की रक्षा के लिए अवश्य लड़े थे। इनमें से कुछ तो युद्ध में मारे गये थे और कुछ हार कर अपना राज्य विदेशियों के हाथ में छोड़ कर भाग गये थे। हिंदू राजाओं और मुसलमान आक्रमणकारियों के स्वार्थ से संघर्ष रखने वाले इन युद्धों का विस्तृत वर्णन भी हमारे आदि काल के साहित्य का मुख्य अंग नहीं है।

वीररस का दूसरा रूप हमें १६०० ईसवी के पश्चात् मुसलमान राजवंशों के पतन के समय में मिलता है। उस समय कुछ हिंदू नरेशों ने फिर से हिंदू राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था। इन राजाओं में मुख्य महाराष्ट्र के छत्रपति-शिवाजी थे जिनकी प्रशंसा में भूषण ने बहुत कुछ लिखा है। पंजाब के लिखन-उत्थान के संघर्ष में हिंदी कवियों ने विशेष नहीं लिखा। हिंदी भाषाभाषी प्रदेश में कोई भी बड़ा हिंदू राजा स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न में सफल नहीं हो सका नहीं तो शायद कुछ अच्छे महाकाव्य लिखे गये होते। राजपूताने में महाराणा प्रताप आदि कुछ नरेश अवश्य अपनी स्वतंत्रता के लिए जय-जय लड़ते रहे। वहाँ के चारणों ने इस संघर्ष में कुछ लिखा भी है। इस काल का वीररस भी व्यक्तिगत है। किन्तु इसमें इतना परिवर्तन अवश्य हो गया था कि हिंदू नरेशों के आपस में लड़ने के स्थान पर अब हिंदू और मुसलमान नरेशों का युद्ध मुख्य विषय हो गया था। अतः साहित्य में एक प्रकार की हिंदू भावना मिलती है। किन्तु इस हिंदुत्व और आजकल की राष्ट्रियता में बड़ा अंतर है। देश की स्वतंत्रता की दृष्टि में जनता की आत्म-बलि की भूलक अब भी देखने की नहीं मिलती। हिंदू राजाओं का एक बार फिर अपने राज्य स्थिर करने का प्रयास अवश्य दिखलाई पड़ता है।

वीररस की अन्तिम किन्तु सच्चे रूप की भूलक बीसवीं सदी में ही देखने को मिलती है। हिंदू नरेश नहीं, बल्कि भारतीय जनता अब सती नींद के पश्चात् करबटे बदन रही है और सदियों की दासता का भाग उसे होने लगा है। स्वतंत्रता का वर्तमान आंदोलन जनता का आंदोलन है—न वह राजदरों से संबद्ध है और न किसी धर्म से ही। स्वतंत्रता के इस राष्ट्रीय युद्ध का अभी

आरंभ ही दुष्टा है। अतः पड़ी मज्जा में आत्म-यति का अद्वय ही नहीं थाया है। जिस दिन यह मदान युद्ध होगा, चाहे यह देशव्यापी स्याद्ध आंदोलन के रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में, और जिस दिन भारत-वासी व्यक्तिगत गतवंश स्थापित करने के लिए नहीं और न हिंदू मुसलमान या सिक्ख राज्प स्थापित करने के लिए बल्कि भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए, दारो-मालो की मज्जा में आत्म-यति करेंगे, उसी दिन भारतीय भाषाओं में सच्चे वीररस की गाथाएँ लिखी जायेंगी। आजकल की देश में संबंध रखने वाली कुछ-कर कवितायें भविष्य में लिखे जाने वाले वीररस के महाकाव्यों के लिए कवियों के अभ्यास स्वरूप हैं।

हिंदूपति पृथ्वीराज, छत्रपति शिवाजी, अथवा महाराष्ट्रा प्रचार की गाथाओं में देशवासियों को सच्चे वीररस से प्रोत्साहित करने की सामग्री अधिक मात्रा में नहीं मिल सकती। इसके लिए हमें कुछ यूरोपीय देशों के भूतकाल अथवा अपने देश के वर्तमान अथवा भविष्य की ओर देखना पड़ेगा।

३—हिंदी साहित्य का कार्यक्षेत्र

हिंदी के कार्यक्षेत्र में कुछ अराजकता भी पैली हुई है। हिंदी के संबंध में कितने दंग के मुख्य मुख्य काम हैं और उनके लिये कौन व्यक्ति उपयुक्त है इस संबंध में बहुत कम विचार किया गया है। पल यह है कि उद्देश्य हीन दंग से प्रत्येक हिंदी प्रेमी जो भी काम सामने आता है उसे करने लगता है। यह मंच है कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं की कमी के कारण तथा परिस्थिति की कठिनाइयों के कारण भी कार्य विभाग वैज्ञानिक दंग से नहीं हो पाता है किंतु हिंदी कार्यक्षेत्र की वर्तमान अराजकता का मुख्य कारण हिंदी प्रेमियों का इस संबंध में विचार न करना ही विशेष रूप से मालूम पड़ता है।

प्रत्येक साहित्य के क्षेत्र में चार प्रकार के मुख्य कार्य रहते हैं:—

- १—साहित्य रचना।
- २—साहित्य अप्पापन।
- ३—साहित्यिक खोज। तथा
- ४—साहित्य संबंधी प्रचार और प्रबंध।

हिंदी के कार्यक्षेत्र में भी ये ही चार मुख्य कार्य हैं किंतु यहां कार्य विभाग के संबंध में कोई क्रम नहीं है। हिंदी के संबंध में किसी भी कार्यक्षेत्र में काम करने वाला अपने को समस्त अन्य कार्यों के योग्य समझता है। हिंदी में कुछ कवितायें लिख देने से मनुष्य हिंदी साहित्य का मर्मज्ञ समझा जाने लगता है। हिंदी की किसी भी संस्था का प्रबंधकर्ता होने से आदमी हिंदी विद्वान हो जाता है। हिंदी अप्पापक तो कोई भी हिंदी भाषी हो सकता है। किसी हिंदी पत्र के संग्रहक हो जाने से मनुष्य इस चातुर्वर्ण्य के भगड़े से निरंकुल ही मुक्त हो जाता है और आई० सी० एस० वालों की तरह उसमें समस्त संभव और असंभव बातों के कर डालने की योग्यता अपने आप आ जाती है। इस अराजकता के कारण हिंदी कार्यक्षेत्र की समुदाय में तरह-तरह की बाधाएँ पड़ रही हैं। अतः प्रत्येक क्षेत्र के कार्य का उत्तरदायित्व क्या है इस पर ध्यान पूर्वक विचार करना यहां अनुचित न होगा।

१ साहित्य रचना

साहित्य रचना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश का साहित्य उसके अनुरूप होता है। साथ ही प्रत्येक देश का अभ्युदय उसकी साहित्य की प्रगति पर निर्भर है। अतः मौलिक लेखकों पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व होता है।

हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जो कुछ भी आजकल छद्म रहा है वह विस्तृत अर्थ में हिंदी साहित्य के अंतर्गत है। देश के दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य से हमारी उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है। इसका फल यह रहा है कि हमारे देशवासियों अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन विषयों पर हिंदी में अपने विचार प्रकट करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। भारतवासियों के द्वारा लिखे गये अंग्रेज़ी उपन्यासों या काव्य-ग्रंथों का अंग्रेज़ी साहित्य में कोई स्थायी स्थान नहीं हो सकता इस बात को समझ कर ही तो श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 'गीताजलि' तथा अन्य ग्रंथ अपनी मातृभाषा बंगाली में लिखे। माइकेल मधुसूदन दत्त को उनकी अंग्रेज़ी रचनाओं के कारण न कोई भारत में जानता है न यूरोप में किंतु बंगाली रचनाओं के कारण बंगाली साहित्य में उनका नाम अमर हो गया। महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी गुजराती में लिखी है; फिर उसके हिंदी तथा अंग्रेज़ी अनुवाद हुए हैं। लोकमान्य तिलक की सर्वोत्तम कृति 'गीता रहस्य' मराठी में है।

ऊपर लिखे उदाहरणों से बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र के अग्रगण्य विद्वान तथा लेखकों का सच्ची राष्ट्रीय भावना टपकती है। हिंदी भाषी प्रदेशों में अभी इस प्रकार की भावना जागृत नहीं हो पाई है। यहाँ के अध्ये से अध्ये मस्तिष्क अंग्रेज़ी पढ़ कर जीविदा के लिये अंग्रेज़ी संस्थाओं में नौकरी करके पैतृ पालने में ही नष्ट हो जाते हैं। रोप दूसरी श्रेणी के लोगों में नै जिनकी लगन तथा प्रतिभा हिंदी में रचना करने की ओर होती भी है उनके सामने जीविदा की समस्या सदा मुंह मोपे लड़ी रहती है। जब यह होगा है कि लगन है काव्य लिखने की किंतु लिख रहे हैं उपन्यास; प्रतिभा है मौलिक उपन्यास लिखने की, किंतु समय लगाना पड़ता है मूठ देशर वेत के लिये पैसे कमाने में; इच्छा है इतिहास ग्रंथ लिखने की लेकिन लिखनी

पड़ती है किसी प्रकारक के लिये स्कूली किताबें जो कदाचित् लेखक के नाम से भी नहीं छपेंगी ।

इस समय जो कुछ थोड़ा बहुत मौलिक रचना का कार्य हो रहा है उसमें से अधिकांश उद्देश्य हीन दंग से चल रहा है । बहुत बड़ा अंश तो बंगाली अथवा अंग्रेजी साहित्य की जुगली मात्र है । हम यह भूल जाते हैं कि बंगाल की आवश्यकता पूर्ण रूप से हमारी आवश्यकता नहीं हो सकती । इसके अनिरीक्त पौराणिक गाथाओं का आधार अभी भी श्रांति मीच कर चला जा रहा है । हिन्दी लेखकों ने राम का पीछा तो छोड़ दिया है लेकिन कृष्ण बेचारे का पीछा अब भी नहीं छोड़ रहे हैं । फिर यह कृष्ण भी महाभारत के कृष्ण नहीं हैं, न गीता के ही कृष्ण हैं । यह कृष्ण हैं भागवत के गोपीकृष्ण या सूरसागर के राधाकृष्ण । सच पूछिये तो यह व्यर्थ का पिष्टपेयण मात्र है । यदि आधुनिक काल की ओर लेखकगण आते हैं तो वे महाराष्ट्र प्रताप, महाराज शिवाजी, अथवा पंजाब केसरी रणजीतसिंह की ओर चले जाते हैं जिनमें से किसी का भी हिन्दी जनता से घनिष्ठ परिचय अथवा संबंध नहीं है । हम भूल जाते हैं कि पानीपत पर अनेक महाकाव्य लिखे जा सकते हैं । कन्नौज के स्वप्नदरों में अगणित उपन्यासों की कथावस्तुएँ छिपी पड़ी हैं । गंगा की पुण्यरमृति भारतीय आर्यों की सभ्यता का समस्त इतिहास है । लोभाग्रयण इधर कुछ दिनों से लेखकों का भुकाव धीरे धीरे इधर हो रहा है । जो लेखक जितना ही अधिक जनता के हृदय को ओर भुक्ता है उतना ही अधिक वह अपनी कृति में सफल हो जाता है । किन्तु जनता के हृदय में प्रवेश करने में अभी बहुत दिन लगेंगे ।

२-साहित्य अध्यापन

श्रीलंका के एक विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित हिन्दी अध्यापक एक बार मुझ से कह रहे थे कि यद्यपि मेरे सहकारी अध्यापक ऐसे-ऐसे प्रतिष्ठित हिन्दी के मौलिक रचयिता हैं कि जिनके अक्षर भी ० ए० एम० ए० तक पढ़ाये जाते हैं किन्तु अध्यापक की दृष्टि से ये लोग पूर्णतया असफल रहे हैं । यह बात बिलजुल सच हो सकती है । अध्यापक और मौलिक रचयिता का क्षेत्र पृथक् है और साधारणतया एक व्यक्ति केवल एक ही क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है ।

किंतु इस संबंध में हिंदी सभार में बड़ा भारी भ्रम पैदा हुआ है। प्रत्येक हिंदी अध्यापक से यह आशा की जाती है कि वह कवि संवेदन में अत्यंत रचना मुनाबेग। साथ ही हिंदी का प्रत्येक कवि, लेखक संवादक या प्रबंधक हिंदी अध्यापक होने के लिये योग्य समझ लिया जाता है। समस्त प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य मनन तथा धारणीतन करना और फिर उस अध्यापक के सार को विद्यार्थियों के संयुक्त सरम तथा मुबोध दग में रचना एक ऐसी कला है जिसमें विश्व होने वाले के लिये किसी भी और काम के लिये सम नहीं निकल सकता। यह अवश्य है कि अध्यापक कई श्रेणियों के होते हैं। हिंदी मिडिल स्कूल अथवा नामल स्कूल के अध्यापक का कार्य तथा विश्व विद्यालय अथवा विद्यापीठ के अध्यापक के कार्य में कुछ विभिन्नता अवश्य है। किंतु इस पर भी अध्यापक से लेखक तथा कवि होने की आशा करना अथवा सफल कवि में सफल अध्यापक को ढूँढना साधारणतया उचित नहीं है।

अभी कुछ दिनों से हमारी उच्च शिक्षा में हिंदी साहित्य को स्थान मिल सका है अतः हिंदी अध्यापकों का समूह बनने में अभी कुछ समय अवश्य लगेगा। इस अध्यापकवर्ग में कुछ मौलिक लेखक रहेंगे, किंतु यह निपट नहीं हो सकता। क्योंकि वास्तव में इन दो कार्यों के लिये दो भिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है।

३-साहित्यिक खोज

अध्यापन से अगर किसी अन्य कार्य का संबंध है तो वह साहित्यिक खोज का है। ऊँची कक्षाओं के अध्यापक को अध्यापन के कार्य के लिये विशेष अध्ययन करना पड़ता है। इस अध्ययन द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री का उपयोग वह अध्यापन के लिये करता है किंतु यदि उसका मुकाब खोज की ओर हो तो वह धीरे-धीरे इस कार्यक्षेत्र की ओर भी उतर सकता है। साधारणतया सफल अध्यापक तथा सफल अन्वेषक का एक व्यक्ति में संयोग बहुत ही कम पाया जाता है। यह अवश्य देखने में आता है कि ऊँची कक्षाओं के अध्यापकों में से कुछ व्यक्ति खोज के क्षेत्र में उतर जाते हैं और फिर वे नाम मात्र के लिए अध्यापक रह जाते हैं। उस दिन बिलापन से लौटे हुए एक मित्र कह रहे थे कि इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित विद्वान्

अध्यापक उन्हें बतला रहे थे कि मुझे वर्प में छः व्याख्यान विद्यार्थियों को देने पड़ते हैं इस कारण मेरे अपने खोज के कार्य में बड़ी बाधा पड़ती है। यूरोप के बड़े विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्वान् अध्यापकों से अध्यापन का कार्य नाम मात्र को ही लिया जाता है।

इस संबंध में एक बात और ध्यान देने की है। खोज के लिये अगणित विषय हैं। यह युग विशेषरूढ़ता का है। हिंदी के कार्यक्षेत्र में खोज करने वाले विद्वानों की संख्या अभी उँगली पर गिनी जा सकती है। बहुत से विषय तो ऐसे हैं जिनमें खोज करना तो दूर की बात है अभी अन्य भाषाओं के तद्विषयक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी नहीं हो पाया है। ऐसी अवस्था में प्रायः यह देखा गया है कि यदि कोई हिंदुस्तानी अंग्रेज़िया-विद्वान् हिन्दी से सहानुभूति भी रखने हैं तो उनको गिनतो उस विषय के हिंदी विद्वानों में होने लगती है। फिर इतिहास के विद्वान् सूरदास अथवा तुलसीदास के भी विशेषरूढ़ मान लिए जाते हैं। यही अराजकता के लक्षण हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा से यह आशा करना कि ये सूरदास के दृष्टिकोणों का अर्थ ठीक लगा सकेंगे या महाकवि विहारी की किसी चौखी उक्ति की सद्बुद्धयता समझ सकेंगे उनके साथ अन्याय करना है और उनको अपने उपयोगी मार्ग से विचलित करना है।

भिन्न भिन्न विषयों पर हिंदी के माध्यम से खोज वा कार्य करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है। साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, धर्म, दर्शनशास्त्र, ललित अथवा उपयोगी कलाओं तथा भाषाशास्त्र आदि में खोज करने वालों के नाम स्वयं ढूँढ कर देखिये तभी हिंदी साहित्य की गरीबी का पता लगेगा। यूरोपीय भाषाओं में इन समस्त विषयों के अगणित उपविभागों पर सैकड़ों विद्वान् कार्य कर रहे हैं। हिंदी के इस कार्यक्षेत्र में इस दिन के आने में अभी बहुत दिन हैं।

साहित्य-संबंधी प्रचार तथा प्रबंध

यह कार्यक्षेत्र अत्यंत उपयोगी तथा आवश्यक है। प्रबंध संबंधी प्रतिभा रखनेवाले व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होने हैं फिर ये इस प्रतिभा का उपयोग हिंदी प्रचार अथवा हिंदी की किसी संस्था के प्रबंध में करें यह विशेष हर्ष की बात है। यह होते हुए भी हमें यह नहीं भुलाना चाहिये कि प्रबंधक होने से ही कोई व्यक्ति विद्वान् या लेखक नहीं हो जाता है। 'पापनियर' के

प्रबंध-संपादक को किसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापक बनाना तक उपयुक्त होगा अथवा 'आक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी प्रेस' के मालिक से शेक्सपियर की किसी पंक्ति का अर्थ पूछना कहाँ तक उचित होगा। किंतु हिंदी संसार में यह सब हो रहा है। जैसे धनवाले को यश यथा शक्ति की लिए होती है ऐसी ही सफल प्रबंधक को विद्वान तथा लेखक गिने जाने की उल्टी बांछा होती है। यह दोनों ही अनधिकार चेष्टाएँ हैं।

हिंदी के दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक तथा त्रैमासिक पत्र पत्रिकाओं के संपादकों का एक बड़ा भारी वर्ग है। इस वर्ग के सम्य प्रायः हिंदी के संबंध में प्रत्येक कार्य के लिये योग्य समझे जाते हैं। इस वर्ग के हाथ में सब पूछिये तो देश को बनाने अथवा बिगाड़ने की बड़ी भारी शक्ति है। किंतु मेरी प्रार्थना तो यह है कि इस वर्ग को हिंदी साहित्य के साथ नहीं खेलना चाहिये। यह काम तो यह वर्ग मौलिक लेखक, विद्वान तथा अध्यापक वर्ग के हाथ में छोड़ दे तो अच्छा हो। इसी में साहित्य का कल्याण है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के संपादक को हम शेक्सपियर के नाटकों के संपादन का कार्य नहीं देंगे। न 'लीडर' के संपादक से हम यह आशा कर सकते हैं कि वह 'वर्ड्सवर्थ' की तरह कविता लिखे या 'अंग्रेजी साहित्य का इतिहास' लिख डाले।

हिंदी कार्यक्षेत्र में जो अराजकता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उनका ऊपर दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति परिमित है अतः उसको चाहिये कि वह अपने को जिस कार्य के लिये योग्यतम समझे उसी को यथासंभव अपने जीवन का ध्येय बना ले। साहित्य के क्षेत्र में मौलिक रचना, अध्यापन, खोज तथा एक एक के उपविभाग में इतना काम करने को पड़ा है कि सैकड़ों हजारों आदमी बरसों काम करें तब भी कदाचित् कार्य समाप्त नहीं हो सकेगा। अतः कार्यक्षेत्र को बराबर बदलने अथवा एक से अधिक कार्यक्षेत्र में काम करने से लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक संभावना है। कुछ ऐसे अलौकिक प्रतिभा वाले व्यक्ति भी होते हैं जो एक से अधिक कार्यक्षेत्र में काम कर दिखलाते हैं और कभी कभी तो साहित्यिक क्षेत्र के बाहर राजनीति तथा धर्म आदि के क्षेत्रों में भी सफलता पूर्वक बड़े काम कर जाते हैं किंतु ऐसे व्यक्ति समाज में नियम नहीं बल्कि सदा अरवाद स्वरूप ही रहेंगे।

४-सूरदास जी के इष्टदेव श्रीनाथ जी का इतिहास

चौरासी वार्ता के अनुसार महाप्रभु बलभाचार्य जी ने सूरदास जी को गोवर्द्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा था और सूरदास जी का प्रायः समस्त कृष्ण-कीर्तन, जो सूरसागर में संगृहीत है, यहाँ ही रचा गया था।

सूरदास जी के इन इष्टदेव श्रीनाथ जी का पूर्ण वृत्तांत 'श्रीगोवर्द्धन नाथ जी के प्रागट्य की वार्ता' शीर्षक पुस्तक में दिया हुआ है। एक बार ब्रज-यात्रा में मुझे इस पुस्तक की एक लीथो प्रति मिली थी। यह मुंशी नवल-किशोर भागवत की आशानुसार मथुरा में १८८४ ईस्वी की छपी हुई है। लेखक का नाम नहीं दिया गया है। इस पुस्तक की सामग्री अत्यंत रोचक और उपयोगी है तथा हिंदी प्रेमियों को अभी साधारणतया उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका सार नीचे दिया जाता है।

संवत् १४६६ अर्थात् १४०९ ई०, भावण्य वदी तृतीया, आदित्यवार, सूर्य उदय के समय एक ब्रजवासी को श्री गोवर्द्धननाथ जी की अर्द्ध भुजा का और भावण्य मुदी नागपंचमी को पूरी भुजा का दर्शन हुआ। उसने अन्य लोगों को बुलाकर दिखाया। तब से प्रति वर्ष नागपंचमी के दिन वहाँ मेला होने लगा और इस भुजा की पूजा होती थी। यह क्रम संवत् १५३५ तक चलता रहा। संवत् १५३५ अर्थात् १४७८ ई०, वैशाख वदी ११, बृहस्पतिवार के दिन मत्स्याह्नवाल में श्री गोवर्द्धननाथ जी का मुगारविंद प्रकट हुआ। इसी दिन इसी समय महाप्रभु बलभाचार्य जी का भी जन्म हुआ था^१।

संवत् १५५६ अर्थात् १४९९ ई०, पान्चुन मुदी ११, बृहस्पतिवार को भी बलभाचार्य जी को ब्रज आने की प्रेरणा हुई। संवत् १५५२ अर्थात् १४९५ ई०, भावण्य मुदी ३, बुधवार को श्रीनाथ जी की स्थापना गोवर्द्धन के ऊपर कराचित् एक छोटे मंदिर में हुई।

^१ श्री बलभाचार्य जी का जन्म 'कीर्तन-चरित्र' दर्शक एक बंगी हिंदी पुस्तक के अनुसार संवत् १४६६ के मध्यम ब्रजभाचार्य के दिन सम्भव मनु को दर्शन-प्राप्त करके हुए बताया गया है। वहाँ इसकी को 'ब्रजभाचार्य' को वर्णित है। किंतु इसी समय वहाँ वंदी कीर्तन-प्रेमी में अत्यंत दुःख हुआ जिससे वहाँ के रहने वाले वहाँ-जहाँ जाय गिजने। सम्भव मनु का वा को-जन्म करके और अन्तरगत वर्णित है। वहाँ के वक्तव्य को के पुत्र हुआ जिसका नाम 'कीर्तन-चरित्र' था। अन्त का दिन वैशाख शुक्ल ११ बृहस्पति १०-१४९५ वा। अन्तर्गत के अन्तर्गत का वंदी पुस्तक वर्णित (१४९५-१४९९ ई०) द्वारा को-जन्म को-जन्म को वंदी हो ब्रजवासी है।

शुक्र १५५६ अर्थात् १४९९ ई०, चैत्र सुदी २ के दिन पूरुषमल मन्त्री ने बड़ा मंदिर बनाने का संकल्प किया। आगरे के एक प्रसिद्ध मिर्ची हीरा-मनि ने श्री बल्लभाचार्य जी के परामर्श में नऊशा बनाया। संवत् १५५६, वैशाख सुदी ३, आदित्यवार को मंदिर की नींव रखी गई। एक लाख रुपया खर्च करने पर भी मंदिर अधूरा रह गया। बीस वर्ष बाद पूरुषमल को निजारात में तीन लाख का लाभ हुआ तब यह मंदिर पूरा हुआ। संवत् १६०६ अर्थात् १५११ ई०, वैशाख वदी ३ अक्षय तृतीया को श्री बल्लभाचार्य ने इस मंदिर में श्रीनाथ जी की स्थापना की। माधवेंद्रपुरी बंगाली को सुविधा, कृष्णदास को अधिकारी तथा कुंभनदास को कीर्तन की सेवा दी। १४ वर्ष पर्वत बंगालियों ने मंदिर में सेवा का काम किया। श्री बल्लभाचार्य के स्वर्गवास के पश्चात् श्री गोपीनाथ जी तीन वर्ष गद्दी पर रहे। उनकी अकाल मृत्यु के बाद श्री विठ्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। इनके समय में बंगालियों के स्थान पर गुजराती ब्राह्मण श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किये गये^१। अष्टद्वय कवि—सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, छतित्त्वामी, कुंभनदास, चत्रमुनदास, विष्णुदास और गोविंदस्वामी—ने श्रीनाथ का यश गाया है। संवत् १६२३ अर्थात् १५६६ ई०, फाल्गुण वदी ७, गुरुवार को श्रीनाथ जी कुछ दिनों को मथुरा श्री विठ्ठलनाथ के घर पर श्री गिरधर द्वारा लाए गए।

श्री विठ्ठलनाथ जी के स्वर्गवास के बहुत दिनों बाद उनके प्रपौत्र के पौत्र श्री दामोदर जी (बड़े दाऊ जी) के समय में जब औरंगजेब का राज्यकाल था तब आगरे से बादशाह का एक हलकारा यह हुकम लाया कि 'श्री गोकुल के फकीरोंसे कहो जो हम को कछुक करामात दिखावें नहीं तो हमारे देश में तै उठि जाउ।' आपस में परामर्श के बाद संवत् १७२६ अर्थात् १६६९ ई०,

१ श्री बल्लभाचार्य जी के संक्षिप्त जीवन परिच के अनुसार श्री बल्लभाचार्य का स्वर्गवास संवत् १५८० अर्थात् १५२० ई०, आषाढ़ सुदी २ को ५२ वर्ष की अवस्था में हुआ। उनके बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म संवत् १५६०, आश्विन वदी १२ को तथा दूसरे पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी का जन्म संवत् १५०२ अर्थात् १५१५, ई० पौष वदी २ को हुआ था। श्री विठ्ठलनाथ जी की मृत्यु ७२ वर्ष की आयु में अर्थात् १५८० ई० के लगभग हुई। उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी गद्दी पर बैठे। इनका जन्म सं० १५२० अर्थात् १५७० ई० में हुआ था। श्री गिरिधर जी के पौत्र श्री विठ्ठलनाथ जी हुए और इनके पौत्र श्री दामोदर जी (बड़े दाऊ जी) हुए। इन्हीं के समय में श्रीनाथ जी सेवा से निवृत्त हुए।

२ बंगालियों के निकलने का अर्थ रीचक बर्ष 'औरासी बार्ता' में कृष्णदास बिकारी की बार्ता में दिया हुआ है।

आसोज मुरी १५, शुक्रवार को श्रीनाथ जी को गंगाघाट^१ के रथ में लिवाकर गोवर्द्धन से हटा कर आगरे लाया गया। पहले दो सी सिपाही गोवर्द्धन का मंदिर तोड़ने को आए लेकिन घे मारे गए। उसके बाद ५०७ सिपाही भेजे गए लेकिन वे भी मारे गये। इस पर बादशाह ने दलौर को बहुत बड़ी सेना लेकर भेजा तब मंदिर की समस्त सामग्री लूटी गई और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई। आगरे में श्रीनाथ जी के आने की शरार फैल जाने पर वहाँ से भी श्रीनाथ जी को लिवा कर हटाना पड़ा। चबल तक सिपाहियों ने पीछा किया।

कुछ दिनों में सर लॉग श्रीनाथ जी को लेकर बोटा बंदी पहुँचे। श्रीमाता बिना कर पुष्कर जी होकर राजा जसवन्तसिंह के समय में जांघपुर पधारे। राजा जसवन्तसिंह उन दिनों कर्मायु के पहाड़ में अपनी ननसाल गए हुए थे। जांघपुर में कुछ दिन रहकर गोवर्द्धन से चलने के दाँद बर्ष बाद सवत् १७२८ अर्थात् १६७१ ई०, फाल्गुण बंदी ७ का श्रीनाथजी भेवाड़ पहुँचे। राना रायसिंह ने अपनी माता के कहने से वहाँ टहरने की स्वीकृति दी। बादशाह के आक्रमण के भय के संबंध में राना रायसिंह की माता ने अपने पुत्र से कहा कि "तुम राजपूत हो, जमी के लीयें जीव देत हो, ती श्रीठाकुर जी के लीयें जीव देने का दावा विशेष है।"

बादशाह को जब यह पता चला तो भेवाड़ पर चढ़ाई हुई। राना रायसिंह ने चालीस हजार पीज लेकर मुक्काबला किया। बादशाह की दो बेगमां की सवारी भूल से राना की पीज में आकर फँस गई। राना रायसिंह ने आदर के साथ उन्हें बादशाह के पास भिजवा दिया। इसके बाद बादशाह और राना में मुलह हो गई और बादशाह की पीज वापिस चली गई। श्रीनाथ जी को मंदिर से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया था उन्हें भी वापिस लाया गया।

संवत् १७४२ अर्थात् १६८५ ई०, फाल्गुण में एक करोड़पति माधवदास देसाई ने एक लाल के आभूषण श्रीनाथ जी को ^१ यहाँ पर श्री गोवर्द्धन नाथजी के प्रागद्वय की वार्ता सहसा ^२। इस वार्ता में दी हुई विधियाँ और उल्लेख ^३। मुगल काल के इतिहासों को ^४ आवश्यकता नहीं है कि ^५ हैं।

५-क्या दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथकृत है ?

‘दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता’ का प्रथम आधुनिक उल्लेख टैसी^१ ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास के दूसरे संस्करण में किया है जो

१८७० में प्रकाशित हुआ था। टैसी के शब्दों का भाव निम्नलिखित है—

‘अपने पिता विठ्ठलनाथ जी, उपनाम श्रीगुसाईं जी महाराज, के दो सौ बावन शिष्यों का हाल भी इन्होंने लिखा है।’

टैसी के बाद के लिखे हुए ‘शिवसिंहसरोज’ (१८७७ ई०) तथा प्रियर्सन-कृत ‘वर्नाकुलर लिटरेचर अन्ड् हिंदुस्तान’ (१८८९ ई०) में गोकुलनाथ का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम विस्तृत इतिहास ‘मिभ्रवंधुविनोद’^२ में गोस्वामी गोकुलनाथ जी के विषय में लिखते हुए मिभ्रवंधुओं ने लिखा है कि “इनके दो गद्य ग्रंथ चौरासी वैष्णवों की वार्ता और २५२ वैष्णवों की वार्ता प्रसिद्ध हैं और दोनों हमारे पुस्तकालय में वर्तमान हैं।” हिंदी साहित्य के सबसे अधिक प्रामाणिक इतिहासकार पं० रामचंद्र गुप्त के इतिहास में और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में नीचे लिखा उल्लेख मिलता है, “इसके उपरान्त सगुणोपासना की कृष्णमक्ति-शाखा में दो सांप्रदायिक गद्य ग्रंथ ब्रजभाषा के मिलते हैं—चौरासी वैष्णवों की वार्ता तथा दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता। ये दोनों वार्ताएँ आचार्य भी यल्लभाचार्य जी के पोत्र और गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाईं गोकुलनाथ जी की लिखी हैं।” मिभ्रवंधु तथा पं० रामचंद्र गुप्त के इन उल्लेखों के बाद हिंदी में अथवा अंग्रेजी में लिखे गए हिंदी साहित्य के प्रायः समस्त इतिहासों में इन ग्रंथों का गोकुलनाथकृत लिखा जाना स्वभाविक ही है। १९२९ में जब मैंने इन वार्ताओं में से अष्टछाप कवियों की जीयनियों को संकलित कर के प्रकाशित किया था उस समय भी मुझे इस विषय में कुछ संदेह या शकितियों में ‘अष्टछाप’ के बन्धु में संदेहान्मक ढंग में लिखा था कि “प्रामुख पुस्तक

१ टैसी के शब्दों के अर्थों के लिये ‘इतिहास का सा विवेक’ पृष्ठ २६१ व २६२-६३, हिंदी संस्करण, १९०० ई० पृष्ठ १००-१०१।

२ मिभ्रवंधुविनोद, हिंदी संस्करण, भाग १, पृ० १०६।

३ रामचंद्र गुप्त ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’, सं० १, पृ० १०६।

४ अष्टछाप, ४६-४७-४८-४९-५०-५१, १९२९, पृ० १०५-१०६।

गोकुलनाथ जी के नाम से प्रचलित ८४ वैष्णवन की वार्ता तथा २५२ वैष्णवन की वार्ता शीर्षक ग्रंथों से अष्टछाप कवियों की जीवनियों का संग्रह-मात्र है।^१ यद्यपि संग्रह के मुखपृष्ठ पर 'गोकुलनाथकृत' शब्द छपे हैं।

चौरासी वार्ता तथा दो सौ वावन वार्ता के इस समय डाकोर के संस्करण प्रामाणिक हैं किंतु इन के मुखपृष्ठ पर इन के गोकुलनाथकृत होने का उल्लेख नहीं है। चौरासी वार्ता में कोई ऐसे विशेष उल्लेख देखने में नहीं आते हैं जो इस के गोकुलनाथकृत होने में सन्देह उत्पन्न करते हों, किंतु दो सौ वावन वार्ता में अनेक ऐसी वार्ता मिलती हैं जिन से इस का गोकुलनाथकृत होना अत्यंत संदिग्ध हो जाता है।

सब से पहली बात तो यह है कि इस वार्ता में अनेक स्थलों पर गोकुलनाथ का नाम इस तरह आया है जिस तरह कोई भी लेखक अपना नाम नहीं लिख सकता है। इन उल्लेखों से स्पष्ट विदित होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति गोकुलनाथ के संबंध में लिख रहा है। उदाहरण के लिये पहली गोविंदस्वामी की वार्ता में से कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

“जब कहते कहते अर्ध रात्र बीती तब श्री गुसाईं जी पीड़े। गोविंदस्वामी घर कुं चले। तब श्री बालकृष्ण जी तथा श्री गोकुलनाथ जी तथा श्री रघुनाथजी तीनों भाई वैष्णवन के मंडल में विराजत होते। जब गोविंदस्वामी ने जाय के दंडवत करी। तब श्री गोकुलनाथ जी ने पूछे जो श्री गुसाईं जी के यहाँ कहा प्रसंग चलतो हतो^२।” इसी वार्ता में एक दूसरे स्थल पर आता है—

“श्रीनाथ जी तथा गोविंद स्वामी के गान सुनिवे के लिये श्री गोकुलनाथ जी निव्य पधारते और एक मनुष्य वैठाय राखते। जो श्री गुसाईं जी भोजन करवे कुं पधारें तब भो कुं बुलाय लीजो^३।”

इस तरह के अनेक उल्लेख इस वार्ता में तथा अन्य वार्ताओं में आते हैं। इस पर कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है।

दो सौ वावन वार्ता के अंदर दो स्थलों की ओर मेरा ध्यान मेरे शिष्य श्री गणेशप्रसाद ने पहले पहल आकर्षित किया था। पहला स्थल “श्री गुसाईं जी के सेवक लाडवाई तथा धारवाई” शीर्षक १९९ वीं वार्ता में है^३।

(१) दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता डाकोर सं० १९९०, पृ० ५।

(२) वही, पृ० ९।

(३) वही, पृ० १९९।

वे कदाचित् घेरनापै भी और मानिकपुर को रहनेवाली थीं।
 जॉनन भर को फनाई 'नय लक्ष्मी' पहले विठ्ठलनाथ
 राने बाद उन के पुत्र गोकुलनाथ जी को अरण्य करना
 ने आनुरी धन उन्नत कर अंगीकार नहीं किया। "उप
 के कविद्वारी ने श्री गोकुलनाथ जी के पूछे बिना एक छ
 उरर कंकर डराय के चूनो लगाय दियो सो वा ह्यात में
 केर लाठ दर्य पीछे औरंगजेव बादशाह की जुलमी के समय
 लंछे कुं आपे तब श्री गोकुल में सुं सय लोग भाग गए।
 रखी होन गए कोई मनुष्य गाम में रह्यो नहीं। तब बिन स्ते
 सोरी। सो ननलक्ष्मी रूषयान को द्रव्य निकस्यो। तब गाम में
 तर मंदिरन की ह्यात खुदाय डारी। सो आसुरी द्रव्य के सय
 को ह्यात खुदाई। सो वे लाडवाई धारवाई श्री गुसाईं जी
 हजे।"

स्मिप^१ के अनुसार औरंगजेव ने मंदिर तुड़वाने की नीति
 से प्रारंभ की थी। खोज के अनुसार गोकुलनाथ जी का समय
 १६४७ ई० तक माना गया है। इस तरह गोकुलनाथजी प्रथम
 के राज्य की इस घटना का उल्लेख संभव नहीं है। इस उल्लेख
 धनि निम्नलिखी है कि यह वार्ता कदाचित् औरंगजेव के राज्य
 लिखी गई है।

दूसरा स्थल "श्री गुसाईं जी के सेवक गंगादाई बघाई"
 की वार्ता^२ में है। इस वार्ता में गंगादाई के संरंभ में लिखा है
 सोले से अट्टाईश में बिन को जन्म हतो और सयें सो ह्यतीस स
 भूतल पर रही हती। एक सो आठ बर्य सुधी रही हती और
 नाथ जी के संग आई हती।" यदि ये संख्यायें विक्रमी संवत्
 तो गंगादाई का समय १५७१ ई० से १६७९ ई० तक
 का भी नाथ जी के साथ मेवाड़ जाने का उल्लेख "श्री गंगादाई

(१) स्मिप: वाक्यार्थ हिन्दी भाषा, १०-११९।

(२) ब्रह्मनाथजी का समय १४७९ से १५१९ ई० तथा विठ्ठलनाथ जी का समय १५१९ से १५७९ ई० तक माना जाता है।

(३) श्री श्री वाचन के लिये की वार्ता, बघाई, १९९९, पृ० ११९।

प्रागट्य की वार्ता”^१ शीर्षक ग्रंथ में आया है और वहाँ इस पटना की तिथि भी स्पष्ट शब्दों में दी हुई है। इस उल्लेख के शब्द निम्नलिखित हैं—“मिति असोज सुदी १५ शुक्र संवत् १७२६ के पाण्डिती पहर रानी श्री बल्लभ जी महाराज पयान सिद्ध कराये, अरोगाये। पीछे रथ हाके चले नहीं। तब श्री गोस्वामि विनती वीये तब श्री जी आशा की जो गंगावाड़ी की गाड़ी में बैठाय के संग लै चली। रथ के पाछे गाड़ी चली आवै।” इस तरह यह पटना इस प्रमाण के अनुसार भी १६६९ ई० में ही पढ़ती है। गंगारई के संवत् में इस निश्चित उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है कि दो सौ वाक्य वार्ता गोकुल नाथ कृत नहीं हो सकती है।

अब एक ऐसा प्रमाण दिया जा रहा है जो व्यापक रूप से समस्त ग्रंथ पर लागू होगा है और जिस से स्पष्ट रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि ८४ वार्ता तथा २५२ वार्ता के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति थे, और २५२ वार्ता निश्चित रूप से सत्रहवीं शताब्दी के बाद की रचना है। “ब्रजभाषा” शीर्षक खोज ग्रंथ की सामग्री जमा करते समय मैंने चौराही तथा दो सौ वाक्य वार्ताओं के व्याकरण के टांचों का भी अध्ययन किया था। इस अध्ययन से मुझे यह आश्चर्यजनक बात मालूम हुई कि इन दोनों वार्ताओं के व्याकरण के अनेक रूपों में बहुत अंतर है। यहाँ विचार से तो मैं इस विषय की समस्त सामग्री नहीं रखूँगा किंतु कुछ थोड़े नमूने अवश्य रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिये कारक चिह्नों को ही लीजिए। नीचे इन की तुलनात्मक सूची दी जाती है—

	चौराही वार्ता	दो सौ वाक्य वार्ता
कर्म-संप्रदान	को को	कुं कूं
करण-अपादान	सों	सूं सुं
क्रियाओं के नीचे लिखे रूप भी ध्यान देने योग्य हैं—		
वर्तमान	हाँ हों है	हैं हुं हें
भूतकाल	हुतो, हुते, हुती	हतो, हते, हती
आशा	करौ, देसो, गावौ	करो, देसो, गावो

(१) इस ग्रंथ की एक प्राचीन कपी हुई प्रति (१८८४ ई०) मुझे मथुरा में एक बौद्धी की दुकान पर मिली थी। पुश्तकार के इतिहास पर यह ग्रंथ विशेष प्रकाश डालता है। इसका विस्तृत विवेचन मैं उपर्युक्त लेख में करते वक्त विचार करता हूँ।

ये कदाचित् घेरयाये भी और मानिकपुर वा रहनेवाली थी। इन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई 'नवलक्ष सैय्या' पहले विठ्ठलनाथ जी को तथा कुछ दिनों बाद उन के पुत्र गोकुलनाथ जी को अर्पण करना चाहा किन्तु दोनों ने ग्रामुरी धन समझ कर अंगीकार नहीं किया। "तब श्री गोकुलनाथ जी के अधिनारी ने श्री गोकुलनाथ जी के पूछे बिना एक ह्रात में विद्यान के ऊपर कांकर डराय के चूनी लगाय दियो सो वा ह्रात में द्रव्य रह्यो आयो। फेर साठ वर्ष पीछे औरंगज़ेब बादशाह की जुलमी के समय में म्लेच्छ लोक लूटये कुं आये तब श्री गोकुल में सुं सब लोग भाग गए। और मंदिर सब खाली होय गए कोई मनुष्य गाम में रह्यो नहीं। तब बिन म्लेच्छन ने वे ह्रात खोदी। सो नवलक्ष सैय्यान को द्रव्य निकरयो। तब गाम में जितने मंदिर हते सब मंदिरन की ह्रात खुदाय डारी। सो ग्रामुरी द्रव्य के संग तें सब गोकुल को ह्रात खुदाई। सो वे लाडवाई धारवाई श्री गुसाईं जी के सेवक ऐसे हते।"

स्मिथ^१ के अनुसार औरंगज़ेब ने मंदिर तुड़वाने की नीति सन् १६६९ से प्रारंभ की थी। खोज के अनुसार गोकुलनाथ जी का समय^२ १५५१ से १६४७ ई० तक माना गया है। इस तरह गोकुलनाथकृत ग्रंथ में औरंगज़ेब के राज्य की इस घटना का उल्लेख संभव नहीं है। इस उल्लेख से यह भी ध्वनि निकलती है कि यह वार्ता कदाचित् औरंगज़ेब के राज्यकाल के बाद लिखी गई है।

दूसरा स्थल "श्री गुसाईं जी के सेवक गंगाबाई सत्रायी" शीर्षक ११ वीं वार्ता^३ में है। इस वार्ता में गंगाबाई के संबंध में लिखा है कि "और सोले से अट्टाईश में बिन को जन्म हतो और सत्रें सो छतीस वर्ष सुधी वे भूतल पर रही हती। एक सो आठ वर्ष सुधी रही हती और मेवाड़ में श्री नाथ जी के संग आई हती।" यदि ये संख्यायें विक्रमी संवत् मान ली जावें तो गंगाबाई का समय १५७१ ई० से १६७९ ई० तक पड़ता है। गंगाबाई का श्री नाथ जी के साथ मेवाड़ जाने का उल्लेख "श्री गोवर्द्धन नाथ जी के

(१) स्मिथ: अक्सफ़ोर्ड हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ३१९।

(२) गोकुलनाथजी का समय १५०९ से १५३९ ई० तथा विठ्ठलनाथ जी का समय १५१५ से १५८८ ई० तक माना जाता है।

(३) श्री श्री वाचन सौख्यन की वार्ता, बाजोर, १९१०, पृ० ११९।

प्रागट्य की वार्ता” शीर्षक ग्रंथ में आया है और वहाँ इस घटना की तिथि भी स्पष्ट शब्दों में दी हुई है। इस उल्लेख के शब्द निम्नलिखित हैं—“मिति अशोज सुदी १५ शुक्र संवत् १७२६ के पाण्डिती पहर रात्री श्री ब्रजभ जी महाराज पयान सिद्ध कराये, अरोगाये। पीछे रथ हाके चले नहीं। तब श्री गंग्वामि विनती किये तब श्री जी आजा की जो गंगागार्द की गाड़ी में शैठाय के संग लै चली। रथ के पाछे गाड़ी चली आवे।” इस तरह यह घटना इस प्रमाण के अनुसार भी १६६९ ई० में ही पड़ती है। गंगागार्द के संबंध में इस निश्चित उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है कि दो सौ वाचन वार्ता गोकुल नाथ कृत नहीं हो सकती है।

अब एक ऐसा प्रमाण दिया जा रहा है जो व्यापक रूप से समस्त ग्रंथ पर लागू होता है और जिस से स्पष्ट रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि ८४ वार्ता तथा २५२ वार्ता के रचयिता दो भिन्न व्यक्ति थे, और २५२ वार्ता निश्चित रूप से सत्रहवीं शताब्दी के बाद की रचना है। “ब्रजभाषा” शीर्षक खोज ग्रंथ की सामग्री जमा करते समय मैंने चौरासी तथा दो सौ वाचन वार्ताओं के व्याकरण के ढांचों का भी अध्ययन किया था। इस अध्ययन से मुझे यह आश्चर्यजनक बात मालूम हुई कि इन दोनों वार्ताओं के व्याकरण के अनेक रूपों में बहुत अंतर है। यहाँ विस्तार से तो मैं इस विषय की समस्त सामग्री नहीं रखूँगा किंतु कुछ थोड़े नमूने अवश्य रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिये कारक चिह्नों को ही लीजिए। नीचे इन की तुलनात्मक सूची दी जाती है—

	चौरासी वार्ता	दो सौ वाचन वार्ता
कर्म-संप्रदान	कों को	कुं कूं
करण-अपादान	सों	सूं सुं
क्रियाओं के नीचे लिखे रूप भी ध्यान देने योग्य हैं—		
वर्तमान	हैं हों हैं	हैं हुं हैं
भूतकाल	हुतो, हुते, हुती	हतो, हते, हती
आशा	करौ, देसौ, गावौ	करो, देसो, गायो

(१) इस ग्रंथ की एक प्राचीन छपी हुई प्रति (१८८७ ई०) मुझे मधुरा में एक छोटी सी दुकान पर मिली थी। पुस्तिकार्थ के इतिहास पर यह ग्रंथ विशेष प्रकाश डालना है। इसका विस्तृत विवेचन मैं पुष्कट लेख में करने का विचार करता हूँ।

उदाहरण के लिए दांनों वार्ताओं में से कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

दो सौ बावन वार्ता

कुं	पृ० ४७	जो तुमारो धर्म हम कुं सिखावो ।
कुं	पृ० १४४	तव सब वैष्णव श्यामदास कुं समझाये लगे ।
सुं	पृ० ३००	तव बिनको स्नेह सुं हृदय भर आयो ।
हुं	पृ० ४६	राज की कृपार्ते श्रवी आयो हुं ।
हैं	पृ० ७८	सो बहुत दिन भए हैं ।
हतो	पृ० ३०१	वैष्णव के ऊपर विश्वास बहुत हतो ।
हते	पृ० ४६	सो वे कृष्ण भट्ट जो ऐसे कृपानान हते ।
हती	पृ० ११६	एक ब्राह्मणी हती ।
दिखावो	पृ० ३७८	अब तुम ये स्वाग पूरो कर दिखावो ।
बरसो	पृ० ३४९	हमारो डेरो छोड़ के बरसो ।
लेओ	पृ० ८२	मोकुं शरण लेओ ।

चौरासी वार्ता

कों	पृ० २५४	राजा मानसिग श्री गोवर्द्धन जी के दर्शन कों गिरिराज ऊपर आये ।
को	पृ० ३९	तव श्री गुमार्डं जी को दंडोन कीनी ।
सों	पृ० १३२	राजा सों मिल्यो ।
हों	पृ० ४८	में तो विरक्त हों ।
हैं	पृ० १७३	ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं ।
हुती	पृ० २०९	सो साथ एक सेवरु हुती ।
हुते	पृ० ६९	सो नारायण ऐसे त्यागी हुते ।
हुती	पृ० २०८	उनको आशा दीनी हुती ।
करी	पृ० २१५	सूरदास श्री गोकुल कों दर्शन करी ।
गावो	पृ० २१७	ताते तुमहू कछू गावी ।
वेठो	पृ० १६०	तुम दोऊ स्त्री पुरुष स्नान करिकें आय वेठो ।

ऊपर दिए हुए ये कुछ नियम हैं । अपवाद स्वरूप एक वार्ता वाले रूप दूसरी वार्ता में कहीं कहीं मिल जाते हैं । एक ही व्यक्ति अपनी दो रचनाओं में व्याकरण के इन छोटे छोटे रूपों में इस तरह का भेद नहीं कर

सकता । कं सं इत्यादि रूप निश्चित रूप से बाद के हैं जो प्राचीन भाषा में साधारणतया प्रयुक्त नहीं होते थे । मौखिक रूप से ऐसे वृहत् गद्य ग्रंथ की रक्षा हो सकना असंभव है नहीं तो यह कहा जा सकता था कि धीरे धीरे मूल ग्रंथ के मौखिक रूप में बाद की समान रूप से ऐसे व्याकरण सवर्धा परिवर्तन हो गए होंगे ।

ऊपर दिए हुए समस्त कारणों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दो सौ बावन वार्ता गोकुलनाथ कृत नहीं हो सकती । कदाचित् चौरासी वार्ता के अनुकरण में सत्रहवीं शताब्दी के बाद किसी वैष्णव भक्त ने इस की रचना की होगी ।



६—मध्यदेशीय संस्कृति और हिंदी-साहित्य

वि. किसी जाति का साहित्य उसके शताब्दियों के चिन्तन का फल होता है। साहित्य पर भिन्न भिन्न कालों की संस्कृति का प्रभाव अनिवार्य है। इस प्रकार, किसी भी जाति के साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसकी संस्कृति के इतिहास का अध्ययन परमावश्यक है। ईसा सिद्धान्त के अनुसार अंग्रेजी आदि यूरोपीय साहित्यों का सूक्ष्म अध्ययन करने वालों को उन भाषाभाषियों की संस्कृति के इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ता है। यही बात हिंदी-साहित्य के अध्ययन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। हिंदी-साहित्य के ठीक अध्ययन के लिये भी हिंदी-भाषियों की संस्कृति के इतिहास का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या हिंदी-भाषियों की संस्कृति भारतीय संस्कृति से कोई पृथक् बस्तु है? इस प्रश्न के उत्तर में यह निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की व्यापक संस्कृति में सन्निहित होने पर भी समस्त प्रधान अंगों में हिंदी-भाषियों की एक पृथक् संस्कृति अवश्य है। प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के अनुशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय एकता में अनेकरूपता बराबर क्षिपी रही है। सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक महाद्वीप अथवा राष्ट्रसंघ की संज्ञा देना ही उपयुक्त होगा। इस राष्ट्रसंघ के अंतर्गत कई राष्ट्र हैं जिनमें से प्रत्येक का पृथक् व्यक्तित्व है। इस पार्थक्य का प्रभाव इन राष्ट्रों की संस्कृति—जैसे भाषा एवं साहित्य आदि—पर समुचित रूप से पड़ा है। धर्म के व्यवहारिक रूप भाषा तथा साहित्य के क्षेत्रों में संस्कृति का यह भेद स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ बंगाल और संयुक्त-प्रान्त की संस्कृति का मूल स्रोत यद्यपि एक ही है, बंगाली तथा हिन्दीभाषी दोनों भारतीय हैं; किन्तु बंगाल में दुर्गा अथवा शक्ति की और संयुक्त-प्रान्त में राम कृष्ण की ही उपासना का प्राधान्य है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मूल में एकता होने पर भी व्यवहार में

१. यह पार्थक्य राष्ट्रीय जीवन के अन्य अंगों में भी दृष्टिगोचर होगा।

२. सम्पूर्ण भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होने जा रही है, निरन्तर

३. धर्म तथा कवीन्द्र रचोन्द्र इत्ते स्वीकार करते हैं, किन्तु फिर भी ठानुर

महोदय ने अपनी समस्त साहित्यिक कृतियां यगला में एच महात्मा जी ने गुजराती में लिखी हैं, हिन्दी में नहीं। जिन प्रकार व्यापक दृष्टि से समस्त रूप की एक संस्कृति है, किन्तु साथ ही प्राय, जर्मनी, इटली आदि अनेक राष्ट्र हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति-सम्बन्धी विशेषताएँ हैं, उसी प्रकार इस भारतीय महाद्वीप में भी बंगाल, गुजरात, आन्ध्र, महाराष्ट्र, आदि प्रान्त संशक अनेक राष्ट्र हैं जो संस्कृति की दृष्टि से अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। इसी भाँति हिन्दीभाषियों की भी एक पृथक् संस्कृति है। उसी संस्कृति पर यहाँ संक्षेप में कुछ विचार प्रकट किये जायेंगे। इस लेख में सुविधा के लिये हिन्दीभाषियों के लिये हिन्दी, तथा हिन्दीभाषी प्रदेश के लिये हिन्द या मध्य-देश शब्द का प्रयोग किया गया है।

सब से पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हिन्दी-भाषियों की भौगोलिक सीमा क्या है। आधुनिक काल में भारतवर्ष की राजभाषा अंग्रेज़ी है। मुगल काल में पारसी इस आघेन पर आधीन थी। किन्तु पारसी और अंग्रेज़ी कभी भी राष्ट्रभाषा का स्थान न ले सकीं। वे केवल राजभाषाएँ थीं और हैं। राष्ट्रभाषा अन्तर्गत तीस उपयोग की भाषा होती है। जब से भारतवर्ष में व्यापक राष्ट्रीयता का आन्दोलन प्रचलित हुआ है तब से हिंदी राष्ट्रभाषा अथवा अन्तर्गत तीस भाषा के स्थान को लेने के लिये निरंतर अग्रसर होती जा रही है। तो भी बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र एवं गुजरात आदि की शिक्षित जनता बंगाली, मराठी, तेलगू और गुजराती आदि में ही अपने मनोभावों को प्रकट करती रही है। ये भाषाएँ अपने अपने प्रदेशों की साहित्यिक भाषाएँ हैं। इस तरह राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा साहित्यिक भाषाएँ तीन पृथक् बातें हुईं। साहित्यिक भाषा ही किसी प्रदेश की असली भाषा कही जा सकती है—राज-भाषा या राष्ट्र-भाषा नहीं। अस्तु। वास्तव में उन्हीं प्रदेशों को हिन्दी-भाषी की संज्ञा से संयोजित करना चाहिये जहाँ शिष्ट लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिन्दी में करते हैं तथा जहाँ की साहित्यिक भाषा हिन्दी है। भारत के मान-चित्र को देखने से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि संयुक्त-प्रान्त, दिल्ली, हिन्दी मध्यप्रान्त, राजपूताना, बिहार तथा मध्यभारत की देशी रियासतों का भूमिभाग ही इसके अन्तर्गत आ सकता है। इसी को हम हिंदप्रदेश, या प्राचीन परिभाषा में मध्यदेश, कह सकते हैं। यह सच है कि इस प्रदेश के कतिपय भागों में, हिन्दी की साहित्यिक भाषा के रूप में

होती है। किंतु यह आयु लगभग ५०, ६० वर्ष की न होकर पाँच छः सौ वर्षों की होती है। एक प्रधान लक्षण जो आधुनिक संस्कृति में दिखलाई पड़ता है वह है एक बार फिर मुधार की ओर झुकाव। आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद की प्रेरणा से प्राचीन आर्य-धर्म का एक परिष्कृत रूप मध्यदेश की जनता के सामने आ चुका है। हिन्दी-साहित्य एवं भाषा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो यह बात विदित होगी कि हिंदी-साहित्य का एक चरण मध्ययुग में तथा दूसरा चरण आधुनिक युग में है। एक ओर यदि रीतिकाल का आभय लेकर कवित्त सदीयों में रचना हो रही है तो दूसरी ओर ह्यायावाद तथा रहस्यवाद के रूप में काव्य की नवीन धारा प्रवाहित हो रही है। धर्म की भी यही दशा है। यद्यपि देश काल तथा परिस्थिति की हान आधुनिक धर्म पर लग चुकी है, फिर भी कई बातों में हम लंग मध्ययुग के धर्म से अभी तक बहुत ही कम अग्रसर हो पाये हैं।

विरलेपणात्मक ढंग से हिंदी-साहित्य के इतिहास पर विचार करने से यह बात विदित होती है कि हिंदी-साहित्य पर वैदिक-काल का प्रभाव नहीं के बराबर है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदासजी ने अनेक स्थलों पर वेद की दुहाई दी है, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गोस्वामी जी संहिताओं में विरले परिचित नहीं थे। कम से कम इसका कोई भी निश्चित प्रमाण उनकी रचनाओं से उपलब्ध नहीं होगा है।

हिन्दी की उत्पत्ति के बहुत काल पूर्व बौद्ध तथा जैन धर्म का एक प्रकार से भारत से लोप हो चुका था। ऐसी दशा में हिंदी-साहित्य पर इन दोनों धर्मों के स्पष्ट प्रभाव का पता न लगना स्वाभाविक है। अब रह गया पौराणिक धर्म, इसका प्रभाव अक्षर्य विरले रूप से हिंदी-साहित्य पर पड़ा है। राम तथा कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं और इन दोनों को लेकर मध्य युग तथा आधुनिक काल में अनेक रचनाएँ हिंदी-साहित्य में प्रस्तुत की गई हैं।

तांत्रिक धर्म का प्रभाव पूरब की ओर विरले रूप से था। बंगाल में शक्ति की उपासना का प्रादुर्भाव इहाँ के परिराम-स्वरूप था। आगे बढ़कर वैष्णवों की 'पाषाण' की उपासना पर भी इस तांत्रिक धर्म का प्रभाव पड़ा।

बाबुदेव-मुधार की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। बाल्य में वैष्णव धर्म तथा बाद के भक्ति-संप्रदायों का मूल-स्रोत यही था। हिंदी-साहित्य का इस

भक्ति-संप्रदाय से अत्यंत घनिष्ठ संपर्क रहा है। हमारा प्राचीन हिंदी-साहित्य एक प्रकार से धार्मिक साहित्य है। इसमें शिव का रूप गीय है। प्रधान रूप से विष्णु का रूप ही भक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया। अतएव राम तथा कृष्ण के अवतारों के रूप में प्रथी के विष्णु का प्राधान्य मिलता है। यद्यपि संहिता तथा उपनिषदों तक में भक्ति की चर्चा मिलती है, किंतु इसका विशेष विकास तो पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में ही हो सका।

आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव क्षीय हो रहा है। अतएव आधुनिक हिंदी-साहित्य में भी धार्मिकता की विशेष पुट नहीं है। आजकल हिंदी में रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक वाद प्रचलित हैं। यदि इन वादों में कहीं ईश्वर की सत्ता है भी, तो निर्गुण रूप में ही है। इधर कवींद्र रवींद्र पर कवीर की गहरी छाप पड़ी और आधुनिक हिंदी कविता बंगाली रचनाओं से बहुत कुछ प्रभावित हुई है। इस प्रकार धर्म के विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि पौराणिक तथा भक्ति-धारायें ही प्रधानतया हिंदी कवियों के संमुख उपस्थित रही हैं।

जैसी परिस्थिति हम धार्मिक प्रभावों के संबन्ध में पाते हैं लगभग वैसी ही परिस्थिति साहित्य के क्षेत्र में भी पाई जाती है। वैदिक साहित्य का हिंदी-साहित्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं है। शैली, छंद तथा साहित्यिक आदर्श, किसी भी रूप में, वैदिक साहित्य का प्रभाव हिंदी-साहित्य पर दृष्टिगोचर नहीं होता। पौराणिक साहित्य से हिंदी-साहित्य अवश्य प्रभावित हुआ है। पुराणों में भी धीमद्भागवत ने विशेष रूप से हिंदी-साहित्य को प्रभावित किया। कथानक के रूप में रामायण तथा महाभारत से भी हिंदी-साहित्य बहुत प्रभावित हुआ है। राम तथा कृष्ण-काव्य-संबन्धी अनेक आख्यान संस्कृत-इतिहास और पुराणों से हिंदी-साहित्य में लिये गए हैं।

संस्कृत-साहित्य का मध्ययुग वास्तव में महाकाव्यों का युग था। इस काल में संस्कृत में अनेक महाकाव्यों, खण्डकाव्यों तथा नाटकों की रचनायें हुईं। माधुरातया इन महानाट्यों का भी प्रभाव हिंदी-साहित्य पर पड़ा है। यह बात दूसरी है कि हिंदी के महाकाव्यों में मानव-जीवन की उस अनेक-रूपता का एक प्रकार से अभाव है जो संस्कृत महाकाव्यों में स्वाभाविक रूप में वर्तमान है। केशव की रामचंद्रिका लक्ष्मण-धर्मों के अनुसार महाकाव्य अवश्य है; किंतु उसमें जीवन की वे परिस्थितियाँ कहीं—जो महाकाव्य के लिए

अपेक्षित है। संस्कृत के रीति-ग्रंथोंका भी हिंदी-रीति-ग्रंथों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हिंदी के कई रीति-ग्रंथ तो संस्कृत काव्यशास्त्र-संबंधी ग्रंथों के केवल रूपान्तर मात्र हैं।

विचार करने से यह बात स्पष्ट विदित होती है कि आधुनिक हिंदी-साहित्य का रूप अभी तक अव्यवस्थित तथा अस्थिर है। इस युग के प्रायः अधिकांश नाटक संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। मौलिक नाटकों की रचना का यद्यपि हिंदी में आरंभ हो चुका है; किंतु मौलिकता की जड़ें पकड़ी नहीं हो पाई हैं। हिंदी के कई नाटकों पर दिजेन्द्रलाल राय की शैली की स्पष्ट छाप है। बर्नडशा जैसे अंग्रेजी के आधुनिक नाट्यकारों का अनुकरण भी दिन दिन बढ़ रहा है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी नाटक तेज़ी से आधुनिकता की ओर झुक रहे हैं।

एक स्थान पर इस बात का संकेत किया जा चुका है कि आधुनिक हिंदी-साहित्य का एक पैर अभी तक मध्ययुग में है। यह बात प्राचीन परिपाटी के नवीन काव्यग्रंथों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाती है। आधुनिक ब्रजभाषा के अधिकांश काव्य ग्रंथों में धार्मिकता तथा साहित्यिकता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। रीति-ग्रंथों का भी लोप नहीं हुआ। अभी हाल ही में 'हरिऔध' ने 'रसकलस' के रूप में इस विषय पर एक बृहत् ग्रन्थ हिंदी-साहित्यिकों के लिये प्रस्तुत किया है।

हिंदी-साहित्य का अध्ययन करनेवालों को एक बात विशेष रूपसे खटकती है और यह राजनीति तथा समाज की ओर कवियों की उपेक्षावृत्ति। कवि अपने काल का प्रतिनिधि होता है। उसकी रचना में तत्कालीन परिस्थितियों के सजीव चित्र की अभिव्यञ्जना रहती है। किंतु जब हम इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य, विशेषतया पश्चात्कालिक रचनाओं का मिहावलोकन करने हैं तो हमें बहुत निराश होना पड़ता है। यह परिस्थिति कुछ कुछ पहले भी थी और आज भी कायम है। सूरदास, नंददास, आदि कृष्णभक्त तथा बाद के आचार्य कवियों के अध्ययन से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि मानों इन्हें देश, जाति तथा समाज से कोई वास्ता ही न था। मथुरा-शुन्दारन आगरे के अत्यन्त समीप हैं, किन्तु देश की राजनीतिक समस्याओं का इन भक्त कवियों की रचना पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। हिंदियों तथा हिंदी-साहित्य दोनों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। जब हम मध्ययुग के भराठी

साहित्य का अनुशीलन करते हैं तो उसमें देश-प्रेम तथा जातीयता की भावना पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु समर्थ रामदास में तो देश तथा जातीयता के भावों का वातुल्य था। हिंदी के मध्ययुग में लाल तथा भूपण दो ही ऐसे प्रधान कवि हैं, जिनमें इस प्रकार के कुछ भाव विद्यमान हैं—यद्यपि इनका दृष्टिकोण अत्यन्त सूक्ष्म है। आज भी हिंदी के ललित साहित्य में राजनीति तथा समाज की उपेक्षा हो रही है। नाटकों, उपन्यासों तथा कहानियों में सामाजिक अंग पर अथ कुछ प्रकाश पड़ने लगा है। किंतु हमारे आधुनिक कवि तथा लेखक राजनीतिक सिद्धांतों और समस्याओं की ओर न जाने क्यों आकृष्ट नहीं होते। इसके लिये देश की वर्तमान परिस्थिति को ही हम दोषी ठहराकर उन्मुक्त नहीं हो सकते। किसी भी देश के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि देश की संस्कृति के विविध अंगों तथा समस्त प्रमुख समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय।

हिंदी-साहित्यमें आगे चलकर कौन विचार-धारा प्रधान रूपसे प्रवाहित होगी, इसे निश्चित रूपसे बतलाना अत्यंत कठिन है; किंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि उसकी वर्तमान अवस्था में अवश्य परिवर्तन होगा। देश में प्राचीन संस्कृति की नींव अभी गहरी है। अतएव नवीन नींव की हमें आवश्यकता नहीं। आज तो केवल इस बात की आवश्यकता है कि प्राचीन नींव पर ही हम नवीन मुहड़ भवन निर्माण करें।



घ-समाज तथा राजनीति

१—अध्यापिका-वर्ग

कुछ दिन पहले अपने देश में स्त्रियों के बीच में पढ़ना लिखना विधवाओं का कार्य समझा जाता था और प्रारंभ में प्रायः था भी ऐसा ही। यदि कोई थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानने वाली स्त्री दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती थी और फिर यदि परिवार में कोई अन्य सरसक न हुआ तो वह धीरे धीरे कुछ और तरक्की करके अध्यापिका का कार्य कर जीवन निर्वाह करने लगती थी। अपने देश के स्कूलों में अध्यापिकावर्ग में बहुत बड़ा मनुष्य इसी श्रेणी की स्त्रियों का है।

जब से कालेज और यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं और धीरे धीरे ऊँची पढ़ाई के लिये स्त्रियों की आवश्यकता पड़ने लगी है तब से 'कुमारियों' का एक नया वर्ग अपने देश में भी बनने लगा है। कालेज तथा यूनिवर्सिटी के अध्यापिका-वर्ग में प्रायः बड़ी उम्र की अविवाहिता 'कुमारियाँ' हैं अथवा ऐसी विवाहिता स्त्रियाँ हैं जिनका दाम्पत्य जीवन कहीं कारण से सफल नहीं रह सका है।

मेरी समझ में अपनी कन्याओं की शिक्षा में एक मरने वाली श्रुति यह है कि उनकी अध्यापिकाएँ प्रायः विधवाएँ अथवा कुमायों वर्ग की हैं। अध्यापक के रहने सहने, प्रचार विचार आदि का विद्यार्थियों पर, जाने और स्ना जाने दोनों तरह से, बितना प्रभाव पड़ता है यह वे ही भरी प्रसार जानते हैं जिन्होंने इस विषय का विशेषरूप से अध्ययन किया है। जिन कन्याओं को यहही होना है उनके लिये विधवा अथवा कुमायों वर्ग का आदर्श दिाकर नहीं हो सकता।

छोटी छोटी बातों पर इस तरह के आदर्शों का कुञ्जमान प्रकट होने लगता है। पचास रुपये पाने वाली यह अध्यापिका जिसके आगे पीछे कोई नहीं है कुछ रुपये अपने ऊपर खर्च कर सकती है। साठ रुपये तथा निरिन्द रहने वाली यह अध्यापिका बोनस महीना के बाली कन्याओं के लिये आदर्श स्वरूप हो जाती है। किंतु भविष्य में विवाहित हो जाने पर साधन ही कहीं सहायी को अपनी अध्यापिका की तरह साठ रुपये तथा निरिन्द रह कर अपने ऊपर पचास रुपये खर्च करने का आदर्श मिल सके। रहने की पूरी सहायता यदि सफल यहिही न मिल सके तो आदर्शों की कोई बात नहीं है।

मैं ने स्वयं अपने नामों में ऊँचे दर्ज की लड़कियों को कहते मुना है कि गृहस्थी भंगभट है, वस्त्रे मुर्मावत की चीज़ है, पति श्रयचा मास समुर वे अकुरा में रहना दुःगाय है। यहुनों को यह इच्छा प्रकट करते मुना है कि हमारे जीवन का आदर्श तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके कलानी टीचरेम या हेडमिस्ट्रेस या लेडी प्रिन्सिपल की तरह रहने और जीवन व्यतीत करने का है। इस तरह का आकर्ण्य स्वाभाविक है। जब ये कन्याएँ देखती हैं कि हमारी अध्यापिका नित्य एक नई साड़ी बदल कर आती हैं और मां हमने में दो या एक बार ही मुश्किल से घोंती बदल पाती हैं जो कभी उतनी साफ़ रह ही नहीं पाती; अध्यापिका की साड़ी, रूमाल तथा शरीर से सदा मुगन्धि निकला करती है, मां के हाथ और कपड़ों से हल्दी, मिर्च, मसाले की दुर्गन्धि; अध्यापिका नित्य संध्या को बैडमिन्टन खेलती हैं, मां दफ़्तर से लौटे हुए बाबू जी को नाश्ता करानी हैं और राने हुए भैया को चुगाती हैं; अध्यापिका सप्ताह में कम से कम एक बार मित्रों के साथ सिनेमा थियेटर या पिकनिक पर जाती हैं, मां बेचारी को दिल्ली सोमवती पर भी गंगा जी जाने को नहीं मिला या तब क्या आश्चर्य है कि लड़की विवाहिता मां के आदर्श को छोड़कर कुमारी अध्यापिका जी को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहे और यदि सौभाग्य श्रयचा दुर्भाग्य से उसे ऐसी कुमारी-अध्यापिका श्रयचा विधवा-अध्यापिका न बनकर गृहस्थिन-मा बनना पड़े तो उसका सारा जन्म दुःख में कटे।

अपनी कन्याओं की शिक्षा के संबंध में अध्यापिकाओं के आदर्श का यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे लड़कियों की शिक्षा बढ़ने पर समस्त समाज को भारी धक्का पहुँच सकता है। मेरी समझ में सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापन के कार्य को विधवा और कुमारी वर्ग का कार्य न समझ कर उत्तरदायित्व समझने वाली गृहस्थिन स्त्रियों का कार्य समझना चाहिये। बड़े बूढ़ों को अपनी पढ़ी लिखी बहुओं को वैतनिक या अवैतनिक रूप में पढ़ाने का काम करने को भेजने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये बल्कि उन्हें उत्साहित करना चाहिये। इस भूठी सज्जा के कारण अपनी लड़कियों के नैतिक आदर्शों में बहुत भारी पतन हो जाने का भय है जो समाज को समूल नष्ट कर सकता है।

हमारे लड़कों की संख्याओं में रंजुओं या निर्द्वन्द्व जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से आजन्म अधिवाहित रहने वाले अध्यापक कितने प्री सदी निरलेंगे ?

२—स्वदेशी साम्यवाद

विदेशी वस्तुओं के समान अपने देश में विदेशी विचारों का भी आज़-कल दीर दौरा है। अच्छी बात दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि बात सचमुच अच्छी हो। मुसलमान काल में अपने यहाँ नवाबी का ज़ोर था, उसके बाद प्रजातंत्र राज्य की दुहाई रही और अब तो हर एक मर्ज़ का इलाज रूसी साम्यवाद समझा जाता है।

यह नहीं है कि अपने यहाँ साम्यवाद की भावना रही ही न हो, किंतु विदेशी मुलम्मे के मुक़ाविले में स्वदेशी कुंदन को परख सकना कठिन है। स्वदेशी साम्यवाद की दो चार प्रधान विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया जाता है।

अपने देश में साम्यवाद के मूल में अहिंसा का सिद्धांत था, हिंसा का नहीं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में राजा, साहूकार या जिर्मींदार को मार कर, डाका डाल कर या छीन कर पराये भाल को हथियाने की शिक्षा अपने यहाँ कभी भी नहीं दी गई। एक बार हिंसा के सिद्धांत का मान लेने पर उसे आपस में भी नहीं रोका जा सकता। भरतमुर के समान वह सर्व साधारण को भी भरम किये बिना नहीं रह सकता।

अहिंसा के साथ ही स्वदेशी साम्यवाद में त्याग का दूसरा प्रधान सिद्धांत माना गया था। सब आदमी शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों में बराबर नहीं हैं, न ज़बर्दस्ती बराबर रखे जा सकते हैं। एक बार बराबर कर देने पर भी कुछ लोग अपनी असाधारण शक्ति तथा योग्यता के कारण आगे बढ़ जावेंगे। किंतु यह धर्म समझ जाता था कि जिसके पास अधिक बल या अधिक धन या अधिक विद्या हो जावे वह स्वयं उसे दूसरों के लिये त्याग दे। अमीरों का धर्मशालायें बनवाना, कुयें तालाब निर्मित करना, सदाब्रत बाँटना आदि इसी सिद्धांत के अंतर्गत था। त्यागी को भोगी की अपेक्षा अपने देश में सदा ऊँचा समझा गया है। इसी शिक्षा के कारण तो आज भी बड़े से बड़े राजा की अपेक्षा अपने देश की जनता के हृदय में महात्मा गांधी का अधिक मान है।

इस दूसरे सिद्धांत के परिणाम स्वरूप तीसरा सिद्धांत दान का था। छिनवाकर नहीं बल्कि दिसवाकर अपने यहाँ समाज में समानता उपस्थित की

३—क्या असहयोग उठा लेने का समय आ गया है ?

लेख का शीर्षक कुछ भ्रामक है। असहयोग से तात्पर्य यहाँ कांग्रेस के पिछले दिनों के राजनीतिक असहयोग आंदोलन से नहीं है, वह तो लगभग उठ चुका है, बल्कि उस विशाल सामाजिक असहयोग से है जिसे भारतीयों ने आत्मरक्षा के निमित्त विदेशियों से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था और जो देश-व्यापी रूप में आज भी चल रहा है। संसार के इतिहास में इतने विस्तृत तथा दीर्घकालीन असहयोग का कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। प्रश्न यह है कि क्या इन असहयोग को उठा लेने का समय आ गया है ? इस प्रश्न का उत्तर तभी ठीक दिया जा सकता है जब इस साधारण उपचार के कारणों तथा रोग के लक्षणों को ठीक ठीक समझ लिया जाए। इसके लिए अपने देश के मध्यकालीन इतिहास पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

अपनी संस्कृति के इतिहास में १,००० ईसवी के लगभग एक अभूतपूर्व संकट आया था। देश के इतिहास में पहली बार अपना शासक वर्ग विदेशियों से इस तरह पराजित हुआ कि देश के राजनीतिक शासन की बागडोर धीरे धीरे विदेशियों के हाथों में स्थाई रूप से चली गई। प्रत्येक देश की स्वाभाविक परिस्थिति में प्रजा की सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक संस्कृति की रक्षा और बिकाश राज्य की सुरक्षिता में होता है। किन्तु यह तभी संभव है जब स्व-राज्य हो—शासक वर्ग तथा प्रजागण एक ही संस्कृति के उपासक हों। १,००० ईसवी के पूर्व देश में किसी भी तरह का राज्यत्व रहा हो, किन्तु शासक तथा शासित में संस्कृति संबंधी ऐक्य बराबर रहा है। हमने पूर्व की आक्रमणकारी विदेशी जातियों तक ने जातीय संस्कृति को शीघ्र ही प्रत्यक्ष पर लिया था, अतः बनिष्प, तोरमण्य जैसे विदेशी शासक भी संस्कृति की दृष्टि में भारतीय थे। भागवत के अत्र तत्र के इतिहास में देशव्यापी दीर्घकालीन विदेशी शासन कभी स्थापित नहीं हुआ—अस्थाई आक्रमण अवश्य हुए।

१,००० ईसवी के बाद देशवासियों को रिल्दुस नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहली बार हम लोगों का राज्यत्व ऐसा नष्ट हुआ कि

सैफुद्दीन वगैरे तक—आज तक—अपने हाथों में शासन की बागडोर नहीं रखी। फिर हमारे इन विदेशी शासकों की संस्कृति तथा हमारे दृष्टिकोण में आकाश-पाताल का अंतर था। राष्ट्र की पावन शक्ति विगड़ चुकी थी, अथवा कहिए कि विप कुद्व ऐसा तीव्र था कि बाह्यागत सामग्री को पचा डालने में पहली बार अममय सिद्ध हुए हमसे भिन्न था और वे अपनी इस अभारतीय संस्कृति को ज्यों गले उतारना चाहते थे। वास्तव में अपनी संस्कृति को इससे संकट का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा था। राज्यदंड ही का नियामक होता है, इस नई परिस्थिति में राज्यदंड ही विनाशक था।

इस असाधारण परिस्थिति में—विशेषतया अपने राज्यों के कारण—यची खुची संस्कृति की रक्षा का भार स्वयं जन और उसे आत्मरक्षा का कार्य भी अपने हाथ में लेना पड़ा। राज्यशक्ति छीनने का प्रयत्न चलता रहा किन्तु कुद्व कारणों भविष्य में पूर्ण सफलता होती नहीं दिखलाई पड़ी। ईराक शासक वर्ग के पराजित होने के साथ आत्मसमर्पण करने इन्कार किया और अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा अ नए अरब का आविष्कार किया जिसकी सहायता से भारत तक भी नष्ट होने से बची है। सेना के प्रधान संचालक के लिए प्रायः एक ही रास्ता रह जाता है—हथियार हमारी जनता रूसी सेना ने हथियार रखना सीखा ही नहीं खाई में पड़ी हुई टुकड़ी ने अपना प्रबंध अपने हाथ रूप में युद्ध जारी रखने का अटूट निर्णय किया। यह जानते हैं कि वर्तमान काल में प्रचलित उपजातियों अपने देश में इसी काल में हुआ था और इस नए मुख्य उद्देश्य अपने अराजक राष्ट्र की रक्षा करना या साधारणतया एक विशाल देश की सामाजिक की देशरेण के लिए केंद्रीय मुख्यस्थित शासन की विशेषतया विदेशी शासन

हो सकती थी। इसीलिए समाज के संचालन कार्य को छोटी छोटी टुकड़ियों में बाँटना पड़ा। इन टुकड़ियों के बनाने में दो सिद्धांत रखे गए। पहला, स्वाभाविक छोटे छोटे प्रादेशिक विभाग, जिनके कारण उपजातियों के कान्य-कुब्ज, भाधुर, सरयूपारीण, श्रीवास्तव, सकसेना आदि नाम पड़े। दूसरा, प्रत्येक प्रदेश में रहनेवाली जनता का व्यवसाय के आधार पर विभाग जिसके कारण इन प्रादेशिक नामों के साथ ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, किसान, तेली, कुम्हार आदि नाम जोड़े गए। इस तरह दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के पेशों की पंचायतों के हाथ में देश की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था आ गई। आपत्तिकाल के नियमों का भिन्न होना स्वाभाविक है।

यह मानना पड़ेगा कि विरादरियों की पंचायतों के द्वारा कभी कभी अन्याय भी हुए। मार्शल ला के फोर्ट के कैसलों की तुलना हाईकोर्ट के गंभीर कैसलों से नहीं की जा सकती। किंतु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि मुख्य उद्देश्य अर्थात् आत्मरक्षा करने में समाज सफल रहा, नहीं तो ईरान, टर्की आदि के समान भारत में भी देश को संस्कृति की दुहाई देने वाला आज कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। इस नए समाजतंत्र का कानून बहुत सरल था—अभारतीय संस्कृति से पूर्णतया सामाजिक असहयोग। इस नियम के तोड़नेवालों के लिये समाज ने दो प्रकार के दंड नियत किये थे—साधारण जुर्म के लिये अपराधी व्यक्ति अथवा वर्ग से खाने पीने का संबंध विच्छेद—‘हुज्जामनी बंद।’ भारी अपराध करने वालों का समाज से पूर्ण बहिष्कार, अर्थात् विवाह-संबंध विच्छेद। देश की वर्तमान उपजातियों में प्रचलित रोटी बेटी की समस्या के पीछे वास्तव में समाज का इस काल में बनाया हुआ दंड विधान सज्जित है। विशेष परिस्थितियों में प्रावृत्त कर लेने पर दंड वापस भी ले लिया जाता था और वह व्यक्ति या वर्ग फिर समाज में शामिल कर लिया जाता था।

धीरे-धीरे एक अन्य विचित्र संगठन क्रम समाज में दिखाई पड़ने लगा। विरादरियों की इन टुकड़ियों ने विदेशियों से असहयोग प्रारंभ किया था, किंतु कुछ समय बाद इन टुकड़ियों में आपस में भी एक प्रकार का असहयोग निदान विकसित हो गया। बरसों तक खाद्यों में पड़े रहने वाले गिराही, दूर की खाद्यों के अपने ही विरादियों के बारे में संदिग्ध हो सकते हैं और घेतवा

राने के भय से किसी को भी अपनी ग्वाइ में न सुनने देने का सिद्धांत बना सकते हैं। अपनी समाज में विरादरियों अपना उद्ग्राहियों का यह क्रम जो लगभग हजार वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था धारा भी धारा रूप में चल ही रहा है। नई रोशनी ने पले नवयुद्ध देश की समस्त बुराइयों और कमजोरियों का कारण इस जान-पान का समझने है। उन्होंने अपने देश के इतिहास को ठीक रूप में नहीं पढ़ा, नहीं तो वे सामाजिक रोग ने पीड़ित बालक के संबंध में माता के नियंत्रण में केवल बुराई ही नहीं देखने। तो भी यह प्रश्न उचित ही है कि - क्या अब भी इस अस्वहयोग को इसी रूप में जारी रखने की आवश्यकता है? क्या इस बीसवीं शताब्दी ने इस अस्वहयोग सिद्धांत से लाभ की अपेक्षा हानि तो अधिक नहीं हो रही है? क्या अस्वहयोग उठा लेने का समय अब नहीं आ गया है?

वास्तव में प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न के उत्तर के संबंध में मतभेद होना स्वाभाविक है। सच तो यह है कि विशेषज्ञों द्वारा इस प्रश्न पर अभी तक गंभीरतापूर्वक विचार ही नहीं हुआ है। एक ओर अपने समाज में परिमित दृष्टि रखनेवालों कट्टर लोगों का एक वर्ग है जो यह समझता है कि वर्तमान विरादरियों और उनके चौका चूल्हे तथा रोटी बेंटी आदि के नियम अपने देश में वैदिक काल से चले आ रहे हैं। अतः इनमें लौट पीट करना संस्कृति के मूल पर कुठाराघात करना होगा। दूसरी ओर केवल पश्चिम को जूटन पर पले उतावले अंग्रेजिया लोगों का वर्ग है जो इन समस्त सामाजिक नियंत्रणों को मूर्खता, पाखंड तथा बुद्धिहीनता का दूसरा रूप समझता है। देश के मुट्ठी भर विद्वानों का वर्ग राजनीति, साहित्य, विज्ञान तथा भाषा-संबंधी प्रश्नों के मुलभूतने में तो अप्रसर है, किंतु समाज के जीवन मरण से संबंध रखनेवाले प्रश्नों के प्रति उदासीन है। कम से कम इन प्रश्नों को यह वैया महत्व नहीं दे रहा है जैसा उसे देना चाहिए। किन्हीं दो चार व्यक्तियों के द्वारा बिना समझे धूके मनमाने ढंग से खाना पीना आरंभ करने से अपना विवाह शादी कर लेने से समाज की समस्या मुलभूत न सकेगी, कदाचित् कुछ अधिक जटिल ही हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अग्रणी समझ धूमकर नया समाज विधान बनावें और उसे चलाने का यत्न करें। संभव है आरंभ में यह विधान उतना सुधरा हुआ न हो सके जितना कि जोशाले सुधारक चाहें, किंतु तो भी यह मध्यम मार्ग समाज माथ के लिए

अधिक हितकर सिद्ध हो सकेगा। देश काल के अनुसार समाज का पुनर्संघटन आरंभ करने का समय आ गया है, इतना निश्चित है।

इस प्रश्न के उत्तर पर प्रकाश डालने वाले तथा इस महत्वपूर्ण समस्या को मुलभानेवाले में सहायक बुद्ध तथ्यों का दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है। वह विवेचन व्याप्तगत है श्रीर केवल विचार विनिमय की दृष्टि से उपस्थित किया जा रहा है—

१—अपनी समाज की वर्तमान विरादरियों का जो इतिहास ऊपर दिया गया है यदि वह काल्पनिक नहीं है तो उन्हें तोड़ने के पूर्व यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि आज भी देश का शासन अपने हाथ में नहीं आ पाया है। हमें यह आशा आज भी नहीं है कि संस्कृति की रक्षा हमारे नहीं शासक पर सकेगी। यह अर्थ है कि १४ वीं अथवा १६ वां शताब्दी के राज्यतंत्र की अपेक्षा देश का आज का शासनतंत्र अधिक उदार है। तो भी संस्कृति की रक्षा का उत्तरदायित्व आज भी समाज के ही ऊपर है। देश में स्वराज्य न होने के कारण हम उसे शासकों के हाथ में आज भी नहीं सौंप सकते। अतः कदाचित् भारील ला को पूर्ण हटाने का समय अभी भी नहीं आया है, यद्यपि अधिक कठिन नियमों को शायद कुछ सरल किया जा सकता है। इस संबंध में भी अग्रसरों की कमेटी ही निर्णय दे सकती है। अभी अपने हार्डकोर तो हैं नहीं।

२—अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जिस विदेशी संस्कृति से हमने असहयोग प्रारंभ किया था उसका इतिहास भी आज तक विदेशी ही बना हुआ है—एक हजार वर्षों में भी उसने भारतीयता को ग्रहण नहीं किया। बल्कि इधर तो उसने अन्तर्देशीय अंगों को तिर से तिर करना प्रारंभ किया है। अब अंत में हार मान कर अपनी संस्कृति को छोड़ने को हम उद्यत हो तो बात दूसरी है, नहीं तो इस विदेशी संस्कृति के साथ संघर्ष दूर होने की निकट भविष्य में अभी भी विशेष संभावना नहीं मालूम होती। कदाचित् आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय संस्कृति के उपायकों को अपने समाज को धर अधिक बड़े पैमाने पर सुसंगठित करना चाहिए। भारत के असहयोग को न्यूनतम कर देने का समय कदाचित् आ गया है। इस प्रकार अपने पक्ष की शक्ति बढ़ जाने पर यह संभव है कि विरोधी संस्कृति का इतिहास कुछ अधिक सरलभूति पूर्ण हो सके।

३—मध्ययुग में देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों तथा वर्गों का आत्म-संपर्क में आना दुस्तर था, किंतु इस बीसवीं शताब्दी के रेल, मोटर, ताप-ढाक तथा हवाई जहाज़ रेडियों के युग में अधिक बड़े वर्गों का शीघ्र सुसंगठित किया जा सकता उतना कठिन नहीं है—कदाचित् आवश्यक है। छोट्टी-छोट्टी विरादरियों के वर्ग या उपवर्ग मिला कर अधिक बड़े रूप ग्रहण कर सकते हैं। ये वर्ग किस प्रकार से मिलाए जावें इस संबंध में खोज और गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है—पंजाबी ब्राह्मण और बंगाली ब्राह्मण एक-दूसरे से विवाह संबंध करने लगे, या पंजाबी ब्राह्मण और पंजाबी श्रमिकों को एक-दूसरे के निकट आना चाहिए, अथवा बंगाली ब्राह्मण में लेकर बंगाली चमार तक सब एकमेक हो जावें ? नसल और संस्कृति के इतिहास के विशेषज्ञ ही इन समस्याओं पर उचित प्रकाश डाल सकते हैं। वास्तव में सामूहिक रूप से सामाजिक नियमों में परिवर्तन करने के पूर्व इस संबंध में पूर्ण खोज तथा उचित पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है।

४—यह मानना पड़ेगा कि इधर कुछ दिनों से अपनी सेना में मानसिक निर्बलता प्रारंभ हो गई है। हमारी विरादरिएं अथवा मार्शल ला कोर्ट्स आज उतनी सुसंगठित और शक्तिशाली नहीं रही हैं, जितनी पचास वर्ष पूर्व थीं। कुछ तो उनके बनाए नियम देशकाल के उपयुक्त नहीं रहे हैं अतः उन पर चलना कठिन हो गया है। फलतः सिपाही कभी कभी नियमों को मानने से इन्कार कर देते हैं और समाज अपनी कमज़ोरी के कारण उन पर दंडविधान लागू करने में असमर्थ हो जाता है। नियमों में सुधार करना तो अवश्य है किंतु साथ ही किसी न किसी प्रकार का सामाजिक शासन तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना हो पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति के शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेने से तो कोई भी समाज नहीं चल सकता। अपने समाज में प्रचलित खान पान, शादी विवाह, रहन सहन आदि के नियमों में आवश्यक परिवर्तन अवश्य करने चाहिए, किंतु एक नियम हटाने पर दूसरे नियम लाने पड़ेंगे—उच्छृंखलना लाने से काम नहीं चल सकेगा। नियमों में संशोधन करते समय यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अमुक नियम भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के आत्म-व्यवहार के लिए है और अमुक नियम विदेशियों के साथ व्यवहार करने के लिए है। इसी तरह स्वदेश में रहने वालों के नियम तथा विदेश में रपायी

अथवा अस्थायी रूप से जाने वालों के नियमों में अंतर करना पड़ेगा। जो हो, समाज का प्रत्येक अंग नई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित तो किया जाना चाहिए किंतु साथ ही नियम तथा सुव्यवस्था को तिलाजलि नहीं दी जा सकती।

५—उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों तथा गौण सिद्धांतों को सुधरे ढंग से अलग अलग करके समझ लेने की आवश्यकता है। आपत्तिकाल में लोगों ने काच के टुकड़ों और हीरों को एक में मिला कर रख लिया था। प्रत्येक व्यक्ति जौहरी नहीं होता इसलिए प्रायः लोग दोनों में अंतर नहीं कर पाए—अकसर लोग हीरों को छोड़ कर काँच के टुकड़ों को मुट्ठी में दबाये बैठे हैं। किंतु अब देश की विपत्ति की लंबी रात बीत चुकने पर उदय होने वाले सूर्य के धुंधले प्रकाश में काँच और मणियों को छुँटा जा सकता है।

वास्तव में अपने समाज के पुनर्निर्माण की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक स्वतंत्रता के सुद्ध, साहित्यिक मनोविनोद, और पेट भरने के कार्यों के साथ साथ इसे भी हाथ में लेना होगा। समाज को सुसंगठित करने पर एक बार फिर विशाल शक्ति तैयार हो सकती है, और तब अपनी संस्कृति की पूर्ण विजय निश्चित है। जो हो एक सहस्र वर्ष से अलग अलग खाद्यों में पड़े पड़े लड़ने वाले अपने निकट सिपाहियों के साथ विश्वासघात तो नहीं किया जा सकता ?



४-हमारे प्रांत की कुछ समस्याएँ

संयुक्त-प्रांत का वातावरण कुछ ऐसा है कि यहाँ के रहनेवाले संसार के संबंध में तो सोचते हैं, भारत के संबंध में भी सोच सकते हैं किन्तु फिर उससे उतरकर एकसाथ अपने शहर या गाँव अथवा बिरादरी या धंधे के संबंध में सोचने लगते हैं। अपने प्रांत के अस्तित्व का जितना इस प्रांत के लोगों ने भुला रखा है, उतना भारत के किसी भी अन्य प्रांत ने नहीं भुलाया है। हमारे प्रांत में जो भी काम होना है, वह “अंग्ल-भारतवर्षीय” दृष्टिकोण से होता है। प्रांतीयता का भाव साधारणतया आता ही नहीं है और यदि कभी आता भी है, तो उसे संकुचित भावना कहकर दूरदुरा दिया जाता है। वास्तव में इस उपेक्षा का कारण हमारा अज्ञान है।

भारतवर्ष के प्रांत संसार के अन्य भागों के देशों के समान हैं। उदाहरण के लिये अपना संयुक्त-प्रांत ही लीजिये। यह योरोप अथवा एशिया की किसी भी महान् शक्ति से जन-संख्या अथवा क्षेत्रफल में घटकर नहीं है। संयुक्त प्रांत की तुलना इन बातों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉर्गलैंड, जापान तथा टर्की आदि किसी में भी की जा सकती है। सच पूछिए, तो हमारे लिए कच्चा देश तो हमारा प्रांत ही है। हमारा जीवन प्रांत के वातावरण में ही आगे बढ़ रहा है। भारतवर्ष अथवा संसार के संबंध में तो हमलोग कभी-कभी समाचार पत्रों या पुस्तकों में पढ़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रांत के संबंध में इतनी उपेक्षा क्यों? व्यक्ति तथा संसार के बीच में देश या प्रांत स्वाभाविक माध्यम है और इसकी उपेक्षा बिना अपने को हानि पहुँचाये नहीं की जा सकती।

हमारे प्रांत की सभी समस्याएँ उलझी पड़ी हैं, क्योंकि वायव्य चर्चा तथा भागनीय राजनीतिक चाट के आगे हम लोगों ने इन ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। सबसे पहली समस्या प्रांत के नाम की है। अपने प्रांत के इस आवश्यक संस्कार के संबंध में हम लोगों ने अभी विचार तक नहीं किया है। अपने धर्म में मनुष्य के संस्कारों में नामकरण एक मुख्य संस्कार है, जो जन्म के बाद हीम ही किया जाता है। छोड़ो जन्म कुलों को ‘गौर’ तथा अपने साधारण मरदान को ‘लक्ष्मीनिवास’ से नीचा नाम देना नहीं पार
ने। जन्म प्रांत के नाम के संबंध में कही गयी उपेक्षा!

बंगाली का अपना प्रांत बंगाल है, पंजाबी का पंजाब, गुजराती का गुजरात, उड़ीसा का उड़ीसा, सिंधी का सिंध, आसामी का आसाम; लेकिन हमारा प्रांत है “आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत” अथवा “यू० पी०”, जिन नामों को न तो हमारे बच्चे, स्त्रियाँ, गाँववाले अथवा साधारण लोग समझ ही सकते हैं और न सुविधा से ले ही सकते हैं। फिर हम अपने को क्या कहें ‘संयुक्त-प्रांती’ या ‘यू० पी० वाले’? मैं भूल गया, हम लोग तो ‘भारतवासी’ हैं। प्रांत के नाम पर हम अपना नाम क्यों रक्खें। दूसरे प्रांतवालों के यदि बंगाली, सिंधी, गुजराती, पंजाबी आदि सुबोध नाम हैं, तो इससे क्या। सच तो यह है कि भारतवर्ष के स्वाभाविक प्रदेशों में एक हमारा ही प्रदेश ऐसा है, जिसके न तो रहनेवालों का ही कोई ठीक नाम है और न जिसके प्रांत का ही कोई उचित नाम है।

इस त्रुटि को दूर करना कठिन नहीं है। एक नाम ऐसा मौजूद है जिससे दूसरे प्रांत के रहनेवाले प्रायः हमें पुकारा करते हैं। हम भी अपने को कभी-कभी उस नाम से पुकार लेते हैं, विशेषतया जब हम अपने को अन्य प्रांतवालों से पृथक् करना चाहते हैं। यह नाम है “हिंदुस्तानी”। मुसलमान-काल से ‘हिंदुस्तान’-शब्द का प्रयोग विशेषतया गंगा की घाटी के पश्चिमी भाग के लिये होता रहा है। कुछ दिनों से हम लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उत्तर-भारत तथा संपूर्ण भारत के अर्थ में भी करने लगे हैं। यदि इस शब्द का प्रयोग फिर मूल अर्थ में करने का हम लोग निश्चय कर लें, तो हमें बहुत सुविधा से अपना तथा अपने प्रांत दोनों का सर्व प्रिय तथा सुबोध नाम मिल सकता है। ‘यू० पी०’ नाम का संस्कार करके इसका नाम “हिंदुस्तान” प्रांत रख दिया जाय, यहाँ के रहनेवाले ‘हिंदुस्तानी’ कहलाएँ और यहाँ की भाषा ‘हिंदुस्तानी’ नाम से पुकारी जा सकती है। जिसके ‘हिंदी’ और ‘उर्दू’ दो साहित्यिक रूप हैं। बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, सिंध सिंधी के टक्कर का जोड़ हिंदुस्तान हिंदुस्तानी में मिलता है। संयुक्त-प्रांत तथा यहाँ के निवासियों के नाम के संबंध में यह प्रस्ताव विचारार्थ है। यदि इससे भी अधिक सुबोध तथा सर्व-प्रिय नाम मिल सके, तो और भी अच्छा है।

हमारे प्रांत को दूसरी समस्या उसकी सीमाओं के संबंध में है। सरकारी ‘आगरा व अवध के संयुक्त-प्रांत’ की सीमाएँ निर्धारित हैं किंतु इस संबंध में

कुछ दिनों से तरह-तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। कांग्रेस ने अपने प्रांत की मेरठ कमिश्नरी को दिल्ली-प्रांत में डाल दिया और अपने वहाँ किसी के कान पर जू तक न रेंगी। सरकारी दृष्टि में भी मेरठ-कमिश्नरी का दिल्ली में डाल देने के लिये एक बार एम्बेबर्नी में प्रस्ताव आनेवाला था किंतु हमारे प्रांत के किसी भी पक्ष में इस संबंध में कुछ भी विचार नहीं हुआ।

“समुर्ध्व कुटुंबकम्” आदर्श रखनेवाले लोगों के लिये एक कमिश्नरी के घटने-बढ़ने का पता चलना मुश्किल है। प्रांत के अंदर ही अवध और आगरे के प्रश्न को अक्सर छेड़ दिया जाता है और इस संबंध में अवध के लोगों में कुछ हलका-सा चाव आ जाया करता है। उड़ीसा अलग हो जाने पर बिहार के लोगों की धारणा है कि बनारस तथा गोरखपुर-कमिश्नरी का कुछ भाग उस कमी को पूरा करने के लिये मिलने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। संयुक्त-प्रांत के उनके भाइयों का दिल बड़ा उदार है। फिर बनारस-गोरखपुर का भाग, सच पूछिये तो, न अवध में है और न आगरे में ही। हिंदुस्तानी मध्य-प्रांत के राजनीतिज्ञों की निगाह भूई-कमिश्नरी पर लगी हुई है, क्योंकि यदि कमी मराठी मध्य-प्रांत अलग हुआ, तो इस दुःखदायी सभेदार की कमी को संयुक्त-प्रांत के भूई, बांदा, हमीरपुर, जालौन के जमुना पार के जिलों को मिलाकर ही किया जा सकता है।

आगे-पीछे ये सब बातें एक-एक करके अवश्य उठेंगी। किंतु हम लोगों ने क्या कभी इन समस्याओं पर विचार किया है? हम लोग इस ‘संयुक्त-प्रांत’ के कितने टुकड़े करना चाहते हैं तथा इनमें से कितने टुकड़े अपने पड़ोसियों को दे देना चाहते हैं? हमारे हित या अहित की दृष्टि से हमारे प्रांत की सीमाएँ क्या रहनी चाहिए? हम ‘हिंदुस्तानियों’ के (इस शब्द का प्रयोग मैंने अपने अर्थ में ही किया है) भविष्य की दृष्टि से ये प्रश्न अत्यंत महत्त्व-पूर्ण हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हमारे समाचार-पत्रों तथा मासिक-पत्रिकाओं में कितने लेख इस संबंध में अब तक निकले हैं? अपने प्रांत के संबंध में हमारी उपेक्षा फिर स्पष्ट हो जाती है।

मेरी समझ में भारत को प्रांतों में विभक्त करने के लिये कांग्रेस का सिद्धांत अत्यंत युक्ति-संगत है। कांग्रेस के सिद्धांत के अनुसार एक भाग बोलनेवाले जन-समुदाय का एक प्रांत होना चाहिए। कांग्रेस ने भारत का प्रांतीय विभाग इसी सिद्धांत के आधार पर किया है। फेरल हिंदी-भाषी लोगों

के संबंध में इस नियम का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कदाचित् अपनी इच्छा ही नहीं प्रकट की। यदि पंजाब को छोड़ भी दिया जाय, तो भी इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त-प्रात, विहार, हिंदुस्तानी मध्य-प्रात, दिल्ली तथा अजमेर का एक प्रात हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के रजिस्टर के अनुसार भी इन सब प्रदेशों की व्यावहारिक भाषा एक हिंदुस्तानी ही है। मैं स्वयं विहार तथा राजस्थान को भी पृथक् प्रातों के रूप में रखना अनुचित नहीं समझता, क्योंकि जैसलमेर से भागलपुर तक का एक प्रात सोचने की अभी हम लोगों में शक्ति नहीं है। किंतु दिल्ली-कमिश्नरी, संयुक्त-प्रात तथा हिंदुस्तानी मध्य-प्रात का एक में मिल जाना मुझे सब तरह से स्वाभाविक तथा सिद्धांत के अनुकूल प्रतीत होता है। मेरी राय में संयुक्त प्रात की सीमाएँ संकुचित करने के बजाय इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो समस्त हिंदी-भाषी प्रदेशों का एक प्रात के रूप में सुसंगठित होना अधिक हितकर होगा। आवश्यकता इस बात की है कि अपने प्रात के लोग इस सीमा-संबंधी समस्या पर शून्य अच्छी तरह विचार करके अपना मत निर्धारित करें।

अपने प्रात की एक तीसरी मुख्य समस्या हिंदी-उर्दू की है। हम लोग हिंदी को अखिल भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा बनाने के संबंध में सतत उद्योग कर रहे हैं। इसके लिये मद्रास में हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, आसाम में हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, सिंध में हिंदी-प्रचार कर रहे हैं, किंतु स्वयं अपने प्रांत में हिंदी प्रचार के संबंध में हमने कितना उद्योग किया है। एक बेचारी नागरी प्रचारिणी सभा कभी-कभी अदालतों में उर्दू के स्थान में हिंदी को रखने के लिये कुछ कर-धर लेती है, किंतु उसके उद्योग की मात्रा समुद्र में बूँद की तरह है। अपने प्रात के समस्त पश्चिमी भाग में आज भी उर्दू का आधिपत्य है। मद्रास और आसाम में हिंदी प्रचार करने के पूर्व अपने घर के अंदर की इस द्विभाषा समस्या को तुलना लेना अधिक आवश्यक है। किंतु अन्य प्रांतीय समस्याओं की तरह इस ओर भी अपने प्रांतवासी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अपने प्रात की अनगिनती समस्याओं में से दो-तीन को यानगी की तरह मैं यहाँ हिंदी-भाषी जनता के सामने रख रहा हूँ। आशा तो नहीं है कि इस संकुचित किंतु व्यावहारिक विचारपरिधि के अंतर्गत अपने देशवासियों को ला

५—सिंध अब हिंद कब ?

पिछले दिनों सिंध का स्वतंत्र प्रांत बन जाने का समाचार पढ़कर सहसा म्याल आया कि आदिपूर वह दिन कब आयेगा जब हिंद का भी ठीक प्रांत बन सकेगा। संभव है बहुत से पाठक हिंद प्रांत का अर्थ न समझे हों। मेरा तात्पर्य हिंदी भाषी प्रदेश के ठीक नामकरण तथा सीमा विभाग से है।

भारत के प्रांतीय विभाग का इतिहास बड़ा रोचक है। वास्तव में भारत-वर्ष में कुछ जातीय भूमिमें बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी किन्तु पिछले हजार आठ सौ वर्षों से देश में विदेशी शासन होने के कारण इन जातीय भूमियों का व्यक्तित्व कुछ मिट गया था। विदेशी शासकों के दृष्टिकोण से भारत की जातीय भूमियों की उपेक्षा का सिद्धांत उनके लिये सदा हितकर रहा। तो भी भारत की जातीय भूमिमें बिलकुल मिट नहीं सकी। मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने ही बंगाल विहार, गुजरात आदि प्रदेशों ने अपने अस्तित्व को स्वतंत्र करने के लिए सिर उठाया और अपनी सफलता से यह सिद्ध कर दिया कि भारत के अंदर कुछ स्वाभाविक विभाग हैं जिनके व्यक्तित्व को कोई भी अरिस्त भारतवर्षीय केंद्रीय शासन समूल नष्ट नहीं कर सकता।

अंग्रेजी शासन काल में भी भारत की जातीय भूमियों या स्वाभाविक प्रांतों का मुसलिम कालीन इतिहास फिर से दोहराया गया। हमारे नये शासकों ने क्रम क्रम से भारत के भिन्न भिन्न भागों को अपने कब्जे में किया वैसे ही अपनी सुरिधानुसार वे ब्रिटिश प्रांतों का निर्माण करते गये। इन प्रांतों के बनाने में देश के स्वाभाविक विभागों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। प्रारंभ में ब्रिटिश भारत बंगाल, बंबई और मद्रास नामों से तीन प्रेसीडेंसियों में विभक्त कर दिया गया था। यह अत्यंत अस्वाभाविक विभाग बहुत दिनों तक नहीं चल सका। सबसे पहले बंगाल प्रेसीडेंसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और धीरे धीरे इस एक प्रेसीडेंसी के स्थान पर आसाम, बंगाल, संयुक्तप्रांत, विहार, और उड़ीसा के अधिक स्वाभाविक प्रांत बनाने पड़े। सबसे प्रेसीडेंसी में सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की चार जातियाँ सम्मिलित हैं। इनमें सिंध अब पृथक् प्रांत हो गया है। गुजरात महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के स्वतंत्र प्रांतों के रूप में विभक्त होने में अभी कुछ

समय लगंगा यद्यपि इनमें से प्रत्येक अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और गौरव पूर्ण इतिहास पर गर्व करने लगा है। तीसरी मद्रास प्रेसीडेंसी अर्थात् तक ज्यों की त्यों चली जा रही है। इस प्रेसीडेंसी में आन्ध्र, तामिल और मलय इन तीन जातीय-भूमियों की चोटियाँ बंधी हुई हैं। तेलगू बोलने वाले आन्ध्र लोगों में अपना स्वतंत्र प्रांत बनाने का आंदोलन दिन दिन ज़ोर पकड़ रहा है और वह समय दूर नहीं है जब आन्ध्र स्वतंत्र प्रांत बन जायेगा और इस तरह में ब्रिटिश भारत के अंतिम अस्वाभाविक प्रांत मद्रास प्रेसीडेंसी का भी स्वाभाविक रूप ग्रहण करने के लिये टूटना प्रारंभ हो जावेगा। प्रारंभिक काल में ही ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक स्वाभाविक प्रांत पंजाब रहा है। और मध्य प्रांत सबसे अधिक अस्वाभाविक। मध्य प्रांत मराठों और हिंदियों का जुड़वाँ प्रांत है। संक्षेप में हम यह पाते हैं कि ब्रिटिश भारत का प्रांतीय विभाजन धीरे धीरे स्वाभाविक प्रादेशिक विभाग की ओर विकसित हो रहा है।

भारत की जातीय भूमियों के अस्तित्व को आधुनिक काल में रक्षित रूप से कायम महासभा ने स्वीकृत किया और उसने अपना प्रांतीय विभाजन साधारणतया जातीय भूमियों के प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात् भाषा के आधार पर किया। इस सिद्धांत के अनुसार महासभा ने आसाम, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तामिल मलयनाम को पृथक् पृथक् स्वतंत्र प्रांत मान लिया है। किंतु महासभा ने भी हिंदी-भाषी प्रदेश का प्रांतीय विभाग उपर्युक्त व्यापक तथा स्वाभाविक सिद्धांत के आधार पर नहीं किया। कदाचित्त दोन हिंदी भाषियों का ही है क्यों कि उन्हें स्वयं अपनी जातीय भूमि की सीमाओं का तथा अपने स्वतंत्र अस्तित्व का बोध नहीं रहा है अतः उन्होंने कोई मांग ही पैदा नहीं की। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र तथा सिंध आदि की तरह हिंद का एक स्वाभाविक प्रांत बनाने के प्रश्न का आंदोलन कर्मा हुआ ही नहीं। ब्रिटिश प्रांतों के विभागों में प्रभावित होकर महासभा ने संयुक्त प्रांत, दिल्ली, हिंदुस्तानी सी० पी०, बिहार तथा अजमेर इन पांचों प्रांतों में हिंदी भाषियों को बाँट रक्खा है। महासभा ने इनमें कुछ छोटे छोटे परिवर्तन अवश्य किये हैं जैसे मध्यप्रांत के हिंदी-भाषी भाग को अलग प्रांत मान लिया है और उसका नाम महाकोशल ग्राह्य कर लिया है। इसमें मध्य भारत के सीवा राज्य को भी ग्ल दिया है। संयुक्त प्रांत के कुछ भाग को दिल्ली प्रांत में डाल दिया है। सुनते हैं कि संयुक्त प्रांत का नाम प्रांतीय कायम

कमेटी ने हिंद रख दिया है किंतु इसकी मजूरी अभी तक अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने नहीं दी है।

इस तरह भारतवर्ष में जातीय भूमि अथवा स्वाभाविक प्रांतीय विभाग की दृष्टि से यदि सबसे अधिक दुर्गति है तो यह हिंदी भाषी प्रदेश की है। बंगाल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, तामिल आदि प्रत्येक प्रांत का एक स्वाभाविक नाम है। प्रत्येक प्रदेश की जनता अपने प्रांतीय व्यक्तित्व को अनुभव करती है तथा प्रत्येक प्रांत में कुछ प्रांतीय नेता हैं जो प्रांत के हित अनहित की ओर ध्यान देते हैं। हिंदी प्रदेश का न तो अभी कोई ठीक नाम है, न प्रांतीय विभाग की स्वाभाविक सीमाये निर्धारित हो सकी हैं और न हिंदी प्रदेश के अपने नेता ही हैं - अखिल भारतवर्षीय नेता पैदा करने में यह प्रदेश अवश्य सबसे अधिक उपजाऊ सिद्ध हुआ है। किंतु अब वह समय आगया है जब हिंदियों को अपना घर भी सभालना चाहिये। हिंदियों का मुख्य केंद्र संयुक्त प्रांत है अतः इस आंदोलन का प्रारंभ यहाँ ही से होना चाहिये। इस संबंध में नीचे लिखे दो प्रस्ताव में हिंदी जनता के सामने रखना चाहता हूँ, एक नाम के संबंध में और दूसरा प्रांतीय सीमाओं के संबंध में।

प्रांतीय कांग्रेस सभा ने संयुक्तप्रांत का नाम हिंद रख दिया है। यह नाम अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इससे प्रांत, निवासी तथा भाषा तीनों के नाम मार्फक ढंग से बन जाते हैं—प्रांत हिंद, निवासी हिंदी, भाषा हिंदी—जैसे बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, सिंध सिंधी आदि की जोड़ियें बनती हैं। प्रांत के इस नाम में सुखलमानों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह नाम उन्हीं का दिया हुआ है। इस नाम से समस्त भारतवर्ष के साथ भ्रम होने का भय भी नहीं है क्योंकि समस्त देश के लिये भारत अथवा हिंदुस्तान नाम चल रहा है। हिंदुस्तान और हिंद के अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट रीति से पृथक् हो जावेंगे। संयुक्तप्रांत के हिंद नाम को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस सभा से शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत करवा लेना चाहिये और समस्त हिंदी पत्रों को संयुक्तप्रांत के स्थान पर हिंद नाम का ही प्रयोग करना चाहिये। साथ ही इस बात का आंदोलन भी प्रांत में होना चाहिये कि ब्रिटिश सरकार भी संयुक्तप्रांत के नाम के इस परिवर्तन को स्वीकार करले। इस तरह हिंदियों की मूल जातीय भूमि के अस्तित्व की उचित नींव पर मढ़ेगी। दूसरी समस्या हिंद प्रांत की सीमाओं के संबंध में हो

अपने प्रांत की स्वाभाविक सीमाओं में लौट पौट न होने देने के लिये जी जान से कोशिश की थी। और उसमें उन्हें सफलता भी हुई क्योंकि उनकी मर्ग उचित थी। भारत की प्रत्येक जातीय भूमि का विभाग स्वाभाविक ढंग में है और यह ठीक ही है। मेरी समझ में विहार और राजस्थान इन दो हिंदी भाषी प्रांतों को इनके वर्तमान रूप में ही स्वतंत्र प्रांत रहने देना चाहिये क्योंकि इनके पीछे ऐतिहासिक, तथा शासन संबंधी सुविधायें कारण स्वरूप हैं। हिंद या संयुक्त प्रांत की सीमायें अवश्य कुछ अस्वाभाविक हैं। दिल्ली को स्वतंत्र हिंदी प्रांत रखना अनुचित, अस्वाभाविक तथा अहितकर है। दिल्ली तथा पंजाब के अम्बाला, रोहतक, हिमार, आदि के हिंदी भाषी जिले हिंद प्रांत में लौट आने चाहिये। हिंदुस्तानी मध्यप्रांत का स्वतंत्र अस्तित्व रखने के पीछे भी कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता। बालाघर में महाकोशल हिंद का ही एक भाग है। कांग्रेस महासभा को ब्रिटिश शासकों द्वारा किये गये अस्वाभाविक प्रांतीय विभागों को अग्नि मीच कर नहीं मानना चाहिये। मध्यभारत के देशी राज्यों में मे इंदौर को राजस्थान में डाल देना चाहिये तथा ग्वालियर, पन्ना, रीवा आदि को हिंद में। कुछ लोग कहेंगे कि पर हिंद प्रांत बहुत बड़ा हो जावेगा किंतु यदि प्रांतीय स्वाभाविक एकता के कारण ३० लाख के सिंध के बराबर में ४३ करोड़ का बंगाल प्रांत बना जा सकता है तो ६ करोड़ के हिंद प्रांत को भी जिंदा रखने का अधिकार होना चाहिये। प्रबंध के सुभान की दृष्टि में हम अपने प्रांत को महाकोशल, कपिलवंत बुंदेलवंत, अवध, काशी, ब्रज, मरहट्ट आदि उप-विभागों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन यह तो हमारी परंपरा समझना है। अन्य प्रांतों को हमसे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

वास्तव में हिंदी की पद-परिच्छाओं का कर्तव्य है कि अपनी प्रांतीय भूमि के उचित नामकरण तथा सीमा विभाग के प्रश्न को हाथ में ले लें तब तक जैन से न पैटें जब तक उन्हें इसमें सफलता न हो जाय। आर्यभट्ट और विहार को भी बंगाल ने अपनी मुक्ति के साथ ही मुक्त कर दिया था। उड़ीसा और सिंध दस साठ वर्ष के निरंतर आंदोलन के बाद गढ़वा होने में सफल हो सके हैं। आन्ध्र, तामिल, कर्नाटक, मद्रास तथा गुजरात अपने प्रांतों को ठीक करने में व्यस्त हैं। किंतु हिंदियों की हीरो जिंदा करने तक नहीं दृष्टी है। सिंध अब हिंद कब ?

६-संस्कृत से इतनी चिढ़ क्यों ?

श्री उष दिन में मच्छवा जामिया देहली से प्रकाशित 'हिंदुस्तानी' शीर्षक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें एक स्थल पर बाबू राजेंद्र-प्रसादजी ने एक हिंदी उद्धरण की भाषा-शैली पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उद्धरण यह है:—

“संयुक्तप्रार्थीय व्यवस्थापिका-परिषद् ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए न्याय-मंत्री डॉक्टर बाटजू ने उद्योग-धन्धों की सूची दी जिनकी उन्नति के लिए सरकार ने सहायता देना स्वीकार किया है।” राजेंद्र बाबू का कहना है कि “इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ व्याकरण तो हिंदुस्तानी ही का इस्तेमाल हुआ है मगर जो शब्द आये हैं वह संस्कृत के हैं और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे शरकी शब्दों के लक्षण जान-बूझ कर निराले गये हैं। ‘प्रश्न’ और ‘उत्तर’ ‘सूची’ और ‘सहायता’ संस्कृत के शब्द हैं। शरकी और शरबी ने लिए गये मवाल, जवाब, ग्रेडरिस्त और मदद कुछ कम चालू नहीं हैं।”

हिंदी-भाषिण-सम्मेलन के एक भूतपूर्व प्रधान के ये विचार पढ़ कर मेरे मन में सहसा यह प्रश्न उठा कि आदिर हमारे अपने लोगों की संस्कृत से इतनी चिढ़ क्यों है ? इसी पुस्तक में इस उद्धरण के संबंध में उर्दू के प्रसिद्ध विद्वान् डा० मीनरी अन्दुल हक का मन्तव्य है कि “इस जुम्ले में संस्कृत लपटों की भरमार है और मतलब समझ में नहीं आता। यह हमारी ज़बान नहीं। यह सरासर बनाबटी ज़बान है।” मीनरी अन्दुल हक का संस्कृत लपटों ने चिढ़ना स्वाभाविक है। ये उन्हें टमभते ही नहीं। चित्तु आश्चर्य उन पर होता है जो जान-बूझ कर अनजान बनते हैं। इसी में मिनरी-जुलती दूसरी विचार धारा है जिसके अनुसार हिंदी के शब्द-समूह के संबंध में संस्कृत, शरकी, शरबी शब्दों को एक साथ में बरा जाता है—हिंदी में संस्कृत, शरकी तथा शरबी के शब्द कम से कम प्रयुक्त होने चाहिए—मानों हिंदी का संबंध संस्कृत तथा शरकी शरबी से समान है।

सिलाने दिनों दिनों को सति पढ़वाने के जो पत्र हुए वे उनके मूल में यही दृष्टि बोल्य था—भाषीय भाषियों के लिए संस्कृत तथा शरकी शरबी

के संबंध को समान समझना—यदि मस्कृत की अपेक्षा फ़ारसी-अरबी की तरफ़ भुकाव रचना । देवयोग तथा हिंदियों के उद्योग में ये काली घटाएँ कुछ समय के लिए हट गयी हैं किन्तु जब तक, इस दृष्टि-कोण को समूल नष्ट नहीं किया जा सकेगा तब तक हिंदी को सुगम नहीं समझना चाहिए । अतः, इस विचार के मूल कारणों को समझना आवश्यक है ।

पिछले दिनों इस विचार के व्यापक होने का मुख्य कारण इस संबंध में कांग्रेस की नीति थी । महात्मा गांधी का विचार है कि यदि सीमाप्रांत, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के मुसलमानों को साथ में रखना है तो राष्ट्र-भाषा की शैली का भुकाव फ़ारसी-अरबी शब्दों की तरफ़ होना चाहिए । इसके फल-स्वरूप कांग्रेस के बड़े-छोटे नेताओं तथा अनुयायियों और सहानुभूति रखने वालों ने आख़्त मीच कर इस नीति का अनुसरण किया । कांग्रेस के हाथ में कुछ समय के लिए शासन की बागडोर आ जाने के कारण इस विचार के प्रचार में तथा शिक्षा-संस्थाओं में इने कार्यरूप में परिणत करने में और भी अधिक सहायता मिली । शासन का दल बहुत बड़ा होता है । फल-स्वरूप कुछ हिंदी के प्रकाशक तथा लेखक तब इस ओर दुलकने दिशाओं पड़ने लगे । किन्तु सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से इसी बीच में शासन-शक्ति कांग्रेस के हाथ से निकल गयी और अन्य राष्ट्रीय आयोजनाओं के साथ-साथ 'हिंदुस्तानी' को आयोजना भी जहाँ की तहाँ रह गयी । इस बीच हिंदी अजगर ने भी करबट बदली और इसका प्रभाव भी कुछ न कुछ पड़ा ही । अगर हमारे बच्चों की शिक्षा का माध्यम खिचड़ी भाषा हो गया होता तो जैसे रिद्धती पीढ़ियों ने उर्दू या अंग्रेज़ी सीखी थी इसी तरह आगे की नسلों के गले के नीचे 'हिंदुस्तानी' उतार दी गयी होती चाहे उन्हें यह कड़वी लगती या मीठी ।

लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी या राजेन्द्र बाबू जैसे यागी तथा देश-भक्त नेताओं का भुकाव इस तरफ़ हुआ ही क्यों ? लोकमान्य तिलक तथा महामना मालवीयजी की तरह इनको संस्कृत का अनुराग क्यों नहीं है ? मेरी ममझ में इसके मूल में बालकों की शिक्षा है । वास्तव में अपने देश के बहुत कम बालकों को बचपन में भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा मिल पाती है । जो जैसी शिक्षा पाये होता है उसका भुकाव जाने या अनजाने ही और होता है । उर्दू शिक्षा में इन्हे हुए एक प्रेमचंद हिंदी की ओर

चले आये अथवा संस्कृत में एम० ए० तक पढ़े हुए एक नरेन्द्रदेव सलीस उर्दू बोलना पसंद करते हैं ये तो अपवाद हैं ।

यदि ध्यान से देखा जाय तो हिंदी-श्रेणियों की पिछली तथा वर्तमान पीढ़ी में प्रायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिखलायी पड़ते हैं । अधिकांश वयोवृद्ध हिंदी के सेवक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ फ़ारसी तथा उर्दू भाषाओं और अरबी लिपि से हुआ था । हिंदी तो इन्होंने बाद की निज के प्रयास से सीखी । जो संस्कार बचपन में पड़े जाते हैं उनका पूर्णतया दूर होना लगभग असंभव हो जाता है । हिंदी में संस्कृत शब्दों के धटिफ़ार तथा फ़ारसी अरबी शब्दों के प्रयोग का मोह रखनेवाले हिंदी-भाषियों की यदि गणना की जाय तो इनमें ९९ प्रतिशत इसी श्रेणी के व्यक्ति निकलेंगे । मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता लेकिन कदाचित् स्वयं महात्मा गांधी और राजेन्द्र बाबू भी इसी श्रेणी से संबंध रखनेवाले सिद्ध होंगे ।

अपने देश में जो विचारों का इतना अधिक सर्पण दिखलाई पड़ता है उसके मूल में भी शिक्षा की विभिन्नता ही मुख्य कारण है । अतः, देश में तब तक वास्तविक ऐक्य नहीं पैदा हो सकता जब तक मूल शिक्षा-पद्धति में समानता नहीं होती । एक ओर पुराने ढंग के काशी के पंडित हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ रघुवंश और सिद्धांत-बीमुदी से होता है और इस वातावरण से वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते । दूसरी ओर पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त-प्रान्त में अब भी ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चों की शिक्षा 'अलिफ़ बे' से आज भी प्रारंभ करता है । इनके अतिरिक्त नगरों के अधिकांश बच्चों का प्रारंभिक जीवन 'ए० बी० सी०' की दुनिया में कटता है । बड़े होने पर भी ये तीन प्रकार के बच्चे किस तरह भाषा तथा संस्कृति के मूल सिद्धांतों के विषय में एक मत के हो सकते हैं ?

यदि यह सच है तो प्रश्न यह किया जा सकता है कि फिर किस भाग का अनुसरण उचित है ? नागरिक लोग अपने बच्चों को 'पंडित' बनाना पसंद नहीं करेंगे । न पंडितों के घराने अपने बच्चों का 'साहब' बन कर भ्रष्ट होना पसंद करते हैं । फिर आज भी हिंदी नागरिक बच्चों का जब तक 'शीन काऊ' दुकान न हो तब तक वे संयुक्त-प्रान्त के नगरों में तो 'गवार' समझे जाते हैं । संस्कृति के सर्पण ने वास्तव में समस्या को बहुत उलझा दिया है, चिन्तु मेरी समझ में इस कठिनाई में से मार्ग निकालना असंभव नहीं है ।

के संबंध को समान समझना—बल्कि संस्कृत की अपेक्षा प्रारसी-अरबी की तरफ झुकाव रखना। दैवयोग तथा हिंदियों के उद्योग से ये वाली घटाएँ कुछ समय के लिए हट गयीं हैं किन्तु जब तक, इस दृष्टि-कोण को समूल नष्ट नहीं किया जा सकेगा तब तक हिंदी को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। अतः, इस विचार के मूल कारणों को समझना आवश्यक है।

पिछले दिनों इस विचार के व्यापक होने का मुख्य कारण इस संबंध में कांग्रेस की नीति थी। महात्मा गांधी का विचार है कि यदि सीमांत, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत के मुसलमानों को साथ में रखना है तो राष्ट्र भाषा की शैली का झुकाव प्रारसी-अरबी शब्दों की तरफ होना चाहिए। इसके फल-स्वरूप कांग्रेस के बड़े-छोटे नेताओं तथा अनुयायियों और सहानुभूति रखने वालों ने आंख मीच कर इस नीति का अनुसरण किया। कांग्रेस के हाथ में कुछ समय के लिए शासन की वागडोर आ जाने के कारण इस विचार के प्रचार में तथा शिक्षा-संस्थाओं में इसे कार्यरूप में परिणत करने में और भी अधिक सहायता मिली। शासन का यत्न बहुत बड़ा होता है। फलस्वरूप कुछ हिंदी के प्रकाशक तथा लेखक तब इस ओर दुलकने दिवाये पड़ने लगे। किन्तु मौभाग्य अथवा दुभाग्य से इंगी बीच में शासन-शक्ति कांग्रेस के हाथ में निकल गयी और अन्य राष्ट्रीय आयोजनाओं के साथ साथ 'हिंदुस्तानी' की आयोजना भी जहाँ की तहाँ रह गयी। इस बीच हिंदी अजगर ने भी कण्ठ बदली और इसका प्रभाव भी कुछ न कुछ पड़ा ही। अगर हमारे बच्चों की शिक्षा का माध्यम गिनचड़ी भाषा हो गया होता तो जैसे पिछली पीढ़ियों ने उर्दू या अंग्रेजी सीखी थी इंगी तरह आगे की नगलों के लगे के नीचे 'हिंदुस्तानी' उतार दी गयी होती चाहे उन्हे यह कड़वी लगी या मीठी।

लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी या गणेशदास जैसे व्यक्ति तथा देश भक्त नेताओं का झुकाव इस तरफ हुआ ही क्यों? मोक्षदायक विचार तथा महामना मानवीयता की तरह इनका मस्तिष्क का अनुशासन क्यों नहीं है? मेरी समझ में इसके मूल में बालकों की शिक्षा है। भारत में 1910-15 के बहुत कम बालकों की शैक्षणिक में भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा देनी थी। जो जैसी शिक्षा पाते होता है उसका प्रभाव उनके वास्तविक जीवन में ही होता है। उर्दू शिक्षा में हुबे हुब एक प्रभाव हिंदी की ओर

चले श्रायें श्रायया संस्कृत में एम० ए० तक पढ़े हुए एक नरेन्द्रदेव सलीस उर्दू बोलना पसंद करते हैं ये तो अपवाद हैं ।

यदि ध्यान से देखा जाय तो हिंदी-प्रेमियों की पिल्लूरी तथा वर्तमान पीढ़ी में प्रायः दो श्रेणी के व्यक्ति दिखलायी पड़ते हैं । अधिकांश बयोवृद्ध हिंदी के सेवक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ फ़ारसी तथा उर्दू भाषाओं और अरबी लिपि से हुआ था । हिंदी तो इन्होंने बाद की निज के प्रयास से सीखी । जो सरकार बचपन में पढ़ जाते हैं उनका पूर्वतया दूर होना लगभग असंभव हो जाता है । हिंदी में संस्कृत शब्दों के बहिष्कार तथा फ़ारसी अरबी शब्दों के प्रयोग का मांह रखनेवाले हिंदी भाषियों की याद गणना की जाय तो इनमें ९९ प्रतिशत इसी श्रेणी के व्यक्ति निरलेंगे । मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता लेकिन कदाचित् स्वयं महात्मा गांधी और राजेन्द्र बाबू भी इसी श्रेणी से संबंध रखनेवाले सिद्ध होंगे ।

अपने देश में जो विचारों का इतना अधिक मर्घर्ष दिखलाई पड़ता है उसके मूल में भी शिक्षा की विभिन्नता ही मुख्य कारण है । अतः, देश में तब तक वास्तविक ऐक्य नहीं पैदा हो सकता जब तक मूल शिक्षा-पद्धति में समानता नहीं होती । एक ओर पुराने दग के बार्शी के पठित हैं जिनकी शिक्षा का प्रारंभ ग्युवंश और सिद्दाल-बीनुरी से होता है और इस बानावरण से वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते । दूसरी ओर पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त-प्रान्त में अब भी ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चों की शिक्षा 'अलिफ़ बे' से आज भी आरंभ कराता है । इनके अनिश्चित नगरों के अधिकांश बच्चों का प्रारंभिक जीवन 'ए० पी० सी०' की दुनिया में फटता है । बड़े होने पर भी ये तीन प्रकार के बच्चे किस तरह भाषा तथा संस्कृति के मूल सिद्धांतों के विषय में एक मत के हो सकते हैं ?

यदि यह सच है तो प्रश्न यह क्या हो सकता है कि फिर किस मार्ग का अनुसरण उचित है ? नागरिक लोग अपने बच्चों को 'पठित' बनाना पसंद नहीं करते । न पठितों के घराने अपने बच्चों का 'फ़ारस' बन कर भट होना पसंद करते हैं । फिर आज भी हिंदी नागरिक बच्चों का जब तक 'रॉयल हाउस' दुखाने न हो तब तक वे संयुक्त प्रांत के नगरों में तो 'मदर' समझे जाते हैं । संस्कृति के संघर्ष में साम्प्रदायिकी समझ को बहुत उलझा दिया है, किन्तु मेरी समझ में इस बहिष्कार में से मार्ग निश्चयना असंभव नहीं है ।

प्रत्येक हिंदी बालक की शिक्षा का प्रारंभ हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि से होना चाहिए। मेरा अभिप्राय वास्तविक हिंदी से है—हिंदी-हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा राष्ट्र-भाषा आदि से नहीं है। यह तो बाद की आशा ही आ सकती है। हिंदी के अनिश्चित मंत्री समझ में प्रत्येक नागरिक बालक को थोड़ा ज्ञान अपने देश की परंपरागत संस्कृत भाषा तथा साहित्य का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। योरोप में तब तक किसी को वास्तव में शिक्षित - वह साक्षर होने से भिन्न बात है—नहीं समझा जाता जब तक वह थोड़ी-बहुत योरोप की 'कलानिक्स' अर्थात् ग्रीक या लैटिन न जानता हो। संस्कृत तथा पाली भारत की 'कलानिक्स' हैं और इनका स्थान भारतीय शिक्षा पद्धति में वहाँ होना चाहिए जो योरोप की शिक्षा-पद्धति में ग्रीक और लैटिन को प्राप्त है। नागरी-लिपि, हिंदी तथा प्रारंभिक संस्कृत सीख लेने के बाद आवश्यकतानुसार बच्चों को अन्य भाषाएँ तथा लिपियाँ सिखायी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ मुसलमानी शासन-काल में नागरिक बच्चों को उर्दू भाषा, अरबी लिपि अथवा कुछ फ़ारसी जानना आवश्यक था तथा आजकल अंग्रेजी शासन में रोमन-लिपि तथा अंग्रेजी का ज्ञान लगभग अनिवार्य है।

इस प्रकार यदि मूल शिक्षा समस्त बालकों की समान हो तो बड़े होने पर भारतीय भाषा, साहित्य, लिपि तथा संस्कृति के संबन्ध में अभारतीय दृष्टिकोण असंभव हो जायगा। तब ऐसी विचार-धारा से टकर लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी जो 'प्रश्न', 'उत्तर', 'सूची' और 'सहायता' की अपेक्षा 'सवाल', 'जवाब', 'फेहरिस्त' और 'मदद' को अपने अधिक निरुद्ध अनुभव करती हो।

ड-आलोचना तथा मिश्रित

१—हिंदी साहित्य के इतिहास?

‘हिंदी शब्दसागर’ की भूमिका में गतवर्ष ‘हिंदी साहित्य का विकास’ शीर्षक एक ग्रंथ पं० रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निकला था। प्रस्तुत हिंदी-साहित्य का इतिहास लेखक के इसी ग्रंथ का परिवर्द्धित पुस्तकाकार संस्करण है। इस ग्रंथ के निरूलने के पूर्व हिंदी में इस विषय पर कोई भी ऐसी महोली मान्य पुस्तक न थी जो विद्यार्थी वर्ग तथा साहित्य-प्रेमियों के हाथ में दी जा सकती। ‘मिश्रबंधु विनोद’ के तौनों भागों या उन्हीं के लिखे संक्षिप्त इतिहास से यह काम लिया जाता था किंतु ये दोनों पुस्तकें इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त नहीं। शुक्लजी के ग्रंथ ने वास्तव में एक बड़ी भारी कमी पूरी कर दी है।

काल-विभाग को छोड़ कर शुक्लजी के इतिहास का ढंग ‘विनोद’ से बहुत मिलता-जुलता है। शुक्लजी ने हिंदी-साहित्य के इतिहास को वीर-गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा गद्य काल में विभाजित किया है। ‘विनोद’ के काल-विभाग की अपेक्षा यह विभाग अवश्य ही अधिक सरल, सुबोध और युक्तिसंगत है। प्रायः प्रत्येक काल के विवेचन में आरंभ में एक प्रकरण में उस काल का ‘सामान्य परिचय’ दिया गया है और फिर दो या आवश्यकता-नुसार अधिक प्रकरणों में उस काल की मुख्य मुख्य काव्य-धाराओं से संबंध रखने वाले कवियों या लेखकों का वर्णन किया गया है। कवियों के संबंध में दिये गए ये विवेचन बिलकुल ‘विनोद’ के ढंग के हैं। प्रत्येक धारा में संबंध रखने वाले मुख्य-मुख्य कवियों पर अलग अलग एक, दो, तीन संक्षेपों लगा कर छोटे छोटे लेख लिखे गये हैं जिन में कवि की जीवनी और ग्रंथ-रचना के संबंध में संक्षिप्त विवेचन देकर अंत में उस कवि या लेखक की क्रांति के कुछ उदाहरण दे दिये हैं। पता नहीं शुक्लजी ने अपने इतिहास में यह ढंग रखना क्यों पसंद किया।

हिंदी साहित्य का इतिहास—लेखक रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशक, गायत्री प्रचारिणी सभा को बीर मे इदियन प्रेस, त्रिनिटीड, प्रयाग। संवत् १९८६। आकार १०×१० सेंटीमीटर। पृष्ठ १२+१८४+१० सन्निवृत्त १॥)

हिंदी भाषा और साहित्य—लेखक, रामचंद्र दास। प्रकाशक, इदियन प्रेस, त्रिनिटीड, प्रयाग। संवत् १९८०। आकार समान चतुर्भुज। पृष्ठ ४४०। सन्निवृत्त और संचित। मूल्य १।)

साहित्यिक कोष की दृष्टि में तो यह कम बुरा नहीं है किन्तु एक संवत् इतिहास की दृष्टि में दंग में ऐसा विग्रहान्न आ जाता है कि किसी भी प्रकार को पढ़ कर मस्तिष्क पर उस का ठीक संमिलित प्रभाव नहीं पड़ता ! फिर इस दंग में तुलनात्मक अथवा व्यक्तिगत आलोचना के लिये भी पर्याप्त स्थान नहीं रह जाता । इस दृष्टि से शुक्लजी का इतिहास 'मिश्रबंधु-विनोद' का पूरा रूप में संशोधित किन्तु संक्षिप्त संस्करण सा दिखलाई पड़ने लगता है ।

कदाचित् पिछले इतिहासों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करने के कारण कुछ स्थलों पर पुरानी भूलें इस इतिहास में भी चुस आई हैं । उदाहरण के लिये सूरदासजी के वर्णन में एक स्थल पर शुक्लजी ने लिखा है कि "उक्त 'वार्ता' (चौरासी-वार्ता) के अनुसार ये सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था । भक्तमाल में भी ये ब्राह्मण ही कहे गए हैं और आठ वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत होना लिखा है ।"—पृष्ठ १५५-१५६ । बहुत करके यह अर्थ 'हिंदी नवरत्न' के निम्न लिखित अर्थों से प्रभावित जान पड़ता है—“चौरासी वार्ता तथा भक्तमाल के अनुसार सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था ।” “भक्तमाल में लिखा है कि इन के पिता ने आठ वर्ष की अवस्था में इन का यज्ञोपवीत कर दिया था ।” पृष्ठ १६७ । इस समय जो 'चौरासी वार्ता' उपलब्ध है उस में सूरदास की वार्ता अवश्य है किन्तु उस में सूरदास के ब्राह्मण होने का भी उल्लेख नहीं मिलता, फिर सारस्वत ब्राह्मण होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूरदास के पिता का नाम रामदास था यह उल्लेख भी वार्ता में ही हुई सूरदास की जीवनी में कहीं नहीं मिलता ।

'चौरासी वार्ता' में पाये जाने वाले वर्णन में सूरदास की जाति अथवा उनके माना पिता का उल्लेख ही नहीं है । चौरासी वार्ता का वर्णन निम्न लिखित दंग का है—“सो गऊ घाट ऊपर सूरदास जी की स्थल हुनी । सो सूरदास जी स्वामी हैं, आप सेवक करते, सूरदास जी भगवदीय हैं गान बहुत आहूँ करते, ताते बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भये हुते ।” (चौरासी वैष्णव की वार्ता, टाकोर, संवत् १९६०, पृ० २११) ।

नाभादासकृत भक्तमाल में भी न तो सूरदास का ब्राह्मण या सारस्वत ब्राह्मण होना लिखा है, न इनके पिता रामदास थे इस का उल्लेख है, और

न यह पाया जाता है कि आठ वर्ष की अवस्था में इनका यशोवर्धन हुआ था। भक्तमाल में सुरदास के संबंध में एक ही छप्पय है जो प्रसिद्ध होने हुए भी संशय निवारणार्थ नीचे दिया जाता है—

सूर कवित मुनि कौन कवि, जो नहिं तिर चालन करै ।
उक्ति, चोज, अनुप्रास, वरन अस्थिति, अतिभारी ॥
वचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुक धारी ।
प्रतिविम्बित दिवि दृष्टि, हृदय हरिलीला भाषी ।
जनम करम गुनरूप सबे रमना परकाशी ॥
चिमल बुद्धि गुन और की, जो यह गुण अरननि धरै ।
सूर कवित मुनि कौन कवि, जो नहिं तिर चालन करै ॥७३॥

—श्रीभक्तमाल, तरनरू (१९१३) पृष्ठ ५३९—५४० ।

नाभादास के इस छप्पय पर प्रियादास ने एक भी कवित्त नहीं लिखा है अतः प्रियादास की टीका में इन बातों के धाये जाने का प्रश्न भी नहीं उठ सकता। श्री सीतारामशरण के तिलक तक में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

‘चौरासी बार्ता’ और ‘भक्तमाल’ के कल्पित आधार पर किये गए सुरदास के संबंध में इन भ्रमात्मक उल्लेखों का समावेश राय साहब बाबू श्याम मुदरदास के ‘हिंदी भाषा और साहित्य’ शीर्षक ग्रंथ में भी हो गया है। उपर्युक्त ग्रंथ में सुरदास के वर्णन में बाबू साहब लिखते हैं कि “चौरासी बार्ता तथा भक्तमाल के साक्ष्य से ये सारस्वत ब्राह्मण टहरते हैं, यद्यपि कोई कोई इन्हें महाकवि चंदबरदाई के वंशज भाट कहते हैं।” पृष्ठ ४११-४१२।

यह स्पष्ट है कि शुक्लजी तथा बाबू श्याममुदरदास ने ‘हिंदी नवरत्न’ के आधार पर ही उपर्युक्त उल्लेख किया है। मिश्र-बंशुओं के ग्रंथ में लिखे होने के कारण कदाचित् उन्होंने ‘चौरासी बार्ता’ या ‘भक्तमाल’ में देखकर जांचने या पढ़ उठाना व्यर्थ समझा। मिश्र-बंशुओं ने ‘हिंदी नवरत्न’ में सुरमागर के लेख में यह स्पष्ट लिख दिया है कि सुरदास की जीवन-घटनाओं के लिखने में उन्होंने राधाकृष्णदास द्वारा संज्ञादित सुरमागर में भूमिका स्वरूप दिष्ट गए जीवन चरित में भी सहायता ली है। बाल्य में इस सब गढ़गढ़ी का मूलाधार राधाकृष्णदास की निम्नी यह जीवनी ही है। उपर्युक्त भूमिका में ‘सुरदास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्रजी लिखित मोटे सुरदासजी का’ इन शीर्षक में नीचे

लिखा जाना था है "चौरागी वार्ता, उयकी टीका, भक्तमाल और उयकी टीका में इनका जीवन विवृत किया है। इन्हीं ग्रंथों के अनुसार संसार को (और हम को भी) विश्वास था कि ये सारस्वत ब्राह्मण हैं, इनके पिता का नाम रामदास, इनके माता पिता दरिद्री थे, ये गऊघाट पर रहते थे।" इत्यादि।

राधाकृष्णदास की भूमिका के इस उल्लेख में और ऊपर दिये हुए इस के आधुनिक रूपों में बहुत अंतर हो गया है। संभव है कि 'चौरागी वार्ता' अथवा 'भक्तमाल' की किसी विशेष टीका में मूरदासजी की जाति तथा पिता के नाम आदि के संबंध में इस तरह के उल्लेख हों किंतु यह निश्चय है कि इन मूल ग्रंथों में इस तरह के उल्लेख नहीं पाये जाते।

इस छोटी सी बात का इतना विस्तृत विवेचन मैंने केवल इसलिये किया है कि इस से हिंदी के क्षेत्र में काम करने वालों की कठिनाइयों का ठीक ठीक अनुभव हो सके। साहित्य के इतिहास जैसे विस्तृत विषय पर लिखने के लिये पिछले कार्य-कर्ताओं की खोज का सहारा लेना स्वाभाविक है। छोटे छोटे उल्लेखों को जाँचने के लिये मूल ग्रंथों को प्रायः नहीं देखा जाता है। तो भी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के ग्रंथों में इस तरह के कुछ भी भ्रमात्मक उल्लेखों का पुरतैनी ढंग से चलते रहना खटकता अचर्य है।

शुक्लजी ने अपने 'वक्तव्य' में हिंदी साहित्य के पुराने इतिहासों का उल्लेख किया है जिनमें शिवसिंह सरोज, प्रियर्सन का अंग्रेजी में लिखा हुआ इतिहास तथा 'मिभ्रबंधु-विनोद' मुख्य हैं। खेद है कि शुक्लजी ने प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान् टैसी (गार्सी) द तासी) के ग्रंथ का न तो उल्लेख किया है और न उसका उपयोग ही किया है। यह त्रुटि समान रूप से 'मिभ्रबंधु-विनोद' तथा 'हिंदी भाषा और साहित्य' में भी रह जाती है। वास्तव में टैसी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास-लेखक है। टैसी के हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास का पहला भाग १८३९ तथा दूसरा भाग १८४६ ईस्वी में फ्रांसीसी में छपा था। इस ग्रंथ का दूसरा परिवर्द्धित संस्करण तीन भागों में १८७० ईस्वी

गार्सी द तासी लिखित १८३९ व १८४६ का त्रितीय संस्करण पेरिस में प्रकाशित, भाग १ (१८३९) भाग २

में निकला था। यह स्मरण दिलाना अनुचित न होगा कि शिवसिंह सेंगर के ग्रंथ का प्रथम संस्करण १८७७ ई० में तथा दूसरा संस्करण १८८३ ई० में निकला था। कुछ ग्रंथों में टैसी के दूसरे संस्करण में 'सरोज' की अपेक्षा कहीं अधिक सामग्री है। प्रियर्सन ने (१८८९ ई० में) टैसी के ग्रंथ का उपयोग किया था किंतु कदाचित् पहला ही संस्करण प्रियर्सन के सामने था क्योंकि दूसरे संस्करण में पाई जाने वाली विशेष सामग्री प्रियर्सन के ग्रंथ में नहीं है। खेद है कि 'मिश्रबंधु-विनोद' (१९१३ ई०) तथा प्रस्तुत इतिहासों में भी इस विशेष सामग्री की उपेक्षा की गई है। टैसी के ग्रंथ की विशेषता यह है कि उसमें हिंदी और उर्दू दोनों साहित्यों का साथ साथ विवेचन किया गया है। इसका क्रम 'विनोद' से बहुत मिलता-जुलता है। टैसी का ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में है किंतु अलभ्य नहीं है।

शुक्रजी के इतिहास के वीरगाथा-काल तथा गद्यकाल में बहुत सी ऐसी नई सामग्री एकत्रित है जो अब तक हिंदी के विद्यार्थियों को एक जगह उपलब्ध नहीं थी, विशेषतया आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ पढ़ने योग्य हैं। इन ग्रंथों को पढ़ कर मेरी धारणा तो यह बंधी है कि यदि शुक्रजी केवल आधुनिक हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास लिख दें तो हिंदी साहित्य तथा उसके प्रेमियों और विद्यार्थियों का बड़ा लाभ हो। इस काल की सामग्री अभी बहुत कुछ मिल सकती है और इस विषय पर लिखने के लिये शुक्रजी जैसे अनुभवों, लक्ष्मणप्रतिष्ठ तथा निष्पक्ष आलोचक के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति सहसा ध्यान में नहीं आता। जो हो शुक्रजी का प्रस्तुत ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी के लिये अनिवार्य है और रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास पर अरने एक विद्वान् का लिखा एक जिल्द में पूर्ण ग्रंथ पाठकों के हाथ में अब दिया तो जा सकता है। अब तक तो इस संबंध में भी कठिनाई थी। पुस्तक की छपाई तथा जिल्द आदि सुखरी हैं किंतु विशेष आकर्षक नहीं हैं।

+

+

+

राय साहब बाबू श्यामसुंदरदास के 'हिंदी भाषा और साहित्य' में दो भाग हैं। प्रथम भाग में लगभग १५० पृष्ठों में हिंदी भाषा के संबंध में विवेचन है तथा दूसरे भाग में शेष २५० पृष्ठों में हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन प्रयाग नगर है।

हिंदी भाषा के इस विवेचन का मूल रूप यह है: गत वर्ष पूर्व लेखक 'भाषा विज्ञान' नाम की पुस्तक के अंतिम अध्याय के रूप में पहले पद्य निबन्ध था, उसके बाद यह अध्याय 'हिंदी भाषा का विकास' शीर्षक के रूप में पुस्तक के रूप में दृष्टा था। गत वर्ष यही अथवा शब्दगणर की भूमिका के अर्थ के रूप में दिशा बताया था और अब यह परिवर्द्धित और संशोधित हो प्रस्तुत पुस्तक का पूर्व भाग है। लेखक ने 'भाषा विज्ञान' नाम की पुस्तक अध्याय ७० के अध्यायों की 'शांत तथा दृढ़ पुनार' के कारण लिखी थी। हिंदी के अनेक क्षेत्रों में पद्य प्रदर्शक होने का भेद बाबू साहब का ज्ञान है और भाषा विज्ञान तथा हिंदी भाषा का इतिहास भी इनमें से एक है। पद्य प्रदर्शक का काम कितना जटिल है यह यही टीक टीक समझ सकता है जिगमो इन संबंधों में कुछ अनुभव ही। विश्वविद्यालयों में हिंदी की म्यान्ना तथा मंचालन करने वाले अध्यापकों को 'गौर, बरखा, मिर्ची, मुर' बने बिना निवार का कोई उपाय ही नहीं था। जिसे आधुनिक हिंदी गद्य, कवीर का रहस्यवाद, बलभाचार्य और उनके शिष्यों का पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैतवाद, भाषा-शास्त्र, साहित्य, समालोचना के निदान, भारतीय सभ्यता का इतिहास, रस और उस का निरूपण, हिंदी व्याकरण के रूपों का इतिहास जैसे भिन्न भिन्न विषयों पर निबन्ध प्रति साथ साथ व्याख्यान देने पड़ते हों उस का कार्य इन किन्हीं भी विषयों पर यदि विशेषज्ञों के कार्य को टकरा न ले सके तो इस में कोई आश्चर्य नहीं। हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक की हैसियत से काम करते हुए उस सामग्री में से कुछ को इतने शीघ्र पुस्तकाकार प्रकाशित कर सकना बाबू साहब के विशेष अल्पवसाय, तथा इस संबंध में इन के प्राचीन अनुभव का परिचायक है। किसी भी आधुनिक भारतीय आर्यभाषा पर लिखने वाले को प्रियमर्त के लेखों तथा उन की 'भाषा सर्वे' का सहारा लेना अनिवार्य है। प्रस्तुत ग्रंथ में भी जगह जगह उपर्युक्त सामग्री से सहायता ली गई है किंतु साथ ही कुछ नवीन विचारों का भी समावेश किया गया है। डाक्टर मुनीति कुमार चैटर्जी के 'शंगला भाषा का मूल तथा विकास' शीर्षक ग्रंथ की वृहत् भूमिका में कुछ नवीनताएँ हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। खेद है कि इस वृहत् ग्रंथ की सहायता बाबू साहब ने विशेष नहीं ली है। उदाहरण के

१ मुनीति कुमार चैटर्जी—दि वॉरिडिन रेड देक्लरमेंट बाबू चैटर्जी के लेख, विवर १, ११

लिये भारतीय आर्य भाषाओं का काल-विभाग श्रीयुक्त चैटर्जी के ग्रंथ में अधिक सुबोध है किंतु बाबू साहब ने प्रियर्सन के अनुसार पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत तथा तीसरी प्राकृत नाम बनाये रखना ही उचित समझा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का बहिरंग तथा अंतरंग भाषाओं में विभाग भी प्रियर्सन के ही अनुसार रख लिया गया है। इस विषय में भी श्रीयुक्त चैटर्जी के तर्क तथा प्रमाण ध्यान देने योग्य हैं तथा उनका विभाग विशेष सुक्ति-संगत प्रतीत होता है।

हिंदी ध्वनियों के संबंध में कुछ भ्रम सनातन से चले आते हैं और वे बाबू साहब ने भी ज्यों के त्यों दोहरा दिए हैं। उदाहरण के लिये 'हिंदी के नादात्मक विश्लेषण और विकास' शीर्षक अध्याय (पृष्ठ ६४) में हिंदी ए (अ या आ + इ या ई) और ओ (अ या आ + उ या ऊ) को पूर्व प्रमाणुसार संयुक्त स्वर बतलाया गया है। वास्तव में हिंदी ए और ओ संयुक्त स्वर न होकर केवल मूल स्वर मात्र हैं। वैदिक काल में कदाचित् इन स्वरों का उच्चारण संयुक्त स्वर के समान था। कोई भी हिंदी भाषी इनके वर्तमान उच्चारण पर ध्यान देकर इस तथ्य को समझ सकता है किंतु आज तक हिंदी भाषा के किसी भी लेखक ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। पंडित कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण में भी यह भ्रमपूर्ण उल्लेख मौजूद है तथा हिंदी के छोटे से लेकर बड़े तक प्रत्येक व्याकरण में बराबर यही लिखा मिलेगा।

बाबू साहब ने अपने विवेचन में कुछ ऐसी नवीनताओं का समावेश किया है जो प्रियर्सन तथा चैटर्जी आदि समस्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की खोज के बिलकुल विरुद्ध जाते हैं। उदाहरण के लिये उन्होंने हिंदी की पाँच मुख्य उपभाषायें या बोलियाँ मानी हैं (पृष्ठ ८२) और इनके नाम १—राजस्थानी भाषा, २—अवधी, ३—ब्रजभाषा, ४—बुंदेली भाषा तथा ५—खड़ी बोली दिए हैं। फिर अवधी के अंतर्गत तीन मुख्य बोलियाँ मानी हैं—अवधी, बघेली और छत्तीस गढ़ी (पृष्ठ ८८)। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के समस्त विशेषणों के अनुसार राजस्थानी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं मानी जाती तथा छत्तीस गढ़ी अवधी की बोली नहीं मानी जाती। समस्त विशेषणों से मतभेद होने पर पर्याप्त कारणों का देना आवश्यक है।

प्रियर्सन के आधार पर इस ग्रंथ में चार मानचित्र भी दिए गये हैं

जिनसे विषय को समझने में सहायता मिलती है। किंतु बहुत स्पष्ट छुपे होने पर भी इन पर विशेष परिश्रम नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, तथा पूर्वी हिंदी की बोलियों की सीमायें भारत के मानचित्र में ही दिखलाने के कारण इन बोलियों के विस्तार का ठीक बोध नहीं होता अतः इन तीन पृथक् मानचित्रों का देना व्यर्थ हो जाता है। एक ही मानचित्र में सीमायें दिखलाई जा सकती थीं। यदि पृथक् मानचित्र देने में तो केवल इन्हीं भागों के बड़े मानचित्र देने चाहिए थे।

प्रस्तुत ग्रंथ का दूसरा भाग 'हिंदी साहित्य' शीर्षक है। इस भाग में दूसरे और तीसरे अध्याय हिंदी में अपने ढंग के बिलकुल नये हैं। 'भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ' शीर्षक दूसरे अध्याय में हिंदी साहित्य के निर्माण-काल की राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर संक्षेप में विचार किया गया है। 'ललित कलाओं की स्थिति' शीर्षक तीसरे अध्याय में इसी काल की ललित कलाओं—वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा संगीत कला—का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। अनेक चित्रों के दे देने से यह अध्याय और भी अधिक रोचक हो गया है। लेखक के अनुसार 'साहित्य के तीसरे अध्याय की समस्त सामग्री राय कृष्णदास की कृपा का फल है और उसे मुद्राक रूप से सजाने तथा उस निमित्त सत्परामर्श देने में रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा, बाबू काशी प्रसाद जायसवाल, राय बहादुर बाबू हीरालाल, मिस्टर एन्० सी० मेहता तथा डाक्टर हीरानंद शास्त्री नेकृपा की है।' ऐसी अवस्था में इस विषय के विवेचन का आदर्श-स्वरूप होना स्वाभाविक है।

साहित्य-भाग के शेष अंश में 'विषय प्रवेश' शीर्षक एक अध्याय देने के बाद वीरगाथा काल, भक्ति काल की ज्ञानाभ्यास, प्रेममार्गी रामभक्ति तथा कृष्ण भक्ति शाखाओं, रीतिकाल तथा आधुनिक काल पर पृथक् पृथक् अध्याय हैं। साहित्य के इस इतिहास की सभ से बड़ी विशेषता यह है कि पृथक् पृथक् कवियों के संबंध में विस्तार न देकर उनको लेते हुए प्रत्येक काल पर संक्षेप रूप से आलोचनात्मक किंतु रोचक तथा सरलरी ढंग से विवेचन किया गया है जिसमें ग्रंथ के इस अंश के पढ़ने में विशेष आनंद आता है। इस अंश में इस ढंग का यह विवेचन पहला ही है। अन्य ग्रंथों के आधार पर के कारण कहीं कहीं भूलों का रह जाना स्वाभाविक है। इस संबंध में

कुछ उल्लेख जरूर भी किये जा चुके हैं। शायद जल्दी के कारण कुछ अन्य स्थलों पर भी छोटी-छोटी भूलें रह गई हैं जैसे चौथे अध्याय में विवेचन है खुमान रासो से लेकर वीर सनसई तक के हिंदी वीर काव्य का, किंतु अध्याय का शीर्षक दिया गया है 'वीर गाथा काल'। इस अध्याय का शीर्षक 'हिंदी वीर वाक्य' अधिक उचित होता। किसी भी लेखक के समस्त विचारों से अन्य विद्वान् संमत नहीं हो सकते। मतभेद वा रहना स्वाभाविक है। यह होते हुये भी यह कहना पड़ेगा कि याचू साहब की अधिकांश आलोचनायें स्पष्ट, निर्भीक तथा आधुनिक दृष्टिकोण के उपयुक्त ही हैं। प्राचीन तथा आधुनिक कवि तथा लेखकों के चित्रों के समावेश के कारण ग्रंथ विशेष आकर्षक हो गया है।

अपनी इस बृहत् पुस्तक के केवल मात्र साहित्य के अंश को यदि याचू साहब अलग छापवा दें तो साधारण विद्यार्थी तथा हिंदी प्रेमी जनता कदाचित् विशेष लाभ उठा सके। हिंदी भाषा वाला अंश तो अलग भी पुस्तकाकार मिलता है। पुस्तक की छपाई कागज़ तथा जिह्व आदि आदर्श हैं। वास्तव में पुस्तक को हाथ में लेकर गर्व होता है। ऐसी सुंदर छुरी हुई पुस्तकें हिंदी में बहुत कम हैं।

२-श्रीमैथिलीशरण गुप्त का नया महाकाव्य

जीवन की दुःखदरी बीत जाने पर अपने देश के 'प्राकृत कवि' भी राम-कथा का स्मरण किये बिना नहीं रह पाते। केशव ने ७वीं शताब्दी के प्रारंभ में 'रामचंद्रिका' लिखी थी। गुप्तजी ने तीन सौ वर्ष बाद 'साकेत' लिखा।

इस बारह सर्ग के महाकाव्य में राम-कथा का चयन अपने ढंग से किया गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में उद्धृत शंशो में से निम्नलिखित उद्धरणों में अदाचित् कवि ने इसका कारण संकेतरूप में बता दिया है—

कल्पमेद हरि-चरित मुहाए;

माति अनेक मुनीसन गाए।

हरि अनंत, हरि-कथा अनंता;

कहहिं, मुनहिं, समुझहिं श्रुति-संता।

बीसवीं सदी में रहते हुए भी कवि को सैरसपाटे का शौक नहीं। रामादि के विवाह के लिये उसे मिथिला-यात्रा करने का चाव नहीं, न बनवासी राम के साथ उसे दंडक-वन, किष्किंधा अथवा सुदूरवर्ती लंका-द्वीप में ही भटकने की इच्छा है। कथा रामादि के विवाह के बाद प्रारंभ होती है। बनवास के बाद कवि राम और उनके साथियों को चित्रकूट तक पहुँचाकर लौट आता है, और फिर शेष कथा दक्षिण से लौटे हुए साकेत-नगरी के व्यवसायियों प्रथवा संजीवनी लेकर लौटते हुए, भरत के तीर से विराए गए हनुमान के मुख से सुनाकर ही उसे संतोष हो जाता है।

भिन्न-भिन्न रसों में घूमना भी कवि को रुचिकर प्रतीत नहीं होता। जब वेवाहित भाइयों से कथा प्रारंभ होती है, तो फिर वास्तव्य के लिए ध्यान ही नहीं रह जाता। संक्षेप में दूसरे के मुख से कहलाई जाने के कारण युद्ध की ध्या में भी वीर, भयानक, रौद्र आदि रसों को विस्तार के साथ लाने के लिये विशेष अवसर नहीं निकल पाता। इस महाकाव्य में छूटे हुए दो-तीन रस हैं, और उन पर पूरा ध्यान दिया गया है।

राम-कथा पढ़ने के बाद आधुनिक भावुक पाठकों को प्रायः यह शिकायत आ जाती थी कि कवि लोग राम के साथ वन-वन भटकने में इतने तन्मय

हो जाते हैं कि बेचारे अयोध्या में रह जाने वाले लोगों की दशा के चित्रण पर ध्यान ही नहीं देते। वाल्मीकि कदाचित् वनवासी होने के कारण अयोध्या को भुला देते हैं, तुलसीदास तो राम-विहीन अयोध्या की ओर दृष्टि ही कैसे उठा सकते थे। बीसवीं सदी की स्त्री के समान सास-समुद्र के घर में न रह सकने वाली सीता का इतना अधिक ध्यान तथा प्राचीन आदर्शों को पालने वाली आदर्श बधू उर्मिला के सुख-दुख की ऐसी उपेक्षा ! यह दूसरी भारी शिकायत प्राचीन कवियों से आधुनिक पाठकों को थी। 'साकेत' के कवि की कृति में इन दोनों प्रुटियों को दूर करने का उद्योग किया गया है। इस महाकाव्य की अयोध्या में यदि कोई पात्र सबसे पहले सामने आता है, तो वह राम के छोटे भाई लक्ष्मण की आदर्श सहधर्मिणी उर्मिला है। वास्तव में उर्मिला ही इस महाकाव्य की प्रधान स्त्री पात्र है। 'साकेत' में होना भी ऐसा ही चाहिये।

इस विचित्र प्रारंभ के बाद राम-कथा सनातन रीति से चलने लगती है। दूसरे सर्ग में कैकेयी का वर माँगना तथा तीसरे, चौथे और पांचवें सर्गों में राम-वन-गमन का विस्तृत वर्णन है। माता सुमित्रा का चित्रण उद्धत किन्तु विशाल-हृदय लक्ष्मण की माता के अनुरूप ही है। छठे, सातवें और आठवें सर्गों में दशरथ-भरण, भरत-आगमन तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा बर्णित है। चित्रकूट में लक्ष्मण और उर्मिला की शक्ति भेद अत्यंत मार्मिक है।

नवम सर्ग में आकर कथा रुक जाती है। महाकाव्य का साधारण रूप भी बदल जाता है। इस गीतमय्यात्मक वृहत् सर्ग में उर्मिला के हृदय का चित्रण अनेक प्रकार से कवि ने किया है—एक नया गीतिका-विरह सामने आ जाता है। इस सर्ग में साधारण सुंदरीय रचना के साथ-साथ अनेक गीत अङ्ग दिये गये हैं, जिनमें से अधिकांश अत्यंत सुंदर हैं। एक साधारण महाकाव्य की रचना की दृष्टि से यह सर्ग भले ही उपयुक्त न समझा जाय, किन्तु काव्य-शैली की दृष्टि से इस सर्ग की रचना अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक है। यह सर्ग कदाचित् एक काल की रचना नहीं है। इसे एक नन्दा-या लक्ष्मणर समझना चाहिये। दशम सर्ग में भी उर्मिला की कथा की प्रधानता है, किन्तु यह शेर काव्य के अनुरूप वर्णनात्मक है।

ग्यारहवें और बारहवें सर्गों में नंदिग्राम में भरत, शत्रुघ्न आदि के बीच में पहुँचाकर तथा साकेत से निकाले हुए रामादि की कथा सुनाकर और अंत में राम को साकेत लौटाकर कवि ने कथा समाप्त कर दी है। प्रारंभ और

मध्य के समान ग्रंथ का अंत भी उर्मिला से ही होता है। उर्मिला-लक्ष्मण-मिलन का चित्र कुच्छेत्र पर राधा-कृष्ण की संवत् भेंट का स्मरण दिला देता है। संक्षेप में यह 'साक्षेत्' की कथा है।

साक्षेत् के अनेक स्थल अत्यंत सुंदर हैं। ऊपर बल्लाण गए अंशों के अतिरिक्त एक-दो अन्य उदाहरण नीचे दिये गये हैं।

सर्ग २ में—

भरत-से मुत पर भी संदेह,
बुलाया तक न उन्हें जो मेह !

भंगरा के इन शब्दों को कैफ़ेयी के मुग से, स्वगत के रूप में, कवि ने अत्यंत प्रभावोपादक रूप में दुहराया है। बारहवें सर्ग में शक्ति लगने के बाद होय में आने पर लक्ष्मण के वचन अत्यंत प्रभावोपादक हैं। नयाँ सर्ग तो सुंदर स्थलों की खान है।

गुन जी जैसे गड़ी बोली के मिद्धस्त कवि की भाषा में कुछ गदगने वाले प्रयोगों पर दृष्टि गए बिना नहीं रहती। 'अँखियाँ' (शृट १५३) मायुं तथा अनुप्रास के लिये गड़ी बोली में लाया जा सकता है, किंतु मुगरी गड़ी बोली में फवना नहीं। 'कमर टूट जाना' हिंदी का महावरा है, किंतु उगना भाव 'कटि टूटी' (शृट १५३) शब्दों में आ सकता है, यह अर्थ संदिग्ध है। 'त्रय तक जाय प्रणाम किया' (शृट ७८) बाक्य राधे-श्याम की काव्य शैली का स्मरण दिलाता है। 'जैसा है विश्वास मुझे उनके प्रती' (शृट ११८) में 'प्रती' में मिलाने के लिये यह 'प्रती' गुजरी जैसे कवि की कलम की शाना नहीं बढ़ाता। 'कड़कड़ करके चीन उठा हट परा मे' (शृट १३५) इसमें अनुप्रास लांग के लिये 'टट' के स्थान पर 'टट' टावद जान-बूझकर किया गया है, किंतु क्या ऐसा करना उचित है? 'मिथि में चपला रहे विधान' (शृट ३१२), संभव है, इसमें 'भे' के स्थान पर 'भे' छाने की भूल हो। 'ये प्रभु हैं वे मुझे गौर में लेटाए, लक्ष्मण प्राण !' (शृट ३२१), यहाँ 'लेटाए' का अर्थ ही है। 'मेरे धन वे चलायाम ही, जानेगा यह अरि भी कब' (शृट ३२९), यहाँ 'चलायाम' को संस्कृत शैली के अनुप्रास 'चलारयाम' पढ़ने में हृद पूरा होता है। संयुक्त व्यंजन के पुंके के स्वर को गुजरी ने प्रायः दीर्घ बना दे ही प्रयोग किया है, किंतु हिंदी में अब यह अस्वाभाविक बँचना है। वचन में मेरे एक गुरु भाई थे। १२

लोग साथ-साथ संस्कृत-ध्याकरण पढ़ा करते थे। किसी के पूछने पर वह अपना नाम सिर को झटका देकर 'सत्यन्त्र' बतलाया करते थे। विशुद्ध होने पर भी यह उच्चारण हास्वासाद, या 'स्वप्न में' के स्थान पर 'स्वप्न में' (पृष्ठ ४१५), कदाचित् छापे की भूल है।

भारा-संबंधी इन छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का मेरा उद्देश्य छिद्रान्वेषण करना नहीं। उपाध्यायजी तथा गुप्तजी-जैसे टकसाली खड़ी बोली लिखनेवाले कवियों द्वारा किए गए प्रयोग भविष्य के खड़ी बोली के लेखकों के लिये मार्ग-प्रदर्शक का काम करेंगे। अतः इन लोगों की भाषा में छोटे-से-छोटे असाधारण प्रयोगों की ओर एक अध्यापक समालोचक का ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। ऊपर दिए हुए बहुत-से प्रयोग कवि ने जान-बूझकर किए हों, यह संभव है, किंतु इनमें से कुछ अवश्य ऐसे हैं, जिनका कारण व्यक्तिगत रुचि बतला देना सतोप-जनक उत्तर नहीं होगा।

विषय-विवेचन की दृष्टि से भी कुछ स्थल ऐसे हैं, जिन्हे पढ़कर पूर्ण संतोष नहीं होता। पाँचवें सर्ग में दशरथ के वचनों से बद्ध होकर राम वनवास के समाचार से प्रजा-विद्रोह की कल्पना राम-राज्य के उपयुक्त न होकर आधुनिक शतान्दियों के रावण राज्य के वातावरण के अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार हनुमान का साकेत से लंका १२ घंटे में पहुँच जाना प्राचीन कवियों में पौराणिक कहा जा सकता था, किंतु बीसवीं शताब्दी के कवि की रचना में आने पर तो इसका कोई वैज्ञानिक कारण ही ढूँढ़ना पड़ेगा। फिर बलिष्ठ का साकेतवासियों को लंका के युद्ध-दृश्य दिखाने के साथ-साथ वहाँ की बातचीत भी सुनवा सकना योग-श्रल का स्मरण न दिलाकर आजकल के नवीन-से-नवीन आविष्कार, रेडियो तथा टेलीफैथी का स्मरण दिलाता है। खड़ी बोली के इस महाकाव्य में इस ढंग से अद्भुत रस लाने के संबंध में दो मत हो सकते हैं। जो कुछ भी हो, 'साकेत' हिंदी-साहित्य-साहित्य की एक स्थायी संरक्ति है। भाषा, कथानक, चरित्र-चित्रण, छंद तथा काव्य-कला आदि के संबंध में आलोचक लोग तरह-तरह की आलोचनाएँ करते रहेंगे, किंतु 'साकेत' लिखा जा चुका है, अतः अब यह इसी अपरिवर्तनशील रूप में हिंदी-साहित्य की शोभा, सहृदय कान्य-प्रेमियों का आनंद तथा बेचस विद्यार्थीवर्ग की कठिनाइयाँ बढ़ाता रहेगा। यह निश्चय है कि गुप्तजी की यह रचना भाषा,

भाव तथा आदर्शों के क्षेत्र में देशवासियों को आगे बढ़ाने में ही इससे अधिक कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में होनेवाले खड़ी बोली के कवियों में उपाध्यायजी तथा गुप्तजी प्रमुख हैं। दोनों एक-धरोहर के रूप में हिंदी-साहित्य-भंडार के सिपुर्द किये जा रहे कृष्ण संबंधी और दूसरे राम-संबंधी। नवीनताएँ होने पर भी कालीन अमर गाथाओं से ही इन दोनों महाकाव्यों का सं-प्राचीन वातावरण हटाया नहीं जा सका है। मालूम हो-शताब्दी के प्रथम प्रतिनिधि महाकाव्य लिखे जाने में अभी

३-तीन वर्ष

अपने समाज ने अपनी दीर्घकालीन यात्रा में अनेक छुंटे मोंटे त्थानों का सामना किया है किन्तु उसे दलदल युक्त ठों बहुत ही बड़ी नदियों की यकायक बाढ़ में से गुजरना पड़ा है। इनमें एक तो मुस्लिम संस्कृति का दलदल था और एक आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की बाढ़ है। मुस्लिम संस्कृति के दलदल में समाज १२०० ईसवी के लगभग घुसा था और छः सौ वर्ष बाद १८०० ईसवी के लगभग निकल सका। पता नहीं इस दलदल में कितने डूब गए, कितने फँस कर रह गए, कितने बह गए। जो लोग दूसरे पार पहुँचे उनमें कितने ज़ुल्मी हो गए, कितनों के हाथ पैर मुभ हो गए, कितनों की हिम्मतें टूट गईं, यह बतलाना भी दुम्बर है। जो लोग यह समझते हैं कि हम सही सलामत निकल आए, उन्होंने भागी दलदल से ज़िन्दा निकल आने की खुशी में अभी अपने ऊपर अच्छी तरह नज़र ही नहीं डाल पाई है। पैर तो सभी के काँचड़ में खन गए हैं। कपड़े लथपड़ गए हैं, हाथ सिवार और पाँटों से रेंपे हुए हैं, बाल चिड़ट गए हैं और चेहरे पर कालिल लग गई है। लोग आर्य नाम लेकर इस दलदल में घुसे थे और हिंदू नाम लेकर निकले, ब्राह्मण और क्षत्रिय घुसे थे, स्नोदिया और बनेला होकर निकले, वाल्मीकीय रामायण लेकर घुसे थे तुलसीकृत रामचरित मानस लेकर निकले, यशोवर्षात पहिन कर घुसे थे कंठों पहन कर निचले। लोहिन निकल आने वाले लोग सब बेहद लुथ हैं - आँखिर निकल तो आए। टीक दी है।

किन्तु एक दलदल से निकलने ही दूसरी बाढ़ में फँस गए। यह दूसरी नदी अधिक तीव्र और अधिक भयंकर है—परिचमो संस्कृति की बाढ़। विद्वले दलदल ने लोगों के शरीरों को अहाम्यस्त कर दिया था। इस नदी का जल विरोध नहींला मालूम होता है क्योंकि समाज का अपने मन और मस्तिष्क पर ज़ाबू छूटा जा रहा है। आया इतनी ही है कि यह नदी कदा-चिर कम चौड़ी है क्योंकि १८०० के लगभग घुसने के बाद अभी बीसवीं सदी के मध्य में पहुँचने के पहले ही दूसरा किनारा कुछ कुछ दिखार पढ़ने लगा है—आने के लोगों की लीण आवाज़ें सुनार पढ़ने लगी हैं कि पैर ज़मीन पर अभी अभी लगने लगे हैं। सारित्व के क्षेत्र में धीन वर्ष जैसी

१-तीन वर्ष; देवदर, नदरती करण १९११; प्रकाशक विरोता विन्डोके, इकाए-बाद १८५१ १)

हिंदी की मौलिक कृतियों का प्रकाशन इस बात का संकेत है कि छिनारे पर पहुँचने में अब बहुत देर नहीं है। एक समय था—इसकी अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी इस अवस्था से गुजर रहा है—जब पश्चिमी संस्कृति की चमत्कारीय ने घोड़ी देर के लिए हमें अन्धा कर दिया था। अंग्रेजों की पश्चिमी अनुकरण करने के विषय हम और सब कुछ भूल गए थे। यह अनुकरण केवल पाने, कपड़े, निवास, रहन-सहन तक ही सीमित रहता तो ऐसी मारी हानि नहीं थी। अंग्रेजी संस्कृति की जड़ें ही हिल गई थी—जीवन के—राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन के—हम अपने सिद्धांतों को ही मूलने लगे थे। उनके प्रति हमें अश्रद्धा हो चली थी। किंतु अब फिर होश आने लगा है। जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी के कुछ नवयुवक प्रेजुएंटों के भुरा से सुना कि वे प्रेजुएंट लड़की से विवाह न करके अधिक से अधिक इंट्रेंस या इंटर पास लड़की से विवाह करना चाहते हैं उसी दिन मैंने सहसा अनुभव किया कि दिमाग ठीक होने की तरफ है।

श्री भगवती चरण वर्मा ने 'तीन वर्ष' में सामाजिक संस्कृति की इस अन्यन्त महत्वपूर्ण समस्या—स्त्री पुरुष के बन्धन, विवाह के सच्चे आदर्श—के संबंध में देशी और विदेशी आदर्शों के संघर्ष को एक फलाकार के रूप में उपस्थित किया है। जिसने भगवती चरण जी की 'चित्रलेखा' या 'इन्स्टालमेंट' को पढ़ा होगा वह इन नवयुवक किंतु होनहार लेखक की लेखन शैली से मुग्ध हुए बिना न रहा होगा। 'इन्स्टालमेंट' की कहानियों में लेखन शैली का चमत्कार था, 'चित्रलेखा' में एक काल्पनिक स्वप्न जगत है जो जागने तक सच्चा मालूम पड़ता है। 'तीन वर्ष' में शैली और कल्पना के सौंदर्य के साथ साथ हम लोगों के नियमप्रति के जीवन से संबंध रखने वाली एक समस्या को नग्न रूप में सजा करके उसके विषय में ठंडे दिमाग से सोचने की ओर लोगों को उत्तेजित किया गया है। स्वर्गीय श्री प्रेमचन्द जी ने अपनी सरल-सुबोध भाषा में लोगों का ध्यान समाज की ग्रामीण तथा निम्न श्रेणी की जनता की अवस्था की ओर पहली बार दिलाया था, भगवती चरण जी ने अपनी आकर्षक शैली में पढ़े लिखे लोगों का ध्यान जीवन के आदर्शों के संबंध में उनके उलभे हुए मस्तिष्कों की ओर आकर्षित किया है। 'तीन वर्ष' निःसंदेह एक अनूठा उपन्यास है।

४-हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग^१

साहित्य-सेवी सज्जनों को यह विदित ही है कि नागरी प्रचारिणी सभा, काशी का और से हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज बहुत दिनों से हो रही है। अब तक (स० १९८१) से सभा आठ रिपोर्टें प्रकाशित कर चुकी है जिनमें से पहली छः (सन् १९०० से १९०५ तक) तो वार्षिक हैं और शेष दो (सन् १९०६—१९०८ और १९०९—१९११) वार्षिक हैं। वर्तमान पुस्तक इन्हीं आठ रिपोर्टों में दी हुई हस्तलिखित पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण है। डाक्टर आफ्रेंट द्वारा संग्रहित संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों तथा उनके कर्त्ताओं की, लेखकों की "कैटेगोरिज कैटेगोरिज" शीर्षक ग्रन्थ सूची के ढंग पर इसकी रचना की गई है। योरप में यह काम बड़े महत्व का समझा जाता है; क्योंकि इन विवरणों के आधार पर ही पुरानी खोज का उपयोग किया जा सकता है तथा आगे का कार्य भी ठीक ठीक चल पाता है। इसी कारण इन ग्रन्थ सूचियों के तैयार करने का कार्य बड़े बड़े विद्वान् अपने हाथ में लेते हैं। हमें यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मुमसिद्द हिन्दी-सेवी याज्ञानिकमुन्दरदास बी० ए० के हाथ से इस कार्य का संपादन हुआ है। सभा का निश्चय है कि आगे भी ऐसे विवरण प्रति नवें वर्ष प्रकाशित किये जायें। अतः वर्तमान विवरण को 'पहला भाग' नाम दिया गया है।

इस संक्षिप्त विवरण में सब मिलाकर १४५० ग्रन्थों और उनके आशय दानाओं का तथा २०५६ ग्रंथों का अन्वयार्थिकम से उल्लेख है। इस संग्रह से ही इस कार्य के विस्तार तथा महत्व का अनुमान किया जा सकता है। अब तक की खोज का अधिकांश कार्य संयुक्तप्रान्त में होने के कारण हिन्दी साहित्य के सम्पन्न (सन् १४०० तक) की सामग्री ही विशेष रूप में इस विवरण में पायी जाती है। पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट हैं। प्रथम परिशिष्ट में रिपोर्टों के परिशिष्टों में आये हुये कवियों तथा उनके ग्रंथों की

^१ संस्कृत, श्री रामकृष्णदास जी० ए० । संस्कृत नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । ई० १९०० ।
२२५ काशी १०० । १९११ । पु० सं० १००१०००००० ।

मूवी है। गद्य में प्रसिद्ध कवि या कविता काल, ग्रंथ-निर्माण, निरिच्छान तथा साधारण परिचय भी दे देने में यह परिशिष्ट अधिक उपयोगी हो गया है। द्वितीय परिशिष्ट में रिक्तियों में श्राप हुए छाया कवियों के ग्रंथों की मूवी निरिच्छान की है। विचार के श्रादि में संग्रहक की प्रस्तावना है जो अत्यंत है। इस प्रस्तावना से हिंदी साहित्य के संबंध में अनेक नवीन चिन्तना है, जो इस खोज द्वारा प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ मूल का हम यहाँ पर उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं; क्योंकि का साधारणतया अधिक शब्दों तक पहुँचना दुष्कर है।

हिंदी साहित्य-प्रेमी अब तक यह मानते आये हैं कि भूषण, मन्निराम तथा नीलकण्ठ चारों सहेदर भाई थे। एक निता के गुणगिद्ध कवि होना बड़ी आश्चर्य-जनक तथा कौतूहलपूर्ण बात इस पर हिंदी प्रेमी गर्व करते थे। इस प्रस्तावना में संग्रहक महोदय के एजेंट पण्डित भागीरथ प्रसाद दीक्षित के एक अत्यंत गवेषण-संधान को विस्तृत रूप से उद्धृत किया है, जिसमें भागीरथजी इस पहुँचे हैं कि ये चारों कवि भाई नहीं थे। भागीरथजी का यह नर्व अनुसंधान हिंदी में हलचल मचा देने वाला है। इसके महत्व करते हुए प्रस्तावना में दिये हुए भागीरथजी के लेख के आवश्यक उद्धृत करना अनुचित न होगा। सरलता लाने के लिये हमने भा के लेख के भिन्न भिन्न अंशों का क्रम कहीं कहीं बदल दिया है।

“गत वर्ष जिस समय मैं (पण्डित भागीरथप्रसाद दीक्षित) ज़िले में भ्रमण कर रहा था उस समय अस्सी निवासी पं० क. भट्ट महापात्र के यहाँ, जो कि महाकवि नरहरि महापात्र के बंरुज की कौमुदी नामक एक ग्रंथ खोज में मिला था। यह ग्रंथ महाकवि मारु रचा हुआ है। उसका निर्माणकाल वि० सं० १७५८ है जैसा कि से विदित हुआ:—

संवत् सत्रह सौ बरस अठ्ठावन सुभ साल ।

कार्तिक मास मगहीखी मरि विन्वार तेदि काल ॥

यह वृत्तशौमुदी ग्रंथ गजवंशावतंस श्रीस्वरूपसिंहदेव के द्वितीय रचा गया है:—

वृत्तशौमुदी ग्रंथ वी, सरसी सिंह स्वरूप ।

रची मुकवि मतिराम सो, पढ़ी मुनी कविरूप ॥

कवि ने अपने वंशादि का परिचय भी निम्न लिखित पद्यों में दिया है ।

त्रिपाटी बनपुर बसै, बख गोत्र मुनि गेह ।

बिबुध चक्र मनि पुत्र तहँ, गिरधर गिरधर देह ॥ २१ ॥

भूमि देव बलभद्र हुब, तिनहिं तनुज मुनि मान ।

मंडित मंडित मंडली, मंडन मही महान ॥ २२ ॥

तिनके तनय उदार मनि, विश्वनाथ हुब नाम ।

श्रुतिधर श्रुतिधर को अनुज, सकल गुनन को धाम ॥ २३ ॥

सामु पुत्र मतिराम कवि, निज मति के अनुसार ।

सिंह स्वरूप मुजान को बरन्यो मुजस अपार ॥ २४ ॥

इससे प्रतीत होता है कि मतिराम कवि बनपुर निवासी बख गोत्रीय पं० चक्रमणि त्रिपाटी के पुत्ररज पं० गिरिधर के प्रपौत्र, पं० बलभद्र के पौत्र, पं० विश्वनाथ के पुत्र और पं० श्रुतिधर के भतीजे थे ।

“महाकवि भूषण ने भी शिवराज भूषण में अपने वंशादि का परिचय इस प्रकार दिया है:—

दुख कभीज कुल कश्यपी रतनाकर सुत धीर ।

बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥ २६ ॥

वीर वीरवर से जहाँ अपने कवि अरु भूप ।

देव विहारोश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप ॥ २७ ॥

कुल मुलंमचित कृत्रिपति साहय सील समुद्र ।

कवि भूषण पदवी दई हृदयराम सुत रुद्र ॥ २९ ॥

(शिवराज भूषण, छन्द २६—२९ ।)

इससे विदित होता है कि महाकवि भूषण विक्रमपुर निवासी कश्यप गोत्रीय पं० रत्नाकर त्रिपाटी के पुत्र थे ।

“हिंदी संसार के परिद्धत समाज को यह भली भाँति विदित है कि चित्तामणि, भूषण, मतिराम और नीलकण्ठ या जटाशङ्कर ये चारों सहोदर भाई माने जाते रहे हैं (शिवसिंह सरोज, पृष्ठ ४१३) । परन्तु उपर्युक्त दोनों

सिद्ध के आशीर्वाद से कवि हुए; शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुये कि उनका नाम प्रलय तक वाकी रहेगा ।' (शिवसिंहसरोज, पृष्ठ ४१२) ।

“यह ग्रंथ १८८३ ई० सवत् १९४० में नवलकिशोर प्रेस में छपा है । इस ग्रंथ के बनाने में भी ठाकुरसाहब को लगभग २० वर्ष से कम कदापि न लगे होंगे । इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो । इसी आख्यायिका के आधार पर सर्वत्र यह ध्रांति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं । बंगवासी प्रेस से प्रकाशित शिवबावनी नामक पुस्तक की भूमिका में यही आख्यायिका कुछ परिवर्तन के साथ दी हुई है । समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिश्र बंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है । फिर धर्माभूत तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम को भाई मानकर ही लेख लिखे गये । नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित शिवराज भूषण की भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (पृष्ठ ८-१०) डाक्टर प्रियदर्शन ने इंडियन वर्नाक्यूलर लिटरेचर में भी यही बर्णन किया है । मिश्रबंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्रबंधुविनोद (पृष्ठ ५१३), और हिंदी नवरत्न (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता बौमुदी प्रथम भाग (पृष्ठ २२०) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है ।

“इस विषय में मैंने स्वयं भी चिन्तामणि, भूषण और मतिराम कृत बहुत से ग्रंथों को इसी विचार से देखा कि शायद वही भूषण को मतिराम का भाई बतलाया गया हो, परंतु मेरी यह आशा सफल न हुई । तब श्रीयुक्त पंडित शुक्रदेवविहारी मिश्र और पंडित कृष्णविहारी मिश्र को इस संबंध में पत्र लिखे । प्रथम महानुभाव ने तो पत्रोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने किचिदंती के आधार पर लिखा है । द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह विषय आश्चर्यजनक है । मैंने बहुतसी पुस्तकों को देखा, परंतु मुझे वही भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ ग्रंथों को देखने की राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और खोज में प्राप्त हो चुके थे, परंतु कई बारणों से मैं उनके देखने में असमर्थ रहा । खोज की रिपोर्टों में आज तक मिले हुए भूषण, मतिराम चिन्तामणि और नीलकण्ठ के किसी ग्रंथ

सिद्ध के आशीर्वाद से कवि हुए; शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुये कि उनका नाम प्रलय तक बाकी रहेगा ।' (शिवसिंहगरोज, पृष्ठ ४१२) ।

“यह ग्रंथ १८८३ ई० संवत् १९४० में नवलक्षिणोर प्रेस में छपा है । इस ग्रंथ के बनाने में भी टाकुरसाह्य का लगभग २० वर्ष से कम कदापि न लगे होंगे । इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो । इसी आख्यायिका के आधार पर सर्वत्र यह भ्रान्ति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं । बगदासी प्रेस से प्रकाशित शिवरावनी नामक पुस्तक की भूमिका में यही आख्यायिका कुछ परिवर्तन के साथ दी हुई है । समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिश्र बंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है । फिर धर्मांगुत तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम का भाई मानकर ही लेख लिखे गये । नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित शिवराज भूषण की भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (पृष्ठ ८-१०) डाक्टर प्रियदर्शन ने इंडियन वर्नाक्यूलर लिटरेचर में भी यही वर्णन दिया है । मिश्रबंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्रबंधुविनोद (पृष्ठ ५१३), और हिंदी नवरत्न (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी प्रथम भाग (पृष्ठ २२०) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है ।

“इस विषय में मैंने स्वयं भी चिन्तामणि, भूषण और मतिराम शून्य शून्य से ग्रंथों को इसी विचार से देखा कि शायद कहीं भूषण को मतिराम का भाई बताया गया हो, परंतु मेरी यह आशा कफल न हुई । तब भीषुण पंडित मुकुंददेवविहारी मिश्र और पंडित कृष्णविहारी मिश्र को इस संबंध में पूछ लिये । प्रथम महानुभाव ने तो पश्चोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने किरंदनी के आधार पर लिखा है । द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह किरण घाहचर्यजनक है । मैंने बहुतनी पुस्तकों को देखा, परंतु मुझे कहीं भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ ग्रंथों को देवने की राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और खोज में मान हो चुके थे, परंतु कई बारों से मैं उनके देवने में क्लमर्ष रहा । खोज की गिराओं में मात्र एक मिले हुए भूषण, मतिराम चिन्तामणि और नौनखट के हिंदी ग्रंथ

कविपौ (भूगुप्त और मतिराम) ने अपने अपने विषय में जो कथन किए हैं, उनमें एक प्रतीत होता है कि वे दोनों कदापि महोदर भाई न थे। भूगुप्त कदापि गोपीय और मतिराम बस गोपीय थे। भूगुप्त के पिता का नाम श्रावण या श्रीर मतिराम व० विररनाथ के पुत्र थे। आः जब दोनों के बीच श्रीर पिता निम्न निम्न में, तब ये महोदर भाई कैसे हो सकते हैं ? वे तो एक बस के भी नहीं थे। संभव है भूगुप्त और मतिराम मामा पूगी के संबंध में भाई कहलाते हैं। उपरोक्त कथनों से तो यही प्रतीत होता है कि दोनों यदि एक काम के निष्ठा भी नहीं थे, क्योंकि भूगुप्त कवि अपने को 'वि क्रमपुर निवासी श्रीर मतिराम बनपुरवासी निम्न' हैं। मिश्रभक्त महोदर ने नरहर में इनको 'विश्वरूप', जिला खानपुर निवासी लिखा है, जो कि 'वि क्रमपुर' शब्द का ही अपभ्रंस रूप है। श्रीर संभव है, मतिराम ने भी 'नरहरपुर' का स्थान रूप 'बनपुर' लिखा हो; परन्तु इस विषय में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार से 'बनपुर' 'विश्वरूप' में निम्न अन्वेष का दूसरा नाम है। विनोद में इसका वर्णन किया गया है, (मिश्रभक्त विनोद, पृष्ठ ५६८)। इन्द्रजी विवाही पत्नी मुझे जो सं० १००३ में दर्शाते थे।"

इसके अनन्तर मागीश्वरी ने बहुत विचार में इस शब्द का समाधान किया है कि इस पूर्व-सूची में के संबंध में मतिराम, श्रीर भूगुप्त के भाई मतिराम निम्न निम्न नहीं; किन्तु एक ही व्यक्ति थे। मतिराम श्रीर भूगुप्त के महोदर भाई होने की बात पर मागीश्वरी ने निम्न विचार प्रकट किए हैं।

"जब यह निश्चय हो गया कि भूगुप्त मतिराम महोदर बनुरी थे, तब महोदरः यह प्रकट होगा है कि यह वह प्रवाद एवं कालानुक्रम में ही है। इसका अन्वेषण करने में यही प्रतीत होगा है कि श्रावण विररनाथ के पुत्र श्रावण विररनाथ की एक कथा में ही यह प्रथम प्रतीत है। उनमें विररनाथ कवि के वर्णन में लिखा है—'इसके पिता पूर्ण एक बने विररनाथ के के स्थान पर श्रावण कवि थे। वे देवी बन की मुद्रा कहलाते हैं। विररनाथ में एक श्रावण के अन्वेष है। एक दिन मतिराम मतिराम महोदर के संबंध में अपने मुद्र विचार वक्त, यही श्रावण के पुत्र होने। श्रावण के पुत्र ही भूगुप्त (१) विररनाथ (२) भूगुप्त (३) मतिराम (४) कदापि का जो शब्द था, पुत्र उक्त हुए। इनके अन्वेष में शब्द मतिराम का एक

सिद्ध के आशीर्वाद से कवि हुए; शेष तीनों भाई संस्कृत वाक्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुये कि उनका नाम प्रलय तक याकी रहेगा ।' (शिवसिंहसरोज, पृष्ठ ४१२) ।

“यह ग्रंथ १८८३ ई० संवत् १९४० में नवलकिशोर प्रेस में छपा है । इस ग्रंथ के बनाने में भी टाकुरसाहब का लगभग २० वर्ष से कम कदापि न लगे होंगे । इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो । इसी आख्यायिका के आधार पर सर्वत्र यह भ्रंति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं । बगदादी प्रेस से प्रकाशित शिवबावनी नामक पुस्तक की भूमिका में यही आख्यायिका कुछ परिवर्तन के साथ दी हुई है । समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिश्रबंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है । फिर धर्ममृत तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम को भाई मानकर ही लेख लिखे गये । नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित शिवराज भूषण की भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है, (पृष्ठ ८१०) डाक्टर प्रियर्जन ने इंडियन यर्नाक्वूलर लिटरेचर में भी यही वर्णन किया है । मिश्रबंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्रबंधुविनोद (पृष्ठ ५१३), और हिंदी नवरत्न (पृष्ठ ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश विनाटी ने कविता बौमुदी प्रथम भाग (पृष्ठ २२०) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है ।

“इस विषय में मैंने स्वयं भी चिंतानाया, भूषण और मतिराम कृत श्रुत से ग्रंथों को इसी विचार से देखा कि शायद कहीं भूषण को मतिराम का भाई बताया गया हो, परंतु मेरी यह आशा सफल न हुई । तब भीयुत पंडित शुद्धदेवविहारी मिश्र और पंडित कृष्णविहारी मिश्र को इस संबंध में पूछ लिखे । प्रथम महानुभाव ने तो पत्रोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने बिपरीत के आधार पर लिखा है । द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह विषय आश्चर्यजनक है । मैंने बहुतसी पुस्तकों को देखा, परंतु मुझे कहीं भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला । उन्होंने कुछ ग्रंथों को देखने को राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और जोत्र में प्राप्त हो चुके थे, परंतु कई बातों से मैं उनके देखने में अक्षमपद रहा । जोत्र की गिनतों में कात्र तक मिले हुए भूषण, मतिराम विन्गामयि और नीकडट के किसी ग्रंथ

के उद्भूत भाग में यह वर्णन नहीं मिला। अतः यही मानना पड़ता है कि शिवभिरु शर्मा की आत्मचरित्रिका में यह झूठी संयोगात्मकता में देनी है।”

“अब तक तो मुझे भूषण और मल्लिकार्जुन के भाई होने ही में संदेह था परन्तु अब नीलकण्ठ का जटागुरु भी भूषण के भाई प्रतीत नहीं होते। ‘श्री केशरी शिवाजी’ नामक ग्रन्थ में वशिष्ठ संतुमार देव शर्मा ने विनामलि, भूषण और मल्लिकार्जुन तीन ही भाइयों का जिक्र किया है (पृष्ठ ६६२) नीलकण्ठ को भाई नहीं माना। गान नहीं उनका इस विषय में क्या आशय है। परन्तु मुझे तो मिथ्यापुत्रिनोद के ही आधार पर भूषण नीलकण्ठ के भाई होने में संदेह है। मिथ्यापुत्रिनोद (पृष्ठ ४६५) में वर्णित है कि नीलकण्ठ ने संवत् १६९८ में अमरेश विनायक नामक ग्रन्थ रचा था। उनही अवस्था उस समय २५-२० वर्ष में न्यून न होगी; इस कारण उनका जन्म वि० संवत् १६७० के लगभग हुआ जान पड़ता है। और तिनोद में भूषण का जन्म वि० संवत् १६९२ माना है। जब भूषण के छोटे भाई नीलकण्ठ का जन्म १६७० के लगभग है, तो भूषण का जन्म उसमें भी पूर्व होना चाहिये था। परन्तु तिनोदकार इसके २० वर्ष पीछे मानते हैं जो कि असुद्ध है। भूषण के वि० संवत् १७९७ तक अवस्थित रहने का एक हड़ प्रमाण भी मिला है जो कि आगे दिया जायगा। अतः यह कभी संभव नहीं कि भूषण १२० वर्ष से भी अधिक काल तक जीवित रहे हों और वैसी ही श्रोत्रस्विनी माया में कविता करते रहे हों जैसी कि शिवराज भूषण में की है। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि नीलकण्ठ भूषण के भाई न थे। “इस प्रकार चिन्तामणि और भूषण ही क्विदंती के आधार पर केवल भाई रह जाते हैं। इस क्विदंती में भी कहां तक सचाई है, यह अभी नहीं कहा जा सकता।”

इसके अनंतर भागीरथ जी ने भूषण और मल्लिकार्जुन के संबंध में कुछ और भ्रांतियों का निवारण किया है। वे भी यद्यपि रोचक हैं किन्तु विस्तार भय से हम उनका यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते। यह कहना पड़ेगा कि भागीरथ जी का वक्तव्य विद्वानों के ध्यान देने योग्य है।

“किस किस कवि के विषय में किन किन नई बातों का पता लगा है” प्रस्तावना का आकार बड़ जाने के भय से संपादक महोदय ने इस संबंध में केवल दो चार बातों का ही उल्लेख किया है। हम भी इसी भय से

इन दो चार बातों में भी केवल एक ही को यहाँ उद्धृत करते हैं। यह भूपति कृत दशम स्कंध भागवत के निर्माणकाल के संबंध में है “भूपति कृत दशम स्कंध भागवत का निर्माण काल तीसरी रिपोर्ट में सं० १३४४ (ग-११५) माना गया है; परन्तु निम्नलिखित कारणों से १७४४ मानना ही ठीक है—(१) इस ग्रंथ की छठारहवीं शताब्दी से पूर्व की कोई प्रति नहीं पाई जाती। (२) इसकी भाषा बहुत परिमार्जित और आधुनिक प्रजभाषा के ही समान है। (३) इसमें ‘व्रजभाषा’ और ‘गुसाईं’ शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि सोलहवीं शताब्दी से पूर्व व्यवहार में नहीं आते थे। (४) पचास बनाकर देखने से सं० १३४४ का बुधवार अशुद्ध और सं० १७४४ का चंद्रवार शुद्ध निकलता है। (५) उर्दू प्रतियाँ हिंदी प्रतियों की अपेक्षा पुरानी मिलती हैं जिनमें निर्माण काल सं० १७४४ दिया हुआ है। हिंदी और उर्दू प्रतियों में निर्माणकाल इस प्रकार है:—हिंदी प्रति में:—

संवत् तेरह सौ भये चारि अधिक चालीस।

मरगोसर सुभ एकादशी बुधवार रजनीस ॥

उर्दू प्रति में—

संवत् सत्रद से भये चार अधिक चालीस।

मृगांतर की एकादशी सुद्धवार रजनीस ॥

उर्दू से हिंदी लिपि में लिखने और लिपिरुर्चा के काशीनिवासी होने के कारण बहुत से शब्दों को बिगाड़ कर अवधाररूप दे दिया है; अवीधी जवई, बहीनी और चारी इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उक्त भागवत में आदि से अंत तक ऐसे प्रयोग भरे पड़े हैं। दीर्घ आकार का प्रयोग इस प्रति में कहीं नहीं किया; अतः भाषा प्राचीनसी मालूम होती है, परन्तु यथार्थ में परिष्कृत है। (छ-१३३) में वर्णित रामचरित रामायण भी उक्त भूपति-कृत ही बताया गया है। उसमें संवत् आदि कुछ नहीं है और न वह इन भूपति का बनाया हुआ ही प्रतीत होता है। उपर्युक्त कारणों से भूपति का काल संवत् १७४४ के लगभग ही माना गया है।”

इन उद्धृत अंशों से इस प्रस्तावना के महत्व का तो पता चलता ही है साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि हिंदी साहित्य के सच्चे इतिहास के निर्माण के लिये सभा का हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का कार्य कितना आवश्यक है। सभा खोज का कार्य बराबर कर रही है। आठ रिपोर्टों के आतिरिक्त, जो

प्रस्तावित हो चुकी है और तब से १९११ तक की गांधी का सम्बन्ध
 और अन्य विषयों की विचार-धारा है। नती-विशेषों का प्रयोग है, विदुष
 प्रस्तावित नहीं हुए हैं; दूसरी ओर व्याख्या विषयों मनुष्यता की सम्बन्ध
 एक विचारधारा की है। मनुष्यता की सम्बन्ध गांधी के विचार के लिए
 २०००) वार्षिक व्याख्या देती है। पत्रों की सम्बन्ध में भी का तीन बातों
 में करने का में गांधी के लिए २०००) वार्षिक व्याख्या देना प्रारंभ किया
 है। विदुष एक बड़ी हिदीभाषी लोगों के साहित्य की गांधी के लिए, जो प्रायः
 एक सम्बन्धों में देना हुआ है और जो मनुष्यता, सम्बन्ध, सम्बन्ध,
 विश्वास, शास्त्रपान, तथा पत्रों जैसे-विद्यालय में विद्यार्थी का है,
 २२००) वार्षिक व्याख्या नदी के बगल पर है। इसलिये विचारों के जीर्ण हो
 कर नष्ट हो जाने के भय के कारण अथवा आनन्दक है कि यह कार्य सौं
 ही पूर्ण हो जाये। हमें विश्वास है कि हिदी-भाषा के अनुरागी सम्बन्ध इन
 प्रकार आनन्दक कार्य की ओर प्यान होंगे।

एक इसलिये हिदी पुस्तकों के सशित विवरण को इतनी सरलता
 पूर्वक संगठित करने पर हम भी स्वामन्तरदास जी को बधाई देते हैं। हमें
 विश्वास है कि इसके अन्य भाग भी आने ही योग्य कार्य से संगठित होकर
 निरालोंगे। पुस्तक में यद्यपि मनुष्य की कुछ अशुद्धियाँ रह गयी हैं। सभा की
 सभाओं में तो एक भी अशुद्धि नहीं रहनी चादिए थी।

५-उर्दू से सम्बंधित तीन हिंदी पुस्तकें*

उर्दू से संबंध रखने वाली ये तीनों पुस्तकें अपने ढंग की अलग अलग हैं।

त्रिपाठीजी की पुस्तक में उर्दू भाषा तथा उर्दू कविता की रूपरेखा का संक्षिप्त वर्णन है। उर्दू कविता की विशेषताओं का परिचय सुयोग्य लेखक ने अत्यंत सहृदयता के साथ दिया है। लेखक की कविता कौमुदी के उर्दू भाग की भूमिका के अतिरिक्त मुझे इस विषय पर इस प्रकार के सुंदर विवेचन का स्मरण नहीं। उर्दू भाषा से संबंध रखने वाले अंश में लेखक ने हिंदुस्तानी के विषय में अपने चिरपरिचित विचार यदि न दिये होते तो अच्छा होता। स्थायी साहित्य से व्यक्तिगत विवादास्पद मतभेदों को बचा जाना अच्छा होता है। हिंदी-उर्दू के आपस के संबंध के विषय में पुस्तक की प्रस्तावना के लेखक पं० अमरनाथ झा के निम्नलिखित विचार ग्रंथ-लेखक के मत की काट करते हैं—“ऐतिहासिक और शब्द-वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्य चाहे कुछ भी हो, आज तो हिंदी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ हैं……”। “सच तो यह है कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा होने ही नहीं पायी, न भाव में, न विषय में, न शब्द में। यह ईरान और अरब के साहित्य की एक शाखामात्र है। हम इसे पढ़ते हैं, हम इसका रसास्वादन करते हैं—अंगरेजी को भी हम रुचि से पढ़ते हैं। हम में से कुछ फ्रेंच और जर्मन भी पढ़ा करते हैं; परंतु ये हमारी भाषाएँ तो नहीं हैं।”

जो हो, त्रिपाठीजी की पुस्तक अत्यंत उपयोगी है और हिंदी प्रेमियों को इससे लाभ उठाना चाहिये। पुस्तक का नाम “उर्दू और उसकी कविता” उदात्त अक्षरों में अंकित है। पुस्तक का नाम “उर्दू और उसकी कविता” उदात्त अक्षरों में अंकित है।

मक्तवा जामिना देहली से प्रकाशित “हिंदुस्तानी” शीर्षक पुस्तक में

* १—उर्दू ज्ञान का संक्षिप्त इतिहास—लेखक—राजगुरु त्रिपाठी। प्रकाशक—हिंदी मंदिर, बंगाल। पृ० ४।

२—हिंदुस्तानी—प्रकाशक—मक्तवा जामिना, देहली। पृ० ४।

३—उर्दू का रहस्य—लेखक—अंशुवती चौधरी, प्रकाशक—बायी नागरी प्रचारिणी सभा, पृ० ४।

आल इंडिया रेडियो देहली से 'हिंदुस्तानी क्या है ?' इस विषय पर क
 गयी 'छः तकरारी' का मंच है। ये छः एजन् हैं—डा० ताराचन्द, डा०
 मौलवी अब्दुलक़दर, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डा० जाकिर हुसैनजाँ, पं० ब्रजमोह
 दत्तात्रेय कौरी और आसफ़ अली साहब। छः एजनों में तीन हिंदू और तीन मुसल
 मान विद्वान् कदाचित् इसलिए रखे गये हैं कि जिससे हिंदुओं को आश्वासन
 दिया जा सके कि स्वयं हिंदू विद्वानों का अमुक मत है। लेकिन अब हमने
 धोके में हिंदी जानने वाले हिंदू आसानी से नहीं आ सकते। वास्तव में हिंदी
 का विद्वान और इसलिए हिंदी के दृष्टिकोण से हिंदुस्तानी पर प्रकाश डालने
 वाला व्यक्ति इनमें से एक भी नहीं माना जा सकता।

डा० ताराचन्द ने अपनी तकरारी ताराचन्दी-हिंदुस्तानी शैली में लिखी
 है और वे कदाचित् उसे ही आदर्श हिंदुस्तानी मानते हैं। आल-
 इंडिया रेडियो के हिंदी आतिथों ने विचारे डाक्टर साहब के हिंदी शब्दों की
 कहीं-कहीं अत्यंत दुर्गति कर डाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वयं डा०
 ताराचंद साहब ऐसी भूलें नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्न-
 लिखित वाक्य को देखिए:—“अगर हमने विद्याओं की प्रिय भागाएँ उर्दू
 और हिंदी में इकसां करदीं तो आगे चल कर यह नतीजा होगा कि इनके
 साहित्यों की जवान भी इकसा हो जायगी।” ये 'विद्याओं की प्रिय भागाएँ'
 कदाचित् पाठकगण नहीं समझ पाये होंगे। मैं स्वयं बहुत देर तक नहीं
 समझ पाया किन्तु एक अन्यस्थल पर जब निम्न लिखित वाक्य पढ़ा:—“हिंदी-
 के लिखने वाले इन पास लफ्जों के लिए जिन्हें प्रिय भागक शब्द या
 लफ्ज कहते हैं एक ही लफ्ज मान लें।” तब समझ में आया कि यह
 'संभाषिक' तथा 'परिभाषाएँ' शब्दों के नये अपभ्रंश रूप हैं! इस तरह
 नेक उदाहरण डा० ताराचंद की तकरारी में आल इंडिया रेडियो की
 से बिलखे पड़े हैं। जैसे “लेकिन सच यह है कि संस्कृत में मंत्रों अना-
 लफ्ज भरे हैं।” ध्यान देने पर पता चल सकेगा कि इस अनायं शब्द
 की अनाड़ी द्वारा ही दुर्गति हुई है। “लफ्जों की महान्ता की यज्ञाना
 छोड़ ठाटे पर जी लगाना है।” इत्यादि। विद्वान लोगक के अनुगार
 में भ्रमण जब (तब) ही आता है जब लिखने वाला अनांगल बेजोड़
 मिलता है। डाक्टर साहब की इस स्वयं निर्धारित कथौटी पर अपने
 ही-हिंदुस्तानी का मदी या भदेय शैली ही कहना पड़ेगा।

उर्दू के प्रसिद्ध विद्वान डा० मौलवी अब्दुलहक के अनुसार "आसान उर्दू का नाम हिंदुस्तानी हुआ।" आगे चल कर आप प्रमाते हैं—“इसके बाद अगर कोई मुझ से पूछेगा कि हिंदुस्तानी ज़बान किसे कहते हैं तो मैं इसके जवाब में यह कहूँगा कि जिग ज़बान में मैंने आज तकरीर की है यह यही हिंदुस्तानी है।” मौलवी साहब की तकरीर में प्रारंभ के दो-तीन वाक्य उद्धृत कर देने से पाठकगण उनके अनुसार हिंदुस्तानी क्या है इसका अर्थ स्पष्ट रूप में समझ लेंगे:—ज़बान के मानों में हिंदुस्तानी का लफ़्ज़ हमारे किसी मुस्लिम शायर या अर्दीब या अहले ज़बान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। यह योरूप वालों की उपज है। योरूप के सेयाहों ने जो मजहबी एरी में इस मुक़्त में आने शुरू हुए इस ज़बान को जो शुमाली हिंद में आम तौर से बोली जाती थी, इन्दुस्तान, इन्दुस्तानी और बादअर्जा हिंदुस्तानी के नाम से मौज़ूम किया है लेकिन इस लफ़्ज़ को ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में उस बड़ प्रयोग हुआ जब १८०० ई० में कलकत्ते में प्रोर्ट विलियम पालिस क़ायम हुआ।” “.....हिंदुस्तानी से इनकी मुराद यह साज़ और प्रसीह ज़बान जो बोलचाल में आती थी, यानी ऐसी ज़बान जो मुक़पज़ा, मुसबज़ा और पुर तकल्लुफ़ न हो।”

आल इंडिया रेडियो देहली ने दो तर्ज़ुमें भी इन साहबों को भेजे थे कि “उनकी इबारत की मुराद-भनाई यतायें ताकि अंदाज़ा हो सके कि रेडियो पर कैसी ज़बान बोली जाय !” तर्ज़ुमें ये हैं:—

१—“फ़ैज़ल ख़ैजिस्तेचर के लिए फ़ेहरिस्त राय दाहिदग़ान तैयार करने के किलकिले में जो इम्तदाई बार्बदाई की जायगी उसके बारे में सर एन० एन० सरबार ला मेम्बर ने आज अमेन्बली में रोखनी डाली।”

२—“भंयुक़ प्रतीर वनरर्यापिसा परिपद् में एक प्रश्न का उत्तर देने हुए ग़ायर मंत्री हाक्टर बाटज़ ने उन उद्योग धंधों की सूची दी जिनकी उन्नति के लिये सरबार ने सहायता देना स्वीकार किया है।”

हाक्टर मौलवी अब्दुलहक के अनुसार हिंदुस्तानी उर्दू की दृष्टि में पहले अनुवाद की भांति साधारणतया ठीक है किंतु दूसरे अनुवाद के बारे में उनका कहना है—“इस जुमले में संस्कृत लफ़्ज़ों की भरमार है और मज़हब सम्भ में नहीं आता। यह हमारी ज़बान नहीं। यह दरअसल स्वारठी ज़बान है।”

बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने अपने मारुत में हिंदुस्तानी के संबंध में कावेर
 -दूरी करने के नाम, तथा काका कालेलकर का—दृष्टिकोण
 करने का यह कि है। उन्होंने पहले अनुवाद की भाषा को कावेर
 के अनुवाद के हिंदुस्तानी नहीं माना है। दूसरे अनुवाद के संबंध
 में उन्होंने अपने इन सूत्रों के नामों का निम्नलिखित विचार

अपने एक लेख में उल्लेख है व्याकरण तो हिंदुस्तानी ही का इस्तेमाल
 है। मर जो उन्हे चाहे है यह संस्कृत के हैं और ऐसा मालूम पड़ना
 है। प्रश्न, प्रश्नों के लक्षण जान-बूझ कर निकाले गये हैं। 'प्रश्न'
 'उत्तर' 'दूरी' और 'सहायता' संस्कृत के शब्द हैं। फारसी और अरबी
 के शब्द सराल, जगह, फेहरिस्त और मदद कुछ कम चालू नहीं हैं।
 'प्रश्न' के बदले में सिर्फ धंधा काही हो सकता है।" हिंदुस्तानी के
 कावेर का दृष्टिकोण तथा नीति बाबू राजेन्द्रप्रसाद की उपर्युक्त
 भाषा से बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। खैर यह है कि हिंदी-प्रेमी स्वयं
 भ्रमवश कभी-कभी भुलावे में आ जाते हैं। सौभाग्य से अब तो लोगों
 में सुत गयी है।

आकिर हुसैन जी ने 'पानी केतकी की कहानी' या 'ठेठ हिन्दी का
 शैली से मिलती जुलती शैली में अपनी तर्करीर लिखी है और उसी
 हिंदुस्तानी माना है। पं० प्रजमोहन दत्तात्रेय की तर्करीर में कोई
 बात नहीं है। पता नहीं हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में इनके विचार
 से मान्य समझे जा सकते हैं। आठकअली साहब का कहना है
 शारी रामकहानी का निचोड़ यह है कि उर्दू-हिन्दी हिन्दुस्तानी
 जयानें हैं। उर्दू तो बनी बनायी है और हिन्दी भी अब बन चुकी
 लोगों के संयोग से जो गंगा-यमुनी जवान बनने वाली है वह
 है।"

में हिंदुस्तानी के संबंध में इन छः तर्करीरों को पढ़ कर अंधों
 के चर्चन की कहानी का स्मरण हो आता है।

बली पांडे की 'उर्दू का रहस्य' शीर्षक पुस्तक में लेखक के इस
 रचने वाले दस लेखों का संग्रह है, जिनमें से अधिकांश पत्र-
 लेख चुके हैं। इसी कारण कहीं-कहीं पिछेपछे भी हो गया है।

पंडे जी के विचारों से हिंदी पाठक भली प्रकार परिचित हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कृपा से पंडे जी का इस विषय संबंधी साहित्य पुस्तकारा प्रकाशन हो गया है। हिंदी के संकट के दिनों में पंडेजी के पुष्ट कर्षों से कितनी अधिक सहायता मिली यह भविष्य के हिंदी इतिहास लेखक भली प्रकार जानेंगे।

६—भाषण^१

अनेक वयोवृद्ध साहित्य महारथियों के रहते हुए हिंदी प्रेमियों ने इस परिषद् के सभापति के रूप में जो मुझे चुनकर भेजा है इसका उद्देश्य कदाचित् नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना तथा उसके दृष्टिकोण को समझना मान है। कार्य भार उठाने के लिये बड़े बूढ़े नवयुवकों को ऐसी ही युक्तियों से तैयार किया करने है। जो हो, मुदजनों की आशा शिरोधार्य है। मैं इस अवसर प्रदान तथा आदरभाष के लिये साहित्य सेवियों का अभारी हूँ।

हमारी अत्यंत प्राचीन भाषा का नया कलेश्वर—मेरा तात्पर्य यहाँ राष्ट्रीय यात्री हिंदी से है—तथा उसका साहित्य इस समय युद्ध आगाधरण परिस्थितियों में होकर गुज़र रहा है। इन नवीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अनेक नई समस्याएँ, नई उलझनें, नये भ्रम हमारी भाषा और साहित्य के संघर्ष में दिदियों तथा अदिदियों दोनों ही के बीच में पैल रहे हैं। अपनी भाषा और अपने साहित्य के भारी दित की दृष्टि से इनमें से युद्ध प्रधान समस्याओं की ओर मैं आपका स्थान आकर्षित करना चाहूँगा। यात्रा नया बचपानी की मान्यता होती है किन्तु मेरी समझ में हिंदी भाषा और साहित्य के संघर्ष में बहुत सी वर्तमान समस्याओं का प्रधान कारण हिंदी की परिभाषा, नाम तथा स्थान के संघर्ष में भ्रम अथवा दृष्टिकोण का भेद है। अतः अब मैं पढ़ने इनके विषय में यदि हम और आगे गुपरे दग से मोन सके तो उत्तम होगा।

आप कहेंगे कि हिंदी की परिभाषा के संदर्भ में मतभेद ही क्या हो सकता है, किन्तु वास्तव में मतभेद नहीं तो समझ का फेर कहीं पर आरंभ है। हिंदी शब्दों का एक वर्ग हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग अथवा अर्थ में करना है दूसरा वर्ग उसका प्रयोग कदाचित् निश्चय अर्थ में करना है। देश में हिंदी भाषा के रूप के स्तर में निश्चय निश्चय आरंभों पैली हुई हैं। कर्तव्य हम अनेक हिंदी साहित्य परिषद् के सम्भव पर बैठे हुए विचार विनिर्माण कर रहे हैं अतः हमारे लिए हिंदी भाषा का प्रबलनता बढ़ कर सहायपूर्ण है अतः हमारे

साहित्य लिखा गया था तथा आज भी लिखा जा रहा है। मेरा तापन चंद, क्वीर, तुलसी, छंद, नानक, विद्यापति, मीरा, केशव, विहारी, भूपण, भारतेन्दु, रत्नाकर, प्रेमचंद, प्रसाद की भाषा से है। इनकी ही रचनाओं को तो आप हिंदी साहित्य की श्रेणी में रखते हैं तथा इन रचनाओं की भाषा को ही तो आप साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा नाम देते हैं। इस दृष्टिकोण से मैं हिंदी भाषा की एक परिभाषा आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदी प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस परिभाषा के प्रत्येक अंश पर ध्यानपूर्वक विचार करें और यदि इसे ठीक पावें तो अपनावें, यदि अपूर्ण अथवा किसी अंश में त्रुटि पूर्ण पावें तो विचार विनिमय के उपरांत उसे ठीक करें। हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वालों के पथप्रदर्शन के लिये यह नितांत आवश्यक है कि हम और आप स्पष्ट रूप में समझे रहें कि आगिर क्रिष्ण हिंदी के लिये हम और आप अपना तन मन धन लगा रहे हैं। हिंदी भाषा की यह परिभाषा निम्नलिखित है—

“व्यापक अर्थ में हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में आर्यावर्त के मध्यदेश अर्थात् वर्तमान हिंदप्रान्त (गुजरात), महाकोशल, राजस्थान, मध्यभारत, बिहार, दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की मूल जनता की मानुभाषा है। इन प्रदेशों के प्रवासी भाई भारत के अन्य प्रांतों तथा विदेशों में भी आर्य में अपनी मानुभाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का आधुनिक प्रचलित साहित्यिक रूप सदा बोलती हिंदी है जो मध्यदेश की पढ़ी लिखी मूल जनता की शिक्षा, पत्र व्यवहार तथा पठनपाठन की भाषा है और साधारणतया देवनागरी लिपि में लिखी व छपाई जाती है। भारतवर्ष की अन्य प्रांतीय भाषाओं के समान सदा बोलती हिंदी तथा हिंदी की लगभग समस्त बोलियों के व्याकरण, शब्दसमूह, लिपि तथा साहित्यिक आदर्श आदि का प्रधान आधार भारत की प्राचीन संस्कृति है जो संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश आदि के रूप में सुगठित है। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, मारवाड़ी, गढ़वाली, आदि हिंदी के ही प्रादेशिक अथवा वर्गीय रूप हैं।”

इस तरह हम यह पाते हैं कि यद्यपि हिंदी की प्रादेशिक तथा वर्गीय बोलियों में आर्य में कुछ विभिन्नता है किंतु आधुनिक समय में लगभग इन समस्त बोलियों के बोलने वालों ने हिंदी के सदा बोलती रूप की साहित्यिक मान्यता के रूप में सुन लिया है और इसी साहित्यिक सदा बोलती हिंदी के द्वारा आज हमारे कवि, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता आदि अपने अपने विचार

प्रदेश का नाम जोड़कर अक्षर ब्रज भाषा, अवधी भाषा आदि रूपों का व्यवहार हमें मिलता है। गत सौ, सवा सौ वर्ष से जब से हिंदी के गूढ़ीबोली रूप को हम मध्यदेशवासियों ने अपने साहित्य के लिए अपनाया तब से हमने अपनी भाषा के इस आधुनिक साहित्यिक रूप का नाम हिंदी रखा। तब से अब तक इस नाम के साथ कितना इतिहास, कितना मोह, कितना आकर्षण बढ़ता गया इसे बनाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। भला हो या बुरा हो, अपना हो या व्युत्पत्ति की दृष्टि से पराया हो, हमारी भाषा का यह नाम चल गया और चल रहा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का दिया आर्यभाषा नाम निःसंदेह अधिक वैज्ञानिक था तथा मध्यदेशीय संस्कृति के अधिक निरुद्ध था किंतु वह नहीं चल सका और वह बात बड़ा ही समाप्त हो गई। किंतु इधर हमारी भाषा के नाम के संबंध में अनेक दिशाओं से प्रयास होने दिखलाई पड़ रहे हैं। मेरा संकेत यहाँ तीन नये नामों की ओर है—अर्थात् हिंदी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तथा राष्ट्रभाषा। यदि ये नाम इस श्रेणी के होने जैसे हम अपने पुत्र रामप्रसाद को प्रेमवश मुनुआ, पुनुआ और बेटा नामों से भी पुकार लेते हैं तब तो मुझे कोई आशंका नहीं थी। किंतु, मुनुआ, पुनुआ तथा बेटा—रामप्रसाद के स्थान पर चलवाना मेरी समझ में अनुचित है। यह भी स्मरण रखने की बात है कि नाम परिवर्तन संबंधी यह उद्योग हिंदी भाषा और साहित्य के प्रेम के कारण नहीं है। इनमें से कोई भी नाम किसी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य सेवा की ओर से नहीं आया है। इस विचार के सूत्रधार प्रायः देश के राजनीतिक हित-अनहित की चिंता रखने वाले महापुरुष हैं। हमारी भाषा के नाम के साथ यह खिलवाड़ करना अब उचित नहीं प्रतीत होता। हमारे राजनीतिक पंडित यदि यह सोचते हों कि हिंदी का नाम बदल कर वे उसे किसी दूसरे वर्ग के गले उतार सकेंगे तो यह उनका भ्रम मात्र है। प्रत्येक हिंदी का विद्यार्थी यह जानता है कि 'हिंदी' नाम प्रारंभ में सद्गीशोनी उर्दू भाषा के लिये प्रयुक्त होता था। हमने अपनी भाषा के लिए जब यह नाम अपनाया, तो दूसरे वर्ग ने हिंदी छोड़कर हिंदुस्तानी अथवा उर्दू नाम रख लिया। यदि हम हिंदी-हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा उर्दू नाम से भी अपनी भाषा को पुकारने लगे तो दूसरा वर्ग हटकर वहीं और जा पहुँचेगा। 'राष्ट्रभाषा' जैसे ठेठ भारतीय नाम को तो दूसरे वर्ग द्वारा स्वीकृत करवाना अशक्य है। समस्या वास्तव में नाम की नहीं है, भाषा शैली की है। यदि

आप खड़ी बोली उर्दू शैली का तथा तत्संबंधी सांस्कृतिक वातावरण को स्वीकृत करने को उद्यत हों तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दूसरे वर्ग का हिंदी नाम भी फिर से स्वीकृत करने में आपत्ति नहीं होगी। किंतु क्या हम से अपनी भाषा शैली तथा साहित्यिक संस्कृति छुड़ाई जा सकती है? इसका उत्तर स्पष्ट है। संभव है कि कुछ व्यक्ति छोड़ दें किंतु भारत जब तक भारत है तब तक देश नहीं छोड़ेगा। राजनीतिक सुविधाओं के कारण हमारी भाषा से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिज्ञों से मेरा सादर अनुरोध है कि वे हमारी भाषा के संबंध में यह एक नई गड़बड़ी उपस्थित न करें। यदि इससे कोई लाभ होता तब तो इस पर विचार भी किया जा सकता था किंतु वास्तव में हिंदी को हिंदी-हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी अथवा राष्ट्रभाषा नामों से पुकारने से हिंदी-उर्दू की समस्या हल नहीं होगी। इस समस्या को मुलभूतने का एक ही उपाय था—या तो स्वर्गीय प्रसादजी से स्वर्गीय इकबाल की भाषा में साहित्य रचना करवाना अथवा स्वर्गीय इकबाल से स्वर्गीय प्रसाद की भाषा में रचना करवाना। यदि इसे आप असंभव समझते हों तो हिंदी उर्दू के बीच में एक नए नाम के गड़ने से कोई फल नहीं। हिंदुस्तानी अथवा राष्ट्रभाषा नाम के कारण हिंदी की साहित्यिक शैली के संबंध में कुछ लेखकों के हृदय में भ्रम फैलने लगा है इसी कारण मुझे अपनी साहित्यिक भाषा के नाम के संबंध में आप का इतना समय नष्ट करने का साहस हुआ।

तीसरी समस्या जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, हिंदी भाषा और साहित्य के स्थान की समस्या है। जिस तरह प्रत्येक भाषा का एक घर होता है—बंगाली का घर बंगाल है, गुजराती का गुजरात, पारसी का ईरान, फ्रांसीसी का फ्रांस—उसी प्रकार हिंदी भाषा और साहित्य का भी कोई घर है या होना चाहिए यह बात प्रायः भुला दी जाती है। इधर कुछ दिनों से हिंदी के राष्ट्रभाषा अर्थात् अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के पक्ष पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसके घर की तलाश हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वास्तव में हिंदी भाषा और साहित्य के दो घर हैं—एक प्रदेश में तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। हिंदी भाषा का अस्तित्व पर तो आसाम के मण्डल में गंगा की घाटी में है जो आज विभिन्न रूप में अनेक प्रांतों तथा देही राज्यों में निभक है। हमारी भाषा और साहित्य की रचना के प्रधान केंद्र मधुप्रदेश, मद्रासप्रान्त, मध्यप्रान्त, राजस्थान, बिहार, दिल्ली तथा पंजाब में है। यहाँ की

पढ़ी किन्ती जनता की यह साहित्यिक भाषा है—राजभाषा तो अभी नहीं कह सकते। इन प्रदेशों के बाहर शेष भारत की जनता की साहित्यिक भाषाएँ भिन्न हैं, जैसे बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी आदि। इन अन्य प्रदेशों की जनता तो हिंदी की प्रधानतया अंतर्प्रान्तीय विचार-विनिमय के साधन-स्वरूप ही देखती है। प्रत्येक ही अपनी अपनी साहित्यिक भाषा है किन्तु अंतर्प्रान्तीय कार्यों के लिए कुछ लोगों के द्वारा उन्हें हिंदी सीख लेने की आवश्यकता भी जान पड़ती है। हम हिंदियों की साहित्यिक भाषा भी हिंदी है, और अंतर्प्रान्तीय भाषा भी हिंदी ही है। हिंदी के बनने विगड़ने से एक बंगाली, गुजराती या मराठी की भाषा या साहित्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता इसलिये हिंदी के संबन्ध में विचार करते समय उसका एक तटस्थ व्यक्ति के समान दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। किन्तु हिंदी भाषा या साहित्य के बनने विगड़ने पर हम हिंदियों की भविष्य की पीढ़ियों का बनना विगड़ना निर्भर है। उदाहरणार्थ अंतरराष्ट्रीय कार्यों के लिये भारतीय, ईरानी, जापानी आदि सभी काम चलाऊ अंग्रेजी सीख लेने हैं और योग्यतानुसार सही गुलती प्रयोग करने रहते हैं किन्तु एक अंग्रेजी का अपनी भाषा के हित अनहित के संबंध में विशेष चिंतित होना स्वाभाविक है। इस संबंध में एक आदरणीय विद्वान ने एक निजी पत्र में अपने विचार बहुत जोरदार शब्दों में प्रकट किए हैं। उनके ये सदा स्मरण रखने योग्य वचन निम्नलिखित हैं:—“मैं कहता हूँ क्यों हिंदी को हिंदी नहीं कहा जाता, क्यों मातृभाषा नहीं कहा जाता, क्यों इस बात को स्वीकार करने में हम हिचकते हैं कि उसके द्वारा करोड़ों का सुख दुःख अभिव्यक्त होता है; राष्ट्रभाषा अर्थात् विजारत की भाषा, राजनीति की भाषा, काम चलाऊ भाषा यही चीज़ प्रधान हो गई और मातृभाषा, साहित्य भाषा, हमारे रुदन हास्य की भाषा गौण। हमारे साहित्यिक दारिद्र्य का इससे बढ़ कर अन्य प्रदर्शन क्या होगा”

वास्तव में हिंदी भाषा और साहित्य का उन्धान पतन प्रधानतया हिंदी भाषियों पर निर्भर है। हिंदी भाषा को जैसा रूप वे देंगे तथा उसके साहित्य को जितना ऊपर वे उठा सकेंगे उसके आधार पर ही अन्य प्रांतवासी राष्ट्र-भाषा हिंदी को सीख सकेंगे व उसके संबंध में अपनी धारणा बना सकेंगे। इस समय भ्रमवश एक भिन्न परिस्थिति होने जा रही है। हिंदीभाषियों की अपनी

बालों की सहायता करने के लिये सदा सहर्ष रहना चाहिये किन्तु इस संबंध में हिंदी भाषियों तथा साहित्यिकों को अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिये।

हिंदी भाषा और साहित्य के संबंध में सिद्धांत संबंधी कुछ मूल समस्याओं की ओर मैंने आरम्भ ध्यान आकर्षित किया है। यदि इन मूल भ्रमों का निवारण हो जावे तो हमारी अनेक कठिनाइयें सहसा स्वयं लुप्त हो जावेंगी। समस्याभाव के कारण मैं विषय का विवेचन विस्तार के साथ तो नहीं कर सका किन्तु मैंने अपने दृष्टिकोण को भरसक स्पष्ट शब्दों में रखने का उद्योग किया है। हमारी भाषा के उचित विकास तथा नए साहित्य निर्माण में और भी अनेक छोटी छोटी बाधाएँ उपस्थित हैं। इनका संबंध प्रधानतया हिंदी-भाषियों से है। इन में से भी कुछ के संबंध में मैं अपने विचार सक्षेप में आपके सामने विचारार्थ रखना चाहूंगा।

हिंदी भाषा और साहित्य के विनाश में बाधक एक प्रबल समस्या हिंदी भाषी प्रदेश की द्विभाषा समस्या है। इस सत्य से अस्वी नहीं मीचना चाहिये कि साहित्य तथा संस्कृति की दृष्टि से हिंदी प्रदेश में हिंदी उर्दू के रूप में दो भाषाओं और साहित्यों की पृथक् धाराएँ बह रही हैं। पश्चिमी मध्यदेश अर्थात् पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी संयुक्तप्रान्त तथा राजस्थान के जयपुर आदि के राज्यों में तो उर्दू धारा आज भी पर्याप्त रूप में बलवती है किन्तु शेष मध्यदेश में अर्थात् पूर्वी संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यभारत तथा महाकोसल म हिंदी का आधिपत्य जनता पर काजी है। हिंदी प्रदेश की यह द्विभाषा समस्या एक असाधारण समस्या है क्योंकि बंगाल, गुजरात, तामिल, कर्नाटक आदि भारत के किसी भी अन्य भाषा-प्रदेश के सामने यह सकट कम से कम अभी तो वर्तमान नहीं है। उदाहरण के लिये बंगाली भाषा प्रत्येक बंगाली की अपनी प्रादेशिक भाषा है चाहे वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी हो। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में मैं हिंदी-उर्दू मिलन को असंभव समझता हूँ—वास्तव में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हिंदी-लिपि, शब्दसमूह, तथा साहित्यिक आदर्श वैदिककाल से लेकर अपभ्रंश काल तक की भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं। उर्दू लिपि, शब्दसमूह तथा साहित्यिक आदर्श हिंदीप्रदेश में बल आये हैं और अन्तर्गत दृष्टिकोण से लयालव हैं। हिंदियों की साहित्यिक सांस्कृतिक भाषा केवल हिंदी है और हो सकती है। किन्तु हिंदी के संबंध में एक भ्रम के निवारण की नितांत आवश्यकता है। यह यह

कि हिंदी हिंदुओं को भाषा न होकर हिंदियों को भाषा है। मध्य
 हिंदी प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक हिंदी को—चाहे वह वैष्णव
 मुगलमान हो या ईसाई, शासी हो या वगैरों—हिंदी भाषा, सा
 लिपि को अपनी जीन समझ कर अपने रहने और प्रधान रूप में
 चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वगैरों, प्रादेशिक या सांप्रदायिक लि
 भाषा को भी मांगे इसमें आसक्ति नहीं किन्तु उनका स्थान हिंदी प्रदेश में
 रह सकेगा, प्रथम नहीं। मंगी समझ में तिनकी मान्यता हिंदी है अ
 यह समझने है कि वास्तव में हिंदी ही हिंदी-प्रदेश की सच्ची साहित्यिक भा
 उन्हें दूसरे पक्ष के सामने विनय के साथ, किन्तु साथ ही दृढ़ता के साथ, अ
 इस दृष्टिकोण को ररना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि विशेषत
 पश्चिमी हिंदी प्रदेश में हिंदू, मुगलमान, ईसाई आदि प्रत्येक धर्म व जा
 के लोगों में इस भावना का प्रचार करने का निरंतर उद्योग हो। मैं उर्दू के
 विरुद्ध नहीं हूँ किन्तु मैं उर्दू को हिंदी-प्रदेश में हिंदी के बराबर नहीं रख पाता
 हूँ। मैं उसे एक द्वितीय भाषा के रूप में ही मांच पाता हूँ। हिंदी-उर्दू की
 समस्या को हल करने का यही एक उपाय है। दूसरा उपाय उर्दू भाषा और
 लिपि को अपने प्रदेश की साहित्यिक भाषा मान लेना है। राजनीतिक प्रभावों
 से असंभव भी संभव हो जाता है किन्तु शाय तो देश प्रगति स्वाभाविक अवस्था
 को धोर लौट रहा है अतः इस अवस्थाभाविक परिस्थिति की कल्पना कर
 भी व्यर्थ है।

हिंदी भाषा और साहित्य की वृद्धियों में से एक वृद्धि यह बनलाई जाती
 है कि यह सर्वसाधारण की भाषा और साहित्यिक आदर्श से बहुत दूर है।
 उसे जनता के निकट लाना चाहिए। इसमें अंशतः सार है किन्तु यह पूर्ण
 सत्य नहीं है। साहित्यिक वर्ग तथा सर्वसाधारण में अंतर का कम होना
 देश के लिए सदा हितकर है; किन्तु समस्त समाज को पलतः समस्त साहित्य
 के, एक श्रेणी के अन्तर्गत ला सकना मेरी समझ में एक स्वप्न मात्र है।
 साहित्य को सर्वसाधारण के निकट ले चलने के उद्योग के साथ साथ सर्व
 साधारण की अभिरुचि तथा ज्ञान को ऊपर उठाना भी साहित्यिकों का
 उद्योग है। साहित्यकार किनेमा और थियेटर कंपनियों की श्रेणी के व्यक्ति
 हैं जिनका प्रधान उद्देश्य सर्वसाधारण की माँग को पूरा करना मात्र होगा
 साहित्यिकों का चरम उद्देश्य तो समाज को ऊपर उठाना है। मैं समझ

हूँ कि अनावश्यक रूप से भाषा और साहित्य को झिड़ बनाना उचित नहीं है किन्तु साथ ही शैली का नाश कर के तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति को तिला-जलि देकर साहित्य को नीचे उतारने के पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। भारतीय समाज के उच्चतम और नीचतम वर्गों में भाषा और साहित्य के अतिरिक्त संस्कृति संबंधी सभी बातों में पर्याप्त अंतर है। जैसे जैसे यह संस्कृति संबंधी अंतर कम होना जावेगा, वैसे वैसे हमारी सुसंस्कृत भाषा और हमारा उच्च-साहित्य भी सर्वसाधारण के निकट पहुँचता जावेगा। ऊपर के लोगों को नीचे झुकाने से अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या नीचे के लोगों को ऊपर लाने की है—'कामायनी' की 'धनारसी कजलियों' के निकट ले जाने की अपेक्षा 'धनारसी कजली' पढ़ने वालों की अभिव्यक्ति को 'कामायनी' की साहित्यिक अभिव्यक्ति की ओर उठाने की विशेष आवश्यकता है।

हमारे साहित्य की प्रगति में बाधक तीसरा प्रधान कारण हमारे साहित्य निर्माताओं की आजीविका की समस्या है तथा प्रकाशकों के सामने पुस्तकों के खपत की समस्या है—'भूखे भजन न होय गोपाला'। वास्तव में हिंदी साहित्यकार जिस त्याग और तपस्या के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। देश के सर्वोत्तम मस्तिष्कों में से बहुत से तो इंग्लैंड के आर्थिक आदर्श से मिलती जुलती सरकारी नौकरियों के प्रलोभन में फँस कर उस ओर खिंच जाते हैं और अपना बहुमूल्य जीवन विदेशी यंत्र के चलाने में एक निर्जीव पुर्ज़े के समान व्यतीत कर देते हैं। देश के बचे खुचे मस्तिष्क राष्ट्रीय सेवा की ओर झुकते हैं और इन सेवाओं में से एक अपने साहित्य की सेवा भी है। हिंदी साहित्यकार को सरकारी बेतनो के टकर की आमदनी नहीं चाहिए—लक्ष्मी और सरस्वती का साथ कब हुआ है—किन्तु साधारण रोटी-मकान-कपड़े की चिंता से मुक्त होना तो आवश्यक ही है चाहे स्वार की रोटी, सूपर या मकान और रसादी का कपड़ा ही क्यों न हो। बच्चों की शिक्षा और बीमारी, माता पिता की असहाय अवस्था तथा स्त्री के कार्य भार बँटाने का कुल्ल साधारण उपाय तो होना ही चाहिए। निश्चय भविष्य में इस कठिनाई से निस्तार होना दिखलाई नहीं पड़ता किन्तु साहित्य की खपत के बढ़ने तथा सुसंगठित प्रकाशन संस्थाओं के पैदा होने से यह समस्या धीरे धीरे दूर हो सकेगी। प्रकाशकों से मुझे एक निवेदन करना है। आमीर इंग्लैंड की अंग्रेज़ी किताबों का टाट बाट हम लोगों के यहाँ नहीं निभ

मात्र है। मैं राष्ट्र के विगाही को अत्यन्त आदर की दृष्टि में देखना हूँ, किन्तु मैं देश के साहित्यकार को और भी अधिक सम्मान की दृष्टि में देखना हूँ। विगाही देश के धन जन की रक्षा या नाश करने वाला है, किन्तु साहित्यकार तो राष्ट्र के मन, मस्तिष्क और आत्मा को बनाने विगाड़ने वाला है। राजनीति का महत्त्व देश बाल से सीमित है, किन्तु साहित्यकार के हाथ में तो सगर वा भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब ही बुद्ध है। अपने देश की रचना के प्रयाग के इन असाधारण युग में हमें 'यत्र ब्रह्म च ज्ञान च सम्पद्यते चरतः सह।' प्रादि इस वेद वाक्य को और भी स्मरण करने की आवश्यकता है, नहीं तो सौतपोय परिस्थिति की दुनरावृत्ति होने की अपने यहाँ भी पूर्ण आशा है। ब्रह्म अर्थात् साहित्य मस्तिष्क और धर्म है, ज्ञान अर्थात् राजनीति रक्षक और बाहु बल है। दोनों ही का सदुपयोग तथा दुरुपयोग हो सकता है, किन्तु साहित्य या दुरुपयोग बहुत अधिक भयानक परिणाम वाला होता है इसे कभी भी नहीं भुलाना चाहिए।

अन मे मैं हिंदी प्रेमियों और हिंदी साहित्यकारों का ध्यान अपनी भाषा और साहित्य के संबंध में आमनिर्भंगता की भावना को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। घमंड और उन्नत गर्व तथा आत्मनिश्चय में अन्त है। मैं दूसरों का चाहता हूँ, पहली नहीं। हमें अपनी भाषा और अपने साहित्य का आदर करना सीखना चाहिए। उगड़ी धृष्टियों को समझने हुए और उनके दूर करने का यत्न करते हुए, उसके गुणों का हमें प्रकाशन करना चाहिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने का यत्न करना चाहिए। परस्पर तथा अज्ञान के कारण अपने साहित्य के निदर्शों का हमें सुँद पद करना चाहिए। हमारा गढ़ीबंगी हिंदी साहित्य अभी है ही सिन्ने दिनों का, किन्तु हमने अज्ञानता में ही यह सिन्ने आगे बढ़ गया है इस पर वास्तव में अभी प्रकाश ही नहीं डाला गया है। इधर कुछ बरों के अन्त जो प्रयत्न करने हैं उनमें दर्जनों ऐसे हैं जो उपाम साहित्य की धेड़ी में स्थान देने योग्य हैं। मैं बड़े बड़े लेखकों के नामों और बड़े बड़े प्रयोगों का यहाँ नहीं लिखना चाहता। मुझे तो अपने साहित्य में अपनी और अपने की सीढ़ी के लेखकों की स्थिति में ही ऐसे अनेक प्रयोगों का स्मरण आ रहा है जिनके स्मरणों तथा सीढ़ी-सीढ़ियों का लेखकों से बड़े बड़े साहित्यकारों को मानना पड़ेगा। अनेककुमार की अज्ञानता को सिन्ने दूरा होना पर क्या बहो को कभी भी भुलना नहीं है, अज्ञानता

चरण वर्मा की 'चित्रलेखा' की कल्पना में कितनी उड़ान और पूर्णता है, हरिकृष्ण प्रेमी के 'अनंत के पथ पर' शीर्षक खंड काव्य की रमानुभूति और प्रवाह असाधारण श्रेणी में रखने योग्य हैं। सुमित्रानंदन पंत की एक एक रचनाकी बारीकी सांची के तोरणों की नकाशी का स्मरण दिलाती है। यदि मैं इस तरह गिनाता चलूँ तो कदाचित् इस सूची का कभी अंत ही न हो। वास्तव में इस समय आलोचना करने की अपेक्षा हमें अपने साहित्य के रमास्वादन के अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता है।

कठिनाइयों के रहते हुए भी हमें क्षण भर भी हतारा नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। असाधारण विरोधी परिस्थितियों तक में हम अपनी पलायन पहराते रहे हैं। शासक वर्ग की सहायता तो हमें कभी मिली ही नहीं। हिंदी प्रदेश के दरबारों में जब फारसी राजभाषा थी उम्र समय हमने गूर, कपीर और तुलसी पैदा किए थे। फारसी आई और चली गई किंतु गूर तुलसी-कपीर अमर हैं। हमारे प्रदेश में जब अंग्रेजी राजभाषा हुई तब हमने अपनी तरस्या से रत्नाकर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे रत्न उत्पन्न किए। अंग्रेजी जा रही है किंतु यह निश्चय है कि हमारे इन रत्नों की चमक दिन दिन बढ़ती जावेगी। आज भी राजनीतिक परिस्थित हमारी भाषा और साहित्य के लिए पूर्णतया अनुपम नहीं है किंतु हमें इसकी क्षण भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारा आ विश्वास कायम रहा, यदि हमारे हृदयों में भारतीय संस्कृति का निराग्र जलना रहा तो मध्यदेश के हम बलवान सोंल के नियम प्रवाह की संभार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।

प्र. सुभाष चारी भण्डार
१९५७-५८

—

लेखक के कुछ अन्य प्रकाशित ग्रन्थ

१. हिंदीभाषा का इतिहास
२. हिंदीभाषा और लिपि
३. मजभाषा व्याकरण
४. अष्टद्वय
५. "ला लौंग मज" (मांमीमी)
६. प्रामाण्य हिंदी
७. हिंदी राष्ट्र

